

THE FREE INDOLOGICAL COLLECTION

WWW.SANSKRITDOCUMENTS.ORG/TFIC

FAIR USE DECLARATION

This book is sourced from another online repository and provided to you at this site under the TFIC collection. It is provided under commonly held Fair Use guidelines for individual educational or research use. We believe that the book is in the public domain and public dissemination was the intent of the original repository. We applaud and support their work wholeheartedly and only provide this version of this book at this site to make it available to even more readers. We believe that cataloging plays a big part in finding valuable books and try to facilitate that, through our TFIC group efforts. In some cases, the original sources are no longer online or are very hard to access, or marked up in or provided in Indian languages, rather than the more widely used English language. TFIC tries to address these needs too. Our intent is to aid all these repositories and digitization projects and is in no way to undercut them. For more information about our mission and our fair use guidelines, please visit our website.

Note that we provide this book and others because, to the best of our knowledge, they are in the public domain, in our jurisdiction. However, before downloading and using it, you must verify that it is legal for you, in your jurisdiction, to access and use this copy of the book. Please do not download this book in error. We may not be held responsible for any copyright or other legal violations. Placing this notice in the front of every book, serves to both alert you, and to relieve us of any responsibility.

If you are the intellectual property owner of this or any other book in our collection, please email us, if you have any objections to how we present or provide this book here, or to our providing this book at all. We shall work with you immediately.

-The TFIC Team.

वीर	सेवा म	न्दिर
	दिल्ली	
	*	
	~	2 1
हम संख्या	829	9
	21	
ाल नं०	57	
गड		

श्री बल्लभ स्मारक ग्रंथमाला-२

निगांठ नायपुत्त - -----

श्रमण भगवान् महावीर

तथा

मांसाहार परिहार

_{लेखक} पंडित होरालाल दूगड़ जैन-

_{आमुख} स्रागम-प्रभाकर—मुनि श्री पु**ण्यविजयजी** প্ৰকাহাক :---

श्री आत्मानन्द जैन महासभा पंजाब मुख्य कार्यालय-अम्बाला शहर (पजाब)

(सर्वाधिकार प्रकाशक द्वारा सुरक्षित)

वीरानर्वाण सवत् २४९० प्रथमावत्ति १००० ईस्वी **शन् १**९६४ मुल्य—∕एक रुपया

मुद्रक : शान्तिलाल जैन श्री जैनेन्द्र प्रेस, बंगलो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-६ ।



जिन्होंने साधु के कठोर वर्तों का पालन करते हुए भी लोकसेवा के बहुत काम किये और ऑहसा के मूल तत्त्वों को मानव जीवन में प्रतिष्ठित करने के लिये सतत प्रयास किया, उन अज्ञान-तिमिर-तरिण कलिकाल कल्पतरु श्री श्री १००८ स्व० जैनाचार्य श्री विजयवल्लम सूरीश्वर की पवित्र स्मृति में

प्राक्कथन

कभी-कभी विद्वान् माने जाने वाले व्यक्ति भी कुछ ऐसे विचार व्यक्त कर डालते हैं जो सत्य तथा औचित्य की दृष्टि से सर्वथा अग्राह्म होते हैं। ऐसे असत्य तथा अनुपयुक्त विचारों की उत्पत्ति और अभिव्यक्ति का कारण चाहे कदाग्रह हो अथवा सबद्ध विषय की यथोचित जानकारी का अभाव, परतु ऐसे विचार विषैला प्रभाव डालते हैं और उनका निराकरण आवश्यक बन जाता है।

श्री धर्मानद कौशाम्बीजी ने अपनी पुस्तक 'भगवान् बुद्ध' मे श्रमण-शिरोमणि, अहिसा के अनन्य उपासक तथा प्रसारक, भगवान् महाबीर पर रोगनिवृत्ति के लिए मासभक्षण का आरोप लगाया है। सर्वप्रमुख जैनागमो मे गिने जाने वाले श्री भगवती सूत्र के एक सूत्र को उन्होने आधार बनाया है।

भगवान् ने अपने एक मुनि शिष्य श्री सिंह को कहा कि "तुम मेढिक नगर में सेठ गृहपति की भार्या रेवती के घर जाओ और उनसे 'मज्जार कडए कुकुडमसए' (औषघ रूप) ले आओ जो उन्होंने अपने लिए बना रखा है।" भगवत् बचन में प्रयुक्त इन शब्दों का 'बिल्ले द्वारा मारे गए मुर्गे का मास' ऐसा असगत और असभाव्य अर्थ करके कौशाबीजी ने अनर्थ किया है।

हर भाषा में अनेकार्थ शब्द रहते हैं। दो शब्दों से मिलकर बने हुए शब्दों का अर्थ भी बहुत बार उन दोनों शब्दों के अर्थों से सर्वथा भिन्न होता है। संस्कृत तथा प्राकृत भाषा में तो विशेषतया अनेकार्थता पाई जाती है। इसलिए विवेकशील विद्वान् किसी भी ग्रथ में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ या उनकी व्याख्या करते हुए इस बात का घ्यान रखेगा कि किस व्यक्ति ने, किसको, किस समय, किस परिस्थिति में, किस निमित्त से, किस प्रसंग पर और किसके सबध में वह शब्द कहे। कानून (विधि Statute Law) में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ तथा उनकी व्याख्या करने में प्रसग, प्रकरण और उद्देश्य आदि का पूरा ध्यान रखना चाहिए यह निर्देश सर्वोच्च न्यायालयों ने बार-बार किया है। जैनागम के इस चिंचत सूत्र की व्याख्या करने मे उपर्युक्त सिद्धान्तों का तिनक भी घ्यान कौशाबीजी ने रखा होता तो वह ऐसा दुर्घट अथवा विकृत अर्थ न करते। देखिए:—

भगवान् महाबीर—स्वय अहिसा के परमोपासक, जिनके जीवन की अनवरत साघ ही सर्वांगीण अहिंसा व सर्वंभृतेषु दया थी;

श्री सिंह मुनि-सपूर्ण अहिसादि पच महाव्रत के धारक निर्प्रेथ श्रमण जो किसी भी प्राणी को मन-वचन-काया से कष्ट देना भी पाप समझते हैं। किसी सचित्त वस्तु का प्रयोग भी नहीं करते;

रेवती सेठानी—श्रमणोपासिका श्राविका धर्म को सावधानी से पालने वाली, प्राश्क औषधदान से तीर्थकर गोत्र उपार्जन करने वाली;

तेजोलेक्या से उत्पन्न रोग—रक्तपित्त, पित्तज्वर, दाह तथा रक्तातिसार जिनके लिए मुर्गे का मांस महा अपथ्य और सर्वथा अनुपयुक्त;

प्रयुक्त शब्द—वनस्पति विशेष के निर्विवाद सूचक और उनसे तैयार की हुई औषघ उक्त रोगो के लिए रामबाण ।

इत्यादि अनेक दृष्टिकोणो से विचार करने पर स्पष्ट है कि कौशांबीको ने उत्सूत्र, प्ररूपणा की है ।

कई विद्वानों ने अपने-अपने ढग से कौशाबीजी की घारणा को निराधार मिद्ध करने का प्रयास किया है। प० श्री हीरालालजी दूगड़ ने पूरे साधनों के अभाव में भी इस विषय पर गहराई से अध्ययन तथा मनन किया है और सही अर्थ को हर दृष्टि से स्पष्ट करने का सफल प्रयत्न किया है। कई विद्वानों ने इनके इस उद्यम-जन्य विद्वत्तापूर्ण लेख को सराहा है। इसीलिए श्री आत्मानद जैन महासभा ने इसे पुस्तक रूप में प्रकाशित करने का निश्चय किया और पडित हीरालालजी के महान् परिश्रम को सम्मानपूर्वक पुरस्कृत किया। वह पुरस्कार गत वर्ष अक्षय तृतीया को श्री हस्तिनापुर

की पुष्यभूमि में महासभा की ओर से पडितजी को भेट करने का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ था और उनके इस क्लाच्य प्रयास की सराहना उस अवसर पर भी मैंने की थी।

उनके लेख को पुस्तक रूप में विद्वानों के निष्पक्ष भाव से अवलोकन के लिए भेट करने और इस चिंचत विषय की बहुमुखी व्याख्या और विश्वदीकरण के इस अमूल्य प्रयास को उनके समक्ष रखने मे महासभा हर्ष अनुभव करती है। हमे आशा है कि इसका अध्ययन करके सभी विवेकशील विद्वानों को सतुष्टि प्राप्त होगी।

एम-१२८, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-१ दिनाक १०-५-६४ विनीत ज्ञानदास जैन, ऐडवोकेट

त्रामुख

प्रस्तुत पुस्तक में जैन श्रमण और श्रावक वर्ग के आचार का—विशेष तथा अहिसक आचार का सुदर वर्णन किया गया है, और उम आचार के साथ मांस, मिदरा आदि के सेवन का कोई मेल नहीं है, वे सर्वथा वर्ज्य हैं—ऐसा प्रतिपादन किया गया है। इस अहिमक आचार के प्रतिष्ठापक भगवान् महावीर की जीवनचर्या का सक्षेप में निरूपण भी कर दिया है, वह इसलिए कि—उन्होंने स्वयं अहिसा की प्रतिष्ठा अपने जीवन में किस प्रकार की थी? यह जानकर स्वय साधु और गृहस्थ भी अपने अहिसक आचार में अग्रसर हो और अहिसा के पालन में कष्टसहन की प्रेरणा भी भगवान् के जीवन से ले मके। एक पूरा प्रकरण भगवान् महावीर ने आगमों में मास और अडे खाने का किस प्रकार निपेध किया है ओर खानेवाले की कैसी दुर्गति होती है—इसके वर्णन में है। इसमें आगमों से अनेक पाठों के हिंदी अनुवाद देकर यह सिद्ध किया है कि स्वय भगवान् महावीर ने मास आदि के सेवन का किस प्रकार निपेध किया है।

अब मुख्य प्रश्न सामने है कि—यदि वस्तुस्थिति यह है तो आगमों म कुछ अपवाद के रूप में मांसाशन सम्बन्धी पाठ आते हैं। उनकी भगवान् महावीर के उक्त अहिसा के उपदेश से किस प्रकार संगति हैं? आज से एक हजार वर्ष से भी पहले यही प्रश्न टीकाकारों के समक्ष था और आज के आधुनिक युग में भी कई लेखकों ने इस ओर जैन विद्वानों का ध्यान दिलाया है। यह प्रश्न वडी परेशानी तब करता है जबिक आज हम मह देखते हैं कि—जैन समाज में मांसाशन सर्वथा त्याज्य है और डर यह लगता है कि—कही अनास्थावाले लोग उन पाठों को आगे करके मांसाशन का सिलसिला पुनः जारी न कर दें। यह समस्या जैसे आज है वैसे पूर्वकाल में भी थी।

और अहिंसा के परम उपासक के जीवन में मासाशन का मेल बैठ ही महीं सकता है यह हमारी घारणा जैसे आज है वैसे प्राचीनकाल मे भी थी। यह भी एक प्रश्न बारबार सामने आता है कि जिस प्रकार भगवान् बुद्ध ने मांस खाया यदि उसी प्रकार भगवान महावीर ने भी खाया तथा जिस प्रकार आज बुद्ध के अनुयायी मासाशन करते है उस प्रकार कभी-कभी जैन श्रमणों ने और गृहस्थों ने भी किया, तो अहिंसा के आचार मे भगवान् महावीर और उनके अनुगायी की इतरजनो से क्या विशेषता रही ? ये और ऐसे अनेक प्रश्न अहिसा में सम्पूर्ण निष्ठा रखने वालो के सामने आते है। अतएव उनका कालानुसारी समाघान जरूरी है। पूर्वाचार्यों ने तो उन-उन पाठों में उन शब्दों का वनस्पतिपरक अर्थ भी होता है ऐसा कहकर छुट्टी ले ली, किन्तु इससे पूरा समाधान किसी के मन मे होता नही और प्रश्न बना ही रहता है। आध्निक काल में जब त्याग की अपेक्षा भोग की ओर ही सहज झुकाव होता है, तब ऐसे पाठ मानव-मन को अहिसा निष्ठा मे विचलित कर दें और वह त्याग की अपेक्षा भोग का मार्ग ले, यह होना स्वाभाविक है। इस दिप्ट से उन पाठों का पूर्नीवचार होना जरूरी है, ऐसा समझकर लेखक ने जो यह प्रयत्न किया है वह सराहनीय और विचारणीय है।

लेखक ने विविध प्रमाण देकर भरमक प्रयत्न किया है कि—उन सभी पाठों में मास का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। अनेक कोष और शास्त्रों से यह सिद्ध किया है कि उन शब्दों का वनस्पतिपरक अर्थ किस प्रकार होता है। इसे पढ़कर अस्थिर चित्तवालों की अहिंसा निष्ठा दृढ होंगी—इसमें संदेह नहीं है, और आक्षेप करनेवालों के लिए भी नयी सामग्री उपस्थित की गई है, जो उनके विचार को बदल भी सकती है। इस दृष्टि से लेखक ने महत् पुण्य की कमाई की है और एतदर्थ हम सभी अहिंसा निष्ठा रखनेवालों के वे धन्यवाद के पात्र है।

⁻⁻⁻मुनि पुण्यविजय

श्रपनी बात

विश्व के अहिंसा में निष्ठा रखनेवाले जन-समाज में साधारण रूप से तथा जैन समाज में विशेष रूप से खलबली मचा देनेवाली "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक भारत सरकार की "साहित्य अकादमी" द्वारा सन् १९५६ ईसवी में हिन्दी भाषा में प्रकाशित हुई। यह पुस्तक बौद्ध-दर्शन के विद्वान् अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी लिखित मराठी भाषा में "बुद्ध-चरित्र" का अनुवाद है।

यद्यपि मराठी ''बुद्ध-चरित्र" पुस्तक कुछ वर्षों पहले छप चुकी थी परन्तु उसका प्रचार महाराष्ट्र मे कितपय व्यक्तियों तक सीमित होने से जैन समाज को इस पुस्तक सम्बन्धी विषय का पता न लगा। जब भारत सरकार ने इसका अनुवाद हिन्दी, गुजराती, मराठी, आसामी, कन्नड़ी, मलयालम, उडिया, सिघी, तेमिल, तेलुगु और उर्दू इन ग्यारह भारतीय प्रमुख भाषाओं मे अपनी साहित्य अकादमी द्वारा प्रायः एक साथ प्रकाशित करवाकर सर्वव्यापी प्रचार प्रारंभ किया, तब जैन समाज को ज्ञात हुआ कि इस पुस्तक मे ''करुणा के प्रत्यक्ष अवतार, दीर्घ तपस्वी, महाश्रमण निग्गठ नायपुत्त भगवान् वर्द्धमान—महावीर स्वामी तथा निग्रंथ (जैन) श्रमणो पर लेखक महोदय ने मास भक्षण का आरोप लगाया है, जो सर्वथा अनुचित है।

अहिसा में निष्ठा रखनेवाले मानव समाज ने तथा विशेष रूप से जैन समस्त समाज ने सर्वत्र इस पुस्तक का विरोध किया । इसे जब्त करने के लिये स्थान-स्थान पर सभाएं हुई, प्रस्ताव पास किये गये तथा भारत सरकार को इस विषय में तार व अखियाँ भेजी गयी । अनेक शिष्ट मंडल भी योग्य अधिकारियों से मिले । अनेक स्थानों मे सनातन धर्मियों

की सभाओ ने भी इस पुस्तक के विरोध मे प्रस्ताव पास कर योग्य अधि-कारियों को भेजें।

इस आन्दोलन का परिणाम मात्र इतना ही हुआ कि "उक्त पुस्तक दोबारा न छपवाने का तथा इन प्रकाशित सस्करणों में माम सम्बन्धी प्रकरण के साथ जैन विद्वानों के मान्य अर्थ को मूचित करनेवाला नोट लगवा देने का अकादमी ने स्वीकार किया परन्तु खेद का विषय यह है कि इस पुस्तक का ग्यारह भाषाओं में सर्वव्यापक प्रचार बराबर आज भी चालू है।

भारत एक धर्म-प्रधान देश है, मात्र इतना ही नहीं, अपितु सत्य और अहिंसा की जन्म-भूमि है। इसी धर्म वमुन्धरा पर भारत की सर्वोच्च विभूति महान् अहिंसक, करुणा के प्रत्यक्ष अवतार, दीघं तपस्वी, महाश्रमण निर्प्रथ तीर्थंकर (निगाठ नायपुत्त) भगवान् महावीर स्वामी (जैता के चौबीसवे तीर्थंकर) का जन्म हुआ। इसी पवित्र भारत भूमि में उन्होंने जगत् को सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह तथा स्याद्वाद आदि मत्सिद्धान्तों को प्रदान किया। ममस्त विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि 'श्रमण भगवान् वर्द्धमान महावीर तथा उनके अनुयायी निर्प्रथ जैन श्रमण मनसा-वाचा-कर्मणा अहिंसा के प्रतिपालक थे और उनके अनुयायी श्रमण एव श्रमणोपासक आज तक इसके प्रतिपालक है।''

ऐसा होते हुए भी ईस्वी सन् १८८४ मे यानि आज से ८० वष पहले जर्मन विद्वान् डाक्टर हर्मन जैकोबी ने जैनागम "आचाराग सूत्र" के अपने अनुवाद में सूत्रगत मास आदि शब्दोवाले उल्लेखों का जो अर्थ किया था उस पर विद्वानों ने पर्याप्त ऊहापोह किया था। अनेक विद्वानों ने टाक्टर जैकोबी के मन्तव्यों के खड़न रूप पुस्तिकाए भी लिखी थीं जिसके परिणामस्वरूप डाक्टर जैकोबी को अपना मत परिवर्तन करना पड़ा। उन्होंने अपने १४-२-१९२८ ईसवी के पत्र में अपनी भूल स्वीकार की। उस पत्र का उल्लेख "हिस्ट्री आव कैनानिकल लिटरेचर आव जैनाज" पृष्ठ ११७-११८ में हीरालाल रसिकलाल कापडिया ने इस प्रकार किया है.—

There he has said that "बहु अष्टिएण मंसेण वा मच्छेण वा बहुकण्टएण" has been used in the metaphorical sence as can be seen from the illustration of नन्तरीयक्ट्व given by Patanjali in discussing a vartika of Panini (III, 3, 9) and from Vachaspati's com. on Nyayasutra (IV, 1,54) he has concluded: "This meaning of the passage in therefore, that a monk should not accept in alms any substance of which only of which only a part can be eaten and a greater part must be rejected."

डॉक्टर हर्मन जैकोबी के इस स्पष्टीकरण के बाद आस्लो के विद्वान् डाक्टर स्टेन कोनो ने अपने मत को एक पत्र द्वारा इस प्रकार प्रदिशत किया है जिसका हिन्दी अर्थ नीचे दिया जाता है :—

"जैनों के मास खाने की बहु-विवादग्रस्त बात का स्पष्टीकरण करके प्रोफेसर जेंकोबी ने विद्वानों का बड़ा हित किया है। प्रकट रूप से यह बात मुझे कभी स्वीकार्य नहीं लगी कि जिस धर्म में अहिंसा और साबुत्व का इतना महत्त्वपूर्ण अश हो, उसमें मास खाना किसी काल में भी धर्मसगत माना जाता रहा होगा। प्रोफेसर जैंकोबी की छोटी-सी टिप्पणी में सभी वात स्पष्ट हो जाती है। उसकी चर्चा करने का प्रयोजन यह है कि मैं उनके स्पष्टीकरण की ओर जितना सभव हो उतने अधिक विद्वानों का घ्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। पर निश्चय ही अभी भी ऐसे लोग होंगे जो (जैंकोबी के) पुराने सिद्धान्त पर दृढ़ रहेंगे। मिथ्यादृष्टि से मुक्त होना बड़ा कठिन है पर अन्त में सदा सत्य की विजय होती है।"

(आचार्य विजयेन्द्रसूरि कृत तीर्थंकर महावीर भाग २ पृ० १८१) जैकोबी के बाद इस प्रश्न को श्री गोपालदास जीवाभाई पटेल ने तथा अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी ने श्रमण भगवान् महावीर को तथा निर्धंय (जैन)श्रमणो को मासाहारी सिद्ध करने का दुःसाहस किया है। श्री गोपाल-दास जीवाभाई पटेल आज जीवित है पर अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी इस संसार से विदा ले चुके हैं। इन दोनों ने जैनागमो के गूढ़ार्य युक्त उन उल्लेखो

को संसार के समक्ष अयथार्थ रूप से प्रकट कर जो चर्चा उपस्थित की है उसका आज तक अन्त नही आया।

यद्यपि अध्यापक कौशाम्बी पाली भाषा तथा बौद्ध साहित्य के प्रखर विद्वान् माने जाते थे परन्तु अर्द्ध मागधी भाषा के तथा जैन आचार-विचार के पूर्णजाता न होने के कारण एव गोपालदास भाई पटेल भी इन विषयों में अनिभज्ञ होने के कारण (दोनों ने) जैनागमों के कथित सूत्रपाठों का गलत अर्थ लगाकर निग्गठ नायपुत्त श्रमण भगवान् महावीर तथा उनके अनुयायी निर्प्रथ श्रमण संघ पर प्राण्यग मत्स्य मासाहार का निर्मूल अक्षिप लगाया है। वास्तव में बात यह है कि जो भी कोई अहिसा धर्म के अनन्य सम्थापक, प्रचारक, विश्ववत्सल, जगद्-बन्धु, दीर्घ तपस्वी, महाश्रमण भगवान् महावीर पर मासाहार का दोषारोपण करता है, वह भगवान् महावीर को यथायोग्य नहीं समझ सका, उनके वास्तविक पवित्र जीवन को नहीं समझ पाया। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति ऐसा अप्रशस्त दुस्साहस कर जात-अजात भाव से मासाहार प्रचार का निमित्त बन जाते है। ऐसे निर्मूल आक्षेप का प्रतिवाद करना सत्य तथा अहिमा के प्रेमियों के लिये अनिवार्य हो जाता है। इसी बात को लक्ष्य में रखने हुए कई विद्वानों ने इस प्रतिवाद रूप कुछ लेख तथा पुस्तिकाये लिखकर प्रकाशित की।

फिर भी, जिज्ञामुओं के लिये इस विषय में विशेष रूप से खोजपूर्ण लेख की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। अतः भारत के अनेक स्थानों से मित्रों तथा विद्यार्थी बन्धुओं ने अपने पत्रों द्वारा तथा साक्षात् रूप में मिलकर मुझे इस ''भगवान् बुद्ध'' के मांसाहार प्रकरण के प्रतिवाद रूप शोध-खोजपूर्ण, युक्ति पुरस्सर, जैनशास्त्र-सम्मत तथा जैन आचार-विचार के अनुकूल निवध लिखने की आग्रहभरी पुन-पुनः प्रेरणाये की। इन निरन्तर की प्रेरणाओं ने मेरे मन में सुषुप्त इच्छाओं को बल प्रदान किया।

विशेष रूप से श्री रमेशचन्द्रजी दूगड़ जैन (पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए) कानपुर निवासी ने इस विषय पर कुछ नोट लिख भेजे और भावना प्रकट की कि इस विषय पर एक सुन्दर निबन्ध तैयार किया जावे इससे मुझे विशेष रूप से सिकय प्रेरणा तथा उत्साह मिला और दृढ़ संकल्प बनने में सहायता मिली । मैंने उनमें से कुछ उपयोगी नोट्स इस निबन्घ मे स्वीकार किये हैं । अतः मैं उन सब प्रेरणादाताओ का आभारी हूँ ।

मैने इस निबन्ध को ईसवी सन् १९५७ में अम्बाला शहर पंजाब में लिखना प्रारभ किया और पूरे दो वर्ष के सतत परिश्रम के बाद ईसवी सन् १९५९ को लिखकर तैयार हो गया। मैं सन् ईसवी १९६२ को दिल्ली आ गया।

इस निबन्ध को तैयार करने में कई अड़चने, प्रतिबन्ध और असुविधाओ तथा माधन-सामग्री के अभाव के बीच में से गुजरना पड़ा । येन-केन प्रकारेण साधन सामग्री जुटाकर और सब अडचनों का सामना करते हुए यह निबन्ध ईसवी सन् १९५९ में तैयार होकर पूरे पांच वर्ष बाद आज सन् ईस्वी १९६४ मे श्री आत्मानन्द जैन महासभा पजाब द्वारा प्रकाशित होकर आपके कर कमलों तक पहुंच पाया है । आशा तो थी यह जल्दी प्रकाशित होता लेकिन "श्रेयासि बहु विघनानि" लोकोक्ति यहा भी प्रबल बनी ।

अब मेरी यह हार्दिक भावना है कि इस निबन्ध का अनेक भाषाओं में अनुवाद होकर विश्वभर में सर्वत्र प्रचार हो, जिससे जैन धर्म, जैन तीर्थकरो, जैन आगमो, जैन मुनियों तथा जैन गृहस्थों पर लगाये गये नितान्त मिथ्या आक्षेपों का निरसन होकर इसका सत्य और वास्तविक स्वरूप से विश्व का मानव-समाज परिचित हो।

अहिसा प्रेमी महानुभावों को इसके सर्वत्र प्रचार के लिए इस निबन्ध की प्रकाशक सम्था की प्रोत्साहन देते रहना चाहिये।

इस निबन्ध में यह सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि निग्गठ नायपुत्त श्रमण भगवान् महावीर ने उत्सर्ग तथा अपवाद किसी भी सूरत में प्राण्यंग मासाहार ग्रहण नहीं किया और नहीं आप अपने सिद्धान्त (आचार-विचार) के अनुसार ऐसा अभस्य पदार्थ ग्रहण कर सकते थे। उत्सर्ग मार्ग वह सिद्धान्त हैं जो प्रधान मार्ग है। महापुरुष के जीवन में हमेशा प्रधान मार्ग का ही आचरण रहता हैं। उनके लिये देहाध्यास कोई खास वस्तु नहीं हैं। अतः वे अपने जीवन में किसी भी हालत मे अपने लिये अपवाद मार्ग का आश्रय नहीं लेते। इसका आश्रय यह है कि वे अपने जीवन में हिसा आदि जिसमें हो ऐसा कोई कार्य नहीं करते। अतः प्राप्यग मासादि को ग्रहण करना उनके लिये असभव ही है इसलिये जैनो के पाँचवें आगम "भगवती सूत्र" के विवादास्पद सूत्रपाठ के शब्दो का प्राप्यग मांसपरक अर्थ करना नितात अनुचित और गलत है तथा श्रमण भगवान् महावीर को जो रोग था जिसके लिये उन्होंने जिम औषध का सेवन किया था यदि वह प्राण्यग मांस होता नं वह प्राण्यातक सिद्ध होता। इसलिए उन्होंने बनस्पतियों से तैयार हुई औपित्र का सेवन कर आरोग्य लाभ किया। वह औषध:—

"लवंग से सस्कारित बिजोरा (जम्बीर) फल का पाक" ओखध रूप में ग्रहण किया था। क्योंकि इस औषध में रक्त-पित्त आदि रोगों को अमन करने के पूर्ण गुण विद्यमान है।

श्वेतावर जैनो हारा मान्य इस सूत्रपाठ का अर्थ वनस्पतिपरक औषघ रूप में सुज दिगम्बर जैन विद्वानों ने भी स्वीकार किया है और इस औषघ-दान की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मात्र इतना ही नहीं, अपितु यह भी स्वीकार किया है कि भगवान् को इस औषध दान देने के प्रभाव से रेवती श्राविका ने तीर्थंकर नाम-कर्म का उपार्जन किया, इसिल्ए औषघ दान भी देना चाहिये। इसमें स्पष्ट है कि सुज दिगम्बर जैन विद्वानों को भी इस औषध के वनस्पतिपरक अर्थ में कोई मतभेद नहीं है। देग्ये इसी निबन्ध का पृष्ट ७८।

अधिक क्या कहें ग़लत तथा भ्रान्तिपूर्ण ऐसा अनुचित प्रचार कर अति प्राचीनकाल से चले आये जैन घर्म के पिवत्र और सत्य सिद्धान्तों को तोड़-मोडकर रखने से ऐसे पिवत्र सित्सिद्धान्तों से अज्ञान तथा द्वेषियों को मिथ्या प्रचार करने का मौका मिलता हैं। अत. कोई विद्वान् यदि किसी ग़लतफहमी का जिकार हो भी गया है तो उसे इस बात को सत्य रूप में जानकर अपनी भूल के लिये प्रतिवाद तथा पश्चात्ताप करना ही उसकी सच्ची विद्वत्ता की कसौटी है।

तथा "अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी एवं श्रीगोपालदास भाई पटेल ने इस भगवती सूत्र के पाठ के अतिरिक्त जैनामसो दशवैकालिक तथा आचाराग के जिन सूत्रपाठों का भी ऐसा ही अनुचित अर्थ किया है उनके स्पष्टीकरण के लिये भी इस प्रस्तावना में जर्मन विद्वान् डाक्टर हर्मन जैकोबी ने अपनी इस भूल को जो सरल हृदय से स्वीकार कर उसके प्रतिकार रूप में अपना स्पष्ट मत प्रदर्शित करनेवाला स्पष्टीकरण किया है, वह नोट उद्धृत कर दिया है तथा इसके साथ ही हमने इस निबंध के पृष्ठ १५४ से १५७ की टिप्पणी में उन सूत्रपाठों में दिये गये विवादास्पद शब्दों के वनस्पतिपरक अर्थ भी दे दिये है जिनसे पाठकों को यह भी स्पष्ट हो जाय कि इनका अर्थ वनस्पतिपरक करना ही उचित है।

क्योंकि हमारे इस निबन्ध का मुख्य विषय "भगवती सूत्र" के विवादा-स्पद सूत्रपाठ के अर्थ का स्पष्टीकरण है इसिलये दूसरे आगमों के विवादास्पद सूत्रपाठों के शब्दों का वनस्पतिपरक अर्थ-मात्र देना ही इसिलये पर्याप्त समझा है कि समझदार के लिये इशारा मात्र ही काफी है। आगा है कि इससे पाठक महानुभावों को यह स्थिति सरलतापूर्वक अवश्य समझ में आ सकेगी जिज्ञेषु कि बहना।

इस निबन्ध पर कोई लम्बी-चौडी प्रस्तावना लिखकर हम आपका और अपना समय खर्च करना उचित नहीं समझते। पाठक महानुभावों से मात्र इतना ही अनुरोध है कि आप इस निबन्ध को स्थित प्रज्ञता के साथ पढ़ें और निर्णय करें कि इस कार्य में हमें कहा तक सफलता प्राप्त हुई हैं। एवं इसमें यदि कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो हमें सूचित करने की कृपा करें ताकि अगले सस्करण में इसे परिमाजित कर दिया जाय।

जैनों तथा जैन धर्म के लिये "अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी कृत "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक एक लांछन रूप है। जब तक निर्ग्रथ जैन श्रमणों तथा महाश्रमण निग्गठ नायपुत्त भगवान् श्री महावीर स्वामी पर लगाये गये प्राण्यग मासाहार के दोषवाले पृष्ठ इस पुस्तक में से निकाले नही जाते, तब तक जैन समाज तथा अहिसा में निष्ठा रखनेवाले जन-

समाज में संतोष नहीं हो सकता। तथा भाई गोपालदास जावाभाई अथवा जो कोई अन्य महानुभाव भी इसका अनुकरण कर रहे हों उनको भी बास्तविक अर्थ समझकर अपनी भूल को स्वीकार कर अपनी सरलता और सत्यप्रियता का परिचय देते हुए वास्तविक विद्वत्ता का परिचय देना चाहिये।

भारत सरकार से भी हमारी प्रार्थना है कि जिस प्रकार Religious Leaders (धार्मिक नेता) नामक पुस्तक प्रकाशित होने पर अल्प-संख्यको की भावनाओ का आदर करते हुए उसे जब्द कर तथा "सरिता" मासिक पित्रका के जुलाई के अक को जब्द करके सत्य परायणता का परिचय दिया है वैसे ही अध्यापक धर्मानन्द कोशाम्बी कृत "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक के लिये भी कदम उठाये जिससे अहिसा-प्रेमी जगत् के सामने शुद्ध न्याय का परिचय मिले।

इस निबन्घ को लिखने में जिन ग्रथो की सहायता ली गयी है उनकी सूची आगे दी है। उन सब ग्रथकर्ताओ का साभार धन्यवाद।

इस निबन्ध सम्बन्धी सब प्रकार की सम्मतियां एव सूचनाये नीचे लिखें पते से भेजकर अनुग्रहीत करें।

२/८२ रूपनगर, दिल्ली-६ हीरालाल दूगड़ व्यवस्थापक, जैन प्राच्यग्रथ भडार

कृतज्ञता-प्रकाश

अपने परमोपकारी गुरुदेव जैनाचार्य स्व० श्रीमद् विजयवल्लभ सूरीश्वरजी के देवलोक गमन के उपरान्त श्री आत्मानन्द जैन महासभा पजाब अथवा समस्त पजाब जैन श्री संघ ने एक स्वर से सङ्कल्प किया था कि गुरुदेव के मिशन की पूर्ति के लिए श्रीवल्लभ स्मारक की स्थापना की जाए। स्मारक मे अनेक प्रवृत्तियो का आयोजन है—गुरुवर श्रीमद् विजयानन्द सूरीश्वर व श्रीमद् विजयवल्लभ सूरीश्वर की कलात्मक प्रतिमाएँ, हस्त-लिखित शास्त्रों का सग्रह व रक्षण, पुस्तकालय, ग्रन्थ प्रकाशन, शोध-कार्य, कलाकक्ष, अतिथिगृह आदि।

स्मारक की स्थापना देहली में होगी। इस समय भण्डारों के ग्रंथों का सूत्रीकरण हो रहा है। प० हीरालालजी दूगड़ यह उपयोगी काम कर रहे है। साहित्य प्रकाशन की ओर भी पग उठाया गया है। 'आदर्श जीवन' का प्रकाशन हो चुका है। सस्ता साहित्य मंडल के सहयोग से 'मानव और धर्म' (लेखक डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री एम.ए., पी एच. डी.) भी प्रकाशित हो चुका है।

प्रस्तुत पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण विवादास्पद विषय पर लिखी गई है। विद्वान् लेखक व्याख्यान दिवाकर, विद्याभूषण प० हीरालाल दूगड न्याय-तीर्थ, न्यायमनीषी, स्नातक ने कठोर परिश्रम से इसे तय्यार किया है। हमे आशा है कि विद्वान् इसका समुचित अध्ययन कर प्रचलित भ्रान्ति दूर कर हमे अपनी सम्मति भेजेगे। हम लेखक महोदय, आमुख लेखक मुनिराज श्री पुण्यविजयजी तथा श्री ज्ञानदासजी एडवोकेट का हार्दिक आभार मानते है, जिनके प्रयत्नों व प्रेरणाओं से यह पुस्तक साहित्य-जगत् के समक्ष उपस्थित हो रही है। आर्थिक सहायकों के भी हम कृतज्ञ है।

जेठ शुदि अष्टमी वि० २०२१ श्री आत्मानन्द जैन महासभा, पंजाब

विषयानुक्रमणिका

प्रथम खण्ड

जैन आचार-विचार तथा निर्ग्रन्थ ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर

स्तम्भ	न० विषय	पृष्ठ
"	१—जैन अहिसा का प्रभाव	ą
,,	२—-जैन गृहस्थो का आचार	१ ३
,,	३——निर्ग्रथ श्रमण का आचार	२२
,,	४—भगवान् महावीर स्वामी का त्यागमय जीवन	२७
13	५—श्रमण भगवान् महावीर का तत्त्व ज्ञान	३२
11	६—–श्रमण भगवान् महावीर तथा अहिसा	३५
"	७—भगवान् महावीर् के मासाहार सम्बन्धी विचार	४०
٠,	८—-जैन मासाहार से सर्वथा अलिप्त	86
٠,	९—तथागत गीतम ब्द्र द्वारा निर्ग्रथचर्या मे मासभक्ष	ज
	निषेध	५७
"	१०—-बौद्ध-जैन सवाद मे मामाहार निषेध	६२

द्वितीय खंड

निगाठ नायपुत्त श्रमण भगवान् महाबीर पर मासाहार के आक्षेप का निराकरण

स्तम्भ न०

		-
"	११—महा श्रमण भगवान् महावीर स्वामी पर मासाहार के	
	आरोप का निराकरण	६९

विषय

वृष्ठ

स्तम्भ	न०	भाग	विषय	वृष्ठ
,,	११	"	१विवादास्पद सूत्र-पाठ और उसके अर्थ के	7
"	,,		लिये जैन विद्वानो के मत	७१
,,	,,	,,	२इस औषधदान पर दिगम्बर जैनो का मत	১৩
17	,,	"	३—-जैन तीर्थकर का आचार	७९
t1	73	,, ۲,	५निग्रंथ श्रमण तथा निर्ग्रथ श्रमणोपासक	
			का आचार	८५
"	,,	,,	६इस औषघ को सेवन करनेवाले, औषघ	Г
			लानेवाले, औषघ <mark>बनाने</mark> तथा देनेवाले	
			का जीवन-परिचय	८६
,,	,,	11	७—मासाहारी प्रदेशो मे रहनेवाले जैन	
			धर्मावलवियो का जीवन-सस्कार	
			तथा उसके प्रभाववाले प्रदेशों में अन्य	•
			धर्मावलबियो पर उनका प्रभाव	९७
,,,	,,	"	८अन्य तीथिको द्वारा जैन-धर्म सम्बन्धी	•
			आलोचना मे मासाहार के आक्षेप का	•
			अभाव	९९
n	"	"	९—तथागत गोतम बुद्ध की निर्ग्रथावस्था की	
			तपक्चर्या मे मासाहार को ग्रहण न करने	
"	,,		का वर्णन	१०२
n	,,	"	१०—–श्रमण भगवान् महावीर का रोग तथा	•
,	*)		उसके लिये उपयुक्त औषध	१०४
"	"	17	११—–विवादास्पद प्रकरणवाले पाठ मे आने	
			वाले शब्दों के वास्तविक अर्थ	७०९
"	,,	n	विभाग १मास शब्द की उत्पत्ति का	•
			इतिहास	१०७
	11	"	"२—मास के नामो मे वृद्धि	१०८

स्तम्भ	नं०	भाग		विभाग	विषय	पृष्ठ
"	११	"	17	"	३—वनस्पत्यग मासादि	१०९
,,	,,	"	"	"	४मांसादि शब्दो के अंग्रेज	ो
					कोशकारो के अर्थ	
67	11	11	,,	"	५-वर्त्तमान मे माने जानेव	ाले
					प्राणी-वाच्य शब्दो के	
					तथा मास मत्स्यादि श	
					के अनेक अर्थ	११२
,,	"	"	,,	,,	६शब्द, जो प्राणधारी और	
					वनस्पति दोनो के	
					वाचक है	११५
,1	"	"	"	"	७वर्नमानकाल मे कुछ	
					प्रचलित शब्द	११६
,,	,,	"	,,	n	८श्रमण भगवान् महावीर	
					और भक्ष्याभक्ष्य विचार	११७
23	17	11	"	11	९विवादास्पद सूत्रपाठ	
					(विचारणीय मूलपाठ)	१ २२
1)	,,	11	,,	" ۶	०कवोय क्या था	१ २३
"	79	**	"	,, १	१—मज्जार कडए कुक्कुड-	
					मसए क्या था	
33	"	11	"	٠, ۶	२विवादास्पद सूत्रपाठ का	ſ
					वास्तविक अर्थ	१४५
			,	बक्रीस र	तंत्र	

तृतीय खंड

उपसहार १४९

साघन प्रन्थों की नामावली

- १. अथर्ववेद संहिता
- २. अर्थशास्त्र (कौटिल्य)
- ३. अनेकार्थ तिलक (महीपकृत)
- ४. अनेकार्थ सग्रह
- ५. अमर कोश
- ६. अष्टागसार संप्रह
- ७. आर्यभिषक वैद्यक (शकर दाजीपदे कृत)
- ८. उपनिषद् वाक्य कोश
- ९. ऋग्वेद संहिता
- १०. क्षेम कुतूहल
- ११. गृह्यसूत्र
- १२. चरक संहिता

जैन साहित्य

- १३. अभिघान चितामणि कोश (हेमचन्द्र)
- १४. आगम-आचारांग
- १५ आगम-सूत्रकृतांग
- १६. आगम स्थानांग
- १७. आगम स्थानाग सूत्र टीका
- १८. आगम भगवती सूत्र
- १९. आगम भगवती सूत्र टीका
- २०. आगम ज्ञाताधर्म कथांग सूत्र
- २१. आगम उपासक दशांग सूत्र

- २२. आगम अन्तकृतदशाग मूत्र
- २३. आगम प्रश्न व्याकरण सूत्र
- २४. आगम विपाक मूत्र
- २५. आगम प्रजापना सूत्र
- २६. आगम कल्प सूत्र
- २७. आगम दशवैकालिक सूत्र
- २८. आगम उत्तराध्ययन मूत्र
- २९ आगम अनुयोगद्वार सूत्र
- ३०. जैन चरित माला (दिगम्बर)
- ३१ जैन सत्य प्रकाश (मासिक)
- ३२. तत्त्वार्थ सूत्र
- ३३ तिरुकुरल-प्रस्तावना (दिगम्बर)
- ३४ त्रिषप्ठि शलाका पुरुष चरित्र (हंमचन्द्र)
- ३५ धर्म-बिन्दु (हरिभद्र)
- ३६. धर्म-रत्न करडक (बद्धमान सूरि)
- ३७ निघरु सग्रह (हेमचन्द्र)
- ३८ महाबीर चरित्र प्राकृत (नेमिचन्द्र सूरि)
- ३९ महावीर चरित्र प्राकृत (गुणचन्द्र मुरि)
- ४० योगशास्त्र (हेमचन्द्र)
- ४१ श्राद्ध गुण विवरण
- ४२ पड० प्राकृ० (हमचन्द्र)
- ४३ सबोध प्रकरण
- ४४ सबाध सप्ततिका
- ४५ जैन पत्र-पत्रिकाए

निघण्टु कोश

- ४६ नानार्थ रत्नमाला
- ४७ निघण्टु (कयदेव)

```
४८ निघुण्टु-भावप्रकाश
४९ निघण्टु-मदनपाल
५० निघण्टु-ग्त्नाकर
५१ निघण्टु-राज
५२ निघण्ट-राजवल्लभ
५३ निघण्टु वैद्यक उर्दू भाषा मे (कृष्ण दयाल)
५४ निघण्टु शालिग्राम
५५ निघण्टु शेष
५६ निम्कत भाष्य (आचार्य यास्क)
५७ पान दर्पण
     बौद्ध साहित्य
५८ अग्नर निकाय
५९ अट्ठ क्था
६० पार्वनाथ का चातुर्याम धर्म (धर्मानन्द कौशाबी)
६१
    वही
६२ बोइ-दशन (राहुल साकृत्यायन)
६३ भगवान् बद्ध (धर्मानन्द कौशाम्बी)
६४ मज्झिम निकाय
६५ ललित विस्तर
    अन्य ग्रंथ
६६ वर्मसिध
६७ वृहत्मस्कृताभिधान (वाचस्पति)
६८ बृहदारण्यकोपनिषद
```

वैजयन्ती

७० वैद्यक शब्द सिन्धु ७१ सारगधर

६९

- ७२. हिन्दी विश्वकोश
- ७३. ऐतरेय ब्राह्मण
- ७४. पत्र-पत्रिकाएं

ENGLISH BOOKS

- 75. Sanskrit English Dictionary (Apte)
- 76. English Dictionary (J. Ogilvie)
- 77. Sanskrit English Dictionary (Monier Monier-Williams)
- 78. A. S. B 1868 N/85
- 79. Mr. Gate report
- 80. Hinduism (Prof. D. C. Sharma)

उद्धरण

- १. डा० राघा विनोद पाल
- २. मि सरसली
- ३. महात्मा मोहनदास कर्मचन्द गांधी
- ४. मि. एव क्प लेड
- ५. मि. बेगलर
- ६. कर्नल डैलटन
- ७. लोकमान्य बालगगाधर तिलक
- ८. अल्लाडी कृष्णा स्वामी अय्यर
- ९. डा. हर्मन जेकोबी
- १०. डा. स्टेन कोनो

प्रथम खएड

जैन भ्राचार-विचार तथा निर्प्रन्थ ज्ञातपुत्र श्रमण भगवान् महावीर

जैन ऋहिंसा का प्रभाव

जैन अहिंसा के बारे में कौन नहीं जानता ? जैन धर्म के प्रत्येक आचार-विचार की कसौटी अहिंसा ही है। जैन धर्म की इसी विशेषता के कारण विद्य का अन्य कोई भी धर्म इस की समानता नहीं कर सकता। आज भी जैनों के अहिंसा, संयम, तप का पालन तथा मिंदरा-मांसादि का त्याग सारे संसार में प्रसिद्ध हैं। इसी लिये यह धर्म "दया-धर्म" के नाम से आज भी जगद्विख्यात है। इसकी अलौकिक अहिंसा को देखकर आज के विचक्षण विद्वान् मंत्र-मुग्ध हो जाते हैं। डा० राधा विनोद पाल Ex-judge, International Tribunal for trying the Japanese

War Criminals, ने अपने अभिप्राय में कहा है कि:-

If any body has any right to receive and welcome the delegates to any Pacifists' Conference, it is the Jain Community. The principle of Ahimsa, which alone can secure World Peace, has indeed been the special contribution to the cause of human development by the Jain Tirthankaras, and who else would have the right to talk of World Peace than the followers of the great Sages Lord Parshvanath and Lord Mahavira?

-(Dr. Radha Vinod Paul)

अर्थात्—विश्वशान्ति संस्थापक सभा के प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करने का अधिकार केवल जैनों को ही है, क्योंिक अहिंसा ही विश्वशान्ति का साम्राज्य पैदा कर सकती है और ऐसी अनोखी अहिंसा की भेट जगत् को जैन धर्म के प्रस्थापक तीर्यंकरों ने ही की है। इस लिये विश्वशांति की आवाज प्रमु श्री पार्श्वनाथ और प्रभु श्री महावीर के अनुयायियों के अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है ?

राष्ट्रिपिता महात्मा गांघी भी लिखते हैं कि "महावीर स्वामी का नाम किसी भी सिद्धान्त के लिये यदि पूजा जाता है तो वह अहिंसा ही है। प्रत्येक धर्म की महत्ता इसी बात में है कि उस कर्म में अहिंसा का तत्त्व कितने प्रमाण में है। और इस तत्त्व को यदि किसी ने अधिक-से-अधिक विकसित किया है तो वह भगवान् महावीर ही थे।"

भगवान् महाबीर हो अथवा कोई भी जैन तीर्थं कर हो, न तो वे स्वय ही मिदरा -मांसादि का प्रयोग करते हैं और न ही उनके अनुवायी यहाँ तक कि जैन धर्म पर विश्वास रखने वाले गृहस्थ भी, जो किसी तरह का व्रत-नियम या प्रतिज्ञा को ग्रहण नहीं करते अर्थात् श्रावक के बतों को भी ग्रहण नहीं करते, मांस-मिदरादि अभक्ष्य पदार्थों से हमेशा दूर रहते आ रहे हैं। भगवान् महाबीर आदि जैन तीर्थं करों के मांसाहार निरोध का सविशेष परिचायक सबूत (प्रमाण) इससे अधिक क्या हो सकता है।

निर्पंथ श्रमण-जैन साधु तो छ: काया के जीवों की हिंसा से बचते हैं। वे त्रसकाय के जीवों का आरंभ (हिंसा) नहीं करते, सिचल फल, फूल, सब्जी आदि का भक्षण नहीं करते। अग्निकाय का आरम्भ नहीं करते। सिचल जल का उपयोग नहीं करते। बैठना या खड़े होना हो तो रजोहरण (ऊनादि नरम वस्तु का एक गुच्छा, जिससे स्थान साफ करने पर जीवादि की हिंसा का बचाव होता है) से स्थानादि का प्रमार्जन (साफ़-सूफ़) करके बैठते, उठते, चलते, सोते हैं, तािक किसी सूक्ष्म जीव की मी हिंसा म हो खावे। पृथ्वी को न स्वयं खोदते हैं न दूसरों से खुदवाते हैं। वायुकाय (बायु के जीवों) की हिंसा से बचने के लिए न 'खा चलाते हैं, न

भगवान् महावीर तथा उनके अनुयायी निर्पंथ श्रमण एवं श्रमणो-पासकों के आचार सम्बन्धी विशेष स्पष्टीकरण अगले स्तम्भों में करेंगें!

कुछरों से कलवाते हैं। राजि-योजन भी नहीं करते, क्योंकि इससे प्रायः त्रस जीवों की हिंसा होती है तथा थोजन के साथ त्रस जीवों के पेट में खले जाने से मांसमक्षण का दोष भी संगव है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि समस्त जैन तीर्यंकरों—मगवान् महावीर आवि—ने अपने अनुयायी जैन मुनियों के लिये स्यूल से लेकर सूक्ष्म हिंसा से बचने के लिये तथा जहिंसापालन के प्रति कितना जागरूक रहने का आदेश दिया है। जिसके फलस्वरूप आज तक जैन साधु-साध्वी संघ स्यूल से लेकर सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अहिंसा का पालन करने में सदा जागरूक बला आ रहा है। यह बात आज मी संसार प्रत्यक्ष देख रहा है।

प्राणी मात्र के रक्षक सर्व अभवान् महाबीर जीव का स्वरूप जानते थे। उन्होंने बतलाया कि मानव जब तक इतनी सूक्ष्म अहिंता का पालन नहीं करता तब तक वह निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति में समर्थ नहीं हो सकता। शास्त्रत सुख प्राप्त करने का अहिंसा के पूर्ण पालन को छोड़कर बन्य साधन हो ही नहीं सकता। इसी वजह से बीतराग-सर्वज्ञ भगवान् महाबीर द्वारा उपदिष्ट आगमों का प्रधान विषय अहिंसा ही है। जो धर्मनिर्यामक तीर्वकर यहाँ तक सूक्ष्म रूप से जीवों की हिंसा से स्त्रयं बचते हैं और दूसरों के लिये बचने का विधान करते हैं उन पर मास-मक्षण का आरोप लगाना कहाँ तक उचित है? इसके लिये सुज्ञ पाठक स्त्रयं विचार कर सकते हैं।

अहिंसा के विषय में करुणासागर वीतराण सर्वज्ञ भगवान् महावीर ने यह स्वयं फ़रमाया है :---

"सन्वे पाणा वियाजमा, सुहसामा बुहपडिकूला, अप्पियवहा पियजीविणो जीविजकामा णातिवाएक्ज कंचणं"

(आचारांग भू० १ अ० २ उ० ३)

अर्थात्—सब प्राणियों को आमुख्य प्रिय है, सब सुस के अभिलाधी हैं, यु:स सब को प्रतिकृत है, वच सबको अप्रिय है, खीवन सभी को यित्र है, सभी जीने की इच्छा रखते हैं, स लिये किसी को मारना या कष्ट देना नहीं चाहिये। अहिंसा धर्म की इतनी महिमा संसार के अन्य किसी धर्म में नहीं धायी जाती। कितना सुन्दर विचार है—

"स्बूल से लेकर सूक्ष्म सब जीवों को अपने समान समझो और किसीं को कष्ट मल पहुँचाओ, अपने में सबको देखो ।"

इससे यह स्पष्ट है कि महाश्रमण भगवान् महावीर की भावना प्राणी-मात्र की रक्षा के लिये कितनी उत्कट थी। यह शाश्वत सिद्धांत जैनों में अब तक अटूट बना रहा है। जैन-मुनि—मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि त्रस जीवो तथा पृथ्वी, जल, अगि, वायु और वनस्पति स्थावर जीवों की हिंसा मन-वचन-काया से न तो स्वयं करते हैं, न दूसरों से करवाते हैं और न करनेवाले का अनुमोदन (प्रशंसा) ही करते हैं। जब कोई गृहस्थ जैन मुनि की दीक्षा ग्रहण करता है तब उसे सर्व प्रथम "प्राणातिपात-विरमण" नामक महावत को अंगीकार करना पड़ता है, जिस का पालन वह अपने जीवन पर्यत पूरी दृढ़ता के साथ करता है। सारांश यह है कि निर्ग्रथ श्रमण छोटे से-छोटे जन्तु से लेकर मनुष्य पर्यन्त किसी भी प्राणी की हिमा न तो स्वयं करता है और न दूसरों को ऐसा करने का उपदेश देता है तथा न ही ऐसा करने वाले को अच्छा समझता है। साधु की अहिसा का स्वरूप आगे चलकर हम साधु के आचार में लिखोंगे।

करणावत्सल, महाश्रमण सर्वज्ञ-सर्वदर्शी भगवान् महावीर स्वामी ने इस उपर्युक्त प्रकार की अहिंसा का विश्वके जनसमाज को मात्र उपदेश ही नहीं दिया था किन्तु अक्षरशः उन्होने उसे अपने जीवन में भी उतारा था। निग्गण्ठ नायपुत्त (भगवान् महावीर स्वामी) ने गृहस्थावस्था को त्यागकर मुनि अवस्था घारण करने के बाद तो इस सिद्धान्त को पूर्णरूपेण अपने जीवन में आत्मसात् किया ही था, किन्तु जब आप गृहस्थावस्था में

१. बौद्ध ग्रंथों में श्रमण भगवान् महावीर का "निमाण्ठ नायपुत्त" के नाम से उल्लेख हुआ है किन्तु जैनागमों में "निमाण्ठ नायपुत्त" नाम आता है। हम ने इस निबन्ध में जैन आगमों के अनुसार सर्वत्र "निर्ग्रन्थ कातपुत्त" लिखा है।

थे तभी से आपने सचित्त पदार्थों का सेवन करना छोड़ दिया था। यह बात जैनागमों के अभ्यासी से छिपी नहीं है।

जैन घर्मनिष्ठ गृहस्य, जिन्हें श्रावक अथवा श्रमणोपासक कहते हैं, वे भी मांस खाने से से था परहेज करते हैं। मात्र इतना ही नहीं परन्तु रात्रिभोजन का सेवन भी सी लिये नहीं करते कि इस भोजन के साथ त्रस जीवों का पेट में चले जाना संभव है। इस लिये मांसाहार का दोष भी लग सकता है। जब कोई भी व्यक्ति जैन घर्म स्वीकार करता है तब उसे श्रावक के बारह बतों में से सर्वप्रथम "स्थूल प्राणातिपातिवरमण वत" ग्रहण करना पड़ता है, जिसका प्रयोजन यही है कि त्रस (हलन-चलन की क्षमता वाले) जीवों की हिंसा का त्याग और स्थावर (स्थिर) जीवों की हिंसा की यतना। मांस त्रस जीवों को मारने से बनता है, जब श्रावक के लिये त्रस जीवों की हिंसा का त्याग है तब वह मांस को कैसे ग्रहण कर सकता है? आज भी जैन गृहस्थ, जिन्हों कि जैन धर्म पर श्रद्धा है, वे कदापि मांस भक्षण नहीं करते। इस कारण से आज भी यह बात जगत्प्रसिद्ध है कि यदि कोई व्यक्ति मांसमक्षण तथा रात्रिभोजन न करता हो तो लोग उसे तुरन्त कह देते हैं—"यह व्यक्ति जैनधर्मानुयायी है।"

यह तो हुई भगवान् महावीर, निर्भय मुनि तथा जैन गृहस्थों की बात। परन्तु आप यह जान कर आश्चर्यचिकत होंगे कि जो जातियां किसी समय में जैन धर्म का पालन करती थीं किन्तु अनेक शताब्दियों से जैन श्रमणों का उनके प्रदेशों में आवागमन न होने से वे अन्य धर्मावलिम्बयों के प्रचारकों के प्रभाव से जैन धर्म को भूल कर अन्य धर्म-सम्प्रदायों की अनुयायी बन चुकी हैं और उन्हें इस बात का ज्ञान है कि उनके पूर्वज जैन धर्मानुयायी थे वे आज तक भी मांस भक्षण तथा रात्रिभोजन और अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण नहीं करतीं। जिनमें से यहां एक ऐसी जाति का परिचय दे देने से हमारी इस धारणा को पुष्टि मिलेगी।

बंगाल देश में, जहां आज भी मांस-मत्स्यादिमक्षण का खूब प्रचार है वहाँ सर्वत्र लाखों की संख्या में एक ऐसी मानव जाति पायी जाती है को "सराक" के नाम से प्रसिद्ध है। सराक शब्द "सरावक-श्रावक" का अपसंश होकर बना है। ये लोग कृषि, कपड़ा बुनने तथा दुकानदारी सादि का व्यवसाय करते हैं। ये लोग उन प्राचीन जैन श्रावकों के बंशज हैं को जैन जाति के अवशेष रूप हैं। यह जाति आज प्रायः हिन्दू सर्म की अनुवायी हो गई है। कहीं-कहीं अभी तक ये लोग अपने आपको जैन समझते हैं। इस जाति के विषय में अनेक पाश्चात्य तथा पौर्वास्य विद्वानों ने उल्लेख किया है। जिसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है।

१. मि॰ गेट अपनी सेंसर्स रिपोर्ट में लिखते हैं कि :--

इस बंगाल देश में एक खास तरह के लोग रहते हैं। जिनको 'सराक' कहते हैं। इनकी संख्या बहुत है। "ये लोग मूल से जैन थे", तथा इन्हीं की दंतकथाओं एवं इनके पड़ौसी भूमिजों की दंतकथाओं से मालूम होता है कि—ये एक ऐसी जाति की सन्तान हैं जो भूमिजों के आने के समय से भी पहले बहुत प्राचीन काल से यहाँ बसी हुई है। इनके बड़ों ने पार, छर्रा, बोरा और भूमिजों आदि जातियों के पहले अनेक स्थानों पर मंदिर बनवाये थे। यह अब भी सदा से ही एक शान्तिमयी जाति है जो भूमिजों के साथ बहुत मेल-जोल से रहती है। कर्नल डैलटन के मतानुसार ये जैन हैं और ईसा पूर्व छठी शताब्दी (Sixth Century B. C.) से ये लोग यहाँ आबाद हैं।

यह शब्द "सराक" निःसन्देह "श्रावक" से ही निकला है, जिस का अयं संस्कृत में 'सुनने वाला' होता है। जैनों में यह शब्द गृहस्थों के लिये बाता है जो लौकिक व्यवसाय करते हैं और जो यति या साधु से भिन्न हैं।
(मि० गेट सेंसर्स रिपोर्ट)

१. जैनागमों में श्रावक शब्द गृहस्य व्रतघारी जैनों के लिये आया है, परन्तु बौद्धों ने श्रावक शब्द बौद्ध भिक्षुओं के लिये प्रयोग किया है। 'सराक' जो कि श्रावक शब्द का अपअंश है वह गृहस्थों की जाति के लिये प्रसिद्ध है। इसलिये यह जाति जैन गृहस्थ-श्रमणोपासकों का अवशेष अप है इसमें सन्देह नहीं है।

२. बि॰ सरसकी कहते हैं कि---

यश्चिप मानमूम के 'सराक' अब हिन्दू हैं परन्तु वे अपने को प्राचीन काल में जैन होने की बात को जानते हैं। वे पक्के शाकाहारी हैं, मान इतना ही नहीं परन्तु 'काटने' के शब्द को भी वे व्यवहार में नहीं लाते।

३. मि० एककूप लेंड का मत है कि-

'सराक' लोग हिंसा से घृणा करते हैं। दिनको खाना अच्छा समझते हैं। सूर्योदय बिना भोजन नहीं करते। गूलर आदि कीड़े वाले फलों को भी नहीं खाते। श्री पार्श्वनाथ (जैनों के तैईसवें तीर्यंकर) को पूजते हैं और उन्हें अपना कुलदेवता मानते हैं। इनके गृहस्थावार्य भी सराकों की तरह कदापि रात्रिभोजनादि नहीं करते। इनमें एक कहावत भी श्रीख है—

"डोह डूमर (गूलर) पोढ़ो छाती ए चार नहीं साये सराक जाति।"-

४. A. S. B. 1868 N/85 में लिखा है कि :---

They are represented as having great scruples against taking life. They must not eat till they have seen the sun (before sunrise) and they venerate Parashvanath.

अर्थात्—वे (सराक) ऐसे लोगों के अनुयायी हैं जो जीवहत्या रूप हिंसा से अत्यन्त चृगा करते हैं और वे सूर्योदय होने से पहले कदापि नहीं स्वाते तथा वे श्री पार्श्वनाथ के पूजक हैं।

५. मि॰ बेनलर व कर्नल डैलटन का मत है कि :---

बाह्मणों व उनके मानने वालों ने ईसा की सातवीं शताब्दी के बाद उन श्रावकों को अपने प्रमाव से दबा लिया। जो कुछ बचे और उनके धर्म में नहीं नये वे इन स्थानों ने दूर जाकर रहे।

१. इन सब बातों का खुलासा श्रावक के सातवें "मोगोपभोग-परिमाण व्रत" में अगले स्तम्भ में करेंगे। बौर बतलायेंगें कि व्रतधारी जैन श्रावक के लिये इन वियमों का पालन अनिवार्य होता है।

(६) यह बात बड़े गौरव की है कि जिस जाति को जैन धर्म मूले हुए आज तेरह सौ वर्ष हो गये हैं उनके वंशज आज तक बंगाल जैसे मांसाहारी देश में रहते हुए भी कट्टर निरामिषाहारी हैं। इस जाति में मत्स्य तथा मांस का व्यवहार सर्वथा वर्ज्य है। यहाँ तक कि बालक भी मत्स्य या मास नहीं खाते। मांसाहारी और हिंसकों के मध्य में रहते हुए भी ये लोग पूर्ण अहिंसक तथा निरामिषभोजी है।

७. कर्नल डेलटन का मत है कि:---

इस जाति को यह अभिमान है कि इस में कोई भी व्यक्ति किसी फ़ौजदारी अपराध में दंडित नहीं हुआ। और अब भी संभव है कि इन्हें यही अभिमान है कि इस ब्रिटिश राज्य में भी किसी को अब तक कोई फ़ौजदारी अपराध पर दंड नहीं मिला। ये वास्तव में शांत और नियम से चलने वाले हैं। अपने आप और पड़ौसियों के साथ शांति से रहते हैं। ये लोग बहुत प्रतिष्ठित तथा बृद्धिमान मालूम होते हैं।

(८) अनेकों जैन मन्दिर और जैन तीर्यंकरों, गणधरो, निर्प्रथों, श्रावक, श्राविकाओं की मूर्त्तियां आज भी इस देश में सर्वत्र इधर-उधर बिखरी पड़ी हैं, जो कि "सराक" लोगों के द्वारा निर्मित तथा प्रतिष्ठित कराई गयी हैं। (A. S. B. 1868)

सारांश यह है कि हजारों वर्षों से अपने मूल धर्म (जैन धर्म) को भूल जाने पर भी और अन्य मांसाहारी धर्म-संप्रदायों में मिल जाने के बाद मी इन सराकों में जैन धर्म के आचार सम्बन्धी अनेक विशेषताएँ आज भी विद्यमान हैं।

इस सारे विवेचन से यह बात स्पष्ट है कि जैन धर्म निर्यामक निर्यन्य ज्ञातपुत्र भगवान् महाबीर आदि तीर्थंकरों ने अहिंसा का ऐसा अलौकिक आदर्श स्वयं अपने आचरण में लाकर विश्व के लोगों को इस पर चलने का आदेश दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जिन्होंने उन के धर्म को स्वीकार किया ऐसा जैन संघ (साधु-साध्वी, श्रावक-शाविका) बाज के गन्दे और हूषित वातावरण (जिसमें मांस-मस्य तथा मिदरा जैसी वृणित वस्तुओं का विश्वव्यापी प्रचार हो रहा है) में भी अक्षुण्ण रूप से निरामिषाहारी है। मात्र इतना ही नहीं परन्तु जैन तीर्यंकरों की अहिंसा की लोगों पर उस समय इतनी गहरी छाप पढ़ी थी कि जो सराकादि जातियाँ हजारों वर्षोंसे जैन धर्म को मूल चुकी हैं वे भी आजतक कट्टर निरामिषमोजों रही हैं। श्रमण भगवान् महावीर की अहिंसा ने उस समयको सर्वसाधारण जनता पर इतना जबर्दस्त प्रभाव डाला कि उस समय के बौद्ध आदि प्राण्यंग मत्स्य-मांसादि भक्षक संप्रदायों को भी अप सद्धान्तिक रूप से, इच्छा से नहीं तो दबाव से अथवा लोकनिन्दा के भय से ही अहिंसा के सिद्धान्त को किसी न किसी रूप से अपनाना पड़ा। इस लिये यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि "अहिंसा शब्द का प्रधान सम्बन्ध जैनों के साथ ही है।"

भारतगौरव स्वर्गवासी लोकमान्य तिलक ने तो स्पष्ट रूप से यह बात स्वीकार की है कि—"जैन धर्म की अहिंसा ने वैदिक-ब्राह्मण धर्म पर गहरी छाप डाली है। जब भगवान् महावीर जैन धर्म को पुनः प्रकाश में लाये तब अहिंसा धर्म खूब ही व्यापक हुआ। आज कल यज्ञों में जो पशु-हिंसा नहीं होती—ब्राह्मण और हिन्दू धर्म में मांस मक्षण और मदिरा-पान बन्द हो गया है वह भी जैन धर्म का ही प्रताप है।"

अहिंसा तो जैन धर्म का मूल सिद्धान्त है, प्राण है और इसका पहला पाठ मांसाहार निषेध से ही प्रारंभ होता है। जैनधर्म की मान्यता है कि बाहे भगवान् महावीर हो या बुद्ध अथवा कोई भी महान् व्यक्ति क्यों न हो यदि वह मांसाहार करता है तो वह भगवान् पद का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। मांसाहारी न तो स्व स्वरूप को समझ सकता है और न ही शुद्ध और सम्पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, इसलिये यह अनन्त मुख का मार्ग भी नहीं खोज सकता और न ही वह उच्चतम चारित्र का पालन कर सकता है। और उच्चतम

चारित्र के अधाव में सबं कर्मजन्य उपाधि से बुक्ति रूप निर्वाण (मोस्र) की प्राप्ति कवापि नहीं कर सकता।

जैन श्रमणोपासकों (गृहस्थों), जैन धर्म के प्रचारक निग्नंथों (साधुओं)
तथा जैनधर्मनियामक तीर्थंकरों का आचार कितना पवित्र था और
है इस का संक्षिप्त विवेधन करना इस लिये यहाँ आवश्यक है कि आप
देखेंगे—ऐसे चरित्र वाला कोई भी व्यक्ति प्राण्यंग मत्स्य-मांसादि अभस्य
पदार्थों का कदापि भक्षण नहीं कर सकता।

जैन गृहस्यों (श्रावक-श्राविकाश्रों) का श्राचार

जैन गृहस्थों में पुरुष को श्रावक तथा स्त्री को श्राविका कहते हैं। (क) गृहस्थ धर्म की पूर्व भूभिका

संघितभावन तीर्यंकर भगवान् ने जब धर्मशासन की स्वापना की तो स्वाभाविक ही था कि उसे स्वायी और व्यापक रूप देने के लिये वे संघ की स्थापना करते। क्योंकि संघ के बिना धर्म ठहर नहीं सकता।

जैन संघ चार घेणियों में विभक्त है---

रै. साधु, २. साध्वी, ३. श्रादक, ४. श्राविका । इसमें साधु-साध्वी का आचार लगभग एक जैसा है और श्रावक-श्राविका का आचार एकसा है।

मृति (साधु-साध्वी) के आचार का उल्लेख आने करेंने। यहाँ पर श्रावक-श्राविका के आचार का वर्णन करते हैं, क्योंकि श्रावक-श्राविका का भी जैन शासन में महत्त्वपूर्ण स्थान है। श्रावक का आचार मृतिषर्म के लिये नींव के समान है। इसी के ऊपर मृनि के आचार का भव्य प्रासाद निर्मित हुआ है।

वावक पर का अधिकारी----

जैन घम में जैन मुनियों के लिये आवश्यक आचार-प्रणालिका निश्चित है और उस आचार का पालम करनेवाला सामक ही मुनि कहलाता है। उसी प्रकार बावक होने के लिये भी मुख आवश्यक कर्ते हैं। प्रत्येक गृहस्य भाव श्रावक नहीं कहला सकता, बल्कि विशिष्ट वर्तों को अङ्गीकार करने काला गृहस्य पुरुष व स्त्री ही श्रावक-श्राविका कहलाने के बिधकारी हैं।

जैन परम्परा के अनुसार श्रावक-श्राविका बनने की योग्यता प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित सात दुर्व्यसनों का त्याग करना आवश्यक है :-

१. जुआ खेलना, २. मांसाहार, ३. मदिरावान, ४. वेश्यागमन, ५. शिकार, ६ चोरी, ७ परस्त्रीगमन अथवा परपुरुषगमन । ये सात दुर्व्यसम हैं।

ये सातों ही दुर्व्यसन जीवन को अघ:पतन की ओर ले जाते हैं। इनमें से किसी भी एक व्यसन में फंसा हुआ अभागा मनुष्य प्रायः सभी व्यसनों का शिकार बन जाता है।

इन सात व्यसनों में से नियम पूर्वक किसी भी व्यसन का सेवन न करने बाले ही श्रावक-श्राविका बनने के पात्र होते हैं।

(स) भावक बनने के लियेः—

उपर्यक्त सात व्यसनों के त्याग के अतिरिक्त गृहस्य में अन्य गुण भी होने चाहिये । जैन परिभाषा मे उन्हें मार्गानुसारी गुण कहते हैं । इन गणों में से कुछ ये हैं:--

नीति पूर्वक धनोपार्जन करे, शिष्टाचार का प्रशंसक हो, गुणवान् पुरुषों का आदर करे, मधुरभाषी हो, लज्जाशील हो, शीलवान हो, माता-पिता का भक्त एवं सेवक हो, धर्मविरुद्ध, देशविरुद्ध-एवं कूलविरुद्ध कार्य न करने वाला हो, आय से अधिक व्यय न करनेवाला हो, प्रतिदिन धर्मोपदेश मुनने वाला हो, देव-गु (जिनेन्द्र प्रभु तथा निर्प्रथ गु) की भिक्त करने वाला हो, नियत समय पर परिमित सास्विक भोजन करने वाला, अतिथि-दीन-हीन जनों का एं साध्-संतों का यथोचित सत्कार करने

१. मज्जपसंगी, चोज्जपसंगी, मंसपसंगी, जूयपसंगी, वेसापसंगी,

परदारपसंगी । (ज्ञातासूत्र अ० १८ सू० १३७) जल-यल-खगचारिणो य पंचिदिए पसुगणे विय-तिय-चर्जारिदिए य विविहजीवे पियजीविए मरणदुक्खपडिक्ले वराए हणंति ।

⁽प्रश्तव्याकरणे प्रथम अ०)

२. विपाकसूत्र-दु:सविपाक (सप्त दुर्व्यसनों का फल)

क्ला, मुणों का पक्षपाती, अपने आश्रित जनों का पालन-पोषण करने वाला, आगा-पीछा सोचने वाला, सौम्य, परोपकारपरायण, काम-कोबादि आन्तरिक शत्रुओं को दमन करने में उद्यतः और इन्द्रियों पर काबू रखने वाला हो। इत्यादि गुणों से युक्त गृहस्थ ही श्रावक्षमं का अधिकारी है।

एवं प्रत्येक तस्य के स्वरूप को सम्यक् प्रकार से जानने की अभिरुचि से तत्त्वों के वास्तविक स्वरूप को जानते हुए सत् श्रद्धान वाला गृहस्थ ही श्रावकधर्म का अधिकारी है।

(ग) श्रावकवर्स

जैन शास्त्र का विघान है—"**चारित्तं धम्मो**।" अर्थात् चारित्र ही घर्म है।" चारित्र क्या है? इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहा गया है—

"असुहाओ विगिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं।"

अर्थात्—अशुभ कर्मों से निवृत्त होना तथा शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चारित्र कहलाता है । वस्तुतः सम्यकचारित्र या सदाचार हो मनुष्य की विशेषता है। सदाचारहीन जीवन गन्धहीन पुष्प के समान है।

गृहस्य वर्ग के लिए बतलाये गये बारह वर्तो में से मात्र पहला अहिंसाणु-वर्त, सातवां भोगोपभोगपरिमाण वर्त तथा आठवां अनर्थदंडत्याग वर्त—इन तीन वर्तों का ही यहाँ संक्षेप से उल्लेख किया जाता है। क्योंकि इस निबन्ध का उद्देश्य मासाहार आदि अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण का परिहार है, जिस का समावेश इन तीनों व्रतों में होता है। अतः विस्तार भय से बारह वर्तो के स्वरूप का उल्लेख करना उचित नहीं समझा गया।

भावक-भाविकाओं के बारह वतों के नाम

पांच अणुवत-१. स्यूल प्राणातिपातिवरमण अहिंसा अणुवत,

सित सम्यग्दर्श े न्याय्यमणुद्रतादीनां ग्रहणं, नान्यथेति ।
 (आचार्य हरिमद्रकृत धर्मविन्दु प्र०३)

२. सत्याजुनत, ३. अचीर्याणुन्नत, ४. ब्रह्मचर्याणुन्नत, ५. परिमह-परिमाण अणुन्नत ।

तीत्र गुणवत-६. दिग्वत, ७. मोगोपमोगपरिमाण वत, ८. अनुर्वदण्डत्याग वत।

चार क्रिकावत-- ९. सामाधिक वत, १०. देशावकाक्षिक वत, ११-पौच्योचवास वत, १२. अतिथिसंविभाग वत ।

(घ) श्रावक-श्राविका का अहिसाणुकत

पहला वृत "स्यूल प्राणातिपातिवरमण वृत" अर्थात्—जीवों की हिंसा से विरत होता। संसार में दो प्रकार के जीव हैं, स्थावर और वृस। जो जीव अपनी इच्छानुसार स्थान बदलने में असमर्थ हैं वे स्थावर कहलाते हैं। पृथ्वीकाय, अपकाय (पानी), अग्निकाय, वायुकाय तथा वनस्पतिकाय—ये पाँच प्रकार के स्थावर जीव है। इन जीवों के सिर्फ़ स्पर्शेन्द्रिय होती है। अतएव इन्हें एकेन्द्रिय जीव भी कहते हैं।

दु:ख-सुख के प्रसंग पर जो जीव अपनी इच्छा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर आते-जाते हैं, जो चलते-फिरते और बोलते हैं, वे त्रस हैं। इन त्रस जीवों मे कोई दो इन्द्रियों वाले, कोई तीन इन्द्रियों वाले, कोई चार इन्द्रियों वाले, कोई पाँच इन्द्रियों वाले होते हैं। संसार के समस्त जीव त्रस और स्थावर विभागों मे समाविष्ट हो जाते हैं।

मुनि दोनों प्रकार के जीवों की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करते हैं। परन्तु गृहस्य ऐसा नहीं कर सकते, अतएव उनके लिए स्थूल हिंसा के त्याग का विभान किया गया है। निरपराध त्रस जीवों की संकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा को ही गृहस्य त्यागता है।

जैन शास्त्रों में हिसा चार प्रकार की बतलाई गयी है---

 आरम्भी हिंसा, २. उद्योगी हिंसा, ३. विरोधी हिंसा, ४. संकल्पी हिंसा ।

प्रश्निकाकरणसूत्र आश्रवद्वार

- जीवननिर्वाह के लिये, आंवरवंक मैजिन-पान के लिबे, और परिवार के पालन-पोषण के लिबे अनिवार्य रूप से होने वाली हिंसा बारम्भी हिंसा है।
- २. गृहस्थ अपनी आजीविका चलाने के लिये कृषि, गोपालन, व्यापार आदि उद्योग करता है और उन उद्योगों में हिंसा की भावना न होने पर भी हिंसा होती है, वह उद्योगी हिंसा कहलाती है।
- ३. अपने प्राणों की रक्षा के लिये, कुटुम्ब-परिवार की रक्षा के लिये अथवा आक्रमणकारी शत्रुओं से देशादि की रक्षा के लिये की जाने वाली हिंसा विरोधी हिंसा है।
- ४. किसी निरपराधी प्राणी की जान बूझ कर मारने की भावना से हिंसा करना संकल्पी हिंसा है।

इस चार प्रकार की हिंसा से गृहस्थ पहले व्रत में संकल्पी हिंसा का त्याग करता है और शेष तीन प्रकार की हिंसा में से यथाशक्ति त्याग करके व्यक्ति वृत का पालन करता है।

- शहसा वृत का शुद्ध रूप से पालन करने के लिये इन पाँच दोषों से बचना चाहिये:—"
 - १. किसी जीव को मारना-पीटना-त्रास देना।
 - २. किसी का अंग-भंग करना, किसी को अपंग बनाना, विरूप करना।
- ३. किसी को बन्धन में डालना, यथा तोते-मैना आदि पक्षियों की पिजरे में बन्द करना, कुत्ते आदि की रस्सी से बाँध रखना । ऐसा करने से उन प्राणियों की स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और उन्हें व्यथा पहुंचती है।
- ४. घोड़े, बैल, खच्चर, ऊँट, गधे आदि जानवरीं पर उनके सामर्थ्य से अधिक बोझ लादना, नौकरों से अधिक काम लेना।
 - ५. अपने आश्रित प्राणियों को समय पर भोजन-पानी न देना।

इन उपर्युक्त समस्त दोषों का त्याग "अहिसाणुवत" की भावना में आवश्यक है।

१. उपासकदशांग सूत्र अ० १ ।

(इ) सातवां भोगोपभोगपरिमाण वत-

एक बार भोगने योग्य आहार आदि भोग कहलाते हैं। जिन्हें पुनः पुनः भोगा जा सके, ऐसे वस्त्र, पात्र, मकान आदि उपभोग कहलाते हैं। इन पदार्थों को काम में लाने की मर्यादा बांच लेना "भोगोपभोगपरिमाण क्रत" है। यह त्रत भोजन और कर्म (व्यवसाय) से दो भागों में विभक्त किया गया है। भक्ष्य (मानव के खाने-पीने योग्य) भोजन पदार्थों की मर्यादा करने और अभक्ष्य (मानव के न खाने-पीने योग्य) पदार्थों का त्याग करने का इस त्रत के पहले भाग में विधान है। भोजन (भक्ष्य) पदार्थों की मर्यादा करने से लोलुपता पर विजय प्राप्त होती है तथा अभक्ष्य पदार्थों भी मर्यादा करने से लोलुपता पर विजय प्राप्त होती है तथा अभक्ष्य पदार्थों (मांस, मदिरा आदि) के त्याग से लोलुपता के त्याग के साथ हिंसा का त्याग भी हो जाता है। दूसरे भाग में व्यापार संबन्धी मर्यादा कर लेने से पापपूर्ण व्यापारों का त्याग हो जाता है।

इस बत को अङ्गीकार करने वाला साधक मदिरा, मांस, शहद, तथा दो घड़ी (४८ मिनट) छाछ में से निकालने के बाद का मक्खन (क्योंकि दो घड़ी के बाद मक्खन मे त्रम जीव उत्पन्न हो जाते हैं), पाँच उदुम्बर फल (बड़-पीपल-पिलंखण-कठुमर-गूलर के फल), रात्रिभोजन इत्यादि का त्याग करता है। क्योंकि इन सब में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है इस लिये इनके भक्षण से मासाहार का दोष लगता है, जो कि श्रावक के लिये सर्वथा वर्जित है। सारांश यह है कि ऐसे सब प्रकार के पदार्थ, जिनके

सक्वदेव भुज्यते यः स भोगोऽश्रस्रगादिकः ।
 पुनः पुन. पुनर्भोग्य उपभोगोऽङ्गनादिकः ।।
 (योगशास्त्र प्र०३ श्लो० ५) ।

२. मद्यं मांसं नवनीतं मधूदुम्बरपंचकम् । अनन्तकायमज्ञातफलं रात्रौ च भोजनम् ॥ ६॥ आम गोरस सम्पृबतं द्विदलं पुष्पितौदनम् ॥ दघ्यहिंदतयातीतं कुथिनान्न च वर्जयेत् ॥ ७॥ (आ० हेमचन्द्रकृत योग शास्त्र प्र०३) ।

अक्षण से आमिषाहार की संभावना हो अथवा बृद्धि में विकार आवे, श्रावक के लिये वर्जित हैं। ' ऐसे व्यापार जिन में त्रस जीवों की हिंसा विशेष रूप से संभव हो, श्रावक के लिये वर्जित हैं। जैसे—वृक्षों को काट-काट कर कोयला बनाना, ठेका ले कर जंगल को उजाड़ना, हायी-दांत आदि का व्यापार करना, मदिरा जैसी मादक वस्तुओं का विक्रय करना, प्राणघातक विष बेचना, और दुराचारिणी स्त्रियों से दुराचार करवा कर द्रव्योपार्जन करना, आदि निद्य व्यापारों का भी श्रावक त्याग कर देता है।

(च) आठवां अनर्थवंडविरमण व्रत---

अनर्बदण्डत्याग—िबना प्रयोजन हिंसादि करना अनर्थदण्ड कहलाता है। इसका भी श्रावक को त्याग करना चाहिये।

१. (क) मिंदरा के बोच—
विवेकः संयमो ज्ञानं सत्यं शौचं दया क्षमा।
मद्यात्प्रलीयते सर्वं तृण्या विहनकणादिव ।। १६ ।।
दोषाणां कारणं मद्यं, मद्यं कारणमापदाम् ।
रोगातुर इवापथ्यं तस्मान्मद्यं विवर्जयेत् ।। १७ ।।

(स) मांस के दोय—
चिखादिषति यो मांस प्राणिप्राणापहारतः ।
जन्मलयत्यसौ मूल दयाख्यं धर्मशाखिनः ॥ १८ ॥
अशनीयन् सदा मासं दयां यो हि चिकीर्षति ।
ज्वलति ज्वलने वल्ली, स रोपयितुमिच्छति ॥ १९ ॥
सद्यःसमूर्छितानतजनुसंतानदूषितम् ।
नरकाध्विन पाथेयं, कोऽक्नोयात् पिशितं सुधीः ? ॥३३॥

- (ग) नवनीत (मक्खन) के बोच— अंतर्गुह्तात्परतः सुसूक्ष्मा जंतुराशयः। यत्र मुखन्ति तन्नाद्यं, नवनीतं विवेकिभिः॥ ३४॥
- (घ) मपु(शहब) के बोख— अनेक जन्तुसंघात-निघातनसमुद्भवम् । जुगुप्सनीयं लालावत् कः स्वादयति माक्षिकम् ? ॥३६॥

विवेकशून्य मनुष्यों की मनीवृत्ति चार प्रकार के व्यर्थ पाँचे की उपानंत करती है-

- १. अपध्यान-दूसरीं का बुरा विचारना ।
- प्रमादाचिरत—जाति कुल अदि का मद करना तथा विकथा,
 निम्हा आदि करना ।
- हिस्रप्रदान—हिंसा के सोधम—तंल्रधार, बन्दूक, तोपं, बम आदि का निर्माण करके दूसरों को देना, संहारक शस्त्रों का आविष्कार करना।
 - ४. पापोपदेश-पापजनक कार्यों का उपदेश देना ।

इस ब्रत को अङ्गीकार करनेवाला साधक कामवासनावर्धक वार्तालाप मही करता । कामोत्तेजक कुचेष्टाएँ नहीं करता । असम्य फूहड़ वचनों का प्रयोग नहीं करता । हिंसाजनक शस्त्रों का निर्माण नहीं करता, इनके आविष्कार व विक्रय मे भाग नहीं लेता और भोगोपभोग के योग्य पदाचौं मे अधिक आसक्त नहीं होता ।

इस प्रकार श्रावक-श्राविकाएँ हिंसा-सामिषाहार आदि दोषों से बचने के लिये उपर्युक्त व्रतों का सावधानी से पालन करते हुए सदा जागरूक

⁽कः) पाँच उदुंबर फलों के दोष— उद्बर-वट-प्लक्ष-काकोदुबर-शाखिनाम् । पिप्पलस्य च नाश्नीयात्फलं कृमिकुलाकुलम् ॥ ४२ ॥

⁽च) रात्रिभोजन के दोष---घोराधकाररुद्धाक्षः पतन्तो यत्र जन्तवः। नैव भोज्ये निरोक्ष्यन्ते तत्र भुजीत को निश्चि ? ॥ ४९॥

⁽छ) गोरस कच्चे से मिश्रित द्विडल के दोष— आमगोरससपृक्तद्विदलादिषु जन्तव:। दृष्टाः केवलिभिः सूक्ष्मास्तस्मात्तानि विवर्जयेत् ॥ ७१॥

⁽क) जन्तु मिश्रित पुष्प-कल में बोच—
जन्तुमिश्रं फलं पुष्पं पत्रं जान्यदिप त्यजेत् ।
संधानमिप संसक्तं जिनक्षमेपरावणः ॥ ७२ ॥
(आचार्य हेमचन्द्रकृत योगशास्त्र प्रकाश ३) ।

रहते रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि जैन धर्मानुयायी श्रमणोपासक गृहस्थ न तो मांस खरीद कर ला सकते हैं, न पका सकते हैं, न खा सकते हैं और न ही अपने हाथों से पंचेन्द्रियादि ज़ीवों का वध करके मांस बना सकते हैं।

हम पहले स्तम्भ में "सराक जाति" का परिचय दे आये हैं, जिस में उनका ख़ाब-मान-बाचार सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण (नं॰ ३) लिखा है। उससे यह स्पष्ट है कि उन लोगों का आचार और विचार भी श्राबक के इस उपर्युक्त बतों के सर्वथा अनुकूल चला आ रहा है। अतः स्पष्ट है कि जैन संघ में सामिषाहार का प्रचलन प्राचीन काल से लेकर आज प्रयंत कदापि संभव नहीं है।

निर्यन्थ श्रमण् [जैन साधु-साध्वी] का श्राचार

जैनागमों में त्यागमय जीवन अङ्गीकार करने वाले व्यक्ति की योग्यता का विस्तृत वर्णन किया है। आयु का कोई प्रतिबन्ध न होने पर भी जिसे शुभ तत्त्व-दृष्टि प्राप्त हो चुकी है, जिसने आत्मा-अनात्मा के स्वरूप को समझ लिया है, जो भोग-रोग और इन्द्रियों के विषयों को विष समझ चुका है तथा जिसके मानस सर में वैराग्य की ऊर्मियाँ लहराने लगी हैं वही त्यागी निग्रंथ बनने के योग्य है। पूर्ण विरक्त होकर शरीर सम्बन्धी ममत्व का भी त्याग करके जो आत्म-आराधना मे सलग्न रहना चाहता है वह जैन मुनिषमं अर्थान् जैन दीक्षा ग्रहण करता है।

उसे घर-बार, धन-दौलत, स्त्री-परिवार, माता-पिता, खेत-जमीन आदि पदार्थों का त्याग करना पड़ना है। सच्चा श्रमण वही है जो अपने आन्तिरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। वह अपनी पीड़ा को वरदान मान कर तटस्थ भाव से सहन कर जाता है, मगर पर-पीड़ा उसके लिये असह्य होती है। जैन साधु वह नौका है जो स्वयं रती है तथा दूसरों को भी तारती है।

भगवान् महावीर कहते हैं—साधुओ ! श्रमण निग्नंथों के लिये लाघव-कम-से-कम साधनों से निर्वाह करना, निरीहता-निष्काम वृत्ति, अमूर्छा-अनासक्ति, अगृद्धि, अप्रतिबद्धता, शान्ति, नम्नता, सरलता निर्लोभता ही प्रशस्त है।

जैन भिक्षु के लिये पाँच महाव्रत अनिवार्य हैं। उन्हें रात्रिभोजन का भी सर्वथा त्याग होता है। इन महाव्रतों का मलीभांति पालन किये बिना कोई साधु नहीं कहला सकता। महाव्रत इस प्रकार हैं:—

"पाणिबह-मुसावाया-अवत्त-मेहुण-परिग्गहा विरक्षो । राईभोयणविरको, जीवो भवद अणासको।"

१. अहिंसा महाब्रत—जीवन पर्यन्त त्रस (हलन-चलन की सामध्यें बाले) और स्थावर (एक स्थान पर स्थिर रहने वाले) सभी जीवों की मन, बचन, काया से हिंसा न करना, दूसरों से न कराना, और हिंसा करने वाले को अनुमोदन न देना—अहिंसा महाब्रत है।

सामु प्राणिमात्र पर करुणा की दृष्टि रखता है। अतएव वह निर्जीव हुए अचित्त जल का ही सेवन करता है। अग्निकाय के जीवों की हिंसा से बचने के लिये अग्नि का उपयोग नहीं करता। पंखा आदि हिला कर वायु की उदीरणा नहीं करता। पृथ्वीकाय के जीवों की रक्षा के लिये ज्ञमीन खोदने आदि की कियाएँ नहीं करता। वह अचित्त-जीवरहित आहार को ही ग्रहण करता है। मांसाहार सर्वदा सजीव होने से उसका सर्वया त्यागी होता है। महावतघारी जैन साधु स्थावर और चलते-फिरते त्रस जीवों की हिंसा का पूर्ण त्यागी होता है।

जैन मुनि रात्रि भोजन का भी त्यागी होता है, क्योंकि रात्रि-मोजन में आसक्ति और राग की तीव्रता होती है तथा जीव-जन्तु आदि के गिर जाने से हिंसा एवं मांसाहार दोष का लगना भी संभव है।

श्रमण भगवान् महावीर फरमाते हैं कि:--

सूर्य के उदय से पहले तथा सूर्य के अस्त हो जाने के बाद निर्प्रथ मुनि को सभी प्रकार के भोजन-पान आदि की मन से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये। क्योंकि संसार में बहुत से त्रस जीव (चलने-फिरने, उड़ने वाले) और स्थावर (एक स्थान पर रहने वाले) प्राणी बड़े ही सूक्ष्म होते हैं। वे रात्रि में देखे नहीं जा सकते, तो रात्रि में भोजन कैसे किया जा सकता है?

जमीन पर कहीं पानी पड़ा होता है, कहीं बीज बिखरे होते हैं और कहीं पर सूक्ष्म कीड़े-मकौड़े आदि जीव होते हैं। दिन में उन्हें देख भाल कर बचाया जा सकता है, परन्तु रात्रि को उन्हें बचाकर भोजन करना संगव नहीं है। सिंग को सोखन असि में तस जीकों का पढ़ जाना प्रायः संगव होने से हिंसा एवं मांसाहार के बोच से प्रायः बच्चा नहीं जा सकता। इस प्रकार सब दोषों को देखकर ही ज्ञातपुत्र भगवान् महावीर ने कहा है कि "निग्रंथ मुनि रात्रि को किसी भी प्रकार से भोजन न करे।"

बन्नादि चारों ही प्रकार के आहार (१. अशन—वह खुराक जिससे भूख मिटे, २. पान—वह आहार जिससे प्यास आदि मिटे, ३. खाद्य—वह आहार जिससे प्यास आदि मिटे, ३. खाद्य—वह आहार जिससे थोड़ी तृप्ति हो, जैसे फलादि, ४. स्वाद्य—इलायची सुपारी आदि) का रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिये। इतना ही नहीं दूसरे दिन के लिये भी रात्रि में खाद्य सामग्री का संग्रह करना निषिद्ध है। अतः अहिंसा महाब्रत घारी श्रमण रात्रिभोजन का सर्वथा त्यागी होता है।

२. सत्य महाव्रत मन में सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना, और काय से सत्य का आचरण करना तथा सूक्ष्म असत्य का भी प्रयोग न करना, सत्य महाव्रत है।

जैन साधु मन-वचन तथा काया से कदापि असत्य का सेवन नहीं करता। उसे मौन रहना प्रियतर प्रतीत होता है, फिर भी प्रयोजन होने पर परिमित, हितकर, मधुर और निर्दोप भाषा का ही प्रयोग करता है। यह बिना सोचे विचारे नहीं बोलता। हिंसा को उत्तेजन देने वाला वचन मुख से नहीं निकालता। हसी, मजाक आदि बातो से, जिनके कारण असत्य भाषण की संभावना रहती है, उससे दूर रहता है।

- रे. सचौर्य महावत—मृनि संसार की कोई भी वस्तु, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना ग्रहण नहीं करता, चाहे वह शिष्यादि हो, चाहे निर्जीव घासादि हो। दाँत साफ़ करने के लिये तिनका जैसी तुच्छ वस्तु भी मालिक की आज्ञा बिना नहीं लेता।
- ४. बहार्च्य महावत जैन मुनि काम वृत्ति और वासना का नियमत करके पूर्ण बहार्च्य का पालन करता है। इस दुर्घर महाव्रत का पालन करने के लिये अनेक नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। उन में से कुछ इस प्रकार हैं:—

- (क) जिस मकान में स्त्री, पशु, नपुंसक का निवास हो। जसमें ज रहना।
- (स) स्वी के हाव-भाव विलास बादि का क्र्यन न करता।
- (ग) स्त्री-पुरुष का एक आसन पर न बैठना ।
- (घ) स्त्री के अंगोपांगों को रागद्ष्टि से न देखना।
- (क) स्वी-पु बों के कामुकता पूर्ण शब्द न सुनना।
- (च) अपने गृहस्थाक्स्था के पूर्व-काळीन भोगमय जीवन को भुळा देना और ऐसा अनुभव करना कि शुद्ध साधक के रूप में मेरा नया जन्म हुआ है।
- (छ) सरस, पौष्टिक, विकारजनक, राजस और तामस आहार न करना।
 - (ज) मर्यादा से अधिक आहार नहीं करना। अधिक-से-अधिक बत्तीस छोटे कौर (कवल) भोजन करना।
 - (झ) स्नान, मंजन, प्रुंगार आदि करके आकर्षक रूप न बनाना।

५. अपरिग्रह महावत—साधु परिग्रह मात्र का त्यागी होता है, फिर भले ही वह घर हो, खेत हो, धन-धान्य हो, या द्विपद-चतुष्पद हो, अथवा अन्य भी कोई पदार्थ हो। वह सदा के लिये मन-वचन-काया से समस्त परिग्रह को छोड़ देता है। पूर्ण असंग, अनासक्त, अपरिग्रही और सब प्रकार के ममत्व से रहित होकर विचरण करता है। साधुधर्म का पालन करने के लिये उसे जिन उपकरणों की अनिवार्य आवश्यकता होती है उनके प्रति भी उसे ममत्व नही होता।

यद्यपि मूर्छा को परिग्रह कहा गया है, तथापि बाह्य पदार्थों के त्याग से अनासक्ति का विकास होता है, अतएव बाह्य पदार्थों का त्याग भी आवश्यक माना गया है।

जैन साथु किसी प्राणी अथवा वाहन की हुनारी नहीं केंद्रवी वह सवा नंगे पाँव, नंगे सिर सर्वत्र पाद विहार क्रिक्स-फिरकर सब कीड़ों को खात्म-साधक बनाने के प्रयत्न में संलग्न रहता है। सर्वी-गर्मी, भूख-प्यास, वर्षा-भूप की भी परवाह न करके वह सतत घ्यान, तप तथा प्राणियों के उप-कार के लिये पर्यटक बना रहता है। सब प्रकार के परिषह और उपसर्गों को सहर्ष सहन करते हुए भी अपने जीवनलक्ष्य का त्याग नहीं करता। किसी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म प्राणी की भी हिंसा उससे न हो जाय इसके लिये वह सदा सावधान रहता है और इस दोष से बचने के लिये वह अपने पास सदा रजोहरण रखता है तथा सचेत कच्चा, पक्का अथवा दोष वाला ऐसा वनस्पति का आहार भी कभी ग्रहण नहीं करता। वस्तु के निकम्मे भाग को डालने से किसी एकेन्द्रिय जीव की भी हिंसा न हो जाय इसकी पूरी सावधानी रखकर स्थान को देखभाल कर तथा पूज-प्रमार्जन करके डालता है।

इस प्रकार निर्म्रथ श्रमण-जैन साघु एकेन्द्रिय से लेकर चेन्द्रिय जीव की हिंसा से बचने के लिये सदा जागरूक रहता है।

१. एक जनादि नरम वस्तु का गुच्छा, जिससे स्थान साफ करने पर जीवादि की हिंसा का बचाव होता है।

भगवान् महावीरस्वामी का त्यागमय जीवन

कुमार वर्षमान-महावीर स्वभाव से ही वैराग्यशील एवं एकान्तभिय थे। उनके माता-पिता तथा सारा परिवार भगवान् पार्श्वनाथ के
अनुयायी थे। उन्होंने माता-पिता के आग्रह से गृहवास स्वीकार किया।
इससे जब वे २८ वर्ष के हुए और उनके माता-पिता का देहांत हो गया तब
उनका मन दीक्षा (साधू होने) के लिये उत्किण्ठित हो उठा। परन्तु
बड़े भाई निन्दवर्षन तथा अन्य स्वजन वर्ग के अति आग्रह के कारण उन्होंने
दो वर्षों के लिये और घर ठहरना स्वीकार कर लिया। किन्तु उसमें शतं
यह थी कि "आज से मेरे निमित्त कुछ भी आरम्भ-समारम्भ न करना होगा।"
अब वर्षमान गृहस्थ वेष में रहते हुए भी त्यागी जीवन बिताने लगे। अपने
लिये बने हुए भोजन, पेय तथा अन्य भोग सामग्री का बिलकुल उपयोग
(इस्तेमाल) न करते हुए वे साधारण भोजनादि से अपना निर्वाह करने
लगे। ब्रह्मचारियों के लिये वर्जित तैल-फुलैल, माल्य-विलेपन, और
अन्य श्रुंगार साधनों को उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था। गृहस्थ होकर
भी वे सादगी और संयम के आदर्श बने हुए शांतिमय और त्यागमय जीवन
बिताते थे।

मगवान् महावीर स्वामी ने तीस वर्ष की आयु में सुख-वैभव तथा गृहस्थाश्रम का त्याग कर एकाकी 'जिन दीक्षा' ग्रहण की। आपने सब प्रकार के परिग्रह का सर्वथा त्याग किया। वस्त्र, पात्र, अलंकार आदि सब का त्याग कर साढ़े बारह वर्ष (१२ वर्ष, ६ महीने, १५ दिन) तक घोर तप किया। इतने समय में आपने ३४९ दिन आहार किया, वह भी दिन में मात्र एक ही बार। इतनो समय तप करने के बाद छदास्थावस्था

को दूर कर केवलज्ञान—केवलदर्शन को प्राप्त किया। इस साधनावस्था में प्रभु महावीर ने कैसे-कैसे घोर परिषह और उपसर्ग सहन किये थे, उनका संक्षेप में यहाँ वर्णन कर देना इसलिये उचित है कि पाठक महोदय समझ सकेंगे कि भगवान् महावीर को अपने देहादि पर ममत्व बिल्कुल नहीं था। वे तो महान् तपस्वी त्यागी थे।

१. प्रथम उपसर्ग गवाले ने किया, इसने भगवान महाबीर को घ्याना-बस्था में रस्सों से मारा। २. श्रुलपाणि यक्ष के मन्दिर में रहे तब शूलपाणि यक्ष ने अनेक उपसर्ग किये, जैसे कि-अदृश्य अट्टहास करके डराया। हायी का रूप कर के सूड से उठाकर उछाला। सर्प का रूप बनाकर काटा। पिशाच का रूप बना कर डराया। मस्तक में, कान में, नाक में, नेत्रों में, दाँतों में, पीठ में, नखों में, स्कोमल अङ्गो में ऐसी वेदना की कि यदि कोई सामान्य पुरुष होता और उसके एक अंग में भी ऐसी पीड़ा होती तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती। किन्तु प्रभु ने मेरु के समान निश्चल रहते हुए अदीन मन से सब कुछ सहन किया। ३. चण्डकौशिक सर्प ने डंक मारा परन्तु प्रभ ने शान्त चित्त से सहन किया। ४. स्दंष्ट् नागकुसार देवता का उपसर्ग सहन किया। ५. प्रभु बन में कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े थे, लोगों ते वन में आग जलायी और वहाँ से अन्यत्र चले गये। अग्नि, सूखे घासादि को जलाती हुई प्रभु के पैरों के नीचे आ गयी, जिससे प्रभु के पैर जलने लगे, फिर भी प्रभु ने अपना घ्यान नहीं छोड़ा और वैसे ही घ्यानमन खड़े रहे। ६. कटपूतना व्यन्तर देवी ने माघ मास के दिनों में सारी रात भगवान के शरीर पर अत्यन्त शीतल जल छीटा, प्रभु विचलित नहीं हुए, अन्त में व्यन्तर देवी को ही हार माननी पड़ी। ७. संगम देवता ने एक रात्रि में प्रभु को बीस उपसर्ग किये-प्रभु पर घूलि की वर्षी की जिससे प्रभु के आँख, नाक, कानादि के स्रोत बन्द होते से प्रभु का स्वासोश्वास इक गया तो भी प्रभ ध्यान से विचलित नहीं हुए । वज्रमुखी चीटियाँ बनाकर प्रभू के शरीर को छलनी के समान छेदन किया। वज चौंच वाले दंश बनाकर प्रभु को बहुत पीड़ा दी। तीङ्ण चोंचवाली दीमक

अमकर साथा । विच्छू, सर्प, नंकुल, चूहें बमकर काटा तथा मौस को नोचा **बी**रें सम्बा । हाथी-हेंबिनी बने कर सूंड और दांतों से मोरा, **पैरी** तक रींदां तो भी प्रेम ध्यानारूढ़ रहे। पिशाच बनकर अट्टहास करके डराबां। सिंह बनकर नल बीर दावों से चीरा फाड़ा। सिद्धार्थ और त्रिक्षलं का रूप करके पुत्र का स्नेह दिखलाते हुए विलाप किया। स्कंपाबार के छोग बनाकर प्रमु के पैरों में आग जला कर उसके पैरों पर हांडी राँची। चांडाल का रूप बनाकर पक्षियों के पिजरे प्रभु के कान, बाहु आदि के साथ साथ लटका कर पक्षियों से शरीर नुचवाया। भयंकर आधी से प्रभु को गेद की तरहवार-वार उठाया और धरती पर पटका। उत्कलिका पवन चलाकर प्रभुको चक्र के समान घुमाया। भारी वजन वाला चक्र डालकर प्रभु को घुटनों तक भूमि में धसाया । प्रभात का समय बनाकर कहने लगे कि 'प्रभू! विहार करो' परन्तु प्रभु तो अवधि तथा मनःपर्यव ज्ञानी थे, इसलिये जानते थे कि अभी तो रात है। देवांगनाओं के रूप बनाकर हावभाव-कटाक्षादि- करके उपसर्ग किये। इन बीस प्रकार के उपसर्गी से प्रभु किचित् मात्र भी विचलित नहीं हुए, तब संगम देवता ने छः मास तक प्रभु के साथ-साथ रहकर उन्हें उपसर्ग किये। अन्त में थक कर वह अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट होकर चला गया। ८ अनार्यं देश में प्रभु की बहुत परिषद्द उपसर्ग हुए । ९. अन्त में प्रभु के दोनों कानों में गवाले ने बाँस की कीलियाँ ठोंकी, उनसे बहुत पीड़ा हुई।

भगवानने इन उपसर्गों को बड़ी शान्ति और वैर्य से सहन किया वीर पूर्व-संचित कमों को भोग लिया, जिससे आप के सब धातिया कमें क्षेत्र हो गये। यदि प्रभु महावीर ऐसे परिषहों को शान्ति तथा धेर्य के साथ सहन न करते और कठोर तप न करते तो पूर्वोपाजित पापकर्म क्षय न होते और नहीं वे केवल ज्ञान-केवल दर्शन प्राप्त करते; और नहीं अन्त में सर्व कमों को क्षय कर मोक्ष प्राप्त करते।

कैंवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अरिहंतें जिन, केवली रूप हो गये। विश्व के सब चराचर पदार्थों का साक्षात्कारे उन्हें इस प्रकार हो गया जैसे हाथों की बँगुलिया । मगवान् महावीर को बौद्ध ग्रन्थों में 'निगण्ठ नाथपुत्त' के नाम से सम्बोधित किया है। बौद्धों के 'सुत्त पिटक' नामक ग्रन्थ में निर्ग्रन्थों (जैनों) के मत की काफी जानकारी मिलती है। इन्हीं के "मज्झिम निकाय के चूल दुक्लक्लन्य सुत्त" नामक ग्रन्थ में वर्णन है कि राजगृह में निर्ग्रन्थ खड़े-खड़े तपश्चर्या करते थे। निगण्ठ नाथपुत्त (महावीर) सर्वंश-सर्वंदर्शी थे। चलते हुए, खड़े रहते हुए, सोते हुए या जागते हुए, हर स्थित में उनकी जानदृष्टि कायम रहती थी।

भगवान् महाबीर का आचार--

भगवान् महावीर पाँच महावतधारी तथा रात्रिभोजन के सर्वधा स्यागी थे। इन व्रतों का स्वरूप जैन श्रमण के आचार में कर आये हैं।

भगवान् महावीर दीक्षा (सन्यास) लेने के बाद एक वर्ष तक मात्र एक देवदूष्य वस्त्र सहित रहे, तत्पश्चात् सर्वथा नग्न रहते थे। हाथों की हथेलियों में भिक्षा ग्रहण करते थे। उनके लिये तैयार किये हुए अन्नादि आहार को वे स्वीकार नहीं करते थे और न ही किसी के निमन्त्रण को स्वीकार करते थे। मत्स्य, मॉस, मदिरा, मादक पदार्थ, कन्द, मल आदि अभक्ष्य वस्तुओं को कदापि ग्रहण नहीं करते थे। प्रायः तपस्या तथा ध्यान में ही रहते थे। छ. छ: मास तक निर्जल उपवास (सब प्रकार की खाने-पीने की वस्तुओं का त्याग) करते थे। दाढ़ी मुछ के बाल उखाड़ कर केश लोच करते थे । स्नानादि के सर्वथा त्यागी थे। छोटे-से-छोटे तथा बड़े-से-बड़े किसी भी प्राणी की हिंसा न हो जाय इसके लिए वे बहुत सतकंता पूर्वक सावधानी रखते थे। वे बडी सावधानी से चलते-फिरते, उठते-बैठते थे। पानी की बूदो पर भी तीव दया रहती थी। सूक्ष्म-से-सूक्ष्म जीव का भी नाश न हो जाय इसके लिये बहुत सावघानी रखते थे। भयावने जंगलों, अटवियों आदि निर्जन जगहों में ष्यानारूढ़ रहते थे । वे स्थान इतने भयंकर होते थे कि यदि कोई सांसारिक मनुष्य वहां प्रवेश करता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते। जाड़ों में हिमपाक

की भयानक सर्दी में भी अग्नि की आतापना नहीं लेते थे। सस्त गर्मी के मौसम में भी पंखे आदि से हवा नहीं करते थे। पृथ्वी पर चलते समय वनस्पति तथा पृथ्वीकाय के जीवों की विराधना न हो जाय इसकी पूरी-पूरी सावधानी रखते हुए विहार करते थे।

ऐसा आचरण सभी जैन तीर्यंकरों का होता है। आज भी तपश्चर्या तथा पाँच महाव्रतों के अभ्यास से कर्म क्षय किये जा सकते हैं। यह परम्परा आज भी जैनों में कायम है।

केवलज्ञान प्राप्ति के पश्चात् महावीर प्रभु विश्व में दुःक संतप्त प्राणियों के उद्धार के लिये सतत सर्वत्र धूमकर कल्याणकारी उपदेश देते रहे और ७२ वर्ष की आयु में उन्होंने निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त किया।

श्रममा भगवान् महावीर का तत्त्वज्ञान

किसी भी महापुरुष के जीवन का वास्तविक रहस्य जानेने के लिंधे कों बातों की आवश्यकता होती हैं :--(१) उस महापुरुष के जीवन की बाह्य घटनाएँ और (२) उनके द्वारा प्रचारित उपदेश। बाह्य घटनाओं से आन्तरिक जीवन का यथावत् परिज्ञान नहीं हो सकता। आन्तरिक जीवन को समझनं के लिये उनके विचार ही अभान्त कसौटी का काम दे सकते हैं। उपदेश, उपदेष्टा के मानस का मार, उनकी आम्यन्तरिक भावनाओं का प्रत्यक्ष चित्रण है। तात्पर्य यह है कि उपदेष्टा की जैसी सनोवृत्ति होगी वैसा ही उसका उपदेश होगा। यह कसौटी प्रत्येक मनुष्य की महत्ता का माप करने के लिये उपयोगी हो सकती है; क्योंकि विचारों का मनुष्य के आचार पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिये एक को समझे बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। श्रमण भगवान् महावीर के उपदेशों को हम दो विभागो में विभक्त कर सकते हैं। (१) विचार यानी तत्त्वज्ञान (२) आचार यानी आचरण अयवा चरित्र । यहाँ पर उनके विचार अयवा तत्त्वज्ञान का संक्षिप्त परिचय देगे। केवलज्ञान पाने के बाद भगवान् ने कहा—(१) यह लोक है, इस विश्व में जीव और जड़ दो पदार्थ हैं, इनके अतिरिक्त और तीसरी मौलिक वस्तु है ही नहीं । इसलिये यह कह सकते हैं कि जीव और जड़ के समूह को ही लोक कहते हैं । (२) प्रत्येक पदार्थ मूल द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य-अन्तवान् है । (३) लोकालोक अनन्त है । (४) जीव और शरीर भिन्न हैं । जीव शरीर नहीं, शरीर जीव नहीं। (५) जीवात्मा अनादि काल से कर्म से बद्ध है इसलिये यह पुनः पुनः जन्म भारण करती है । (६) जीवात्मा

कर्म रहित होकर मुक्त होती है। (७) जीन और कर्म का सम्बन्ध अनावि है तो भी अहिंसा, संघम तथा तपन्यरण द्वारा कर्मों को सर्वधा अलग किया बा सकता है। (८) आस्मा स्वतन्त्र तत्त्व है सवा अरूपी व स्ववेहप्रवाध है। (९) जीवाल्मा ज्ञान-दर्शन-मध स्वतन्त्र पर्वोर्च है। (१०) विश्व छ: ब्रब्बात्मक है:--जीवास्तिकाय, पुर्गलास्तिकाय, घर्मास्तिकाय, अध्मास्ति-काय, आकाशास्तिकाथ और काल । इनमें जीव चैतन्य हैं, बाकी पाँच द्रव्य जड़ हैं, पुर्वाल रूपी है, बाकी पाँच ब्रग्य अरूपी हैं। (११) विश्व के सब पदार्थ उत्पाव-व्यव-भ्रीक्यांत्मनं नित्यानित्य हैं। (१२) जीव कर्म करने और भोगने में स्वतन्त्र है तथा अपने पुरुषार्थ बल से कर्मों का सर्वथा क्षय करके सिद्ध और मुक्त होकर शॉर्स्वत ऑनिन्द का उपभोक्ता बनता है। (१३) अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि की अभिवृद्धि एवं अभिव्यक्ति से आत्मा अपनी स्वाभाविकता के समीप पहुँचते हुए स्वयं धर्म-मय बन जाता है। (१४) सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र इत तीनों की परिपूर्णता से जीवात्मा मुक्ति प्राप्त करती है। (१५) मुक्ता-बस्या में आत्मा का स्वतन्त्र अस्तित्व रहता है। (१६) अपने भाग्य का निर्माता जीव स्वयं है। (१७) जीवात्मा मुक्त होने के बाद पुनः अवतार नहीं लेती । (१८) तत्त्व नव है-जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्रव, संवर, बन्घ, निर्जरा और मोक्ष। (१९) मानव शरीर से जीवात्मा सब कर्मों को क्षय करके ईश्वर बनती है अर्थात् मुक्ति प्राप्त करना ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। (२०) जीवात्मा राग-द्वेष (मोहनीय कर्म) के क्षय से वीतरागता को प्राप्त करती है। यह ज्ञानावरणीय आदि चार षाती कर्मों को क्षय करके केवलज्ञान, केवलदर्शन प्राप्त कर सर्वज्ञ सर्वदर्शी बनता है। (२१) ईश्वर जगत् का कर्ता नहीं है; जगत् तो अनादि काल से प्रवाह रूप से अनादि और अनन्त है। इस प्रकार लोक, जीव, अजीव, ईंग्बर आदि के स्वरूप का विस्तार पूर्वक विवेचन कर अपनी सर्वज्ञता का परिचय दिया है।

सारांश यह है कि प्रभु महावीर के परम पवित्र प्रवचन (उपदेश)

का आधार मन:कल्पना और अनुमान की भूमिका पर नहीं था, परन्तु उनके प्रवचन में केवलज्ञान द्वारा हाथ में रखे हुए आंवले के समान समस्त विश्व के स्वरूप को प्रत्यक्ष जानकर लोकालोक के मूल तत्त्व-भूत द्वव्य-गुज-पर्याय के त्रिकालवर्ती भावों का दिग्दर्शन था। अथवा आधुनिक परिमाषा में कहा जाए तो उसमें विराट विश्व या अखिल ब्रह्माण्ड (Whole Cosmos) की विधि विहित घटनाएँ (Natural phenomena), उनके द्वारा होती हुई व्यवस्था (Organisation), विधि का विधान और नियम (Law and order) का प्रतिपादन तथा प्रकाशन था।

श्रमण भगवान् महावीर तथा श्रहिंसा

साढ़े बारह वर्ष की कठिन तपस्या और घोर योगचर्या के पश्चात् भगवान् महावीर-वर्धमान को केवलज्ञान—केवलदर्शन की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी जीवनमुक्त परमात्मा हुए। अब तीयंकर प्रकृति का पूर्ण विकास उन के महान् व्यक्तित्व में हुआ। केवलज्ञान की प्राप्ति से भगवान् महावीर सारे विश्व के त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को हाथ की अंगुलियों के तमान प्रत्यक्ष जानने लगे। उस समय वे अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त मुख और अनन्त वीर्य के जीवित पुञ्ज थे। जैनागमों में सर्वत्र भगवान् महावीर को सर्वज्ञ सर्वदर्शी माना है। ज्ञातपुत्र महावीर के समकालीन बौद्धों के पिटकों में भी भगवान् महावीर को सर्वज्ञ और सर्व-दर्शी स्वीकार किया है। बौद्धों के 'अंगुत्तरनिकाय' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ज्ञातपुत्र महावीर सर्वज्ञाता और सर्वदर्शी थे। उनकी सर्वज्ञता अनन्त थी। वे चलते-बैठते, सोते-जाकते हर समय सर्वज्ञ थे'। 'मज्ज्ञिम निकाय' में उल्लेख है कि ज्ञात्पुत्र महावीर सर्वज्ञ हैं। वे जानते हैं कि किस-किसने किस प्रकार का पाप किया है और किसने नहीं किया है।

भगवान् महावीर अहिंसा तत्त्व की साधना करना बाहते थे। उस के लिये उन्होंने संयम और तप ये दो साधन पसन्द किये। उन्होंने यह विचार किया कि मनुष्य अपनी सुझप्राप्ति की लालसा से प्रेरित होकर ही अपने से निर्वल प्राण्यों के जीवन की आहुति देता है जीर

१. अं० नि० १-२२०.

२. मण्निक २-२१४-२८।

इस प्रकार सुख की मिथ्या भावना और संकुचित वृत्ति के कारण व्यक्तियों और समूहों में द्वेष बढ़ाता है, शत्रुता की नींव डालता है और इसके फल-स्वरूप पीड़ित एवं पददलित जीव बलवान होकर बदला लेने का निश्चय तथा प्रयत्न करते हैं और बदला लेते भी हैं। इस तरह हिसा और प्रतिहिंसा का ऐसा विवचक तैवार हो जाता है कि लींग संसाध के सुख को स्वयं ही नरक बना देते हैं। हिसा के इस भयानक स्वरूप के विचार से अहांचीर नै अहिंसातस्व में ही समस्त घर्मों का, समस्त कर्तव्यों का और प्राणिमात्र की शान्ति का मूल देखा। यह विचार कर उन्होंने वेरमाव को तथा शायिक और मानसिक दोषों से होने वाली हिंसा को रोकने के लिंधे तथ और संग्रम वा अवलम्बन लिया।

संयम का सम्बन्ध मध्यतः मन और वचन के साथ होने के कारण उम्होंने ध्यान और मौन को स्वीकार किया। भगवान महावीर के सायक-जीवन में संबम और तप यही वो बातें मुख्य हैं और उन्हें सिद्ध करने के क्रिये उन्होंने साढ़े बारह वर्षों तक जो प्रयत्न किया और उसमें जिस सत्परता और अन्नमाद का परिचय दिया वैसा आज तक की तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिवा हो, वह दिखलाई नहीं देता । गौतन बढ़ जादि ने महावीर के तप को देह-द:स और देहदमन कह कर उसकी अबहैसना की है। परन्तु यदि वे सत्य तथा न्याय के लिये भगवान महाबीर के जीवन पर तटस्थता से विचार करते तो उन्हें यह मालूम हुए बिना कदापि न रहता कि भगवान महाबीर का तप अध्क बेहदमेंन नहीं या। वें संबम और तप दोनों पर समान रूप से जोर देते थे। वे जानते थे कि बिंद तंप के अभाव से सहमशीलता कम हुई तो दूसरों की मुखब्विधा की अंहिति वेकर अपनी सुलसूविधा बढ़ाने की लालशा बढ़ेगी और उसका करी यह होगा कि संयम न रह पायेगा। इसी प्रकार संवन के बनाव में कोरा तय भी पराधीन प्राणी पर अनिच्छा पूर्वक आ पडे देह कब्ट की तरह निरर्थक है।

ज्यों-ज्यों संयम और तप की उत्कटतों से महाधीर अहिंसातस्व के

व्यक्षिकाणिक निकट क्हुँबत्ते नवे त्वों-त्वों उनकी नम्बीर पास्ति बढ़ते लगी। विक्षके प्रभाव ते उन्होंने राव-देव को त्वंथा क्षम कर केवलकान की प्रास्ति कर सर्वज्ञत्व प्राप्त किया।

भगवान् महावीर के समकालीन अनेकों धर्मप्रवर्तक थे उन्में से १. तथागत गौतम बुद्ध, २. पूर्णकश्यप, ३. संजय बेलट्ठिपुत्त, ४. पकुध-कृच्चायन, ५. अजितकेस कम्बलि और ६. मंखली गोशालक के नाम मिलते हैं। (भगवान् महावीर इनके अलावा थे)।

उस समय के सर्व धर्म-प्रवर्तकों से भगवान् महाबीर के तप-त्याग-संयम तथा अहिंसा की जनता के मानस पर बहुत गहरी छाप पड़ी थी, क्यों-कि उन्होंने राग-द्रेष आदि मिलन वृत्तियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, जिससे वे वीतराग बने थे। इस साध्य की सिद्धि जिस अहिंसा, जिस तथ या जिस त्याग में न ही सके वह अहिंसा, तप तथा तथाग कैसा ही क्यों न हो पर आध्यात्मिक वृष्टि से अनुपयोगी है। अतः प्रभु महावीर ने राग-द्रेष की विजय पर ही मुख्यतथा भार दिया था और अपने आचरण में आतम-सात् कर उन्होंने अपनी काया, वाणी तथा मन पर काबू पावा था अर्थात् अपने दैहिक और मानसिक सब प्रकार के ममत्व का त्याग कर राग-द्रेष की सर्वधा जीतन से समदृष्टि बने थे। इसी दृष्टि के कारण भगवान् महावीर द्वारा उपदिष्ट जैन धर्म का बाह्य और अध्यन्तर, स्यूल-सूक्ष्म सब प्रकार का आचार साम्यदृष्टिमूलक, अहिंसा की भित्ति पर ही निर्धित हुआ है। जिस आचार के द्वारा अहिंसा की रक्षा और पुष्टि न ही सके ऐसे किसी भी आचार को जैन परम्परा मान्य नहीं रखती।

यद्यपि अन्य सब धार्मिक परम्पराओं ने अहिंसा तस्य पर न्यूनाधिक भार दिया है, पर जैन परम्परा ने इस तस्य गर जितना भार दिया है, और उसे जितना कामक बनाया है, उसना भार और उसनी न्यापकता अन्य सर्थ-परम्परा में तेजी नहीं जाती । जैनधर्म ने सनुष्य, पद्या, पद्या, कीड, बतंग और बनस्मति ही नहीं किन्तु पासिय, जकीम, आदि सुक्रमातिसूक्ष्म जन्तुओं तक्ष की हिंसा से, आस्मीपन्य की धावना हारा, निवृद्ध होने के किन्ने कहा है!

बहिंसा के इस उपर्युक्त विवेचन से भगवान् महावीर के आदर्श बहिंसासय जीवन का और उनके द्वारा प्रदत्त अहिंसा के उपदेश का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है।

केवल भगवान् महावीर ने ही नहीं परन्तु सब जैन तीर्थंकरों ने प्राणिवध एवं मांसाहार का विरोध अपने अपने समय में किया था।

एक समय था जब कि केवल क्षत्रियों में ही नहीं पर सभी वर्गों में मांस खाने की प्रायः प्रथा होगी। उस युग में यदुवंशीय नेमिकुमार ने एक अद्भुत कदम उठाया। उन्होंने अपनी शादी पर भोजन के बास्ते कतल किये जाने वाले पशु-पक्षियों की आर्त्त मूक वाणी से सहसा पिघल कर निश्चय किया कि वे ऐसी शादी न करेंगे जिसमें पशु पिक्षयों का बघ होता है। उस गंभीर निश्चय के साथ वे सबकी सुनी अनसुनी करके बारात से शीघ्र वापिस लौट आये। द्वारका से सीध्र गिरनार पर्वत पर जाकर उन्होंने तपस्या की। भर जवानी में उन्होंने सांसारिक सुखागों की परवाह न करते हुए राजपुत्री, राजीमती को त्यागकर और ध्यान-तपस्या का मार्ग अपना कर चिरप्रचलित पशु-पक्षीवध की प्रथा पर इतना सख्त प्रहार किया कि गुजरात भर में तथा उसके प्रभाव वाले दूसरे प्रान्तों में भी यह प्रथा सदा के लिये समाप्त हो गई।

भगवान् पार्श्वनाथ ने भी जीवहिंसा के विरोध करने के कारण महान् उपसर्ग सहे । दुर्वासा जैसे सहज कोपी कमठ नामक तापस तथा उनके अनुयायियों की नाराजगी का खतरा उठा कर भी एक जलते साँप को गीली लकड़ी से बचाने का प्रथत्न किया ।

दीर्घतपस्ती महावीर ने भी स्थान-स्थान पर तथा समय-समय पर अपनी ऑहंसक वृत्ति का अपने जीवन में अनेक बार परिचय दिया। १. जब अंगल में वे घ्यानस्थ खड़े थे एक प्रचण्ड विषघर (चण्डकौशिक) ने उन्हें डेंस लिया, उस समय वे न केवल घ्यान में अचल ही रहे परन्तु उन्होंने मैत्री भावना का उस विषघर पर प्रयोग किया जिससे वह सदा के लिखे वैर- होने वाली हिंसा को रोकने का भरसक प्रयत्न तो वे आजन्म करते ही रहे। इसीलिये तो उन्होंने अहिसा को जैन श्रमणों तथा जैन श्रावकों के वतों में सर्वप्रथम स्थान दिया है:—

> "तित्यमं पढमं ठाणं, महावीरेण देतियं। अहिंसा निउचा दिट्ठा, सब्दभएसु संजमो ॥ (द० अ० ६ गा० ९) एवं सु णाणिणो सारं, जं न हिंसई कंचणं। अहिंसा समयं चेव, एतावंतं विज्ञाणिया॥"

> > (सू० भु० १ अ० ११ गा० १०)

अर्थात् अहिसा को प्रभु महावीर ने (साधु और श्रावक के व्रतों में) सर्व-प्रथम रखा है। अहिंसा को उन्होंने कल्याणकारी ही देखा है। सर्व जीवों के प्रति संयमपूर्ण जीवनव्यवहार ही उत्तम अहिंसा है।

ज्ञानियों के वचनों का सार यही है कि किसी भी प्राणी की हिंसा न की जाए। अहिंसा के द्वारा प्राणियों पर समभाव ही धर्म समझना चाहिये।

सारांश यह है कि जैन तीर्थंकर अहिंसा की सुरक्षा के लिये आजन्म कटिबढ़ रहे और अनेक कठिनाइयों के बीच भी इन्होंने अपने आदशों द्वारा विश्व को मैंत्री तथा करुणा का पाठ पढ़ाया है। उनके ऐसे ही आदशों से जैन संस्कृति उत्प्राणित होती आयी है और अनेक कठिनाइयों के बीच भी उसने अपने आदशों के हृदय को किसी न किसी तरह संभालने का प्रयत्न किया है, जो भारत के धार्मिक, सामाजिक और राजकीय इतिहास में जीवित है।

भगवान् महावीर के मांसाहार सम्बन्धी विचार

१—करुणा के प्रत्यक्ष अवतार भगवान् महावीर ने माँसाहार को दुध्यसनों में माना है और इसे नरक का कारण भी बतलाया है। जैनागम स्थानांग सूत्र के चौथे स्थान में भगवान महावीर फरमाते हैं कि "चार कारण से प्राणी नरक में जाता है—(१) महारम्भ से, (२) महापरिग्रह रसने से; (३) पैंचेन्द्रिय जीवों का वय करने से, (४) माँस भक्षण करने से। पंचमांग भगवती मूत्र, उववाई सूत्र तथा स्थानांग सूत्र में भी इसी प्रकार का वर्णन है:—

वह सूत्र पाठ इस प्रकार है .---

"चउिंह ठाणेहि जीवा णेरतियत्ताए कम्मं पकरेति तं जहाः—
महारंभताते, महापरिग्गहयाते पींचिवियवहेण कुणिमाहारेण ॥"
(ठाणांग सूत्र ठा० ४)

२—जैन साहित्य में घातक (कसाई-हिंसक) किन्हें कहना चाहिए उसका वर्णन इस प्रकार मिलता है:—

> "अनुमन्ता, विशसिता, निहन्ता, ऋय-विक्रयी। संस्कर्ता, चोपहर्ता च स्नादकाश्चेति घातकाः॥"

अर्थात् १—मारने की सलाह देने वाला, २—प्राणियों के शरीर को काटने वाला, ३—मारने वाला, ४—मांस मोल लेने वाला, ५—मांस नेचने काला, ६----माँस पकाने वाका, ७----माँस परोसने नाता, ८--तना मांस साने वासा ये सर वातक (कसाई-हिंसक) हैं।

३—भगवान् महावीर ने माँसाहार, मदिरा कौर अश्वस्य पदाची का आहार कितना पाप यूळक बत्तलाया है इसके विषय में जैवागय सूत्र-कुलांग में वर्षच है:----

"जो लोग मिंदरा, मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का आहार करते हैं वे चाहे मल-मल कर स्तान करें, चाहे तमक आदि स्वादु पदार्थों का त्याग कर दें उन्हें कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, वे तो अनर्थ के करने वाले हैं।" सूत्र पाठ वह है:---

> ''पाओसिणाणादिसु णत्थि मोक्खो, लारस्स लोणस्म अणासएणं। ते मञ्जमंत्रं लमुणं च भोण्या, अनत्थ वासं परिकप्पर्यति ॥१३॥

> > (सूत्रकृतांय भुतस्कन्ध १ अध्ययन ५)

४--शराबी और माँसाहारी को कितनी घोर यातनाएं नरक गति में भोगती पड़ती हैं इसका भी विस्तृत वर्णन जैनागमों में पाया जाता है।

५—आचारांग सूत्र में भगवान् महावीर फरमाते हैं कि "जैन भिक्षु को यदि कहीं मांस मछली अथवा उसकी खाल कांट्रे आदि होने का पता लग जावे तो वह वहां न जाए। किसी प्राणी, किसी भूत, किसी जीव, किसी सत्व को न मारना चाहिए, न सताना चाहिए, व कष्ट पहुंचावा चाहिए, मही धमं खुद्ध है।

६—सूत्रकृतांग में फरबाते हैं कि जैन साधु सांग्र-महिरा का त्यास करे। जो माँस मिंदरा का सेवन करते हैं वे अज्ञानता से पाप करते हैं, जनका मन अवित्र है और ज़चन भी सूका है (सूचकुनांग अ०-२)।

७—उत्तराज्ययन सूत्र में-मदिरा पान, मांस भक्षण तथा दुराजस्थ आदि से नारकी की अन्यु का क्ष्य होता है। हिंसक यह करने वाले, सूठ बोलने वाले, कपड़ी, कुगलकोर, छड़ स्था मांझ-मदिशा असी जो होते हैं वे समझते हैं कि यही जीवन का आनन्द है, परन्तु घ्यान में रखना चाहिए कि जिसे मांस अथवा मांस का टुकड़ा प्रिय है वह भी उसी प्रकार पकाया व खाया जाएगा।

८—अनुयोगद्वार सूत्र में :—जिस प्रकार तुझे दुःख अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार किसी जीव को भी दुःख अच्छा नहीं लगता। यह जान कर जो न स्वयं किसी को मारता है और न मारने की प्रेरणा ही करता है, सभी के प्रति समभाव रखता है, वही श्रमण है।

९—दशर्वकालिक सूत्र में—शराब छोड़ दे, माँस छोड़ दे, विकृति (रस-पुष्ट) भोजन का त्याग कर। बार-बार कायोत्सर्ग (ध्यान) तथा स्वाध्याय योग में लीन हो जा।

१०—जानी होने का सार यह है कि वह किसी भी प्राणी की हिंसा न करे। अहिसा का सिद्धान्त ही सर्वोपिट है—मात्र इतना ही विज्ञान है। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना कोई भी नहीं चाहता। सीलिए निग्रंथ (जैन मुनि) घोर प्राणिवध का सर्वथा त्याग करे।

११---जो ओषघ में माँस खिलावे या सम्मति दे वह नरक में जाता है।

१२---माँस दुर्गन्थ वाला है, वीभत्स है, शरीर के मलों से बना हुआ है, अपवित्र है और नरक में ले जाने वाला है। अतः त्याज्य है।

१२—माँस में क्षण भर में ही अनन्त सूक्ष्म कीटाणुओं का जन्म और विनाश होता है। वह नरक के मार्ग में ले जाने वाला मोजन है। कौन बुद्धिमान ऐसे मांस को खा सकता है?

१४---माँस कच्चा हो या पकाया हुआ उसके प्रत्येक टुकड़े में निर्वाघ रूप से निगोद के जीव उत्पन्न होते हैं।

१५—आचार्य रत्नशेखर सूरि—संबोध सप्ततिका में स्पष्ट लिखते हैं:—कि आगम में माँस मदिरा आदि को जीवों का उत्पत्ति स्थान बतलाया है:—

''आमासु य पक्कासु य विपच्चमाजासु मंसपेसीसु । आयंतिअमुचवाओ मणिओ उ जिगोअजीवार्ण ॥१॥ महत्रे महुस्मि मंसस्मि णवणीयस्मि चउत्यए . उप्पन्नंति अनंता तब्बन्या सत्य संतुनो ॥२॥ (इलोक ६६, ६७)

अर्थात्—"कच्चे, पक्के और अग्नि में पकाये हुए मौस की प्रत्येक अवस्था में अनन्त निगोद जीवों की उत्पत्ति होती रहती है। मदिरा, मख, मांस और मक्खन में मख, मधु, मांस और मक्खन के रंग के अनन्त जीवों की उत्पत्ति होती है।" इस प्रकार मांस आदि खाने से अनन्त जीवों का नाश होता है अतएव इनका सेवन करना दोअपूर्ण है।

१६—आज के विज्ञान ने भी इस बात को स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि मांस अनिगनत जीव कीटाणुओं का पुंज है और उसमें प्रतिक्षण कृमि समान जीव उत्पन्न होते रहते हैं।

१७--भगवान महाबीर आचारांग सूत्र में फरमाते हैं:--

से बेमि — जे अईया जे य पडुण्यन्ता, जे य आगमित्सा अरहंता भगवंतो ते सक्वे एवमाइक्लंति, एवं भासंति, एवं पण्णींबति, एवं पर्कावित सक्वे पाणा, सक्वे भूया, सक्वे जीवा, सक्वे सत्ता, न हंतक्वा, न अञ्जावेयक्वा, न परिधितक्वा, न परियावेयक्वा, न उद्देयक्वा । एस-घम्मे सुद्धे णिइए, सासए, समिन्च लोयं खेयण्णींह पवेइए तं जहा— उद्दिठएसु वा अणुद्दिठएसु वा, उवद्दिठएसु वा, अणुवद्दिठएसु वा, उवरयबंडेसु वा, अणुवरयबंडेसु वा, सोवहिएसु वा, अणोवहिएसु वा, सजोगएसु वा, असजोगएसु वा, तक्वं चेयं, तहा चेयं अस्सि चेयं पवुच्चई। (आचारांगे)

भावार्थं:—वे (भगवान् महावीर) कहते हैं कि भूतकाल में जो तीर्थंकर हो चुके हैं, अब जो विद्यमान हैं और जो अनागत काल में होंगे; वे सब इस तरह कहते हैं, बोलते हैं, दूसरों को समझाते हैं तथा प्ररूपणा करते हैं—किसी भी प्राण, भूत, जीव और सस्वों को नहीं मारना चाहिए। उनपर शासन (दबाच) नहीं डालना चाहिए, उन्ह दास की तरह अधिकार में नहीं रखना चाहिए। उन्हें किसी प्रकार का संताप नहीं देना चाहिए। तथा उनके प्राणों को नहीं लूटना चाहिए। यही धर्म शुद्ध है, नित्य है,

शास्वत है। संसार के दुःसों को जानने काल अरिहंत-मणवंतों वे संयम में उद्यत और अनुस्त, उपस्थित और बनुपस्थित, मुनियों और गृहस्थों, रावियों और स्वतिगयों, भोगियों और योगियों को समभाव में यह उपदेश विवा है। यही एक सत्य है, यही तबारूप है और ऐसा वर्म इस निर्भन्य-प्रवचन में ही कहा है।

तीर्यंकर भगवन्तों ने मांस के समान अण्डे खाने का भी निषेष किया है क्योंकि यह त्रस जीव का कलेवर है। जिस प्रकार मांस मछली मदिरा वादि अभक्ष्य होने से जैनागमों में उनके भक्षण का सर्वथा निषेष है उसी प्रकार अण्डा भी सचित (त्रस जीव वाला) होने से अभक्ष्य है। जैनागमों में कहा है:—

"से बेमि, संति में तसा पाणा तं जहा-अंडया, पोतया, कराउया सथा संसेयया, समुच्छिमा डिब्भवया, उववातिया एस संसारे सि पयुज्यति नवंत्स अविजाणतो ।

(आ० अ०१ उ०६)

भगवान् फरमाते है कि इस संसार में बाठ प्रकार के त्रस जीव होते हैं जैसे कि:— अण्डज, २पोतज, अलरायुज, ४रसज, ५संस्वेद्रज, बसंसुच्छिम, अलदिमज्जक और ५औपपालिक।

इस पाठ से स्पष्ट है कि कुछ त्रस जीव वण्डे से उत्पत्न होते हैं इसिक्ए अण्डा भी सजीव सिद्ध हो जाता है।

आज के विज्ञान की यह मान्यता है कि अपडा गर्भ से निकलते समय निर्जीव होता है। मादा जब ऊपर बैठकर उसे सेती है तो गर्मी के द्वारा उसमें जीव उत्पन्त हो जाता है। विज्ञान की यह पुक्ति उचित प्रतीत नहीं होती। मादा के अपडे पर बैठने से और गर्मी पहुंचाने से प्रदि अपने वें जीव उत्पन्त होता है तो एक आटे की मोली अपडे जैसी बनाकर मादा के नीचे रखने से खूब मर्बी पहुंचाने पर उसमें से बच्चा विकलता चाहिये क्योंकि यदि सेते समग्र गर्ची पहुंचाने के ही अपने में से बच्चा निकलता हैं ती बाटे की गीली में से भी अवस्य निकलमा चाहिए परंन्तु ऐसा नहीं होंता क्योंकि बाटे की गीली में पहले जीव नहीं होता।

अण्डा गर्म में बनता है और जीव भी गर्म में पैदा होता है। बाहर आकर केवल परिषक्व होता है और पूर्ण होता है। वहां यह बात समझ लेनी चाहिए कि अण्डे भी दो प्रकार के होते हैं 'वर्मान, देसम्मू-चिर्छम । मुर्गी जादि के अण्डे गर्म में उत्पन्न है इसलिए अण्डे से निकलने बाले जीव को द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेना। एक जन्म गर्म में आकर अण्डे के रूप में उत्पन्न होता है दूसरा अण्डे के गर्म से बाहर जाने के परचात् उस में से बच्चे के रूप में निकलना दूसरा जन्म है। इस प्रकार अण्डा सचीव सिद्ध होता है।

धारवास्य विदानों का मत है कि गर्मज जण्डा वो प्रकार का होता है (१) जिस जण्डे में से बच्चा बंग कर निकलता है (२) जिस अण्डे में से बच्चा बंग कर महीं निकलता । जतः वे कहते हैं कि जिस बंडे में से बच्चा बंग कर निकलता है उसमें जीवनी संक्ति है और विंसमें से बच्चा बंग कर निकलता है उसमें जीवनी संक्ति है और विंसमें से बच्चा बंग कर नहीं निकलता उसमें जीवनी सक्ति नहीं है परस्तु उनकी यह धारणा भी ठीक प्रतिश्व नहीं होती । वास्तव में दोनों में जीवनी सिक्त है। जिस प्रकार बंध्या स्त्री में जमन किया नहीं होती इसकी अर्थ यह नहीं कि उसकी योनि निर्जीव है वर्षात् उसकी बोनि सजीव होने पर भी उसमें जनन किया का बमाव है बीर जवंध्या स्त्री में स बच्चे निकलते । जतः बच्चे बादि का मधीण मी उचित नहीं है इसलिए अमवान् महावीर वादि सची तीर्य-करों ने केच्छे को भी अमदय मान कर इसका प्रयोग उचित नहीं कानी बादि सची तीर्य-करों ने केच्छे को भी अमदय मान कर इसका प्रयोग उचित नहीं करते ।

कैंगानम-विधाक सूत्र के सीसरे अध्ययन "अभग्येसेम" में वर्णन हैं कि एक बार अमण भगवान् महावीर के मुख्य शिष्य ईम्ब्रजूति गीतम गंगिणर मिक्सा के लिए निकले। उन्होंने मार्ग में किसी अपराधी को देखा, जिसे राजपुरुषों ने घेरा हुआ था। उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। उसे उसी का मांस काट-काट कर खिलाया जा रहा था। उस की दुर्दशा को देखकर इन्द्रभूति गौतम कर्म-फल का विचार करने लगे और उनका हृदय करुणा से द्रवित होगया। वापिस लौट कर उन्होंने भगवान् महावीर से पूछा, भन्ते! "जिस अपराधी को मैंने राजप्य पर देखा है वह अपने पहले जन्म में कौन था! उसने अपने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किये थे जिससे उसकी यह दुर्दशा हो रही है?"

भगवान् बोले—"गौतम! यह अपने पूर्व जन्म मे अण्डों का व्यापारी था। स्वयं भी मांस-अण्डे आदि भक्षण करता था इसका नाम निह्नक था और अण्डों के व्यापार के कारण यह निह्नक अण्ड बनिये के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उसने इस काम के लिए नौकर रखे हुए थे, जो मोरनी मुर्गी, कबूतरी आदि के अण्डे खरीद कर लाते और बाजार में जाकर बेचा करते थे। वह स्वयं भी अण्डों को भूनता, तलता और खाता था। शराब पीकर नशे में चूर रहता था। भगवान् बोले-हे गौतम! यह इतना पापी था जिसके फलस्वरूप अपने जीवन के दिन पूरे कर वह तीसरी नरक में जाकर पैदा हुआ। वहाँ दारूण दु.ख भोग कर यहां विजय चोर के घर जन्मा है। इस जन्म में भी अपने किये का फल भोग रहा है।

इन उपर्युक्त उद्धरणों से भगवान् महावीर के बादर्श अहिंसामय जीवन का और उनके द्वारा प्रदत्त अहिंसा के उपदेश का पूरा-पूरा परिचय मिल जाता है।

इससे स्पष्ट है कि श्रमण भगवान् महाबीर ने अपने इन विचारों को स्वयं अपने आचरण में उतारा और फिर मानव समाज की प्राणी मात्र की अहिंसा का अपनी वाणी और करणी द्वारा प्रभावोत्पादक उपदेश दिया। इसी के परिणाम स्वरूप आज भी जैन अहिंसा विश्व में अलैकिक स्थान रखती है। तथा यह भी स्पष्ट है कि माँस, अण्डे, मत्स्य, मिंदरा आदि अभस्य 'पदार्थों के भक्षण करने से न तो मोक्ष की प्राप्ति ही हो सकती है और न ही जीव सद्गति प्राप्त कर सकता है। यह तो महान् अनर्थकारी है, बहुत दोषों वाला है, इसे खाने वाला व्यक्ति मर कर नरक में नारकी का जन्म लेकर घोर यातनाओं को भोगता है।

जैन मांसाहार से सर्वथा श्रलिप्त

इस उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रमण भगवान् महावीर सर्वज्ञ-सर्वदर्शी थे। उनके आचार और विचार यहाँ तक पवित्र थे कि जब वे अजीव पदार्थों का भी इस्तेमाल (उपयोग) करते थे तो इस बात की पूरी सावधानी रखते थे—"मेरे द्वारा किसी छोटे से छोटे प्राणी को भी कष्ट न पहुंचे।"

इस विश्वविभूति ने जगत के प्राणियों को जिस अहिंसा के महान् पिवत्र सिद्धान्त का उपदेश दिया था उसका आचरण उनके रोम-रोम में था। अर्थात् जो कुछ वे जगत के प्राणियों को आचरण करने के लिये उपदेश देते थे उसको वे स्वयं भी पालन करते थे। उनके रोम-रोम और शब्द-शब्द से विश्व के प्रत्येक प्राणी के प्रति वात्सल्य माव प्रगट होता था। उन्होंने केवलज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद सर्वप्रथम यही उपदेश दिया था—'मा हण-मा हण (मत मारो-मत मारो)'' अर्थात् किसी भी प्राणी की हिसा मत करो और इसी उपदेश के अनुसार हो जो उनके धर्म-मार्ग को स्वीकार करता था, उसे वे सर्वप्रथम जीव-हिसा का त्याग रूप 'प्राणाति-पात विरमण वत'' घारण कराते थे। फिर वह चाहे श्रमण हो अथवा श्रावक। इस का विवेचन हम पहले कर आये हैं।

श्रमण भगवान् महाबीर की अहिंसा के विषय में भारत के महान् घाराशास्त्री सर अल्लाड़ी कृष्णा स्वामी अय्यर ने एक तार्किक दलील दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं घारा शास्त्र का अभ्यासी होने से घामिक तत्त्वज्ञान में विशेष अध्ययन का लाभ नहीं

परम्त् Logically (तार्किक ढंग से) कहना पड़ता है कि मृग और नाय आदि प्राणी जो तृण भक्षण से अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे यदि मांस भक्षण के विमुख बनें तो उसमें विशेषता ही क्या है ? तत्त्व तो वहाँ है कि सिंह का बच्चा मांस का विरोध करे। यानी उनके कहने का अभि-प्राय यह है कि धन-सोना, ऋद्धि-सिद्धि और ऐश्वर्य के झले में झला हुआ और खनी संस्कृति से भरे हए क्षत्रिय कुल के वातावरण में चमकती हुई तलवार के तेज में तल्लीन होता हुआ बालक, कुल परम्परा की कुल देवी समान खूनी खुंजर के विरुद्ध महान् आन्दोलन करने के लिये सारी ऋद्धि-सिद्धि और सम्पत्ति को मिट्टो के समान मान कर और भोग को रोग तूल्य समझ कर योग की भूमिका में खुनी वातावरण को शान्तिमय और जहिंसक बनाने के लिए बनखण्ड और पर्वतों की कंदराओं में निस्पृही बन कर ज्ञातपुत्र वर्धमान (महावीर) सारा जीवन व्यतीत करे। मात्र दिनों तक ही नहीं किन्तु महीनों एवं वर्षों तक भपति दीर्घ-तपस्वी बन कर भटकता फिरे । साढे बारह वर्ष की घोर संयम यात्रा में अंगुलियों पर गिने जाने वाले नाम मात्र के दिनों में पारणे रूखे-सूखे ट्कड़ों से करे और सारा काल अहिंसा के आदर्श सिद्धान्त के पालन करने और कराने में निमन्न रहे। संयम की सर्वोत्कृष्ट साधना करने में तीवातितीव तप की ज्वालाओं से अपनी आत्मा को कंचन समान निर्दोष बनाने में तल्लीन रहे। उन की इस घोर तपस्या-संयम आदि अमृत्य जीवन-यात्रा के पर्दे में बड़ा भारी रहस्य था कि जिस में मात्र मानव-समाज ही का नहीं, परन्तु प्राणी मात्र के परम श्रेय का लक्ष्य था।

मुझ तो यह तार्किक अनुमान बड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है। दया के परम्परागत संस्कारों वाले कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति दया का पालन करे और उसकी पुष्टि के लिये बातें करे यह तो स्वाभाविक है तथा भोग सामग्री के अभाव में वैराग्य के वातावरण का असर अनेकों पर होना संभव है किन्तु राजकुल की ऋदि और ऐस्वयं के सागर में से बाहर कूद कर त्याग भूमि पर आने वाले तो कोई अलौकिक व्यक्ति ही नजर आते हैं।

भगवान् महावीर ने जो उपसर्ग तथा परिषह सहन किये उनका वर्णन करते हुए हृदय काँप उठता है। घन्य है उस महाप्रभु महावीर को जिन के हृदय मे मित्रों के श्रेय के समान ही शत्रुओं के श्रेय का भी स्थान था।

जैनागमों में कहा है कि वे मात्र क्षमा में ही वीर न थे किन्तु दानवीर दयावीर, शीलवीर, त्यागवीर, तपोवीर, धर्मवीर, कर्मवीर और ज्ञानवीर आदि सर्व गुणों में वीर शिरोमणि होने में उनका वर्धमान नाम गौन होकर महाबीर नाम विख्यात हुआ।

भगवान ने कहा किसी देश राष्ट्र और जगत को जीत कर वश में करने वाला सच्चा विजेता नहीं, किन्तु जिस ने अपनी आत्मा को जीता है (self conqueror) वहीं सच्चा विजेता है।

उनका दर्शाया हुआ अहिसाबाद, कर्मवाद, तत्त्ववाद, स्याद्घाद, सृष्टि-वाद, आत्मवाद, परमाणुवाद, और विज्ञानवाद इत्यादि त्येक विषय इतना विश्वाल और गम्भीर है जिनका अम्यास करने से उनकी सर्वज्ञता स्पष्ट सिद्ध होती है।

उन्होंने सर्वसाधारण जनता को मानव संस्कृति विज्ञान (Science of Human culture) के विकाश की पराकाष्ठा पर पहुं-चने के लिये मुक्ति महातीर्थ का राजमार्ग (Royal road) सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान, और सम्यक् चारित्र (Right faith, Right knowledge and Right conduct) रूप अपूर्व साधन द्वारा पद्धतिसर दर्शाया। इसलिये वे तीर्थकर कहलाये।

मंसार में तीर्थंकर पद सर्वोत्कृष्ट, सर्वोपरि और सर्वपूज्य होने के कारण उस काल में बौद्धधर्मादि भिन्न-भिन्न धर्मों के संस्थापक और संवालक अपने आपको तीर्थंकर कहलाने में उत्सुकता पूर्वंक प्रतिस्पर्द्धा की दौड़धूम मचा रहे थे। अर्थात् उस समय मत-प्रतिस्पर्द्धा (Religious rivalry) की होड़ा-होड़ मच रही थी। जैसे कि आज सत्ता और प्रसिद्धि

(Power and popularity) प्राप्त करने के लिये होड़ मच रही है। परन्तु कहावत है कि "All that glitters is not gold) (प्रत्येक चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती)। इस उक्ति के अनुसार खुति, युक्ति और अनुभूति द्वारा मुज्ञ और विज्ञजन (People of Culture and common sense) के लिये यह समझना कोई कठिन बात नहीं है कि तीर्थंकर होने के लिये जिस योग्यता का होना आवस्यक है वह भगवान महावीर के सिवाय उनके समकालीन अन्य किसी भी मं प्रवर्तक में नहीं थीं।

भगवान् महावीर के परम पित्र प्रवचन का आधार मनःकल्पना और अनुमान की भूमिका पर तो था ही नहीं। उनका तत्त्वज्ञान वास्त-विकता पर अवलम्बित है। ऐसा कहना कोई अत्युक्ति न होगी कि उनका पदार्थ-विज्ञान और परमाणुबाद आधुनिक विज्ञान के (Atomic and moleculer—theories) अणुवाद की मान्यता से तो क्या परन्तु डाक्टर एन्स्टीन, एडिंगटन, स्पेन्सर, डल्टन और न्युटन की (theories) मान्यताओं की भी मात करता है। भारतीय तथा पाश्चात्य अनेक विद्वानों ने भगवान् महावीर के सिद्धान्तों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

जर्मन विद्वान डा० हर्मन जेकोबी कहते हैं कि :---

In conclusion let me assert my conviction that Jainism is an original system, quite distinct from and independent of all others, and that, therefore it is of great importance for the study of philosophical thought and religious life in India.

अर्थात्—अंत में मुझे अपना निश्चित विचार प्रगट करने दो, मैं कहूंगा कि जैनचर्म के सिद्धान्त मूल सिद्धान्त हैं। वह धर्म स्वतन्त्र और अन्य धर्मों से सर्वथा भिन्न है। प्राचीन भारतवर्ष के तत्त्वज्ञान का और धार्मिक जीवन का अभ्यास करने के लिये यह बहुत उत्तम है।

ऐसे सर्वीच्य आचरण तथा उपदेश करने बाले महान् तत्त्वज्ञानी,

करुणा के प्रत्यक्ष अवतार, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी तीर्यंकर श्रमण भगवान् महावीर स्वयं मांसाहार कैसे कर सकते थे ? कदापि नहीं कर सकते थे ।

इतिहास इस बात का साक्षी है कि अन्य मांस-मत्स्यमक्षी बौद्ध, वैदिक आदि धर्मों के समान जैनधर्म भारत की सीमाओं को न लांघ सका । इसका मुख्य कारण यही है कि यह मत्स्य-मांसादि अभक्ष्य मक्षण का सदा से निषेष करता आया है। इसीलिये मांसाहारी देशों में इसका प्रसार न हो पाया।

इस उपर्युंक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि न तो भगवान् महावीर आदि जैन तीर्थकर अथवा निर्प्रथ श्रमण मांसाहार ग्रहण कर सकते हैं और न ही श्रमणोपासक गृहस्थ (श्रावक-श्राविकाएं) मांस को खा अथवा पका सकते हैं। यही कारण है कि वक्तमान जैन समाज भी कट्टर निरामिषाहारी है तथा वे सराकादि जातियाँ भी जो सैकड़ों वर्षों से जैनघर्म को भूल चुकी हैं उनके ऊपर भी आज पर्यन्त जैन-तीर्थंकरों की अहिसा की इतनी गहरी छाप है कि वे आज भी कट्टर निरामिषाहारी रहे है। मात्र इतना ही नहीं किन्तु जो लोग जैन समाज में होते हुए किसी भी प्रकार का बत ग्रहण नहीं करते वे भी मत्स्य-मांस जैसे अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते।

तथागत गौतमबुद्ध, बौद्धभिक्षु तथा बौद्धगृहस्थ खुलमखुला मांसाहार करते थे इसी का परिणाम है कि आज भी सारा बौद्ध जगत सर्व भक्षी है।

श्री धर्मानन्द कौशाम्बी ने "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक में जिन जैन सूत्रों को लेकर यह सिद्ध करने की हास्यास्पद चेष्टा की है कि "भगवान् महावीर और उनके अनुयायी श्रमण मांसाहार करते थे"। उनके किए हुए अर्थ के साथ भगवान् महावीर की जीवनचर्या तथा उपदेशों (आचार-विचार) से बिलकुल मेल नहीं खाता। इस से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा किया हुआ इन सूत्रों का अर्थ ठीक नहीं है परन्तु इन का दूसरा ही अर्थ होना चाहिये।

वास्तव में बात यह है कि अध्यापक कौशाम्बी बौद्ध दर्शन के विद्वान

भे इसिल्ये तथागत बुद्ध के प्रति उन्हें अगाध श्रद्धा होना स्वामाविक था। उन्होंने अपनी पुस्तक "भगवान् बुद्ध" में यह बात सिद्ध करने का भरसक प्रयत्न किया कि गौतम बुद्ध मांसाहारी नहीं थे। यह भी उल्लेख किया कि उस समय जैनादि उन पर मांसाहार का आक्षेप भी किया करते थे।

परन्तु जब कौशाम्बी जी तथागत बुद्ध और उसके भिक्षु संघ को निरामिषभोजी सिद्ध करने में असमर्थ रहे तब उन्होंने भगवान् महावीर और उनके श्रमण संघ पर भी मांसाहार का दोष लगाने की चेष्टा की। जैनागमों के सूत्रपाठों का विपरीतार्थ कर इस बात को सिद्ध करने की जो उन्होंने अनाधिकार चेष्टा की है उसके विषय में हम आगे चल कर विवेचन करेंगे। हमारी घारणा है कि उन्हें इस बात की चिन्ता थी कि तथागत गौतम बुद्ध एवं उनके भिक्षु मांसाहारी होने से जैन तीर्थकर भगवान् महावीर, उनके निर्यन्थ श्रमणों, व्रतघारी श्रावकों तथा अवित गृहस्थों से भी कहीं हीन न गिने जावें, इसलिए उन्होंने निर्यन्थ परम्परा पर ऐसी अनुचित आक्षेप करने की चेष्टा की है। एक अंग्रेज लेखक ने ठीक ही कहा है कि "शारीरिक सन्तान (पुत्र-पुत्री आदि) से भी मानसिक सन्तान (अपने विचारों) पर मनुष्य को अधिक प्रेम होता है।" अपने अभिप्राय पर अयोग्य अनुराग, एकान्त आग्रह मनुष्य को सत्य की पहिचान करने में बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं।

सारांश यह है कि कौशाम्बी जी ने तथागत गौतमबुद्ध के मांसाहार के दोष को ढांकने के लिये ही यह असफल प्रयत्न किया है।

बुद्ध ने केवल अहिंसा का उपदेश दिया था परन्तु भगवान महावीर ने अहिंसा को मूल सिद्धान्त का दर्जा देकर चारित्र व्रत में सर्वप्रथम सम्मिलित किया। बौद्ध मत की अहिंसा थोथा उपदेश बन कर ही रह गयी। क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध उसे अपने आचार और व्यवहार में न उतार सके। यदि उन्होंने अपने आचार और व्यवहार में उतारा होता तो बौद्ध जगत् कदापि मांसाहारी न होता। इस से स्पष्ट है कि वह अहिंसा धर्म के सर्म को समझ ही न पाये। भगवान् महावीर ने अपने 'आचरण और उपदेश से जगत के सामने अहिंसा का इतना सुन्दर 'स्वरूप रखा कि आज भी जैन समाज पूर्वदत कट्टर निरामिषाहारी है। उन्होंने फरमाया कि किसी के असतित्व की न मिटाओ। जिस प्रकार प्राणिहिंसा दुर्गति का कारण है उसी प्रकार मांस भक्षण भी दुर्गति का कारण है। आप ने ऐसे धर्म को धर्म कहा जो सब प्राणियों का रक्षक हो और ऐसे धर्म को निर्वाण का राजमार्ग कहा।

१. प्रो० डी॰ सी॰ वामी अपनी पुस्तक 'हिन्दुइजम में लिखते हैं:—
'Buddhism only teaches the doctrine of the sanctity
of animal life, but Jainism not only taught it, but also put
it into practice. A Buddhist may not kill or do injury to
any creature himself, but apparently he is allowed to
purchase meat from a butcher. A Jain on the other hand
is bound to be a strict Vegetarian."

अर्थात् — बुद्ध धर्म केवल पशु के जीवन की रक्षा का ही उपदेश देता है। जैन धर्म ने केवल उपदेश ही नहीं दिया परन्तु उपदेश के साथ आचरण मे भी उतारा है। एक बौद्ध किसी पशु का स्वयं दध अथवा हिंसा चाहे न करे परन्तु उसे निःसंकोच कसाई की दुकान से मांस खरीदने की आजा है। दूसरी ओर एक जैन निश्चयरूपेण दृढ़ शाकाहारी है।

मौस मक्षण से मात्र जैन ही अलिप्त रहे हैं

प्रो० ए० चक्रवर्ती एम० ० "तिरुकुरल" पुस्तक पृ० ३०-३१ में लिखते हैं कि:---

Meat eating, drinking wine and sexual intercourse, which are condemned by the Jains are accepted by the Kapalikas as a fundamental practice of their faith.

The Buddhist rejected the authority of the Vedas, yet they did not give up meat eating. Buddhist bhikshus and the laymen, though they observed the principle of Ahimsa, were all meat eaters. They observed the principle of Non-violence only to this extent that they did not kill any animal with their own hands. They have no objection to purchase meat from the butchers so long as they do not themselves kill. Even while Gautama Buddha was alive, this practice was prevalent. This we learn from the Buddhist Scriptures. When that is the case with the Buddhist Bhikshus, the Buddhist laymen have no restriction in eating meat. If we are to mention a distinctive Characteristic of the Jains, we have to say that it is their strict Vegetarian diet. This distinguishes the Jains from Others.

From the Vedic Dharam Shastras of Manu, Bodhayana and the later law-makers belonging to Vedic schools, we notice the following, on the chapter Madhuparka, Bodhayana gives a list of 25 or 26 animals that are to be killed.

Another prominent fact about the *Dharma Shastras* af Vedic school is the place given to agriculture in the scheme. Agriculture is considered to be the meanest profession and only the Sudras of the fourth Varna are fit to be engaged in this profession. It is beneath the dignity of the Dvijas to engage themselves in agricultural occupation. Certainly the priests of the higher Varna cannot think of touching the plough.

अर्थात्: — जिन मांस मेक्षण, मदिरापान तथा व्यभिचार का जैनों ने निन्दा मान कर त्याग किया था, उन्हें कापालिकों ने श्रद्धा से मूरू सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया था। यानी उन्होंने मांसाहार, मदिरापान तथा व्यभिचार सेवन को धर्म रूप स्वीकार किया था।

बौदों ने वेदों को तो प्रामाणिक नहीं माना किन्तु मांस मक्षण का त्याग नहीं किया। बौद्ध भिक्षु तथा बौद्ध गृहस्य अहिंसा के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए भी मांसाहारी थे। वे अहिंसा को इस रूप से मानते थे कि पशुओं की स्वयं हत्या नहीं करना। परन्तु उन्हें कसाई के वहां से ऐसा मांस खरीदने में कोई आपित नहीं थी, जिसे उन्होंने स्वयं न मारा हो; बौद्ध ग्रंथों से हम ऐसा जान सकते हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध स्वय विद्यमान थे तब भी यह प्रथा प्रचलित थी। जब बौद्ध भिक्ष इस प्रकार (बे रोक-टोक) मांसाहार करते थे तब बौद्ध गृहस्थों को भी मांसभक्षण का कोई प्रतिबन्ध नहीं था। यदि बौद्धों से जैनों की कोई मौलिक विशेषता खोजने जावे तो हमें यह निःसंदेह कहना पड़ेगा कि जैन कट्टर शाकाहारी हैं।

हम वैदिक धर्मानुयायी मनु, बोधायन तथा उनके बाद के वैदिक सिद्धान्त निर्माताओं के धर्मशास्त्रों में से नीचे लिखे विचार पाते हैं :— मधुपर्क मे बोधायन ने २५ या २६ ऐसे पशुओं की सूची दी है, जो कि (मासाहार के लिये) वध करने योग्य हैं।

वैदिक धर्मशास्त्रों में एक और विशेष बात यह भी पायी जाती है कि उन्होंने खेती-बाड़ी को एक निकृष्ट कार्य मान कर उसे नौथे वर्ण यानी शूद्रों के करने के योग्य बतलाया है। द्विजों ने खेती-बाड़ी के घंघे को स्वय करना अपनी हीनता माना है। मात्र इतना ही नही परन्तु ऊंचे वर्णों के धर्मप्रचारको ने तो हल को छूने तक का विचार मात्र करना भी नितान्त अनुचित माना है।

साराश यह है कि वैदिक धर्मानुयायी मांसभक्षण को उत्तम मानते थे तथा खेती-बाड़ी को निकृष्ट । जैनो ने मांस भक्षण को एक दम त्याज्य माना और खेती-बाड़ी को जैन श्रमणोपासकों (श्रावकों) के लिये त्याज्य नहीं माना। उपासकदशांग जैनागम में भगवान् महावीर के जिन दस श्रावकों का चरित्र चित्रण किया गया है, उनका मुख्य व्यवसाय प्रायः खेती-बाड़ी ही था।

तथागत गौतम बुद्ध द्वारा निर्प्रथ-चर्या में मांस-भन्नण निषेध

हम लिख चुके है कि बुद्ध के समय में सब से बड़े श्रमण संघ छः थे। इन सक में निर्धन्त्रों (जैनों) का नाम ही सर्वप्रथम आता है। वे राजगृह में अथवा उसके आस-पास के क्षेत्रों में अधिक संख्या में निवास करते थे।

गौतम बुद्ध संसार छोड़कर निर्वाण मार्ग जानने के लिये योगियों के शिष्य बने। बौद्ध ग्रंथ "लिलतिवस्तर" में लिखा है कि बोधिसत्त्व (गौतम बुद्ध) पहले वैकाली गये और वहां आलार कालाम के शिष्य बने। वे योगी बड़े जानी थे और जाति के बाह्मण थे। बुद्ध ने उनके पास से योग की बातें सीखी, तप भी किया, किन्तु उससे उन्हें सन्तोष नहीं हुआ, तब बुद्ध ने उन्हें छोड़ दिया। बौद्ध ग्रंथ "मिज्झमिनिकाय" के "महासिहनाद सुत्त" में बुद्ध की तपश्चर्या का वर्णन है। उन्होंने अनेक प्रकार की तपश्चर्याएं की और छोड़ीं। अन्त में बोधिसत्त्व ने उस समय के श्रमण व्यवहार के अनुसार तीव तपश्चर्या करने का निश्चय किया और प्रसिद्ध अमण नायकों का तरवज्ञान जान लेने के उद्देश्य से राजगृह गये। वहां सब श्रमण सम्प्रदायों में न्यूनाधिक मात्रा में तपश्चर्या दिखलायी देने से उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें भी बैसी ही तपश्चर्या करनी चाहिये। इसिल्ये "सुत्तिनिपात" के "पव्यज्ञा सुत्त" की अन्तिम गाथा में बुद्ध स्वयं कहते हैं कि अब में तपश्चर्या के लिये जा रहा हूँ। उस समय राजगृह के चारों ओर जो पहाड़ियाँ हैं उन पर निर्ग्रंथ (जैन) श्रमण तपश्चर्या कुरते

थे ऐसा उल्लेख जैनागमों में तथा बौद्ध पिटकों में अनेक स्थलों पर मिलता है।

निर्मंथ संप्रदाय के ऐतिहासिक निर्यामक तेईसवें तीर्थकर भगवान् पार्श्वनाथ जी थे। इनका निर्वाण बुद्ध के जन्म से पूर्व १९३ वर्ष में हुआ था। उनकी शिष्यपरम्परा के निर्मंथों का अस्तित्व उस समय राजगृह में सर्वाधिक था।

तथागत गौतम बुद्ध, निगांठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महाबीर) से प्रथम पंदा हुए और प्रथम हो परिनिर्वाण प्राप्त किया। यह बात ऐतिहासिक दृष्टि से अब सिद्ध हो चुकी है। भगवान महाबीर तथा गौतम बुद्ध समकालीन थे तथा उन दोनों के अपने-अपने घर्म-प्रचार का क्षेत्र एक ही रहा। कई वर्षों तक एक दूसरे से मिले बिना वे दोनों अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे।

बुद्ध ने निर्पर्थों के तपःप्रधान आचारों की अवलेहना की है, ऐसा वर्षन बौद्ध पिटकों में पाया जाता है। परन्तु बुद्ध ने खुद अपनी बुद्धत्वप्राप्ति के पहले की तपक्ष्यां और चर्या का जो वर्णन किया है उसके साथ तत्कालीन निर्पर्थ आचार का जब हम मिलान करते हैं तथा कपिलवस्तु के निर्प्रथ श्रावक "बप्प शाक्य", जो कि मगवान पाइवंनाय के निर्प्रथ श्रमणों का उपासक था, उस का निर्देश सामने रखते हैं (सुत्त की अट्ठकथा में बप्प को गीतम बुद्ध का चाचा कहा है) एवं बौद्ध पिटकों मे पाये जाने वाले खास आचार और तत्त्व-ज्ञान सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक शब्द जो केवल निर्पर्थ प्रवचन में ही पाये जाते हैं इन सब पर विचार करते हैं तो ऐसा मानने में कोई सन्देह नहीं रहता कि "तथागत गौतम बुद्ध" ने भगवान पार्श्वनाथ की परम्परा को स्वीकार किया था। अध्यापक धर्मानन्द कौशाम्बी ने भी अपनी अन्तिम पुस्तक "पार्श्वनाथ चा चातुर्याम धर्म" (पृष्ठ २४, २६) में ऐसी ही मान्यता सुचित की है।

गौतम बुद्ध "सारिपुत्त" से कहते हैं कि "मैं बताता हूँ कि मेरी सपस्थिता के सी थी":---

"में नंगा रहता था। लौकिक अचारों का पालन नहीं करता था। हयेली पर भिक्ता ले कर साता था। अगर कोई कहता कि 'मदन्त', इचर आइयें तो में नहीं सुनता था। बैठे हुए स्थान पर ला कर दिये हुए अन्न को, अपने किए तैयार किये हुए अम को और निमंत्रण को में स्वीकार नहीं करता चा। जिस बर्तन में अन्न पकाया गया हो उसी बर्तन में अगर वह अझ लाकर मझे दिया जाता तो मैं उसे पहण नहीं करता था। देहरी या डण्डे के उस पार रह कर दी गयी भिक्षा को मैं नहीं लेता था। ओखली में से अगर कोई खाने का पदार्थ ला कर दिया जाता तो में उसे ग्रहण नहीं करता था। दो व्यक्ति भोजन कर रहे हों और उन में से एक उठ कर भिक्षा दे तो मैं उसे ग्रहण नहीं करता था। गर्भिणी, बच्चे को स्तन-पान कराने वाली या पुरुष के साथ एकान्त सेवन करने वाली स्त्री से भी में भिक्षा नहीं लेता था। मेले या तीर्थ-यात्रा में तैयार किये गये अन्न की भिक्षा में नहीं लेता था । जहाँ कुता खड़ा हो या मक्खियों की भीड़ और भिनभिनाहट हो वहां भिक्षा नहीं लेता था। मस्त्य, मौस, सुरा आदि वस्तुएँ नहीं छेता था। एक ही घर से भिक्षा लेकर एक ही ग्रास पर मैं रहता था। या दो घरों से भिक्षा ले कर दो प्रासों पर रहता था और इस प्रकार सात दिन तक बढ़ाते हुए सात घरों से भिक्षा ले कर सात ग्रास खा कर में रह जाता था । में एक कलछा भर अन्न भी लेता था और इस प्रकार सात दिन तक सात कलछे अन्न छे कर उस पर निर्वाह करता था। एक दिन छोड़ कर यानी हर तीसरे दिन भोजन करता था। इस प्रकार उपवासों की संख्या बढाते-बढ़ाते सप्ताह में एक बार या पखवाडे में एक बार मोजन किया करता था।

"में **वादी मूछें और वाल उत्ताड़ डालता वा।** में खड़ा रह कर तपस्या करता था अकड़ बैठ कर तपस्या करता था।

"अनेक वर्षों की घूछ से मेरे शरीर पर मैल की परतें जम गयी थीं ।

जैसे कोई तिन्दुक वृक्ष का तना अनेक वर्षों की धूल से भर जाता है, भेरी देह वैसी हो गयी थी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता था कि घूल की परतें में स्वयं झाड़ लूँ या दूसरा कोई व्यक्ति मुझे हाथ से निकाल दे।

"में बड़ी सावधानी से आता जाता था। पानी की बूंदों पर भी मेरी तीव दया रहती थी। ऐसी विषम अवस्था में फंसे हुए सूक्ष्म प्राणी का भी नाश मेरे हाथों से न हो जावे इसके लिए में बहुत सावधानी रखता था। ऐसी मेरी जुगुप्सा (हिंसा के प्रति अधिन) थी।

"मैं किसी भयावने जंगल में रहता था। जो कोई सांसारिक प्राणी उस अरण्य में प्रवेश करता, उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, वह इतना भयंकर होता था। जाड़ों में भयानक हिमपात होने के समय में खुली जगह में रहता था और दिन में जंगल में घुस जाता था। गर्मी के मौसम के अन्तिम महीने में दिन के समय खुली जगह में रहता था और रात को जंगल में चला जाता था।" (ध० को० कृत भगवान् बुद्ध पृष्ठ ६८-७१)

इस तपस्या के बारे में गौतम बुद्ध स्वयं कहते हैं—"मेरा शरीर (दुर्बलता की) चरम सीमा तक पहुंच गया था। जैसे अस्सी वर्ष वाले की गांठें, वैसे ही मरे अङ्ग-प्रत्यङ्ग हो गये थे। जैसे ऊंट के पैर वैसे ही मेरा कूलहा हो गया था। जैसे सूओं की (ऊंची-नीची) पांती वैसे ही पीठ के कांटे हो गये थे। जैसे शाल की पुरानी कड़ियाँ टेड़ी-मेड़ी हो जाती है, वैसी ही मेरी पांसुलियां हो गयी थीं। जैसे गहरे कुएं में तारा वैसे ही मेरी आँखें दिखाई देती थी। जैसे कच्ची तोड़ी हुई कड़वी लौंकी हवा घूप मे चुचक जाती है, मुर्झा जाती है, वैसे ही मेरे सिर की खाल चुचक-मूर्झा गयी थी। उस अनशन से मेरे पीठ के कांटे और पैर की खाल विल्कुल सट गयी थी। यदि में पाखाना या पेशाब करने के लिए उठता तो वहीं बहरा कर गिर पड़ता। जब मैं काया को सहराते हुए हाथ से गात्र को मसलता तो काया से सड़ी जड़ बाले रोम झड़ पड़ते। मनुष्य कहते, श्रमण गौतम काला है, कोई कहते में पुर वर्ण है। मेरा

वैसा परिशुद्ध गौरे चमड़े का रंग नष्ट हो गया था।" (वही पृ० ३४८)

मुझे लगा कि:—"देह दंडन दु:स्वकारी है, घीर-वीरों को शोभा देने लायक नहीं है, अनर्थवाह है (दुक्खो अनरियो अनत्य संहितो)। और मैंने स्युल आहार ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया।"

अन्त में बोधिसत्त्व के मन ने यह निश्चय किया कि तपश्चर्या बिलकुल निरर्थक है। अतः तपश्चर्या का त्याग कर दिया।

इस उपर्युक्त विवरण से यह जात होता है कि गौतम बुद्ध ने घर से निकलने के बाद 'आलार कालाम' आदि योगियों के पास रहकर उन के हठयोग की कियाएँ सीखीं तथा उनकी मान्यताओं के अनुसार तप आदि भी किये, किन्तु जब वह वहाँ से ऊब गये तो दूसरे धर्म सम्प्रदाय में दीक्षित हुए। इस प्रकार छः सात वर्षों तक अनेक धर्म संप्रदायों मे दीक्षित होकर छोड़ते गये। अर्थात् पूर्व-पूर्व गुरुओं की चर्या तथा तत्त्व का मार्ग छोड़ कर अपनी विचारधारा से एक नये संप्रदाय की स्थापना की। वह संप्रदाय आज बुद्धधर्म के नाम से प्रसिद्ध है।

बौद्ध-जैन संवाद में मांसाहार निषेध

जैनागम सूत्रकृताँग के दूसरे श्रुत स्कन्य के छ 3 अध्ययन में एक प्रसंग आता है जो इस प्रकार है:—

श्रम भगवान् महाबीरका चतुर्मास राजगृह में था। चतुर्मास के बादभो भगवान् राजगृह में धर्मप्रचारार्थ ठहरे। उस सतत प्रचार का आकारतीत फल हुआ।

एक बार भगवान् के शिष्य आर्द्रकमृति भगवान् को वन्दन करने के लिए गुणशील चैत्य में जा रहे थे। रास्ते में उनका शाक्यमृति के भिक्ष से इस प्रकार वार्तालाप हुआ। उस वार्तालाप में जीवहिंसा और माँसाहार सम्बन्धी जैनों का क्या सिद्धान्त है, इसका भी खुलासा आर्द्रकमृति ने किया है जो कि इस प्रकार है:— निग्रंथ आर्द्रकमृति ने शाक्यमृति के भिक्ष से कहा कि:—

"जीवों की खुले आम हिंसा करना सयतों (मुनियों) के लिए सर्वथा अयोग्य है। जो ऐसे कामों का उपदेश देते हैं और जो उसे सुन कर उचित समझते हैं वे दोनों अनुचित काम करने वाले हैं।

"महाशय! इस सिद्धान्त से तो तत्त्वज्ञान नहीं पा सकते, लोक को करामलकवत् प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। भिक्षुजन! जो श्रमण शुद्ध आहार करते हैं, जीवों के कर्मविपाककी चिन्ता करते हुए आहार-विधि के लेशों को टालते हैं और निष्कपट वचन बोलते हैं, वे ही संयत हैं और यही संयतों का धर्म है।

"जिनके हाथ लहू में रंगे हैं, ऐसे असंयत मनुष्य दो हजार बोधिसत्त्व (बौद्ध) भिक्षुओं का नित्य भोजन कराते हुए भी यहाँ निन्दा के पात्र बनते हैं और परलोक में दुर्गति के अधिकारी बनते हैं। और जो यह कहते हैं कि बड़े बकरे को मारकर और मिर्च-पीपर डाल कर तैयार किये हुए माँस के भोजन के लिए कोई निमंत्रण दे ता हम उस मांस को खा सकते हैं और उस में हमें कोई पाप नहीं लगता, वे अनार्यधर्मी और रसलोलुपी हैं। भोजन करने वाले पाप को न जानते हुए भी पाप का आचरण करते हैं। जो कुशल पुरुष है वे मन से भी ऐसे आहार की इच्छा नहीं करते और नहीं ऐसे मिथ्या वचन बोलते हैं।

"जैन मुनि सब जीवों को दया की खातिर पाप-दोष का वर्जन करते हुए दोष की शंका से भी ऐसे आहार को ग्रहण नहीं करते। संसार में संयतों का ही धर्म है। इस आहार शुद्धि रूप समाधि और शील गुण को प्राप्त कर जो वैराग्य भाव से निर्ग्रन्थ (जैन मुनि) धर्म का पालन करते हैं, वहीं तत्त्व-जानी मुनि इस लोक में कीर्ति प्राप्त करते हैं।"

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि निर्ग्रन्थ श्रमण सदा इस बात की सावधानी रखते हैं कि उनके द्वारा छोटे-से-छोटे किटाणु की भी हिंसा न हो। इसीलिये वे रात्रि को भोजन भी नहीं करते यानी सूर्यास्त के बाद वे कोई वस्तु खाते पीते नहीं। रात्रि को दीपक भी नहीं जलाते, इसलिये कि उस पर पतंगों के गिरने की सम्भावना रहती है। वे उठते-बैठते, सोते-जागते, चलते-फिरते, खाते-पीते सब अवस्थाओं में सदा इस बात की सावधानी रखते हैं कि किसी भी प्रकार से बड़े से लेकर छोटे-से-छोटे जीव-जन्तु की भी हिंसा न हो जाय। वे वर्षा ऋतु में ग्रामान्तर नहीं जाते, एक ही नगर अथवा ग्राम में वास करते हैं, क्योंकि इस ऋतु में असंख्य सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाने से ग्रामान्तर जाने-आने से हिंसा होना सम्भव है। वे छ. जीवनिकाय की यरन पूर्वक रक्षा करते हैं।

इसी स्तम्भ में निग्रन्थ मुनि आर्द्रक के संवाद में यह भी स्पष्ट वर्णन है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षु को मांसाहार में दोष बतलाते हुए बतलाया है प्राण्यंग मासाहार करने वाला व्यक्ति न तो संयमी ही बन सकता है और न वह ज्ञानवान् ही कहला सकता है एवं न वह स्वपर का कल्याण ही कर सकता है। ऐसी अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति भी कभी नहीं हो सकती।

निर्यन्य श्रमण के लिये नव कोटिक (हिंसा करना नहीं, कराना नहीं और करने वाले को भला जानना नहीं। मन से नहीं करना, वचन से नहीं करना और काया से नहीं करना इत्यादि। इस प्रकार $3 \times 3 = 9$ कोटिक) अहिंसा की सक्ष्म व्याख्या को व्यवहार में लाने के लिये बाह्य प्रवृत्ति को विशेष नियन्त्रित कर जीवहिंसा तथा मांसाहार आदि का सर्वथा निषेध किया है। निर्युत्य श्रमणों की चर्या सदा में ही उग्र चली आ रही है और उनके त्याग, संयम, तप तथा अहिंमा का स्वरूप अनूपम एवं अलौकिक रहता आया है। इसलिए उसके चारित्र की गहरी छाप तत्कालीन जनता पर पड़ना स्वामाविक था। यही कारण है कि निर्म्न श्रमणों की चर्या का उस समय के मानव समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव था, जिससे आकर्षित होकर शाक्य मूनि गौतम बृद्ध ने पार्श्वापत्य निर्धन्य परम्परा में दीक्षा ग्रहण की तथा उनके तत्त्वज्ञान को जाना । उन्होंने अपनी निर्ग्रन्थचर्या में प्रवेश करने से पहले स्पष्ट लिखा है कि-"मै प्रसिद्ध अमण नायकों का तस्वज्ञान जान लेने के उद्देश्य से राजगृह जाता हूँ।" वहाँ जाकर निर्प्रन्थ धर्म में दीक्षित होकर जिस चर्या का उन्होंने आचरण किया है उसमें उन्होंने इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया है कि--"उस अवस्था में में मत्स्य-मांस-मदिरा आदि का सेवन नहीं करता था।" इससे यह स्पष्ट है कि निर्ग्रन्थ आचार-विचार में प्राण्यंग मत्स्य-मांसादि के भक्षण का सर्वथा निषेध है।

उपर्युक्त विवेचन को ध्यान में रखते हुए अगले खण्ड में हम निम्न-लिखित मुद्दों पर विचार करेगे, जिससे यह बात स्पष्ट फलित हो जायगी कि भगवान् महावोर का तथा जैन निर्युन्थ श्रमणों का मांसाहार करना कदापि संभव नहीं हो सकता, अतः इन सूत्रपाठों के शब्दों का सामिषाहार अर्थ करना नितान्त अनुचित ही है।

अगले बंड में निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करेंगे :---

- १---भगवान महावीर के औषध सेवन वाले विवादास्पद सूत्रपाठ के अर्च के लिये जैन विद्वानों के मत।
- २---भगवान महावीर को इस औषघदान देने पर दिगम्बर जैनों का मत।
 - ३-- जैन तीर्थंकर का आचार।
 - ४--- निर्यन्थ श्रमण का आचार।
 - ५--निर्ग्रन्थ श्रमणोपासकों (गृहस्थों) का आचार।
 - ६---औषध सेवन करने वाले, लाने वाले तथा बनाने वालों के जीवन।
- ७--मांसाहारी प्रदेशों में रहने वाले जैनों का भूतकाल तथा वर्त्तमान काल में जीवनसंस्कार।
- ८—तीर्था तरिकों द्वारा जैनधर्म सम्बन्धी आलोचना मे मांसाहार के आक्षेप का अभाव।
- ९—तथागत गौतम बुद्ध का निर्यन्थ तपश्चर्या करते समय मांसाहार को ग्रहण न करने का वर्णन।
- १०---भगवान् महावीर का रोग और उसके निदान के लिये योग्य औषध।
- ११—विवादास्पद प्रकरण वाले पाठ में आने वाले शब्दों के वास्त-विक अर्थ।

द्वितीय खएड

निग्गंठ नायपुत्त श्रमण भगवान् महावीर पर मांसाहार के ग्राक्षेप का निराकरण

महाश्रमण भगवान् महावीर स्वामी पर मांसाहार के त्रारोप का निराकरण

जैनों के पाँचवें अंग श्री भगवतीसूत्र के जिस पाठ का अर्थ करते हुए श्रमण भगवान् महावीर को मांसाहारी मिद्ध करने की जो अनुचित चेप्टा की गयी है उसके विषय में इस विचित्र कल्पना का निरसन करना नितान्त आवश्यक है, जिससे पाठक वास्तविकता को समझ सके।

भगवती सूत्र के पन्द्रहवे शतक में गोशालक का वर्णन आता है। उसका संक्षिप्त सारांश यह है:—

गोशालक पहले भगवान् महावीर का शिष्य था और भगवान् के साथ लग-भग छः वर्षों तक रहा। अलग होने के बाद उसने तेजोलेश्या सिद्ध की तथा अष्टाङ्ग निमित्त का अभ्यास करके अपने आप को सर्वज्ञ होने की उद्घोषणा की। एक बार वह श्रावस्ती नगरी में आया और वहा अपने आप को सर्वज्ञ रूप में प्रसिद्ध करने लगा। जनता मे इस बात की चर्चा होने लगी। बाद मे उसी नगरी में भगवान् महावीर स्वामी पघारे। नगर निवासियों ने गोशालक की सर्वज्ञता की बात भगवान् महावीर के मुख्य शिष्य श्री इन्द्रभूति गौतम स्वामी से पूछा। गौतम स्वामी ने प्रमु महावीर से पूछा। तब प्रभु ने गोशालक की सारी जीवनक्या कह सुनायी तथा गोशालक ने सर्वज्ञत (जिन पद) प्राप्त तहीं किया यह भी कहा। गोशालक का यह जीवनवरित्र लोगों से चर्चा का विषय बन गया। यह बात गोशालक के कानों तक भी पहुंची तब वह बहुत कोचित हुआ। कोघ से जला भुना एक बार वह प्रमु महावीर स्वामी

के पास आया और वहाँ अपने वास्तविक स्वरूप को छिपाने का प्रयत्न किया। तब भगवान् ने जो ठीक बात थी, उसे कहा। इसमे वह और भी कोघित हो गया। यह देख कर उसे दो साधु समझाने गये तब उसने उनपर तेजोलेक्या छोड़कर उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। भगवान् ने उसे समझाया परन्तु परिणाम उन्टा निकला।

उसने भगवान् पर भी तेजोलेक्या छोड़ी। यह तेजोलेक्या भगवान् को स्पर्श करके वापिस गोशालक के शरीर में प्रवेश कर गयी और उस तेजोलेक्या की जलन से गोशालक सातवी रात्रि को पित्तज्वर के दाह से मृत्यु को प्राप्त हो गया।

इस तेजोलेश्या के स्पर्शमात्र से भगवान् महावीर को पित्तज्वर तथा लहू के दस्त (पेचिश) होने लग गये। यह देखकर प्रजा को तथा अनेक साधुओं को बहुत चिन्ता हो गयी और सर्वत्र यह बात फैल गयी कि भगवान् महावीर छः मास में देह त्याग देंगे। जिसको प्रभु पर अत्यन्त राग था ऐसा सिंह नाम का अणगार (जैन श्रमण) जो जंगल में घ्यान कर रहा था, जसने भी वहां यह बात सुनी। वह दुः खी होकर फूट-फूट कर रोने लगा। भगवान् ने अपने ज्ञान द्वारा इस बात को जान कर सिंह मुनि को दूसरे साधु द्वारा अपने पास बुलाया और उसे सान्तवना दी। जनता तथा मुनिजनों की चिन्ता को दूर करने के लिए भगवान् ने सिंह मुनि से कहा—

हे सिंह! तुम मेंढिक ग्राम नगर में जाओ; वहाँ गृहपित की पत्नी रैवती ने दो पाक तैयार किए हुए हैं। उनमें एक मेरे लिए बनाया हैं तथा दूसरा अपने घर के लिये बना कर रखा हुआ है। जो पाक मेरे लिए बनाया है उससे प्रयोजन नहीं (वह मत लाना)। परन्तु जो दूसरा उसने अपने लिए बना कर रखा हुआ है उसे ले आओ।"

भगवान् ने वह पाक आसिवत से रहित होकर खाया और पीड़ा शांत हुई। यहाँ उपर्युक्त दो पाकों के लिए जो शब्द शास्त्रकार ने लिखे हैं उनके बारे में किसी को भी आपत्ति नहीं है, वे तो सबको मान्य हैं। पहन्तु उन शब्दों के अर्थ में आपत्ति है। वे शब्द विवादग्रस्त है, स लिए इसकी चर्चा करके इसका निर्णय करने की आवश्यकता है।

(१)

विवादास्पद सूत्रपाठ ग्रौर उसके ग्रर्थ के लिये जैन विद्वानों के मत

सूत्र में वर्णित मूल पाठ:--

"तं गच्छह णं तुमं सीहा! में द्वियगामं नगरं रेवतीए गाहा-व तिणीए गिहे, तत्थ णं रेवतीए गाहाबद्दणीए ममं अट्ठाए दुवे कवीय-सरीरा उवक्खडिया, तेहिं नो अट्ठो, अत्थि से अन्ने पारियासिए मज्जार-कडए कुक्कुडमंसए तमाहराहि, एएणं अट्ठो। (भगवती सुत्र शतक १५)

(क)

जैन शास्त्रों में से नवाँगों (नौ आगमों) के टीकाकार महान् समयं विद्वान आचार्य अभयदेवसूरि ने कमशः अग सूत्रों पर टीका रवी है। दितीयाँग-ठाणाँग जी सूत्र की टीका करते हुए उसके नवमे ठाणे में प्रभु महावीर के समय मे नव (९) जनों ने तीर्थकर नामकर्म बाँघा इसका वर्णन आया है। उन नौ जनों ने किस-किस कारण से तथा क्या करने से तीर्थकर नामकर्म उपार्जन किया ऐसा पाठ है जनमें से मृहपित की भार्या रेवती भी एक है। उपर्युक्त विवाद वाला आहार प्रभु को देने के कारण रेवती ने तीर्थकर नामकर्म का बन्ध किया था ऐसा पाठ है। उस प्रसंग का उल्लेख करते हुए नवांगीटीकाकार अभयदेवसूरि ने इस विवाद वाले सूत्रपाठ का इस प्रकार अर्थ किया है:—

"ततो गच्छ त्वं नगरमध्ये तत्र रेवत्यभिधानया गृहपतिपत्न्या मुबर्ष

[🔧] १ – इस पाठ का उल्लेख हम आगे करेगे।

हे सूच्यांडकतञ्जरीरे उपस्कृते, न च ताम्यां प्रयोजनं, तथाऽन्यवस्ति तक्षृहे परिवासितं मार्जाराजियानस्य वायोनिवृत्तिकारकं कुक्जुडमांसकं --वीकपुरककटाहमित्यर्थः, तदाहर तेन नः प्रयोजनियित ।"

(ठाणांग सू० १९१)

अर्थात्—''तुम नगर मे जाओ, रेवती नाम की गृहपति की भार्या ने मेरे लिए दो कूष्माण्ड फल (पेठे) संस्कार करके तैयार किये हैं, उक्का प्रयोजन नहीं, परन्तु उसके घर मे मार्जार नामक वायु की निवृत्ति करने वाला बीजोरे फल का गृदा है, वह ले आओ। उसका मुझे प्रयोजन है। (ठाणाग सूत्र स्०१९१)

इस उपयुंक्त अर्थ से यह बान रपष्ट है कि ठाणाग जी सूत्र में इन जब्दों का अर्थ श्रीअभयदेवसृरि ने स्पष्ट रूप मे वनस्पतिपरक किया है इसिलिये यही अर्थ यथार्थ रूप मे उन्ह मान्य था।

(ख)

इन्हीं टीकाकार अखायं अभयदेवसूरि ने ठाणागजी की टीका लिखने के बाद पंचमाग "भगवनी जी" सूत्र की टीका वि० मं० ११२८ में लिखी। इसमें गोशालक के प्रसगवाले पन्द्रहवं शतक में भी जो उन्हें स्वय मान्य अर्थ या वहीं किया। किन्तु एक निष्पक्ष टीकाकार होने के नाते उनके समय में कार्ड-कोई व्यक्ति इन शब्दों में से स्थूल दृष्टि से फिलित होने वाले प्राणीवाचक अर्थ भी मानते होगे यह बतलाने के लिए उन्होंने यह बात भी अपनी टीका में लिखी। ऐसा लिखते हुए भी यह बात उन्हें स्वयं मान्य नहीं थी। यदि यह बात उन्हें मान्य होनी तो वे "अष्माणमेवार्ष के चिन्मन्यन्ते"—ऐसा न लिखते किन्तु इस अर्थ की चर्चा करके स्पष्ट करने की चेप्टा करते। न तो उन्होंने ऐसी कोई चर्ची ही की है और न ही ऐसा अर्थ किया है। इससे यह स्पष्ट है कि उन्हें स्वयं इन कर्यों का अर्थ प्राणीवाचक मान्य नहीं या यह निश्चित है। उन्हें स्वयं को अर्थ पान्य था उसी का उल्लेख उन्होंने ठाणाँक जी में किया

है तथा यहां भी वैसा ही अर्थ किया है। इसलिए वनस्पतिपरक अर्थ ही वास्तविक है।

श्री भगवती सूत्र के विवादास्पद सूत्रपाठ की टीका

''दुवे कवीया'' इत्यावेः—भूयमाणमेवार्षं के जिल्मन्यस्ते । अन्ये त्वाहुः कपोतकः—पिक्षविशेषस्तह्व ये फले वर्णसाधम्यस्ति कपोते कूष्मांडे, ह्रस्ये कपोते कपोतके ते च ते शरीरे वनस्पतिजीववेहत्वात् कपोतकशरीरे अथवा कपोतकशरीरे इव धूसरवर्णसाधम्याविष्य कपोतकशरीरे कूष्माण्डफले एव ते उपस्कृते—संस्कृते 'तेहिनो अट्ठो' ति बहु-पापत्वात् । 'पारिआसिए' ति परिवासितं ह्यस्तनमित्यर्थः इत्यादेरिष केचित् श्रूयमाणमेवार्थं मन्यन्ते । अन्यत्वाहुः—'मज्जारकडए' मार्जारो वायुविशेषस्तदुपशमनाय कृतं संस्कृतं मार्जारकृतं अपरे त्वाहु —मार्जारो—विरालिकाभिधानो वनस्पतिविशेषस्तेन कृतं—भावितं यत्तथा, कि तत् ? इत्याह—'कुर्कृटकमांसकं' बोजपूरकं कटाहम् 'आहराहि' ति निरवद्यत्वावितं ।

अर्थात्—इस लिये हे सिह । तुम मेढिक प्राम नाम के नगर मे गृह-पित की भार्या रेवती के घर जाओ । वहा उस ने मेरे लिये (कोई-कोई दुवे कवोय सरीरा का प्राणीपरक अर्थ भी मानते हैं परन्तु अन्य कहते हैं कि) दो कु ष्माण्ड फल (पेठे के फल) तैयार किये हैं, उन से मुझे प्रयोजन नहीं, क्यों कि इसे लाना बहुत दोष का कारण है (निर्प्रथ श्रमण के निमित्त जो आहार तैयार किया जाता है ऐसा आहार जैन साधु को लेना नहीं कलपता इस लिये ऐसा आधाकर्मी पेठे का पाक जो श्रमण भगवान् महाबीर के निमित्त बनाया गया था, उसे लाने के लिये मना कर दिया); परन्तु इस के इलावा दूसरा जो पाक उन्होंने अपने लिये पहले का बना कर रखा हुआ है, 'वह मज्बारकडए' (इस के लिये भी ऐसा सुना है कि कोई-कोई इस का प्राणीपरक अर्थ मानते हैं परन्तु अन्य सब ऐसा मानते हैं) यानी मार्जीर नामक वायु को शान्त करने वाला, अन्य आचार्यों का कहना हैं कि विरालिका नामक वनस्पति से भावना किया हुआ बीजोरापाक है, उसे ले आओ, उस से मुझे प्रयोजन है।

श्रीअभयदेवसूरि ने इस उपर्युक्त टीका (वृन्ति) में लिखा है कि सुनते हैं कि कोई-कोई 'दुवे कवोयसरीरा और मज्जारकडए कुक्कुड संसए, का अर्थ प्राणीपरक करते है। इस से यह बात तो स्पष्ट है कि अन्य जैना-चार्य और उस समय के आम विद्वान् इन शब्दो का अर्थ वनस्पतिपरक करते थे और यही अर्थ आचार्य श्रीअभयदेवसूरि को भी मान्य था। हमारी इस धारणा की पुष्टि (१) ठाणाग सूत्र की गृहपित की भार्या रेवती के परिचय मे मूत्र पाठ की टीका है। (२) इस पाठ से भी स्पष्ट है कि कोई-कोई ऐसा अर्थ भी करते हैं। यदि उन का अपना भी यही मत होता तो वे 'सुना है' ऐसा न लिख कर इन शब्दों का प्राणीपरक अर्थ करके वनस्पतिपरक अर्थ के साथ 'श्रूयमाणमेवार्थ' लिखने। इस मे भी यही सिद्ध होता है कि आचार्य अभयदेव को भी वनस्पतिपरक अर्थ ही मान्य है। (३) इस पाठ के विषय मे इन शब्दों का मांसपरक अर्थ किसी भी अन्य उपलब्ध टीकाओं मे नहीं मिलता। (४) इन शब्दों के अर्थ वनस्पतिपरक ही होना चाहिये और यही अर्थ ठीक है इस विषय को पृष्टि के लिये हम अन्य जैनाचार्यों के मत भी दे देना उचित समझते हैं।

(ग)

विकास सवत् ११४१ पाटण में कर्णदेव के राज्य समय मे जैताचार्य नेसिचन्द्रसूरि ने प्राकृत भाषा मे तीन हजार इलोकप्रमाण 'महावीर चरित्र' रचना की है, जो ग्रंथ आत्मानन्द ग्रय रत्न माला ग्रंथ नं० ५८ भावनगर की जैन आत्मानन्द सभा की तरफ से वि० सं० १९७३ में प्रकाशित हुआ है। उसके पत्र ८४ में यह अधिकार गाथा नं० १९३० से १५ तक इस प्रकार वर्णन है।

"ता गच्छ तुर्म मिढियगामं मगाहि रेवई मज्झं। गाहावईण कज्जे पञ्जुसियं ओसहं कप्पं ॥१९३०॥ सीहो य गओ तीए गेहं अब्भृद्दिओ य हिद्दाए ।
सत्तद्ठ पए अहिगम्म, बंबिओ परममत्तीए ॥१९३१॥
भणिओ साहेहि तुमं देवाणुपिया इहागमणकण्डं।
तेण य गणियं अज्जे ! अमृगं पण्जुसियं ओसहं अत्यि ॥१९३२॥
तुज्म गिहे तं वियरसु, सा भणई इमं रहस्सिनिम्मिबयं।
कह भणिस तुमं ? कहियं केवलिणा वीरनाहेण ॥१९३२॥
तं सोउं सा तुद्ठा वियरद्व सीहस्त ओसहं तं तु।
दव्वाद्वविसुद्धेणं ओसह-वाणेण सा तेण ॥१९३४॥
देवाउयं निवंघई, परित्तससारियत्तणं कुणई।
दिव्वाणि तत्थ पंच य पाउब्मूयणि सयराहं॥१९३५॥

भावार्थ—[हे सिह!] तुम में ढिक ग्राम में जाओ। रेवती के पास जाकर कल्पे ऐसी औषघ जो उसने अपने लिये तैयार करके रखी हुई है ले आओ। सिंह अणगार उस रेवती के घर गया। तब उसने हिंबत होकर अम्युत्थान किया (उठी)। सात-आठ कदम आगे जाकर परमम कित पूर्वक वन्दना की। सिंह मृनि ने उसे कहा कि 'तुम्हारे घर तुम्हारे लिये तैयार की हुई जो औषध है वह मुझे दो, उसने कहा कि यह औषध मेंने एकान्त में अर्थात् अपने घर में बनायी है जिस का किसी को पता नहीं। इसे तुम ने कैसे जाना? मृनि ने कहा कि केवली (सर्वज्ञ) वीरनाथ (भगवान महावीर स्वामी) ने यह कहा है। द्रव्यादि से विशुद्ध इस औषधदान से रेवती ने देवायु का बन्ध किया। तथा परिमित संसारी-पना किया। वहां दिव्य प्रगट हुए।

(घ)

विकम संवत् ११३९ में गुणचन्द्रगणि नामक विद्वान ने प्राकृत भाषा में गद्ध-पद्ध में बारह हजार क्लोक प्रमाण महावीरचरित्र रचा है, जो देवचंद लालभाई पुस्तकोद्धार फंड सूरत से प्रकासित हो चुका है। उसके प्रस्ताव ८ पत्र २८२, २८३ में वर्तमान चर्चास्पद विषय पर प्रकाश डालता हुआ वर्णन है। वहाँ सिंह अणगार की प्रार्थना से कल्प्य औषिष स्वीकार करने के लिए भगवा महावीर सम्मत होने पर भी "अपने निमित्त से तैयार की हुई अषिध नही कल्पती," ऐसा साधुसामाचारी-मर्यादा को अपने आचरण से सूचिन करते हैं।

"जइ एवं ता इहेव नयरे रेवईए गाहावद्दणीए समीवं वच्छाहि। ताए य मम निमित्त जंपुञ्च ओसहं उवक्कडियं तं परिहरिकण इपरं अप्पणी निमित्तं निष्फाइयं आणेहि ति।"

भावार्य—[हे मित्!] यदि ऐभा ही है तो इसी नगर में (मेढिक ग्राम में) रेवती नाम की गृहपति की पत्नी के समीप जा, उसने मेरे निमित्त जो पहले अीषव तैयार की हुई है उसे छोड़ कर दूसरी (औषष) जो उस ने अपने लिये तैयार की हुई है, वह लाना। भगवान् महाबीर के लिये औष्ट्यदान देते में इस भवत श्रद्धालु की देवगति हुई, इत्यादि वहां विस्तृत वर्णन है।

(इ.)

स्वतंत्र संस्कृत-प्राकृत शब्दानुशासन, कोश, काव्य, साहित्य रचने वाले मुत्रसिद्ध कलिकालसर्वज्ञ आचार्य श्री हेमचन्द्र ने विक्रम की तेरहवी शताब्दी में "त्रिषण्टिशलाकापुरुषचरित्र" महाकाव्य रचा है, जिसके दसवे पर्व में लगभग छ. हजार ब्लोकप्रमाण भगवान महावीर का चरित्र है। यह ग्रथ भावनगर से जैनधमं प्रसारक सभा ने विक्रम संवत् १९६५ में प्रकाशित किया है। उसके आठवे सर्ग के ब्लोक ५४९ से ५५२ में चालू चर्चास्पद विपय पर स्पष्ट प्रकाश डाला है।

मावृत्रां दुःसञ्चान्त्यं सत् स्वामिन्नादत्स्व भेषज्ञम् । स्वामिनं पीढितं द्रष्टुं, नहि क्षणमपि श्रमाः ॥५४९॥ तस्योपरोचात् स्थान्यूचे, रेवत्वा चेकिमार्थया।
पक्वः कूठमोडकटाहो, यो मह्यं तं तु मा घहीः ॥५५०॥
बीजपूरकटाहोऽस्ति यः पक्वो गृहहत्तवे।
तं गृहीत्वा समागच्छ, करिष्ये तेन वो घृतिम् ॥५५१॥
सिहोऽनावय रेवतीगृहमुपावस प्रवत्तं तया,
कल्यं मेवजमाज्ञु तत्र बवृबे स्वर्णं च हुष्टैः सुरैः।
सिहानीतमुपास्य भेषज्ञवरं तव् वर्षमानः प्रभुः,
सद्यः संघचकोरपार्वणकाती प्रापव् वष्टः पाढवम् ॥५५२॥

भावार्य—[भिक्तमान् सिंह अनगार ने कहा] हे स्वामिन्! हमारे जैसों के दुःख की शांति के लिये तो आप भेषज ग्रहण करो, क्यों कि मेरे जैसों से (भक्तों-सेवकों से) स्वामी को क्षणवार भी पीड़ित नहीं देखा जाता। उसके आग्रह से स्वामी ने (भगवान् महावीर ने) कहा कि—सेठ की भार्या रेवती ने मेरे लिये ही कुष्माण्ड-कटाह (पेठे का पाक) बनाया है, उसे मत लाना। किन्तु उसने अपने घर के लिये जो बीजपूर कटाह (बीजोरा पाक) बनाया है, उसे ले आओ। उसके द्वारा तुम्हे घृति—धीरज पैदा होंगो। तत्पश्चान् सिंह (मुनि) रेवती श्राविका के घर गया तथा उसके द्वारा दिये हुए कल्पे ऐसे भेषज (औषष) को भगवान् ने स्वीकार किया। वहां हिंबत हुए देवों ने शीघ्र ही स्वर्ण वृष्टि की। संघ क्यी ककोर को उल्लिसत करने के लिये चन्द्रमा के समान वर्षमान प्रभु (भगवान् महावीर) ने सिंह के द्वारा लाये हुए उस भेषज का सेवन किया। तत्पश्चात शीघ्र ही शरीर की स्वस्थता प्राप्त की।

इन उपर्युक्त उद्धरणों से यह बात.स्पष्ट है कि श्रमण भगवान् महाबीर स्वामी ने वनस्पति से तैयार की गयी औषध को ही अपने रीन की शांति के लिये सेवन किया था। इस विवेचन में दिये गये 'क, ख, ग, घ' उद्धरणों के लेखक विक्रम की बारहवीं शताब्दी के समकाळीन हैं तथा "ड" उद्धरण के लेखक तेरहवी शताब्दी के हैं। इससे यह स्पष्ट है कि उस समय के सभी जैंन आचार्य इस जीविधिदान को बनस्पतिषरक ही मानते थे। इस बात की पुष्टि के लिये और भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। परन्तु विस्तारमय से इतने प्रमाण देना ही पर्याप्त हैं। सुजेषु कि बहुना?

इस विवेचन से यह मी स्पष्ट है कि जैनाचार्य हजारों वर्षों से इन शब्दों का अर्थ 'वनस्पतिपरक' ही करते आये हैं। अतः निगांठ नायपुत (श्रमण भगवान् महावीर) ने अपने रोग की शान्ति के लिये अथवा अन्य भी किसी समय मांसाहार कदापि ग्रहण नहीं किया। भगवान् महावीर के विषय में भगवती सूत्र के इस एक उल्लेख के अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा उल्लेख जैनागमों अथवा जैन साहित्य में नहीं पाया जाता जिससे उनके विषय में मांसाहार करने की आशंका का होना संभव हो। इस चर्चास्पद सूत्रपाठ से भी यह बात स्पष्ट है कि इन शब्दों का अर्थ मांसपरक नहीं किन्तु वनस्पतिपरक है।

(?)

इस श्रीषघदान पर दिगम्बर जेनों का मत

दियम्बर जैन संप्रदाय के विद्वान् भी रेवती (मेंढिक ग्राम वाली) के इस औषधदान की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं। रेवती ने जो तीर्यंकर नामकर्म उपार्जन किया, उसका कारण भी यह औषधदान ही था, ऐसा कहते है। वह लेख यह है।

"रैवतीआविकया श्रीवीरस्य औषधवानं दत्तम् । तेनीषधिवान-कालेन तीर्यंकरनामकर्मोपार्जितमत एव औषधिवानमपि वातव्यम्।"

(हिन्दी जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय बम्बई की जैन चरितमाला नं ६) वर्ष-रेवती श्राविका ने श्रमण भगवान् महाबीर स्वामी को औषध-दान दिया । उस औषघदान देने से उसने तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन किया । अतः औषघदान भी देना चाहिये ।

इस उपर्युक्त उल्लेख से भी यही स्पष्ट है कि जैनधर्म के किसी भी सम्प्रदाय अथवा विभाग को इस औषध दान के विषय में — फिर वह चाहे इवेताम्बर हो अथवा दिगम्बर — कोई मतभेद नहीं है। सभी को यह बात मान्य है कि यह औषध वनस्पति से ही तैयार की गयी थी।

(३)

जैन तीर्थंकर का भ्राचार

जो जीव तीर्थकर होते हैं, वे तीर्थंकर होने से तीन भव पहले बीस स्थानक अथवा सोलह कारण (बीस प्रकार के कृत्य, जिनका समावेश सोलह कारणों में होता है) का आराधन करके तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध करते हैं। यहाँ से काल करके (मृत्यु पाकर) प्रायः स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। वहां से काल करके मनुष्य क्षेत्र में बहुत भारी समृद्धि और परिवार वाले उत्तम शुद्ध राज्य कुल में जन्म लेते हैं। तीर्धंकर होने वाले इन जीवों को माता के गर्भ में ही अवश्यमेव तीन ज्ञान मति, श्रुत, अवधि होते हैं। इनका शरीर वज्रऋषभनाराचसंहनन वाला होता है (वज्र के समान दृढ़ होता है), इनकी आयु अनपवर्तनीय (किसी घातादि के निमित्त में क्षय नहोने वाली) होती है। ये महानुभाव संसार की मोह-माया-ममता का सर्वथा त्याग कर देते हैं। अपनी दीक्षा का समय तीर्थंकरों के जीव अपने ज्ञान से ही जान लेते हैं। इनका गृहस्थजीवन भी प्रायः अनासक्त होता है। दीक्षा लेने से एक वर्ष पहले एक वर्ष तक दान देकर, यदि माता-पिता विद्यमान हों तो उनकी आज्ञा लेकर बड़े महोत्सव पूर्वक स्वयमेव दीक्षा ग्रहण करते हैं। किसी को गूरु नहीं बनाते, क्योंकि वे तो स्वयं ही त्रिलोकी के गुरु होने वाले होते हैं और ज्ञानवान हैं। दीक्षा लेकर सब प्रकार के पापजन्य मानसिक-वाचिक-कायिक व्यापारों का त्याम कर महान् अद्भुत तफ करते हैं, जिससे चार घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त कर वे सर्वज-सर्वदर्शी होते है, फिर संसारतारक उपवेश देकर धर्मतीथं की स्थापना करते है। ऐसे महापुरुष तीथंकर होते हैं।

तीर्यंकर भगवान् बदले के उपकार की इच्छा न रखते हुए राजा-रंक, बाह्मण से चाडाल पर्यन्त सब प्रकार के योग्य नर-नारियों को एकान्त हितकारक, संसारसमुद्र से तारक धर्मीपदेश देते हैं।

तीर्थकर भगवान् के गुणों का पाराबार नहीं, उनके गुण अपार हैं। अतः सबका वर्णन करना अयंभव है, फिर भी यहा संक्षेप में कुछ गुणों का उल्लेख किया जाता है।

- १ अनन्त केवलज्ञान, २. अनन्त केवलदर्शन, ३. अनन्त चारित्र, ४. अनन्त तप, ५. अनन्त बल, ६. पाँच अनन्त (दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य) लिब्धयाँ, ७. क्षमा, ८ संतोष. ९ सरलता, १०. निरिध-मानिता, ११. लाघवता, १२. सत्य, १३. संयम. १४. इच्छारहितपन, १५. ब्रह्मचर्य, १६ दया (जीविहिमा का नवकोटिक त्याग), १७. परोप-कारिता, १८. बीतरागता (राग-द्वेप रहितता), १९. शत्रु-मित्रभाव रहित, २०. स्वर्णपाषाणादि समभाव, २१. स्त्री-तृण पर समभाव, २२. मासाहार रहित, २३. मदिरापान रहित, २४. अभस्य (न खाने-पीने योग्य पदार्थ) मक्षण रहित, २५. अगम्यगमन रहित, २६. करुणा के समुद्र, २७. शूर, २८. वीर, २९. धीर, ३०. अक्षोम्य, ३१. पर निन्दा रहित, ३२. अपनी स्तुति न करे, ३३. अपने विरोधि को भी तारने वाले इत्यादि।
- (१) मोहनीय, (२) ज्ञानावरणीय, (३) दर्शनावरणीय, (४) अन्तराय इन चार घातिया कम के क्षय करने के कारण १८ दोषों से रहित होते है।

"बन्तराया दान-लाभ-वीर्ब-मोगोपभोगगाः, हम्सौ रत्परती मीतिर्जुगुप्ता श्लोक एव च ॥

कामो निष्यारकमहानं निद्धा वाविरसिस्तवः, रागो-हेवस्य नौ बोवास्तेवामध्यावद्वाप्यमी ॥

[अभिवान वि० को० १, स्लो० ७२-७३]

अर्थात्—(१) मिष्यात्व, (२) राग, (३) द्वेष. (४) अविरित, (५) कामवासना, (६) हास्य, (७) रित, (८) अरित, (९) सोक, (१०) भय, (११) जुगुप्सा (ये ११ दोष मोहनीय कर्म के क्षय से), (१२) निद्रा (दर्शनावरणीय कर्म के क्षय से), (१३) अज्ञान (ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से), (१४) लाभान्तराय, (१६) भोगान्तराय, (१७) उपभोगान्तराय, (१८) वीर्यान्तराय (अन्तराय कर्म के क्षय से)—इन अठारह दोषों से रहित होते हैं।

हम ऊपर लिख आये हैं कि तीर्थ कर का जीव तीर्थ कर होने से तीन भव पहले बीस स्थानक अथवा सोलह कारण का आराधन करके तीर्थ कर नाम गोत्र का बन्धन करते हैं। सो वे सोलह कारण ये हैं।

"दर्शनविशुद्धिर्वनयसम्पन्नता, झीलवतेष्वनतिबारोऽभीक्ष्णज्ञानोप-योगसंवेगौ, शक्तितस्त्यागतपत्ती साधुसमाधिर्वेयावृत्यकरण-महंदाचार्यबहुश्रुतप्रवचनमक्तिरावश्यकापरिहाणिर्मार्गप्रभावना प्रवचन-बत्सलत्विमिति तीर्चकरत्वस्य"।

(तत्त्वार्थसूत्र अध्याय ६)

१. दर्शनिवधुद्धि, (वीतराग सर्वज्ञ के कहे हुए तत्त्वों पर निर्मल और वृद्ध श्रद्धा)। २. विनय सम्पन्नता (ज्ञानादि और उनके साधनों के प्रति निरितचार—विनय बहुमान रखना)। ३. शीलव्रतानितचार (शील और वर्तों में अत्यन्त अप्रमाद)। ४. अभीक्षण ज्ञानोपयोग (ज्ञान में सतत उपयोग)। ५ अभीक्षण संवेग (सांसारिक भोग जो वास्तव में सुख के बदले दुःख के ही साधन बनते हैं उनसे उरते रहना अर्थात् कभी भी इन के लालच में नहीं पड़ना)। ६-७-८-९ शिक्त के अनुसार त्याग और तप, चतुर्विध संघ और साधु की समाधि (स्वास्थ्य का ध्यान रखना) और

वैयावृत्य करना (नृषवान को कठिनाई में से निकालना)। १०-११-१२-१३—अरिहंत, आवार्य, बहुश्रुत और शास्त्र के प्रतिः शुद्ध निष्ठापूर्वकं अनुराग रखना। १४. आवश्यक किया को न छोड़ना (सामायिकादि छः आवश्यकों का पालन करना)। १५. मोक्षमार्ग की प्रभावना (आत्मा के कल्याण के मार्ग को अपने जीवन में उतारना तथा दूसरों को उसका उपदेश देकर धर्म का प्रभाव बढ़ाना)। १६. प्रवचनवात्सल्य (वीतराग सर्वक्ष के वचनों पर स्नेह-अनन्य अनुराग होना)।

इन उपर्युक्त कार्यों में से एक अथवा अधिक कार्यों को करने से जीव तीर्यंकर पद को प्राप्त करने योग्य कर्म का बन्धन करता है। इस कर्म का नाम हैतीर्यंकर नामकर्म।

बीस स्थानकों का वर्णन ज्ञाताधर्म कथांग आदि आगमों में—
"अरिहंत-सिद्ध-पवयण-गुरु-थेर-बहुस्सुय-तवस्सीसु ।
वच्छल्लया य तेसि अभिक्खणाणीवओगे य ॥१॥
दंसव विगए आवस्सए ध सीलव्यए निरद्दधारे ।
खगलव तवाव्वियाए वेयावच्चे समाही य ॥२॥
अप्युव्यणाण गहणे सुयभती पवयणे पभावणया ।
एएहिं कारणेहि तित्थयरसं लहइ जीवो ॥३॥
(ज्ञाताधर्म कथांग अ०८ सूत्र ६४)

अर्थात्—१—अरिहंतभिक्त, २-सिद्धभिक्ति, ३-प्रवचनभिक्ति, ४-स्थिवर (आचार्य) भिक्ति, ५-बहुश्रुतभिक्ति, ६—तपस्वी वत्सलता, ७-निरन्तर ज्ञान में उपयोग रखना, ८-दर्शन (सम्यक्त्व) को शुद्ध रखना, ९-बिनय सिह्त होना, १०-सामाधिक आदि छः आवश्यको का पालन करना, ११-अतिचार रिहत शील और व्रतों का पालन करना, १२—संसार को क्षणभंगुर समझना, १३—शिक्त अनुसार तप करना १४-शिक्त अनुसार त्याग (दान) करना, १५-शिक्त अनुसार व्याग (दान) करना, १५-शिक्त अनुसार वर्तीवध संघ की तथा साधु की समाधि करना, (वैसा करना जिससे वे

स्वस्य रहें), १६ — वैयावृत्य करना (गुणवान् यदि कठिनाई में पड़े हीं तो उन्हें कठिनाई से दूर करने का प्रयत्न करना), १७ — अपूर्व (नये-नये) ज्ञान को ग्रहण करना, १८ — हास्त्र में मक्ति होना, १९ — प्रवचन में भक्ति होना, २० — तीर्यंकर के सिद्धान्तों का प्रचार करना। इन कारणों से जीव तीर्यंकर नामकर्म का बन्धन करता है।

तत्त्वार्थसूत्र में १६ कारण तथा आगम-जाताधर्म कथांग में २० कारण तीर्थंकर नामकर्म बांधने के दिये हैं। दोनों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं हैं। सूत्रकार ने नं० १०-११-१३ में अरिहन्त-आचार्य- बहुश्रुत-शास्त्र को, आगम ने १-२-३-४-५-६-७ अरिहन्त --सिद्ध-प्रवचन- आचार्य-स्थितर-बहुश्रुत-तपस्वी इस प्रकार विस्तार में सात भेद कर दिये हैं। इसी प्रकार आगमकार ने १७-१८ अपूर्व ज्ञान को ग्रहण करना, तथा शास्त्रमित दो भेद किये हैं, जबिक सूत्रकार ने शास्त्रमित में इन दोनो का समावेश करके १६ भेद कर दिये हैं।

तीर्थंकर नामकर्म के उपार्जन करने के लिए जो-जो भावनाएं बतलाई गयी है उन सब भावनाओं में सूत्रकार ने "दर्शनविशुद्धि" को सर्व-प्रथम रखा है। इससे यह बतलाया है कि इन बीस अथवा सोलह भावनाओं में से "दर्शनविशुद्धि" मुख्य है। इसके अभाव में दूसरी सब भावनाए हों तो भी "तीर्थंकर नाम" का उपार्जन नहीं हो सकता और इसके सद्भाव में दूसरी भावनाएं हों अथवा न हों तो भी तीर्थंकर नामकर्म का उपार्जन हो सकता है। (अर्थात्—यदि जीव को जिनोपदिष्ट धर्म में सच्चा अनुराग हो तो ही तीर्थंकर गोत्र का आस्त्रव होना संभव है)।

शास्त्रों में तीर्थंकर नामकर्म के आस्रव के उपर्युक्त दानादि अलग-अलग कारण जो बतलाये हैं, उनका अभिप्राय यही है कि जीव सम्यग्दर्शन

१—नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा । अमुणिस्स नित्य मोक्खो, नित्य अमोक्खस्स निव्याणं ॥ (उत्तराध्ययन अ० २८ सू० ३०)

को प्राप्त करने के पश्चात् नीस अथना तोस्नह माननाओं में से किसी भी एक-दो अयना अधिक भाननाओं के द्वारा तीर्यंकर नामकर्म का जपार्जन कर सकता है। सम्यग्दर्शन के अभान से मिण्यादृष्टि अन्य किन्हीं भी भावनाओं को आचरण में लाता हुआ कदापि तीर्यंकर नामकर्म उपार्जन नहीं कर सकता।

तीर्थंकर मगवान् का संक्षिप्त आचार तथा विचार जानने के लिए देखें प्रथम खण्ड में स्तम्म नं० ४ से ७ तक । इन सब स्तम्मों को पढ़ने से पाठक स्वयं जान सकेंगे कि तीर्थंकरदेव सर्वज्ञ-सर्वेदर्शी मगवान् महाबीर स्वामी के आचारों तथा विचारों का अवलोकन करने से यह बात स्पष्ट है कि व कभी भी माँसाहार को ग्रहण नहीं कर सकते थे।

निग्रंथ श्रमण (मुनि) तथा निग्रंथ श्रमणोपासक (श्रावक) का ग्राचार

इस निबन्ध के प्रथम खण्ड में स्तम्भ नं० २ से ७ तक हस देख चुके हैं कि १—जैन ती गँकर के आचार, २—निर्मन्य श्रमण, तथा ३— निर्म थ श्रावक-श्राविकाओं (तीनों) के आचार-विचार से यह बात स्पष्ट है कि जैन दर्शन तथा आचार को सम्यग्जान पूर्वक चारित्र में उतारने वाला कोई भी व्यक्ति—फिर वह चाहे तीर्यकर हो, श्रमण हो अथवा व्यत्यारी श्रावक हो—कदापि मत्स्य-मांस-मदिरा आदि पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता। इन पदार्थों को जैनागमों में अभक्ष्य कहा है और ऐसे अभक्ष्य पदार्थों के सेवन का सर्वत्र निषेध किया है। इनका औषध रूप में भी तीर्यंकर अथवा निर्मन्य श्रमण प्रयोग नहीं कर सकते।

इस ग्रौषध को सेवन करने वाले, श्रौषध लाने वाले तथा ग्रोषध बनाने ग्रौर देने वाली का जीवन परिचय

१—-वीतराग, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, तीर्थकर भगवान् वर्धमान-महाबीर स्वामी ने रक्त-पित्त (पेचिश) तथा पित्तज्वर की व्याधि को मिटाने के लिए इस औषध का सेवन किया। २— निर्धंथ श्रमण सिंह ने यह औषध लाकर दी। ३—रेवती श्राविका ने इस औषध को अपने घरके लिए बनाया और सिंह मुनि को भगवान् महावीर के रोगशमन के लिए प्रदान किया।

१---सर्व प्रथम श्रमण भगवान् महावीर के सम्बन्ध में विचार करते हैं--

भगवान् महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दोनों श्रमण संप्रदाय के समर्थक थे। फिर भी दोनों के अन्तरको जाने बिना हम उनके आचार-विचार सम्बन्धी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।

(क) पहला अन्तर तो यह है कि बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण से लेकर अपना नया मार्ग-धर्मचक प्रवर्तन किया, तब तक के छः वर्षों में उस समय प्रचलित भिन्न-भिन्न तपस्वी और योगी संप्रदायों का एक-एक करके स्वीकार-परित्याग किया। अन्त में अपने विचारों के अनुकूल एक नया ही मार्ग स्थापित किया। जबिक महावीर को कुलपरम्परा से जो धर्म-मार्ग प्राप्त था वह उसे लेकर आगे बढ़े और उस धर्म में अपनी साहजिक विशिष्ट ज्ञानदृष्टि और देश व कालकी परिस्थिति के अनुसार सुधार या धर्दि की। बुद्ध का मार्ग नया धर्म-स्थापन था तो महावीर का मार्ग प्राचीन काल से चले आते हुए जैनधर्म को पुनःसंस्कृत करने का था।

- (स) बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से पहले निर्मन्थवर्षा के अमुसार तपश्चर्या की, बाद में इससे ऊब कर उन्होंने तपश्चर्या का त्याग कर दिया और तत्पश्चार्त बुद्धत्व प्राप्ति उद्घोषणा करके नये पंथ की स्थापना की। तब उन्होंने निर्मन्थों के तपप्रधान आचारों की अवहेलना भी की और कड़ी आलोचना भी की। भगवान् महावीर के माता-पिता तथा मामा महाराजा चेटक आदि तीर्थंकर भगवान् पाइवंनाथ के उपासक थे। यानी भगवान् महावीर का पितृधर्म पाइवंपित्यक निर्मंथों का था। उन्होंने कहीं भी निर्मथों के मौलिक आचार एवं तत्त्वज्ञान की जरा भी अवहेलना नहीं की है। प्रत्युत निर्मथों के परम्परागत उन्हीं आचार-विचारों को अपनाकर अपने जीवन के द्वारा उन का संशोधन, परिवर्तन एवं प्रचार किया है।
- (ग) भगवान् महावीर ने मत्स्य-मांसाहार आदि अमध्य पदार्थी का सर्वथा निषेध किया है और निर्मंथ श्रमण को नवकोटिक अहिंसा पालन करने के लिए फ्रमाया है, यही कारण है कि निर्मंथ श्रमण तथा निर्मंथ श्रमणोपासक (जैन श्रावक) आज भी कट्टर निरामिषाहारी हैं। जबकि बौद्ध मृत-मांस का निषेध नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप आज का बौद्ध जगत् प्राय: सर्व प्राणियों का मांम-मक्षक दृष्टिगोचर हो रहा है।
- (घ) भगवान् महावीर के समस्त साधकजीवन में ऑहसा-संयमतप ये तीनों बाते मुख्य हैं। इनकी सिद्धि के लिए उन्होंने बारह वर्षों
 तक जो प्रयत्न किया और उसमें जिस तत्परता तथा अप्रमाद का परिचय
 दिया वैसा आज तक की तपस्या के इतिहास में किसी व्यक्ति ने दिया
 हो यह दिखाई नहीं देता। परन्तु बुद्ध ने इसी तप को देह दु:स और
 देहदंडन कहकर उसकी अवहेलना की है; क्योंकि बुद्ध ने अपनी शक्ति का
 विचार किये बिना एवं देखा-देखी तप द्वारा शुष्क देह-दमन किया
 था। जिसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध की सहनकीलता में कमी
 आयी, और तप को छोड़ कर मध्यम मागं की स्थापना करने के लिए

षाध्य होना पड़ा, जिससे उनके जीवन में न तो स्नान-पान सम्बन्धी संयम ही रहा और न तप ही रहा। जिसके परिणाम स्वरूप वे अहिसा-सरव से अधिकाधिक दूर होते गये।

परन्तु महावीर का तप शुष्क देहदमन नहीं था। वे जानते थे कि यदि तप के अभाव से सहनशीलता कम हुई तो दूसरों की सुख-सुविधा की आहुति देकर अपनी सुख-सुविधा बढ़ाने की लालसा बढ़ेगी और उसका फल यह होगा कि सयम न रह पायेगा। इसी प्रकार संयम के अभाव मे कोरा तप भी देहकष्ट की तरह निर्यंक है।

- (ङ) ज्यों-ज्यों भगवान् महावीर संयम और तप की उत्कटता से अपने आप को निखारते गये, त्यों-त्यों वे अहिसातस्य के अधिकाधिक निकट पहुंचते गये, त्यों-त्यों उनकी गम्भीर शांति बढने लगी और उसका प्रभाव आस-पास के लोगों पर अपने आप पड़ने लगा। मानम शास्त्र के नियम के अनुसार एक व्यक्ति के अन्दर बलवान होने वाली वृत्ति का प्रभाव आस-पास के लोगों पर जान-अनजान में हुए विना नहीं रहता। परन्तु बुद्ध तप और संयम को त्याग देने के कारण अहिंसा तत्त्व को पूर्ण रूप से अपने जीवन में उतारने में असमर्थ रहे। उनका अहिंसा तत्त्व उपदेश मात्र बन कर रह गया। परन्तु अपने और अपने अनुयायियों के बाचरण में इसे पूर्ण रूप से न उतार सके। अतः इनका यह अहिंसा सिद्धांत कोषा होकर रह गया।
- (च) अहिंसा का सार्वभीम धर्म दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीर में परिप्लृत हो गया था, तब उनके सार्वजिनिक जीवन के प्रभाव से मगब और विदेह देश का पूर्वकालीन मिलन वायुमंडल धीरे-धीरे शुद्ध होने लगा और वेद विहित पशु-बली-यज्ञों को सदा के लिए देश-निकाला मिल बया। माँसाहारियों की संख्या में एकदम कमी होने लगी। जो लोग माँसाहारी थे उनको जन साधारण अवहेलना की दृष्टि से देखने लगे। उस समय के अन्य संप्रदायों पर आपके ऑहसा धर्म की गहरी छाप पड़ी

ची। बुद्ध के मध्यम मार्ग का प्रचार पशु-यज्ञों को बन्द कराने में सफल तो हुआ परन्तु मौसाहार के प्रचार को न रोक सका और स्वयं भी मौसा-हारी वन गया।

- (छ) भगवान् महाबीर ने त्याग और तपस्या के नाम पर रूढ़ शिथिलाचार के स्थान पर सच्चे त्याग और सच्ची तपस्या की प्रतिष्ठा करके भोग की जगह योग के महत्त्व का वायुमंडल चारों और उत्पन्न किया। परन्तु बुद्ध ने सच्चे त्याग और तप को न समझने के कारण इनकी अवहेलना कर स्थान-स्थान पर कड़ी आलोचना की हैं।
- (ज) निग्नंथ तपस्या के खंडन करने के पीछे बुद्ध की दृष्टि मुख्य यही रही है कि तप यह कायक्लेश है, इन्द्रिय और देहदमन मात्र है; उसके द्वारा दु:ख सहन करने का अभ्यास तो बढ़ता है लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक शुद्धि और चित्तक्लेश का निवारण नहीं होता इसलिए देहदमन या कायक्लेश मिण्या है।

भगवान् महावीर ने भी यही कहा है कि देहदमन या कायक्लेश कितना हो उग्र क्यों न हो पर यदि उसका उपयोग आध्यात्मिक शुद्धि और चित्तक्लेश के निवारण में नहीं होता तो वह देहदमन या कायक्लेश मिथ्या है।

इस का मतलब तो यही हुआ कि आध्यात्मिक शुद्धि के बिना सम्बन्ध वाली तपस्या भगवान् महावीर को भी अभीष्ट नहीं थी।

भगवान् महावीर और बुद्ध की ऐसी समान मान्यता होते हुए भी बुद्ध ने निर्प्रन्थ तपस्या का खण्डन अथवा कड़ी आलोचना क्यों की इसक विचार करना भी जरूरी है।

(झ) अपनी शिथिलता के कारण जब बुद्ध को त्याग और तपमय आचार को त्याग कर अपने आचार-विचारों सम्बन्धी नये सुझावों की अधिक-से-अधिक लोकग्राह्म बनाने का प्रयत्न करना था, तब उनके लिखे ऐसा किये बिना नया संघ एकत्र करना और उसे स्थिर रखना असम्मव था। क्योंकि उस समय निर्प्रत्थ परम्परा का बहुत प्राधान्य था। उनके तप और स्थान से जनता आकृष्ट होती थी, जिससे निर्प्रत्थों के प्रति उनका अधिक कृकाव व बौद्ध धर्मानुयायियों में आचार की शिथिलता को देखकर वह प्रश्न कर उठती थी कि आप तप की अवहेलना क्यों करते हैं? तब बुद्ध को अपने शिथिलाचार की पुष्टि के लिये अपने पक्ष की सफाई भी पेश करनी थी और लोगों को अपने मन्तव्यों की तरफ खेंचना भी था। इस लिये वे निर्प्रत्थों की आध्यारिमक तपस्या को केवल कष्टमात्र और देहदमन बतला कर कड़ी आलोचना करने लगे।

(ब) भगवान् महावीर ने जीवात्मा को चैतन्यमय स्वतन्त्र तत्त्व माना है। अनादिकाल से यह जीवात्मा कर्मबन्धनों में जकड़ी हुई आवाग्यमन के चक्कर मे फैंसी हुई पुनः-पुनः पूर्व देह त्यागरूप मृत्यु तथा नवीन देह प्राप्तिरूप जन्म धारण करती है। जीवात्मा शाव्वत है, इसमें चेतना रूप जान-दर्शनमय गुण हैं और कर्मों को क्षय करके शुद्ध पवित्र अवस्था को प्राप्त कर निर्वाण अवस्था प्राप्त कर सदा के लिये जन्ममरणरहित होकर शुद्ध स्वरूप मे परमात्मा बन जाती है। अतः आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, परलोक आदि को मानकर जैन दर्शन ने आत्मा है, परलोक है, प्राणी अपने शुभाशुभ कर्म के अनुसार फल भोगता है', इत्यादि सिद्धान्त स्वीकार किया है। भगवान् महावीर के तत्त्वज्ञान का परिचय हम प्रथम खण्ड के पाँचवे स्तम्भ मे लिख आये हैं। उससे हमें स्पष्ट जात होता है कि ऐसे विचार वाला व्यक्ति किसी भी प्राणी का मांस भक्षण नहीं कर सकता।

परन्तु बुद्ध ने क्षण-क्षण परिवर्तनशील मन के परे किसी भी जीवात्मा को नहीं माना। मरने का मतलब है मनका च्युत होना। बौद्ध दर्शन अपने आप को अनात्मवादी और अनीश्वरवादी मानता है। उसका कहना है कि "आत्मा कोई नित्य वस्तु नहीं है परन्तु खास कारणों से स्कंधों (भूत, मन) के ही योग से उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतों की भांति क्षण-क्षण उत्पन्न और विलीन हो रही है। चित्त, विज्ञान, आत्मा एक ही चीख़ है। जिस प्रकार चक्षु, श्रोत्र, जिह्ना, घ्राण और त्वक् इंग्नियों को हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वैसे मन को नहीं। हमें मन की सत्ता क्यों स्वीकार करनी पड़ती है ? आंखें इमली देखती हैं और जिह्ना से पानी टपकने लगता है। नाक दुर्गन्ध सूँ बती है और हाथ नाक पर पहुँच जाता है। आप देखते हैं, आंख और जिह्ना एक नहीं है, न वे एक दूसरे से मिली हुई हैं। इस लिए इन दोनों के मिलाने के लिए एक तीसरी इन्द्रिय चाहिये, और वह है मन। उक्त कारण से चक्षु आदि इन्द्रियों के अतिरिक्त हमें उन के संयोजक एक भीतरी इन्द्रिय को मानने की खरूरत पड़ती है, जिसे मन कहते है। इससे परे आत्मा की क्या आवश्यकता ? इत्यादि।" (बौद्ध दर्शन—राहुल सांकृत्यायन कृत)

विचार के अनुसार ही आचार होता हैं। बौद्ध दर्शन मानता है कि आतमा नहीं है, परमात्मा नहीं है। आतमा नहीं तो कर्मबन्ध, पाप-पुण्य, परलोक-गमनादि किस का होता है ?——इत्यादि प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी उनके लिये असंभव था। इसी लिए बुद्ध ने इन सब को अकथनीय कह कर टाल दिया था।

बुद्ध से जब लोग प्रश्न करते थे कि (१) क्या लोक है ? (२) क्या लोक अनित्य है ? (३) क्या लोक अन्तवान है ? (४) क्या लोक अन्तव है ? (५) क्या जीव और शरीर एक है ? (६) क्या जीव दूसरा और शरीर दूसरा है ? (७) क्या मरने के बाद तथागत बुद्ध मुक्त होते हैं ? (८) क्या मरने के बाद तथागत बुद्ध मुक्त होते हैं ? (८) क्या मरने के बाद तथागत बुद्ध होते भी हैं, नहीं भी होते ? (१०) क्या मरने के बाद तथागत न होते है, न नहीं होते ? ये प्रश्न बुद्ध से मालुक्य पुत्र ने किये थे। यदि भगवान जानते है तो बतलावे। यदि नहीं जानते तो न जानने समक्षाने वाले के लिए यही सीधी बात है कि वह साफ कह दे-में नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम (म० नि०२/२३॥)। बुद्ध ने उत्तर दिया—ये दस् अकथनीय हैं। यदि बुद्ध े आत्मा-परमात्मा-परलोक आदि माने होते और उनका स्वरूप वे जानते होते तो इन्हें अकथनीय कह कर टाल न देते, परन्तु

उनका स्वरूप बतलाते ।

संमवतः बौद्धों में मृत मांस के प्रचार पाने का यही कारण प्रतीत होता है कि उनके वहाँ आत्मा को स्वतंत्र तत्त्व न मान कर पांच स्कत्वों का समूह रूप माना है; जिससे कि देहाबसान के पश्चात् प्राणी के मृत मांस को अस्य मान लिया गया होगा! जो हो।

परन्तु जैन तीर्थंकर भगवन्तों ने प्राणियों के मृत कलेवर को भी असंस्थात कीटाणुओं का पुंज मान कर सजीव माना है। और मांस मृत प्राणी के अरीर का होता है, फिर चाहे वह प्राणी किसी के द्वारा मारा गया हो अथवा अपने आप मरा हो, अतः मास असंस्थ जीवित कीटाणुओं का पुंज होने से उसका भक्षण करने से महान् हिंसा का दोष लगता है, इस लिए जैन दर्शन ने इसे सर्वथा अभक्ष्य मान कर त्याज्य किया है। क्योंकि जैनदर्शन मानता है कि आत्मा है, परमात्मा है, परलोक है. प्राणी अपने शुम-अशुभ कर्म के अनुसार फल भोगता है।

साराश यह है कि श्रमण भगवान महावीर के जीवन और उपदेश का संक्षिप्त रहस्य दो बातों में आजाता है:—आचार मे पूर्ण अहिमा और तत्त्वज्ञान मे अनेकान्त, जिसके द्वारा उन्होंने घार्मिक और सामाजिक कान्ति कर भारत पर महान उपकार किया है, जो कि भारतवर्ष के मानसिक जगत में अब तक जागृत अहिमा, संयम और तप के अनुराग के रूप में खीवित है।

भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध आत्मसाधना के एक ही प्रव के दो पथिक थे। महात्मा बुद्ध अपने पथ से भटक गये और भगवान महा-वीर उस पथ को पार कर मफलता प्राप्त कर गये।

२---भगवान् महाबीर की आज्ञा से औषष लाने वाले का आचार।

इस औषघ को लाने की आजा देने वाले श्रमण भगवान महावीर हैं और लाने वाले पांच महाजलघारी महान् तपस्वी मुनि श्री सिंह हैं, जो मनसा-वाचा-कर्मणा हिंसा तथा मांस भक्षण के विरोधी हैं (देखें निर्मन्थ श्रमण का आचार, स्तम्भ नं३ में); स्वयं अहिंसा के महान् उपदेशक तथा स्वयं उसे आचरण में लाने वाले भी हैं। यदि उपदेशक किसी सिद्धान्त का उपदेश तो करे, किन्तु उसे अपने आवरण में न उतारे तो उस सिद्धान्त का और उस सिद्धान्त के प्रचारक का जनसमाज पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता, [गीतम बुद्ध ने अहिंसा का प्रचार तो किया, किन्तु स्वयं मांसाहार का त्याग नहीं किया, फलतः आज भी बौद्ध धर्मावलिम्बयों में मांसाहार प्रायः सर्वत्र प्रचलित है]। हम लिख आये हैं कि भगवान् महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया और साथ हो जीवन में भी ओत-प्रोतकर अहिंसा का पूर्णरूपेण पालन किया। फलतः आज भी जैनधर्मावलिम्बयों में मत्स्य-मांस-मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन पूर्ण रूप से त्याज्य है।

जैन तीर्थ क्करों तथा निर्म्रन्थ श्रमणों के आचारों को समझ लेने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी आदर्श अहिंसा के उपदेशक तथा प्रतिपालक सिंह नामक निर्म्रन्थ श्रमण मांमाहार न तो ला ही सकते थे और न ही श्रमण भगवान् महाबीर उसे लाने की आजा ही दे सकते थे।

३-औषव बनाने तथा देने वाली रेवती भाविका का व्यवहारिक बीचन

मुनि सिंह उस औषघ को किसी कसाई अयवा यज्ञस्यल से नहीं लाये थे और नहीं किसी मासाहारी के वहाँ से लाये थे। वह तो उसे एक उत्कृष्ट जैन श्राविका (श्रमणोपासिका) के घर से लाये थे, जिसका नाम था रेवती, जो कि एक घनाइय सेठ की मार्या थी।

इस रेवती का वर्णन प्राचीन जैनागम शास्त्रों में इस प्रकार पाया जाता है।

१—"समणस्स भगवओ महावीरस्स मुलसा-रेषद्र पामुक्साणं समणो-बासियाणं तिन्नि सयसहस्सीओ अट्ठारस सहस्सा उक्कोसिया सम-णोवासियाणं संपया हत्या" (श्री कल्प-सूत्र वीर चरित्रे)

२--- "तएणं तीए रेवतीए गाहाबद्दणीए तेणं बध्वसुद्धेण जाव-दाणेण सीहे अणगारे पडिलाभिए समाणे वेवाउए निबद्धे, जहा विजयस्स जाव जम्म-जीवियफले रेवती गाहाबद्दणीए।"

(भगवतीसूत्र शतक १५)

३--- "समणस्स णं भगवतो महाबीरस्स तित्यस्म णवहि जीवेहि तित्यय-

रजाम-गोले जं कम्मे जिञ्जतिते, (१) सेजितेजं, (२) सुपासेजं, (३) उदातिजा (४) पोट्टिलेजं अजगारेजं, (५) दढाउजा, (६) संखेजं, (७) सत्तगेजं, (८) सुलसाए, (९) साविकाते रेवतीते"।

(ठाणांग सूत्र सू० ६९१)

श्रीअभयदेवसूरिकृत टीका:--

"तथा रेवती भगवत औषधवात्रीरेवती च बहुमानं कृतार्थमात्मानं मन्यमाना यथायाचितं तत्पात्रे प्रक्षिप्तवती। तेनाप्यानीय तद् भगवतो हस्ते विसृष्टं। भगवतापि वीतरागतयंवीवरकोष्ठे निक्षिप्तं, ततस्तत्सणमेव क्षीणो रोगो जातः" (ठाणांग सूत्र पाठ को टीका)

अर्थात्—१—श्रमण भगवान् महावीर की मुलसा, रेवती प्रमुख तीन लाख अठारह हजार श्राविकाओं की उत्क्रुब्ट संख्या थी।

२ — उनमें से गृहपित की भार्या रेवती श्राविका ने सिंह अनगार को शुद्ध द्रव्य दान देने से देवायु का बन्ध किया और जन्म-मरण रूप संसार का भी अन्त किया (मोक्ष प्राप्त करेगी)

३-श्रमण भगवान् महावीर के जीवनकाल मे उनके तीर्थ में नौ प्राणियों ने तीर्थकर नामगोत्र का बन्ध किया। जिनके नाम हैं--(१) श्रेणिक, (२) सुपार्थ्व, (३) उदार्या, (४) पोट्टिल अनगार, (५) दृढ़ायु, (६) शंख, (७) शतक, (८) सुलसा तथा (९) श्राविका रेक्ती।

इन में से आविका रेवती, जो कि (निग्गंठ नायपुत्त) श्रमण भगवान् महावीर को औषध दान देने वाली थी। उस औषध दान देने के कारण उसने तीर्थं कर नामकर्म का उपार्जन किया—यानी जिस कर्म के प्रभाव से अगले जन्म में वह तीर्थं कर पद प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करेगी। ऐसी रेवती श्राविका ने अपने आप को कृतार्थ मानते हुए सिंह मुनि (अनगार) के द्वारा मांगी हुई औषध को मुनि के पात्र में डाल दिया। उस मुनि ने भी (वह औषध) ला कर भगवान् के हाथों में रख दी। श्रमण भगवान् महावीर ने भी वीतरागता पूर्वक उसे खाया और उन का रोग शान्त हुआ। हम तीर्थंकर नामकर्म उपार्जन करने के लिये सोलह अथवा बीस भावनाओं का उल्लेख कर आये हैं। श्राविका रेवती की जीवनचर्या का अवलोकन करने से इन भावनाओं में से निम्न लिखित भावनाओं का सद्भाव दान देते समय उस में था, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है:—

१---दर्शन विशुद्धि, २--अर्हत् मिन्ति, ३--शील तथा बारह ब्रतीं का पालन, ४---विनयसम्पन्नता, ५---त्याग (दान देना), ६--वैयावृत्य, ७---साधुसमाधिकरण; इत्यादि ।

रेवती श्राविका के इस उपर्युक्त विवरण से यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि -- (१) वह एक श्रेष्ठ श्रमणीपासिका (१२ वत धारिणी श्राविका) थी। (२) निग्गंठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महादीर) के लिये सिंह अनगार (निर्म्रथ) को शुद्ध इन्य से तैयार की गयी औषध का दान देने के प्रभाव से तीर्थकर नाम कर्म का उपार्जन किया।(३)मृत्यु उपरान्त देव लोक में गयी। (४)श्राविका उन प्रमुख श्राविकाओं में से एक थी, जो श्रमण भगवान महावीर की तीन लाख अठारह हजार उत्कृष्ट श्राविकाएं थी। इस पर से तथा स्तम्भ नं० २ में हम श्रावक-श्राविकाओं के आचार का जो विवरण दे आये हैं उस पर से यह स्पष्ट जान सकते हैं कि ऐसे आचार वाली रेवती आविका मत्स्य-माँस-मदिरा इत्यादि सब प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं की स्वयं त्यागिनी थी, क्यों कि उसे अर्हत्-वचन पर दृढ़ श्रद्धा थी और उसने बारह वतों को ग्रहण करते समय श्रावक के सातवें "भोगोपभोग परिमाण" वत में इन अमध्य वस्तुओं का त्याग कर दिया था। वह यह भी जानती थी कि न तो अर्हत-प्रवचन में श्रावक-श्राविका को मांसाहार बनाने की आज्ञा है, न ही तीर्थंकर देव मांसाहार ग्रहण करते हैं, तथा निर्पय श्रमणों को भी मासाहार छेनें एवं करने की मनाही है। कहने का आशय यह है कि सात कुव्यसनों की त्यागिनी तथा बारह वत-धारिणी होने के नाते मांस खरीद कर अथवा उठा कर न ला सकती थी, न पका सकती थी, और न ही स्वयं खा सकती थी। न ही निर्ग्रंथ मुनि तथा तीर्यंकर के लिये मांसाहार दे सकती थी, वह यह भी भली-भांति जानती की कि अहुंच् प्रवक्त में मांसाहार को श्रमण समवान् महावीर ने नरक का कारण वसलाया है। मांस खाने वाले, लाने वाले तथा बनाने वाले सब को श्रातक (कसाई) की कोटि में गिना है। तथा यह भी बात निःसन्देह है कि को रोग निग्गंठ नायपुत्त (श्रमण भगवान महावीर) को इस समय बा, जिस रोग के शमन के लिये यह औषघ दान दो गयी थी, उस रोग में मांसाहार अत्यन्त हानिकारक है। पेसे विचारों से सम्पन्न तथा श्राविका. के श्रेष्ठ चारित्र (त्रतों) से अलंकत रेवती श्राविका मांसाहार बनाए, वह स्वयं खाये अथवा परिवार को बना कर खिलाये, तीर्थं कर के लिये दे और मुनि को दान में दे, यह कदापि संभव नहीं हो सकता। तथा बासाहार के दान से तीर्थं कर नामकर्म का उपार्जन करे एवं मृत्यु उपरान्त देव गति प्राप्त करे, ये सब बाते जैन सिद्धान्त के तो विरुद्ध है ही। साथ ही इस रोग के लिये भी मांस हानिकारक होने से इस औषध दान को मांसाहार के दान की कल्पना करना नितान्त अनुचित है।

श्रमण भगवान् महाबीर जैसे महान् संयमी और महान् तपस्वी, जिन्हों ने तप और संयम की साधक अवस्था में घोरातिघोर उपसर्गों तथा परीषहों को बीतराग भाव से सहन किया, नवकोटिक अहिसा को अपनी आतमा में एकाकार करके विश्व के सामने एक महान् आदर्श उपस्थित किया, ऐसे करणासागर, महान् अहिंसक निग्गंठ नायपुत्त (भगवान वर्षमान-महावीर)न तो मांसाहार स्वीकार कर सकते थे और न ही सिंह अनगार को लाने के लिये आजा दे सकते थे।

१--इस बात का स्पष्टीकरण आगे करेंगे।

मांसाहारी प्रदेशों में रहने वाले जैनधर्मावलिष्ययों का जीवनसंस्कार तथा उनके प्रभाव वाले प्रदेशों में अन्य धर्मावलिष्वयों पर उनका प्रभाव

१--भगवान् महाबीर की आदर्श्व अहिसा का ही यह प्रभाव है कि मूतकाल में अथवा वर्त्तमान काल में मांसाहारी प्रदेशों में भी निकास करने वाले जैनवमविलम्बी आज भी कट्टर निरामिषाहारी हैं।

२—जो जातियाँ हजारों-सैंकड़ों वर्ष पहले जैन धर्म को मानती थीं और बाद में निर्प्रथ श्रमणों के विहार उन प्रदेशों में न होने से सैंकड़ों वर्षों से जैन धर्म को भूल कर अन्य संप्रदायों मे मिल चुकी है, परन्तु उनके वंशजों को अपने पूर्वजों के जैन होने का ज्ञान है, वे सराकादि जातियाँ बंगाल-बिहार जैसे आज के मांसाहारी प्रदेशों में रहते हुए भी कट्टर निरामिषाहारी है। रात्रिभोजन की भी त्यागी हैं, मद्य-मांस-मत्स्य आदि सात कुव्यसनों को भी त्यागी है, भगवान् पार्वनाथ को अपना कुलदेवता मान कर उनकी पूजा-उपासना भो करती हैं, मार्गानुसारी के गुणों के पालन में भी तत्पर रहती हैं, इसलिये इन्हें आज भी इस बात का गर्व है कि वे आज तक किसी भी फौजदारी अपराध से दंडित नहीं हुई।

३—तथा जहाँ-जहाँ पर जैन धर्मावलिम्बयों का आज भी प्रभाव हैं वहाँ रहने वाली वैष्णव, शैव आदि जातियाँ ऐसी हैं जो जैन धर्मानुयायी न होते हुए भी कड़र निरामिषाहारी हैं।

४—आज से हजारों-सेंकड़ों वर्ष पहले कई मांसांशी जातियों को कई निर्म्रथों ने जैन घर्म में अहिसामयी दीक्षा दे कर श्रीसवाल, खंडेलवाल,

स्त्रीमाल, पोरवाल आदि वर्गों की स्थापना की, जो तब से लेकर आज बक कट्टर निरामिषाहारी हैं।

५--मारवाड़, मेवाड़, गुजरात आदि प्रदेशों में जहां पर अनेक गीतार्थ निर्मंथों ने जैनवर्म का अनेक शताब्दियों तक प्रचार किया, उनके उपदेशों के प्रभाव से इन सब प्रदेशों की अधिकतर जनता निरामिषाहारी है।

इस से नि संकोच स्वीकार करना पड़ता है कि श्रमण भगवान् महावीर स्वामी (निग्गंठ नायपुत्त) की अहिंसा मे यदि मत्स्य-मांस आदि अभस्य पदार्थों के भक्षण करने की आज्ञा होती तो जैनधर्मावलम्बी तथा उन के प्रभाव वाले क्षेत्र में भी आज मत्स्य-मांस आदि अभस्य पदार्थ भक्षण करने की शिथलता आये बिना कदापि न रहती।

ग्रन्य तीर्थिकों (जैनेतरों) द्वारा जैनधर्म सम्बन्धी ग्रालोचना में मांसाहार के ग्राक्षेप का ग्रभाव

अपने-अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए प्रायः सभी धर्मावलम्बी अन्य धर्मों की उचित अथवा अनुचित आलोचना करते पाये जाते हैं। इसी भावना के कारण ही "न्याय-तर्क शास्त्रों का निर्माण हुआ। यदि जैन धर्मानुयायियों ने अन्य दार्शनिकों की आलोचना की है. तो अन्य दार्शनिकों ने भी जैनधर्म की आलोचना की है।

१—बौद्धों ने जैनों की तपश्चर्या तथा अनेकान्त आदि सिद्धान्तों की गलत व्याख्याएं करके इन सिद्धान्तों का अपने ढंग से खण्डन किया है। किन्तु जैनों पर मत्स्य-माँस-मदिरा आदि के खान-पान का अथवा उनका उपयोग करने का कहीं भी आक्षेप नहीं किया।

२—वैदिक विद्वानों ने जैनों के याज्ञिकहिंसा विरोध के बचाव के लिए उन पर ेतो आक्षेप किये हैं कि यदि यज्ञ में की जाने बाली पशु-हिंसा, जो कि धार्मिक मानी जाती है पापमूलक है तो तुम जैन लोग उपाश्र्य, मंदिर आदि निर्माण, देवपूजा आदि धार्मिक कृत्यों में होने वाली हिंसा को अहिंसक रूप में कैसे समावेश कर सकागे? इसके साथ ही स्याद्वाद आदि सिद्धान्तों की भी अपने ढंग से व्याख्या करके कड़ी आलोचना की है। किन्तु उस समय के विद्वानों ने जैनों पर मत्स्य-माँस-मदिरा आदि अभक्ष्य पदार्थों के आहार करने का आक्षेप बिल्कुल नहीं किया।

३—यदि कोई ऐसा तर्क करे कि शायद जैनों का साहित्य अन्य धर्मावलम्बियों के हाथ में न गया हो इसल्प्रिए जैनों के मौसाहार की बात उन्हें मालूम न होने से जैनों पर ऐसा आक्षेप न किया ही !

परन्तु प्रथम तो यह बात ही असंभव है कि जैनों के ग्रंथ किसी भी अन्य धर्मावलम्बी ने न देखे-पढ़े हों। बौद्ध पिटकों तथा अन्य संप्रदायों के धर्मग्रंथों से, स्पष्ट पता चलता है कि अनेक निर्मृथ अपूर्णों, ने जैनधर्म को त्याग कर अन्य संप्रदायों को अङ्गीकार किया। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों ने जैन धर्म छोड़ने से पहले जैन शास्त्रों का पठन-पाठन, श्रवण आदि अवस्थ किया ही होगा और निर्मृथचर्या का पालन भी किया ही होगा। अतः वे लोग जैन आचार-विचारों से पूर्णरूपेण परिचित थे। जैनधर्म का त्याग करने के बाद जैनधर्म के प्रति उनका अनादर होना भी निश्चित है। ऐसी अवस्था में यदि जैन तीर्थंकर, निर्मृथ-श्रमण एवं श्रमणोपासकों के मांस-मत्स्यादिभक्षण करने का वर्णन जैनागमों में होता, अथवा वे ऐसा अभस्य भक्षण करने होते, तो इसके लिए जन्य धर्मों को स्वीकार करने वाले जैनधर्म के विरोध में अवस्थ मांसाहार का आक्षेप करते।

दूसरी बात यह है कि इन तर्कवादियों की यह बात मान भी ली जाय कि जैनेतर विद्वानों के हाथ में जैन शास्त्र न आने से वे उन शास्त्रों से पूर्णरूपेण अनिमज्ञ रहे, इसलिए वे लोग जैनधिमयों के मांसाहार करने की आलोचना न कर पाये। इस बात के उत्तर में हमें इतना ही कहना है कि यह बात तो निःसंदेह ही है कि जैनधर्मावलास्वियों के आधरण से तो सब देशवासी परिचित थे। यदि जैनधर्मावलस्वियों में किसी भी समय किसी भी रूप में मांस-मत्स्याहार का प्रचलन होता तो वे जैनों पर इसका अवश्य आक्षेप करते।

४—इसी प्रकार प्राचीन अथवा नवीन जो भी जैनधर्म से अन्य धर्म-सप्रदाय हैं, उन सब ने जैन धर्म की कई बालों की आलोचना की होगी, आक्षेप भी किये होंगे, किन्तु किसी भी धर्म-संप्रदाय के विद्वानों ने जैनो पर मासाहार का आक्षेप कभी नहीं किया।

५--यदि भगवान् महाचीर अथवा उनका निर्मय श्रमण युक्त चतुर्विष

संख मासाहारी होते (चाहे वह फिर अपवाद रूप से अथवा उत्सर्ग रूप से हो) तो यह बात निश्चित है कि अन्य तीर्थिक जैनों पर मासाहार का आक्षेप किये बिना कदापि न रहते; वे अवश्य ही इनकी अवहेलना करते। इयों कि हम देखते हैं कि एक पंथ काला अपने पंथ के प्रचार के क्रिये दूसरे पंथ के मामूलीसे दोष को पान पर उसे बहुत बड़े रूप में बढ़ा चढ़ा कर अथवा ठीक और निर्देश बात को भी उस की विश्वरीत ज्यास्या कर लोगों के समक्ष विकृत रूप में दिखान के लिये कोई कसर बाकी उठा नहीं रखता, जिस से उस धर्म के प्रति घृणा पदा करके जनता को अपनी ओर आकुर्ष्ट किया जा सके। ऐसा खंडन-मंदन प्रायः प्रस्थेक पंथ के दर्शन शास्त्रों में पाया जाता है। तथा अनेक बार ऐसा भी देखा जाता है कि आचार सम्बन्धों भी आलोचना करके उस पंथ के विरोध में प्रचार किया जाता है।

ऐसा होते हुए भी तत्कालीन किसी भी धर्म-संप्रदाय वाले ने जैनों पर मांसाहार का आरोप नहीं लगाया। इस से यह स्पष्ट है कि जैनों में मासाहार का पूर्ण रूप से सदा निषेध चला आ रहा है। उन के इस पवित्र आचार से सब लोग पूरी तरह से परिचित थे। ऐसी अवस्था में उस समय यदि कोई गौपालदास पटेल या धर्मीनन्द को सामबी जैसा व्यक्ति ऐसा आक्षेप करने का दुःसाहम करता भी तो जनता मे उसकी प्रतिष्ठा जमने की वजाय उसे मिथ्या प्रलापी समझकर उसके प्रति अश्रद्धा हो जाना स्वामाविक था। इस से यही फलित होता है कि जैन तीर्यंकर, निम्नंच श्रमणादि चतुर्विध जैनसम कदापि मासाहार नहीं करते थे।

तथागत गौतम बुद्ध की निर्प्रन्थ ग्रवस्था की तपदचर्या में ं मांसाहार को प्रहरण न करने का वर्णन ।

हम इस निबन्ध के प्रथम खण्ड के नवमे स्तम्भ में लिख आये हैं कि
गौतम बृद्ध ने कुछ काल तक निर्मंथ अवस्था में रह कर निर्मंथ परम्पराभान्य तपश्चर्या को किया था। उसमें बृद्ध ने स्वयं कहा है कि में—१——
भान्य तपश्चर्या को किया था। उसमें बृद्ध ने स्वयं कहा है कि में—१——
भारत्य-मांस-सुरा आदि बस्तुए नहीं लेता था। २——बंठे हुए स्थान पर विये
हुए अन्स को और ३——अपने लिये तैयार किये हुए अन्स को ग्रहण नहीं
करता था, इत्यादि। (मण्डिम निकाय महासीहनाद सुत्त)

इससे यह फलित होता है कि १—यदि बुद्ध के समय निर्मय परम्परा मे मासाहार का प्रचार होता तो गौतम बुद्ध निर्मयचर्या का पालन करते सचय के वर्णन मे कदापि यह न कहते कि "में मत्स्य—मांस—सुरा आदि का सेवन नहीं करता था"। २—क्यों कि बुद्ध त्व प्राप्त करने के बाद तो बुद्ध तथा उनके भिक्ष मासाहार करते थे, तब जैन आदि अन्य पंथों वाले, जो इन अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करते थे, वे बौद्धों पर इस शिथिलता के लिये आक्षेप भी किया करते थे। यदि निर्मथ परम्परा में मांसाहार का प्रचार होता तो गौतम बुद्ध अपने बचाव के लिये जैनों को उत्तर में यह अवश्य कहते पाये जाते कि तुम भी तो मासाहार करते हो ? किन्तु ऐसा आक्षेप बौद्ध ग्रंथों से कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । ३—यदि निर्मथ परम्परा में मांमाहार का सर्वथा निषेध न होता तो सम्भवतः गौतम बुद्ध निर्मथ धर्म को त्याग करने की आवश्यकता प्रतीत न करते। उन्होंने निर्मन्थचर्या की इस कठोरता के पालन करने में अपने-आप को असमर्थ पाया; इसलिये उन्हों इन मार्ग को छोड़े विना अन्य कोई उपाय

नहीं वा वे निर्धन्यों से अलग हो कर ही मत्स्य-मास जैसी अंत्रक्ष्य वस्तुओं का भक्षण कर सकते थे।

इस से यह स्पष्ट है कि निर्धन्यंचर्या में मांसाहार की किचिन्मात्र भी मुंजाइश नहीं है।

बौद्ध, कापालिक, वेदधर्मनुयायी तथा अन्य अनेक सम्प्रदाय उस समय मांस-मस्त्यादि भक्षण करने वाले थे, ऐसी अवस्था में यदि कोई ऐसा तर्क करता हो कि जब अन्य धर्मावलम्बी मांस-मस्त्यादि का आहार करते थे तो जैन इस से कैसे बच सकते थे? यह दलील भी इन की युक्तिसगत नहीं है; क्योंकि उस समय अनेक अन्यमतावलम्बी तपस्वी भी जैनों के समान ही मांसाहार नहीं करते थे और इस का पूर्ण रूप से निषेष करते थे, ऐसा हैंम बौद्धग्रंथ सुत्तिपात के चौदहवें आमगंध सुत्त में एक तपस्वी का काश्यप बुद्ध के साथ हुए संवाद से जान सकते हैं। वैसे ही, जैन भी इन अभव्य-भक्षणों से सदा अल्प्ति रहे हैं। तथा मांस-मत्स्य भक्षण के सर्वव्यापी प्रचार के इस युग में, ऐसे गंदे वातावरण में, भी जैन समाज इस से सर्वेषा बची हुई है यह हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण हैं।

अमरा भगवान् महावीर का रोग तथा उसके लिये उपयुक्त भ्रोषध ।

निग्गंट नायपुत्त (श्रमण भगवान महावीर) को चार प्रकार के रोग के — (१) रक्त पित्त, (२) पित्त ज्वर, (३) दाह, तथा (४) रक्तातिसार रोग थे। और ये रोग उन को केवली अवस्था में हुए थे। जो कि उन के बिरोघी गोशालक के द्वारा छोड़ी हुई तेजोलेश्या के स्पर्श से हो गया था। तेजोलेश्या में इतनी प्रवल दाहक शिवत होती है कि उसके लपेट में जो आ जाता है वह भस्म हो जाता है। इसी लिये भगवान् महावीर को इसके स्वश्तें मात्र के प्रभाव से ही ऐसा दाहक रोग हो गया था। इस रोग के उपचार के लिये कौन-सी औषघ उपयुक्त हो सकतो है इस का निर्णय करने से पहले हम पाठकों की जानकारी के लिये इस रोग के कारण, लक्षण तथा वृद्धि के वारण बतला देना चाहते है, ताकि हम जान सके कि निदान में चिकित्सा-शास्त्र की दृष्टि से प्राण्यग मास भक्षण करना लामकारी हो सकता है अथवा वनस्पति से तैयार की हई औषघ ?

१-रक्त-पित्त रोग का रुक्षण, भेंद तथा कारण:--रक्तपित्त त्रिषा प्रोक्तमृध्वंग कफसंगतम् । अषोग माक्ताज्ज्ञेय तद्द्वयेन द्विमागंगम् ॥ १९॥

(सारगथर सहिता प्र० ख० अ०७)

अर्थात-रक्तिपत्त तीन प्रकार का होता है-(१) ऊर्ध्वगामी, (२) अभीगामी, (३) उभयगामी (ऊपर व नीचे दोनो मार्गी से रक्त जाय) ऊर्ध्वगामी--जिस रोग मे मुख, नाक आदि ऊर्ध्व मार्ग से रक्त गिरता है; वह कफ के सम्बन्ध से होता है।

अवोमार्मगामी--जिस रोग में गुदा, लिंग आदि अधोमार्ग से रक्त गिरता है; वह रोग वात के सम्बन्ध से होता है।

ऊपर और नीचे दोनों मार्गों से रक्त गिरने वाला रक्त-पित द्विमार्ग-गामी कहलाता है और वह बात और कफ इन दोनों कारणों से होता है। इस प्रकार यह रोग तीन प्रकार का होता है।

रोग होने के कारण:--

अंग्नि के अधिक ताप में, धूप में बहुत डोलने से, अति परिश्रम करने से, बहुत मार्ग चलने में इत्यादि अनेक कारणों से कबिर के बिगड जाने से, कियर ऊपर के अथवा नीचे के मार्ग से अथवा दोनों मार्गों से होकर निकलता है उसे रक्तबित रोग कहते हैं।

इस रोग में अपथ्य--खट्टे पदार्थ, खारे पदार्थ, दही, ताम्बूल, कडवे पदार्थ इत्यादि । (आर्थभिषक्)

२—पित्त क्यर के स्वक्षक :—सारे शरीर मे दाह, क्वर का वेग तीत्र, तृषा, मूर्छा, अलप निद्रा, मुँह कड़वा, अतिसार इत्यादि।

(आर्यभिषक् पृ०५१९)

३-दाह रोग के सक्षण:--शरीर खुष्क तथा तप्त होना इत्यादि।
यह रोग अग्नि द्वारा जलने अथवा झुलसने से, सूर्य के ताप में फिरने से,
गरम पदार्थों के सेवन से अथवा पित्त के प्रकोप वर्गरह से अन्त हि
(शरीर के अन्दर की दाह) तथा बहिर्दाह (बाहर शरीर जलता है)
अथवा दोनों दाह उत्पन्न होते है। इस के सात भेद हैं-(१) रक्तपित्त
दाह, (२) रक्त दाह, (३) पित्त दाह, (४) तृष्णा दाह, (५) रक्तपूर्णोदरदाह, (६) धानु दाह, (७) मर्मधात दाह।

इस रोग में अपथ्य--रास्ते चलना, खारे तथा पित्तकर पदार्थ खाना, गरमी लेना, गरम पदार्थ खाना इत्यादि। (आर्यभिषक् पृ०५५०)।

४-रक्सातिसार--- लहू के साथ टट्टी बाना; इसे मरोड़ भी कहते हैं । अपथ्य--मल मूत्र अवरोघ, कांब्रीफल, स्निग्ध भोजन, तथा भारी पदार्थ इत्यादि। (आर्यभिषक् पृ०४९१-९२) यहीं पर हमने भगवान् महावीर के रोग, उसके होने के कारण, लक्षण, तथा अपध्य बादि का विस्तृत स्वरूप वर्णन कर दिया है; जिस का संक्षेप इस प्रकार है।

गोशालक के तेजोलेक्या छोड़ने पर उस के तीन ताप के कारण भगवान् को अवोगाभी रक्त-पित्त, तथा रक्तातिसार हो जाने के कारण सून की टिट्टियों लग गयी थीं। पित्त ज्वर तथा दाहरोग भी थे, जिनके कारण तीन ज्वर तथा शरीर में बहुत अधिक जलन भी थी। ये रीग गरम, स्निग्व, भारी पदार्थ तथा खट्टे, खारे, कड़वे पदार्थों के सेवन से बढ़ते है।

हम यहाँ पर इस बात का विचार करेंगे कि इस रोग में मांसाहार लामकारी है अथवा घातक ?

मांस के गुज और बोज---

"स्निग्धं, उब्ध, गुरु, रक्त-पिलजनकं बातहर च । सर्वमासं वातध्वंसि वृद्यं॥"

अर्थात्—मांस स्निग्ध, गरम, भारी, रक्त-पित्त को पैदा करने वाला तथा वात को दूर करने वाला है। सब प्रकार के मांस वातहर तथा भारी है।

यदि भगवान् महावीर के रोग का विचार करे तो यह बात निर्विवाद सिद्ध हो जाती है कि मुगें का मांस इस रोग को निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि मास इस रोग को उत्पन्न तथा वृद्धि करने वाला है; यह आयुर्वेद शास्त्र का स्पष्ट मत है।

अतः इस से यही फलित होता है कि भगवान् महावीर पर मांसाहार का दीव लगाना नितान्त अनुचित है।

इस लिये रेवती श्राविका द्वारा इस औषध दान में जो द्रव्य दिया गया भा वह कुक्कुट मांस (मुर्गे का मास)कदापि नहीं था, किन्तु कोई वनस्पति विशेष थी । यह ओषघ कौनसी थी इस का निर्णय हम आगे करेंगे।

विवादास्पद प्रकरण वाले पाठ में ग्राने वाले शब्दों के वास्तविक ग्रर्थ

(१) मांस शब्द की उत्पत्ति का इतिहास

प्रारम्भ में मांस शब्द किसी भी पदार्थ के गर्भ अर्थात् भीतरी सार भाग के अर्थ में प्रयुक्त होता था। घोरे-घोरे यह शब्द मनुष्यादि प्राणघारियों के तृतीय घातु के अर्थ में तथा वनस्पति जनित फल मेवों आदि के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा।

वैदिक धर्म के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ "ऋग्वेद् "में पशुयक्षों का तथा हिं। वैदिक निषण्टु में मांस शब्द अथवा मांस का कोई अन्य नाम नहीं मिलता। परन्तु उस समय मांस था तो अवश्य। प्राचीन वेद तथा प्राचीन वैदिक कोश में इसका उल्लेख न होने का कारण यही है कि तत्कालीन ऋषि लोग प्राणी के अंग रूप मांस का किसी कार्य में इस्तेमाल नहीं करते थे। इस लिये उनकी बनाई हुई वैदिक ऋचाओं में मांस शब्द नहीं आता था और नहीं उसे वैदिक निषण्टु में लिखने की आवश्यकता थी।

बाद में ऋग्वेद में कुछ सूक्त प्रक्षिप्त हुए, उन सूक्तों में मांस और क्रिक्य ये दो शब्द पाये जाने लगे। अयर्ववेदसंहिता में मांस शब्द के उपरान्त पिशित और किविष् शब्द मिलते हैं। यद्यपि वेद में आम शब्द कच्चे मांस को कहते हैं। परन्तु आचार्य यास्क के मत से वेद काल में आम शब्द सामान्य मांस में प्रयुक्त होता होगा। जैन और बौद्ध संप्रदायों के प्राचीन सूत्रों में आने वाले आमगन्य शब्दों के 'आम' इस शब्द का मांस के अर्थ में ही प्रयोग किया गया है। इस से प्रतीत होता है, कि आज से ढाई हज़ार

वर्षं और इस से पहिले मांस, पिशित, आम और क्रविष् ये चार शब्द मांस के अर्थ में प्रयुक्त होते थे।

(२) मांस के नामों में बृद्धि

ईसा पूर्व छठी शताब्दी तक मांस के चार नाम ही प्रचलित थे। इन में से आम और कविष् वेदिक नाम हीने के कारण ठोक व्यवहार में से लुप्त हो गये, परन्तु मास के कुछ नये नाम भी प्रचलित हो गये, जिनका कमिक इतिहास इस प्रकार है। "अमर कोश" जो कि विद्यमान सब शब्द कोशों से प्राचीन है—पांचवीं शताब्दी की कृति है—उसमें मांस के छः नाम मिछते हैं। इसके छ तथा सात सी वर्ष बाद अथवा ग्यारहवी, बारहवीं, शताब्दी में होने वाले वेजयन्ती तथा अभिधानचिन्तामणि कोशों में कमशः बारह तथा तेरह नाम सग्रह हए है.—

"मसिपलल जांगले । रक्तात् तेजोभवेकव्यकादयपं तरसामिषं ॥ ६२२ । मेदस्कृत् पितितं कीनं पलम् ॥

(अभिषानचिन्तामणि)

उक्त मांमादि नामों के अथों का विचार करने से स्पष्ट होता है कि मांस, जिसका अर्थ प्राणि-अग होता है. यह मनुष्य के खाने का पदार्थ नहीं था।

प्रत्येक नाम सदा के लिये एक ही अर्थ मे प्रयुक्त नही होता। कई ऐसे नाम है जो प्रारंभ में एकार्थक होते हुए भी हजारों वर्षों के बाद अने-कार्थक बन चुके हैं, जैसे-अक्ष, मधु, हिर आदि नाम। कई अनेकार्थक नाम हजारों वर्षों के बाद एकार्थक बन जाते हैं, जैसे मृग,फल मांस आदि शब्दों के अर्थ गहित हो जाने के कारण उन अर्थों का त्याग हो जाता है। कोशकार अपने समय में जो शब्द जिम अर्थ का वाचक होता है. सो उसी अर्थ का प्रतिपादक बताते हैं। लुप्तार्थों तथा भविष्यत् अर्थों की कल्पना में वे कभी नहीं पडते। ज्यों अर्थों जिस पदार्थ के नाम बढ़ते जाते हैं, त्यों त्यों आगे के कोशकार अपने कोश में संग्रह करते जाते हैं।

(३) बतस्पत्यंग मांस आदि

जिस प्रकार मनुष्यादि प्राणवारियों के शरीर में (१) रस, (२) किंदर, (३) मांस, (४) मेदस् (५) अस्थि, (६) मज्जा, और (७) वीर्य- खेसत थातु है, उसी प्रकार अति प्राचीन काल में वनस्पतियों के भी रसादि सात धातु माने जाते थे।

१-मनुष्यादि प्राणधारियों का शरीरावरण चर्म अथवा त्वचा कहलाता है, उसी प्रकार वनस्पतियों के शरीर का आवरण भी चर्म अथवा त्वक् कहलाता है।

२-- मनुष्यादि प्राणवारियों के आहार से तैयार हुआ सत्त्व रस कह-लाता है वैसे ही वनस्पतियों में रहा हुआ जल भाग रस कहलाता है। २

३-प्राणधारियों के शरीर से निष्पन्न तत्त्व रुधिर कहलाता है वैसे ही वनस्पतियों में तैयार होने वाला स्नाव उनका रुधिर कहलाता है। 3

४-प्राणधारियों के रुधिर से बनने वाला ठोस पदार्थ मांस कहलाता है वसे हो वनस्पतियों से मिलने वाला सार भाग (गूदा) मांस कहलाता है। ५

१---ज्ञामो-पलाञ्च-खिर-खिल्या-व्यव्य-विकञ्कत-न्यप्रोथ-पनसा-ऽज्ञ-ज्ञिरीबोदुम्बराणां सर्वयाज्ञिकवृक्षाणां चर्मकवायकलक्षेनाऽभिषिञ्चति ×× (बोधायन गृहचसूत्र पु०२५५)

अर्थात् श्रमी, पलाश, खदिर, बिल्व, अश्वत्थ, विकक्कृत, न्यम्रोध, पनस, आम्र, शिरीष, उदुम्बर इन वृक्षों तथा अन्य सर्व याज्ञिक वृक्षों के चर्म (छिलके) के चूर्ण से मिले जल भरे कलश से (विष्णुमूर्ति का) अभिषेक करें।

२-तस्मात्तवा तृणात्प्रैति रसो वृक्षावि वाहतात् (वृहवारण्यकोपनि०) अर्थात्-जिस प्रकार वृक्ष पर प्रहार करने से रस विकलता है वैसे ही वृक्ष पुरुष के परोह से रस निकलता है।

३—स्वच एवास्य रिवरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पक्तः (बृह्बक्त्स्म्यक्तीपनि०) अर्थात्—इसका रुधिर साव है जो त्वचा (छिलके) के भीतर से झरता है।

४-खब्रू रमांसम्यथ नारिकेलम् (चरक संहिता)

५-प्राणधारियों के मांस से मेदस् (मेदो, किनाट) बातु बनता है, वैसे वृक्षों के अंग-प्रत्यंगों से मेदस् सदृश स्नाव निकलता है, उसे वनस्पति का मेदो बातु कहते हैं।

६-प्राणधारियों के शरीर में रहने वाले कठोर भाग को अस्यि कहते हैं, वैसे वनस्पतियों के शरीर में रहने वाले (गुठली-बीजों) को अस्थि कहते हैं।

७-प्राणधारियों की अस्थियों में होने वाले स्निग्ध पदार्थ को मज्जा भातु कहते हैं, वैसे फलों की गुठलियों तथा बीजों मे से निकलने वाले स्निग्ध पदार्थ को वृक्ष की मज्जा कहते हैं।

८-प्राणधारियों के अंतिम वातृ को रेतस् अधवा वीर्य आदि नाम प्राप्त हैं, वैसे वनस्पतियों में भी अमुक-अमुक प्रकार की शक्तियाँ रहती हैं। उनको शीतवीर्य, उष्णवीर्य, आदि नामो से कहते हैं।

९-प्राणघारियों के शरीर पर के रोम रोगर्ट और सिर पर के रोम-बाल कहलाते हैं, वैसे ही वनस्पतियों के शरीर पर भी रोम तथा बाल

वर्य-खजूर का मांस (गृदा) और नारियल का मास (गिरी)।

५-मासान्यस्य शकराणि कीनाटं स्नावतत् स्थितम् (बृहदारः)

अर्थ-भीतर के सार भाग के टूकड़े इसका मांस और स्निग्ध जमा हुआ स्नाव इस का किनाट (मेदोधातु) है।

६-अस्थिबोजानां शकृदालेप शािलनां गर्त्तदाहो गोऽस्थि-शकृिद्धः काले दोहदं च । (कौटिल्य अर्थशास्त्र प्०११८)

अर्थ-अस्थ (गुठली) और बीज वाले वृक्षीं के बीजों को गोवर का लेप करके बोना चाहिये।

७-८-बातादमञ्जा मबुरा, बृष्या तिक्ताऽनिलापहा। स्निग्बोच्या कफक्रुन्नेच्टा, रक्तपित्तविकारियाम् ॥१२५॥ (भावप्रकाश नि०)

अर्थ-बादाम की मक्जा (गिरी) मीठी, पुष्टि कारक, बायु को नाश करने वाली, रक्तपित्त के रोगियों को हानिकारक, स्निग्ध, उष्णवीर्य, माने जाते हैं।

१०-जैसे प्राणधारियों में आंत होती है, वैसे फलों में भी आंतें मानी गयी हैं। जिनके द्वारा फल में रहे हुए बीज के शिराओं, गूदे मेदस् को रस पहुँचता है; उन रेशों को वैद्य लोग अन्त्र कहते हैं। १०

सुश्रुत संहिता में इनसे भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जो नीचे दिया जाता है।

चूतफले परिपक्षे केशर-मांसा-ऽस्थि-मञ्जानः पृथक्-पृथक् बृश्यन्ते, कालप्रकर्षात् । तान्येव तरुणे नोपलम्यन्ते, सूक्ष्मत्वात् । तेवां सूक्ष्माणां केशराबीनां कालः प्रव्यक्ततां करोति ।

(सुश्रुत संहिता शा० आ० ३ क्लो० ३२)

अर्थ-पके आम के फलों में केशर, मांस, अस्थि, मज्जा प्रत्यक्ष

(गरक) और कफ़ करने वाली होती है।

९-स वा एष पशुरेवालम्यते, यत् पुरोडाशस्तस्य किंशाकृषि तानि ोमाणि, ये तुषाः सा त्यक्, ये फलीकरणास्तदस्क्, यत् पृष्ठं किक्नसाः, यत् सारं तन्मांसं, यत्किञ्चित् कंसारं तदस्थि, सर्वेषां वा एष पशूनां मेथेन यजते तस्मादाद्वः पुरोडाशसत्रं लोक्यमिति (द्वितीय पञ्जिका अ० पृ०११५)

अर्थ:—यह पशु का ही आलमन किया जाता है, जो पुरोडाश तैयार करते हैं (उस में) यव ब्रीहि पर जो किशारू (शूक) होते हैं, वे इन के रोम हैं, इन पर जो तुष है वह इनका चर्म हैं, जो फलीकरण है वह इनका रिघर है, जो पृष्ठ है वह इसकी रीढ़ है, इसका जो कुछ सार भाग है वह मांस है, इनका जो कसार (ऊपर का कठोर भाग) है वह अस्थि है, जो इस पुरोडाश से यज्ञ करता है, वह सब पशुओं से यज्ञ करता है। इस वास्ते पुरोडाश को लोकहितकारी सत्र कहते हैं।

१०- समुत्सृज्य ततो बीजान्, अन्त्राणि तु समुत्सृजेत्। तानि प्रकास्य प्रकास्य तोयेन प्रवण्यां निक्षिपेत् पुनः॥ (पाकवर्षेच पु० २५)

अर्थे—उसमें से बीज तथा आंतें निकाल दें, फिर उसे को डालें और बाद में प्रवणी में रखे। रूप से दिखलाई देते हैं। परन्तु कच्चे आम में ये अंग सूक्ष्म अवस्थ में होने के कारण अलग-अलग दिखलाई नहीं देते। उन सूक्ष्म केश आदि को समय व्यक्त रूप देता है।

४--मांसादि शब्दों के अंग्रेजी कोशकारों के अर्थ

मांस (संस्कृत)=1-Flesh. स्नाय का समह।

2-The flesh of fish. मछली का मांस ।

3—The fleshy part of a fruit. फल का गदा, गिरी अथवा नरम भाग।

(आप्टेकृत संस्कृत-अग्रेजी डीक्शनरी पृ० ७५३)

Flesh अर्थात्-मांम इस शब्द का अर्थ निम्न है-

1—The muscular part of animal. प्राणी का स्नायु।

- 2—Soft pulpy substance of fruit. फल का नरम भाग, ग्दा।
- 3—That part of root, fruit etc, which is fit to be eaten.

 ऋन्द, फल आदि में जो भाग खाया जा सके, वह

Stone-पत्थर इस शब्द का अर्थ निम्न है-

1-Stone of a mango. आम की गुठली

2—Stone in bladder. पत्थरी।

भाग ।

(English Dictionary by J. Ogilvie)

५ - वर्समान में माने जाने वाले प्राणीवाच्य शब्दों तथा मांस मस्त्यादि शब्दों के अनेक अर्थ

'पलल'—आजकल यह शब्द माँस का नाम माना जाता है, परन्तु

यह शब्द कई अर्थों में प्रमुक्त होता है, जैसे कि:--

"पललं तिलचूर्णं स्यान्मांसं कर्दमभेवयोः।" (वैजयन्ती)

अर्थ-पलल यह तिलवूणं का नाम है तथा मांस और कीचड़ के भेद में भी यह व्यवहृत होता है।

'अनिमिष'—शब्द से अ।जकल विद्वान केवल मत्स्य को ही समझ स्रेत हैं। परन्तु इसके पाँच अर्थ होते हैं। जैसे कि:—

"क्रयामरे सबे । अनिमेषोऽप्यनिमिषोऽप्यय चांडालींशष्ययौः। स्यादन्तेवासीति ++ + ।" (वैजयन्ती)

अर्थ-अनिमेष तथा अनिमिष शब्द देव, मत्स्य, चांडाल, शिष्य और अन्तेवासी (निकटवर्ती आज्ञाकारी मनुष्य) के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं।

'पेशी'—शब्द आजकल के विद्वानों के विचार में मांस के टुकड़ों अथवा मांस बल्ली के अर्थ में ही प्रचलित है। परन्तु वास्तव में इस के अनेक अर्थ होते हैं। सो जात करें—

"पेशी मांस्यसिकोशयोः ! मण्डभेदे परुपिण्डे सुपण्यकणिकेऽपि च।" (अनेकार्थसंग्रह)

अर्थ-पेशी, तलवार की म्यान, पक्वाम के भेद, मांस के पिड, धृत पक्व कणिका-इतने पदार्थों के नाम है।

'शश'--शब्द सामान्य रूप से खरगोश के अर्थ में प्रसिद्ध है, परन्तु यह शब्द दूसरे भी अनेक पदार्थों का वाचक है, जैसे कि---

"शवः पशौ ॥५५८॥ बोले लोधे नुभेदे च ।" (अनेकार्ष)

अर्थ—शश—ख्राशेश पशु, हीराबोल, लोझ और पुरुष विशेष होता है।

'आमिब' शब्द का अर्थ वर्त्तमान समय में मांस किया जाता है; परन्तु इसके और भी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे कि:-- आनियं पले ।। १३३० ।। सुन्दराकारकवादौ सम्भोगेलोम-लब्ज्योः । (अनेकार्य)

अर्थ-आमिष--मांस, सुन्दराकार रूप आदि, सम्भोग, लोभ और रिश्चत है।

'परुं शब्द का अर्थ आजकल एक तरह का तोल, काल विशेष और मांस के अर्थ में प्रसिद्ध है। परन्तु पहले इसके निम्न अर्थ समझे जाते थे----

''पलः पलालो घान्यत्वक् तुषो बुसे कडंगराः'' ।। ११८२ ॥ (अभिषानींचतामणि)

अर्थात्—पल, पलल, घान्य का खिलका, तुष और कडंगर ये भूसे के नाम है।

'अज' नाम से आज बकरा और विष्णु का अर्थ समझा जाता है, किन्तु इसके अर्थ स्वर्ण माक्षिक, धानु, पुराने वान्य, जो उगने की शक्ति नष्ट कर चुके हों, होते है। (शालिग्राम औषव शब्द सागर)।

ये सब उपर्युक्त उद्धरण देने का आशय यह है कि मांस, मज्जा, अस्थि आदि शब्द जिस प्रकार प्राणियों के अगों के लिये आते हैं उमी प्रकार वनस्पति के अगों के लिये आते हैं उमी प्रकार वनस्पति के अगों के लिये भी अते हैं। तथा जिन शब्दों का अयं हम प्राणी समझते हैं, उन शब्दों का प्रयोग वनस्पित और पक्वानों आदि खाद्य पदार्थों के लिये भी होता है। ऐमी परिस्थिति में लिखे गये शास्त्रों के विवरणों के अयंनिर्णय में बिद्धानों द्वारा गल्नी होना असंभव नहीं है। यही कारण है कि वेदों, जैनागमों तथा बौद्धिपटकों में आने वाले तत्कालीन खाद्यपदार्थों के अर्थ में आने वाले शब्दों की प्रमंगों तथा परिस्थितियों का विचार किए विना अर्थ का अनर्थ करके आज कल के कितिपय विद्वानों ने अनेक प्रकार की विकृतियां घुमेड़ दी हैं।

अब हम इस विषय को लम्बा न करके यहां पर कुछ ऐसे शब्दों की सूचि देते हैं जिन के अर्थ वनस्पति और प्राणी दोनों होते हैं।

(११५)

६शब्द जो प्राणचार	। और वनस्पति	बोनों के	वाचक हैं
-------------------	--------------	----------	----------

६शब्द जा प्राणवारा आर वनस्पात बाना क वाचक ह						
नाम	प्राणी-अर्थ	वनस्पति-अर्थ				
रावण	लंका का राजा	तन्दुल फल, इन्द्रायन				
लहमण	राम का भाई	प्रसर्कटाली, जड़				
राम	दशरथ का बेटा	चि रायता				
सुरत्रिया	देवी, देवाँगना	चमेली पुष्प				
ब्रह्मा	चार मुंह वाला ब्रह्मा	पलाश पापड़ा				
विभोषण	रावण का भाई	वरकुल मूल				
विष्णु	विष्णु अवतार	पो गल वृक्ष				
लक्ष्मी	विष्णुपत्नी	काली मिरच				
शिव	शंकर	हरड़				
पार्वती	भवानी, शिवपत्नी	देशी हल्दी				
कृष्ण	देवकीनन्दन	अजपोपल				
कपि	बन्दर	शिलारम				
आम	मांस	आम्र फल				
হা থ	खरगोश	लोध				
बालक	बच्चा	मोथे				
कलभ	हाथी का बच्चा	धत् रेका वृक्ष				
गोकर्ण	गाय का कान	अपराजिता				
गो जिह्ना	गाय की जीभ	गोभी				
गोशीर्व	गाय का सिर	चन्दन				
काक, काकशीर्य	कौआ, कीए का मिर	अगस्त्य बृक्ष				
तुरंग	घोड़ा	सेधा नमक				
पेशी	मांसपिड	जटामांसी				
महामुनि	बड़ा साधु	ध निया				
मार्जार	बिल्ली	अगस्त्य वृक्ष, हिंगोटी वृक्ष, विदारीकन्द, लवं ग इत्यादि				

(११६)

कल्मीशोरा राजकुमार বাজपুর नागरमोथा वराह स्बर कुलेकी दाढ़ गोखरू **प्वदं**ष्ट्रा पीपल का वृक्ष विप्र ब्राह्मण पक्षी विशेष गुग्गुल जटायु वानरी, मर्कटी, कौंच के बीज बन्दरी कौंच के बीज वानरीवीज, कपि बन्दर बेगन मांसफल मांस कोयल, कोयल की आंख ताल मन्दाने कोकिला, कोकिलाक्ष लाल एरंड की जड हस्तिक**णं** हाथी का कान छिलका चमडी त्वक् अस्थि बीज, गुठली हड्डी नागकेसर भुजंग सांप तरुणी ग्लाब जवान स्त्री

७--वर्त्तमान काल में कुछ प्रचलित शब्द

श ब्द	प्राणी वाचक	वनस्पतिवाचक
कुक्कुड़ी-कुक्कुड़	मुर्गी, मुर्गा	भुद्टे (उत्तरप्रदेश)
	(पजाब गुजरात)	
भाजी	मांस (मुलतान-सिध	राधा हुआ शाक
	देश)	
गलगल	गुट्टहार पक्षी	बीजोरा, फल विशेष
तरकारी	मास (उत्तर पंजाब)	साग, सन्जी
		(राजस्थान)
चील	चील पक्षी (उत्तरप्रदेश)	चील शाक की भाजी
गीलहोड़ी	गिलहरी (उत्तरप्रदेश)	হাাক

सन्त्रासु स्त्री स्त्रुर्ड-सूर्द्दे पीमा पोपटा विमत्स जंग (मालवा) हरा जना (गुजरास) चूत विमत्स जंग आग्न फल छाल्ली वमरी सूट्टे (पंजाब)

उपर्युक्त विवरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनेक शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग आज कल की वालू भावा में भी प्राणियों तथा वनस्पतियों दोनों में होता है, एवं प्राणियों के अंगें तथा वनस्पतियों के बंगों के लिए भी ऐसा ही है। तथा यह भी स्पष्ट है कि एक शब्द का अर्थ:—देश, काल और भाषा आदि की अपेक्षा से भी भिन्न-भिन्न हो जाता है। इस लिये सुन्न पुरुष वही है जो प्रसंग, परिस्थिति, देश, काल, भाषा एवं व्यक्ति के वरित्र आदि को समझ कर उसके अनुकूल अर्थ को स्वीकार करे।

८--श्रमण भगवान् महावीर और भक्ष्याभक्ष्य विचार

भगवतीसूत्र शतक १८ उद्देशा १० में श्रमण भगवान् हिन्दिन्दित्या सोमिल नामक बाह्मण का एक प्रसंग आता है। उस में वर्णन है कि एकदा भगवान् वाणिज्य ग्राम में पधारे। वहाँ सोमिल नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनाढ्य, अपरिभूत सामर्थ्यवान् तथा ऋग्वेद आदि समस्त ब्राह्मण शास्त्रों का पारंगत विद्वान था। वह पांचसी शिष्यों तथा बहुत बड़े कुटुम्ब का अधिपति था। एक दिन वह प्रभु महावीर के पास समवसरण में आया और उसने अनेक कूट प्रश्न पूछे। उन में कुछ प्रश्न भक्ष्याभक्ष्य सम्बन्धी भी पूछे, सो उसका विवरण इस प्रकार है:—

[प्रक्त] भारिसवा ते भंते ! कि भक्तेया, अभक्तेया ? [उत्तर] सोमिला! सरिसवा [मे] भक्तेया वि अभक्तेया वि । [प्र०] से केणठ्टेणं भंते ! एवं बुक्बइ-'सरिसवा भक्तेया वि अमक्तेया वि ? [उत्तर] से नूणं ते सोमिला! बभन्नएसु नएसु दुविहा सरिसवा पन्नता,

१. 'सरिसव' विलष्ट प्राकृत शब्द है। इसका एक अर्थ सर्ष ५ (सःसो) होता है और दूसरा अर्थ समानवयस्क मित्र होता है।

तं जहा मित्त-सरिसवा य घन्नसरिसवा य। तत्य णं जे ते मित्तसरिसवा ते तिबिहा पन्नसा, तं जहा-सहजायया, सहबिह्ह प्या, सहपंसुकी लियया, ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ णं जे ते घन्नसरिसवा ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-सत्थपरिणया य असर वपरिणया य, तत्थ णं जे ते असत्थ-परिणया ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ णं जे ते सत्थपरिणया ते दुविहा पन्नसा, त जहा-एसणिक्जा य अणेसणिक्जा य। तत्थ णं जे ते अस्राध्या ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-णाइया य अजाइया । तत्थ णं जे ते एसणिक्जा ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-जाइया य अजाइया य। तत्थ णं जे ते जजाइया ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ णं जे ते जाइया ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-लद्धा य अलद्धा य। तत्थ णं जे ते अलद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ णं जे ते अलद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ णं जे ते अलद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ ण जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ ण जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ ण जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ ण जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं अभक्लेया। तत्थ ण जे ते लद्धा ते णं समणाणं निग्धंथाणं भक्लेया, से तेणठ्देणं सोमिला! एवं बुच्चइ-जाव अभक्लेया। विश्वं

अर्थात्—(प्रक्त) हं भगवन्! सिरसव को आप भक्ष्य मानते हैं अयवा अभक्ष्य ? (उत्तर) हे सोमिल! सिरसव मुझे भक्ष्य मी है, अभक्ष्य भी है। (प्रक्त) हे भगवन्! इसका क्या कारण है? (उत्तर) हे सोमिल! तुम्हारे ब्राह्मण प्रत्यों में दो प्रकार का सिरसव कहा है, (१) मित्र सिरसव-समानवयस्क (२) और धान्य सिरसव। इस में जो मित्र सिरसव है वह तीन प्रकार का है: (१) साथ जन्मा हुआ, (२) साथ में पला हुआ, और (३) साथ में खेला हुआ। ये तीनों प्रकार के सिरसवा (समानवयस्क) मित्र श्रमण निर्गथों को अभक्ष्य हैं। जो धान्य सिरसव है, वह दो प्रकार का है: शस्त्रपरिणत और अशस्त्रपरिणत इस में जो अशस्त्रपरिणत-अग्नि आदि शस्त्र से निर्जीव नहीं हुआ—वह श्रमण निर्गथों को अभक्ष्य हैं। और जो शस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से निर्जीव हुआ) है वह दो प्रकार का है: (१) षणीय-इच्छा करने योग्य, निर्दोप (२) अनेषणीय न इच्छा करने योग्य-सदोष। इस में जो अनेषणीय है वह श्रमण निर्मथों को अभक्ष्य हैं। जो एषणीय सरसों है

वह दो प्रकार की है: (१) या चित—मांगी हुई (२) अया चित-नहीं मांगी हुई। इस में जो अया चित सरमों है वह अमण निर्धं को असक्ष्य है के जो या चित सरमों हैं वह भी दो प्रकार की है: (१) प्राप्त हुई और (२) न प्राप्त हुई। इस में जो नहीं मिली वह श्रमण निर्पं चों को असक्ष्य है। जो सरसों श्रमण निर्पं चों को मिल गयी हो मात्र वह मक्ष्य है। हे सोमिल! इस लिए में कहता हूँ कि सरिसव मक्ष्य भी है, अमक्ष्य भी है।

(प्र०) मासा ते भंते! कि भन्तेया, अभन्तेया? (उ०) सोमिला! मासा े भन्तेया वि अभन्तेया वि (प्र०) से केणट्ठेणं जाव अभन्तेया वि? (उ०) से नूणं ते सोमिला! बभन्नएषु नएसु दुविहा मासा पन्नसा, तं जहा-द्व-मासा य कालमासा य। तत्थ णं जे ते कालमासा ते णं सावणादीया आसाढ-पज्जवसाणा दुवालसं पन्नसा, तं जहा-सावणे, भट्टवए, आसोए, किसए, मग्गासिरे, पोसे, माहे, कग्गुमे, चित्ते, बद्दसाढे, जेट्ठामूले, आसाढे, ते णं समणाणं निग्गंयाणं अभन्तेया। तत्थ णं जे ते द्व्यमासा ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-अत्यमासा य घन्नमासा य । तत्थ णं जे ते अत्यमासा ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-सुवन्तमासा य च्य्यमासा य, ते णं समणाणं निग्गंयाणं अभन्तेया। तत्थ णं जे ते धन्तमासा ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-सुवन्तमासा य च्य्यमासा ते दुविहा पन्नसा, तं जहा-स्वय्यपिणया असत्थ्यि च ।

अर्थात्—(प्र०) हे भगवन् ! 'मास' भस्य है कि अभस्य ? (उ०) हे सोमिल! मास भस्य भी है, अभस्य भी है। (प्र०) हे मगवन्! यह किस कारण से आप कहते हैं कि 'मास' भस्य भी है, अभस्य भी है? (उ०) हे सोमिल! बाह्मण ग्रंथों में 'मास' दो प्रकार का कहा है, वह इस प्रकार—-द्रव्य मास और काल मास। इन में जो काल मास है वह सावन से ले कर आषाढ़ तक बारह महीने हैं, वे इस प्रकार—श्रावन भादों, आसोज, कार्तिक, मार्गशीषं, पोष, माघ, फाल्गुण, चैत्र, वैसाख, जेठ, और आषाढ़, ये श्रमण निग्नंथों को अभस्य हैं। इन में जो इव्य मास है—वह भी दो प्रकार का है, सो इस प्रकार—अर्थ मास और

बान्य मास । उस में जो अयं मास है, यह भी दो प्रकार—"स्वर्णमास बीर रीप्यमास । यानी चांदी का मासा, सोने का मासा (एक प्रकार के तीलने के बाँट) । ये भी श्रमण निर्मयों को अभक्ष्य हैं । जो घान्य माच (उड़द) हैं, वे भी दो प्रकार के हैं— शस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से अचित्त हुए) और अशस्त्रपरिणत (अग्नि आदि से अचित्त नहीं हुए— सजीव) । इत्यादि जैसे घान्य सरसों के लिये कहा वैसा घान्य माच (उड़द) के लिये भी समझ लेना । यावत्—वह इस हेतु से अमक्ष्य भी है।

यानी — अग्नि आदि से अचित उडद भी दो प्रकार का है-एवणीय और अनेवणीय (साधु के निमित्त आदि से न रांधा हुआ निर्दोष और साधु के निमित्त से रांधा हुआ सदोष)। इस में जो अनेवणीय है वह अमण निर्प्रयों को अभक्ष्य है। एवणीय उड़द भी दो प्रकार के हैं: याचित (मांगे हुए) अयाचित (न मांगे हुए)। इन में जो अयाचित रांधे हुए उडद है वे अमण निर्प्रयों को अभक्ष्य हैं। और जो याचित रांधे हुए उड़द हैं वे भी दो प्रकार के हैं—मिले हुए (प्राप्त), न मिले हुए (अप्राप्त)। इन में जो नहीं मिले ऐसे रांधे हुए उड़द अमण निर्प्रयों को अभक्ष्य हैं। और जो रांधे हुए मागने पर प्राप्त हो गये है, ऐमे निर्दोध उड़द अमण निर्प्रयों को भक्ष्य (खाने योग्य) है। हे सोमिल ! इस कारण से 'मास' मक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी है।

(प्र०) कुलत्या ते भंते! कि भक्षया, अभक्षया ? (उ०) सोमिला! कुलत्या भक्षया वि अभक्षया वि । (प्र०) से केषट्ठेण जाव अभक्षया वि ? (उ०) से नूणं सोमिला! तं बंभन्नएमु भ्रयेमु दुविहा कुलत्या पन्नता, तं जहा—इत्यि कुलत्या य धन्नकुलत्या य । तत्य णं जे ते इत्यिकुलत्या ते तिविहा पन्नता, तं जहा-कुलक्नन्या इ वा कुलवहुया ति वा कुलमाउया इ वा, ते णं समणाणं निग्गंथाणं-अभक्षया । तत्य णं जे ते धन्नकुलत्या एवं जहा धन्नसरिसवा, से तेणट्ठेणं जाव अभक्षया वि । (भगवती शतक १८ उद्देशा १०)

अर्थात्—(प्र०) हे सगवन् ! बाप कुलत्या सक्य मानते हैं अवका असक्य ? (उ०) हे सोमिल ! कुलत्या भक्ष्य भी है, अभक्ष्य भी है । (प्र०) हे भगवन् ! किस हेतु से भक्ष्य है ? किस हेतु से अभक्ष्य है ? (उ०) सोमिल ! तुम्हारे बाह्यण शास्त्रों में कुलत्या दो प्रकार का कहा है—स्त्रीकुलत्या (स्त्री) और धान्यकुलत्या (कुलबी) । इसमें जो स्त्री-कुलत्या है वह तीन प्रकार का है, वह इस प्रकार—कुलकन्या, कुलवधू और कुलमाता । ये सब श्रमण निर्धयों के लिये अभक्ष्य हैं । इस में जो कुलबी अनाज है, इस्यादि वक्तन्यता सरसों धान्य के समान जानना । इसलिये यह भक्ष्य भी है अभक्ष्य भी है ।

यानी—अग्नि आदि से अचित्त, एषणीय, याचित, प्राप्त निर्दोष कुलथी अनाज ही श्रमण निर्पयों को भक्ष्य है। बाकी अन्य सब कुलत्या समक्ष्य हैं।

साराँश यह है कि—भगवतीसूत्र में निगांठ नायपुत्त (श्रमण मगवान् महावीर) ने—''सरिमव, मास तथा कुलत्य'' इन तीनों गब्दों के अर्थ प्राणियरक, द्रव्यपरक तथा वनस्पतिपरक भी बतलाये हैं। उनमें से उन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्राणियरक तथा द्रव्यपरक आदि पदार्थ तीर्थंकरों तथा निग्नंथ श्रमणों एवं श्रमणीयों के लिये सर्वथा अभक्ष्य हैं। वनस्पतिपरक पदार्थों में से भी जो वनस्पतियाँ अग्नि को प्रयोग से निर्जीव हैं और यदि वे निग्नंथ श्रमण के लिये तैयार न की गयी हों तो उसमे से आवश्यकता पड़ने पर निग्नंथ श्रमण को माँगने पर प्राप्त हो गया हो ऐसा निर्दोध आहार निग्नंथ श्रमण के लिये भक्ष्य है। अन्य सब प्रकार का आहार हमारे लिये अभक्ष्य है।

इससे स्पष्ट है कि श्रमण भगवान महावीर तथा उनके निर्प्रथ श्रमण सामिपाहार कदापि ग्रहण नहीं कर सकते । तथा यह भी स्पष्ट है कि क शब्द के अनेक अर्थ होते हैं; उन अर्थों में से जिस प्रसंग पर जो अर्थ उपयुक्त है वही अर्थ करना साक्षर ब्यक्ति का कर्तव्य है और ऐसा करने मे ही उसकी विद्वता की सच्ची कसीटी है। अनुचित अर्थ करना विद्वत्ता के लिए शोभाप्रद नहीं है किन्तु विद्वत्ता को दूषित करने वाला है।

अब हम यहाँ पर 'विवादास्पद' सूत्रपाठ के वास्तविक अर्थ के लिये विचार कर।

ं ९--भगवतीसूत्र का (विचारणीय) मूल पाठ इस प्रकार है:---

''तत्य णं रेवतीए गाहावइणीए मम अट्ठाए दुवे कवीय-सरीरा उवक्कडिया तेहि नो अट्ठो । अत्थि से अन्ने पारियासिए मज्जारकडए कुक्कुडमंसए तमाहराहि । एएणं अट्ठो ।

(भगवतीसूत्र, शतक १५)

समर्थ शास्त्रज्ञ नवागीटीकाकार आचार्य अभयदेवसूरि द्वारा की गयी इस सूत्रपाठ की टाका तथा इस का अर्थ इसी स्तम्भ ११ के विभाग क-ख अंगों में विस्तृत लिख आये है; तथा इस अर्थ की पुष्टि में अंग ग-घ-ङ मे उनके समकालीन तथा निकट भविष्य में हो गये तीन आचार्यों के उद्धरण भी दे आये है। अब यहा पर इस पाठ के विवादास्पद शब्दों के वास्तविक अर्थ सप्रमाण लिखेगे।

इत शब्दो के इस स्थान पर सस्कृत अथवा अर्थमागयी शब्दकोश के प्रचलित अर्थ लेना उचित नहीं, क्यों कि यहाँ तो वे औषध के रूप में इस्तेमाल (उपयोग) किये गये हैं। अत: इनके अर्थ वैद्यकीय शब्दकोशों से लेने उचित है। यदि इन शब्दों के अर्थ बनस्पतिपरक मिल जावे और वे बनस्पतियाँ इस रोग के निदान के अनुकूल हों तो अवस्य स्वीकार कर लेने चाहिये। सुज विद्वानों के लिये यही शोभाप्रद है।

हम यह स्पष्ट कर आये हैं कि प्राणिअग-मास इस रोग का निदान कदापि नहीं हो सकता। वैद्यक शब्दकोश संस्कृत माषा में उपलब्ध होने से नीचे लिखे विचारणीय शब्दों के संस्कृत पर्यायवाची शब्दों का जान लेना भी परमावश्यक है :—

्दतः सूत्रपाठ में निम्नलिखित शब्द विचारणीय है :---

अर्थमागधी शहा संस्कृत पर्याय द्वे कवोयसरीरा द्वे कपोत-शरीरे स्वक्खडिया उपस्कृते नो अटठो नैवार्थोऽस्ति अम्रे अन्यन पारियासिए पयुं षितं माजरि-कृतं मज्जारकडए कुक्कुड कुक्कुट मंसए मॉसकं

१०-- कवोय-कपोत क्या था ?

"कवोय" शब्द का अर्थ आज कल 'कबूतर पक्षी' समझा जाता है, परन्तु कपोत एक प्रकार की खाद्य वनस्पति है। वह पूरी की पूरी उपस्कृत हो सकती है और बहुत समय तक टिक सकती है। इसके सेवन से उष्णता, पित्तज्वर, रक्तविकार, रक्त-पित्त और अतिसार रोग शांत होते हैं। कपोत और कपोत से बने हुए शब्दों के अर्थों में भिन्नता होती है। उसका ब्योरा इस प्रकार है:—

१—कपोत – पारापतः एक प्रकार की वनस्पति (सुश्रृत संहिता फलवर्गं)

२--कपोत--पारीम पोपर (वैद्यक शब्दसिन्यु)

३---कपोत--कपोतिका---सफेद कोला, पेठा, कृष्माण्ड (निघन्टु-रत्नाकर)

४--कपोत-कबूतर पक्षी

५--कपोतक - सज्जी खार

६-कपोतांजन-हरा सुरमा (निघण्टुरत्नाकर)

७---पारापतपदी---मालकांगनी (भावप्रकाश)

८--कपोतवर्णा-इलायची

९—कापोती —कृष्ण कापोती, स्वेत कापोती वनस्पतियाँ (श्रृष्ट्रा सं०) कृष्ण कापोती तथा स्वेत कापोती शब्दों से पाठक काली वा स्वेत कब्रतरी ही समझेंगे। परन्तु वास्तव में ये शब्द किस अर्थ के बोधक हैं, इसका खुलासा नीचे दिया जाता है:—

"क्वेतकायोती समूलपत्रा भक्षयितव्या (सुधृत संहिता)।
सक्वीरां रोमजां मृद्धीं रसेनेकुरसोपमाम्।
एत्रंकपरसां चापि कृष्णां कापोतीमाविज्ञेत्।।
कौशिकों सरितं तीर्द्यां संजयास्तु पूर्वतः।
स्रितिप्रवेशो वाल्मिकेराचितो योजनत्रयम्।।
विज्ञेषा तत्र कापोती इवेता वाल्मिकमुर्धस्।।

(कापोती प्राप्तिस्वान-सुभूत सं०)

उपर्युं क्त शब्दों से स्पष्ट है कि कपोत तथा कपोत से बने हुए शब्द अनेक प्रकार को वनस्पतियों तथा अन्य पदार्थों के बोधक हैं। अपोत के रंग जैसा हरा मुग्मा होने से इयका नाम कपोतां जन कहलाता है। छोटी इलायची का रंग कपोत के सदृश होने से कपोतवर्णा कहलाती है। इसी प्रकार पेठे का रंग भी कबूतर के समान उत्पर से हरा होने से कपोत कहलाता है। अकेले कपोत शब्द के ये अर्थ लिख चुके हैं:—

(१) कपोत = पारायत (एक प्रकार की वनस्पति) (२) पारीस पीपर, (३) पेठा (कुष्माड), (४) कबूतर पक्षी।

"पारापतं सुमधुरं रुज्यमत्यग्निवातनृत्" (सुश्रृत संहिता) २--पारीस पीगर :--

"पारिशो बुजॅर: स्निग्घ कृमिशुक्रकफप्रदः॥५॥"
फलेऽम्लो मधुरो मूलो, कषाय: स्वाबु. मण्जक: ॥६॥
(भावप्रकाश-वटाविवर्ग)

३--- कुष्माण्ड फल, कोला, सफ़ेद कुम्हेड़ा, पेठा :--

(क) पिलान्नं तेषु कुत्नांडं बाकं नान्वं कफासहम्। गुक्तं लघूषणं सारं वीपनं बिलागोपनम् ॥२१३॥ सर्वदोषहरं हुवां पश्यं चेतो विकारिचाम् ॥२१४॥ (सुश्रुतसंहिता ५६ फलवर्ग)

वर्ष-पेठा कम उष्ण, दीपनकर्त्ता, बस्तिशोधक, सर्व दोषहर है।

- (स) "लघु कुष्माण्डकं रूक्षं मधुरं प्राहि शीतलम्। बोचलं रक्त-पिक्तध्नं मलस्तम्भकरं परम्॥॥" अर्थ-छोटा पेठा ग्राही, शीतल, रक्त-पिक्तनाशक तथा मलरोधक है।
- (ग) "कुष्माण्डं शीतलं वृष्यं स्वादु पाकरसं गुरु । हृद्यं रूक्षं रसस्यन्दि इलेष्मलं वातपित्तजित् ॥ कुष्माण्डशाकं गुरु सन्निपातज्वरामशोकानि दाहहारि॥" (कयदेव निवण्टु)

अर्थ — पेठा शीतल, पित्त नाशक, ज्वर, आम, दाह आदि को शांत करने वाला है।

(घ) कुष्माण्डं स्यात् पुष्पफलं पीतं पुष्पं बृहत्फलम् ॥५३॥
कुष्माण्डं वृहणं वृद्यं गुद पित्तास्त्रवातनृत् ।
बालं पित्तापहं शीतं मध्यमं कफकारकम् ॥५४॥
वृद्धं मातिहिमं स्वादं सक्तारं दीपनं रुखु ।
बस्तिशुद्धिकरं चेतोरोगहृत्सर्ववीवजित् ॥५५॥
कुष्माण्डी तु भृशं रुघ्वी कर्कारुपि कीर्तिता ।
कर्कारू ग्राहिणो शीता रक्तिपत्तहरी गुरू ॥५६॥
पक्ष्वा तिक्ताऽम्निजननी सक्षारा कफबातनृत्॥५७॥
(भावश्रकाश निचण्यु शाक्रवर्ग)

वर्ष-पेठा रक्त, पित्त और वायु दोषनाशक है। छोटा पेठा पित्त नाशक, शीतल और कफजनक हैं। बड़ा कोलाउष्ण, मीठा, दीपक बस्तिसुद्धि कारक, ह्दयरोग नाशक, तथा सर्वदोषहारी है। छोटा पैठा चाही, शीतल, रक्त-पित्तदोषनाशक । यदि पका हो तो अग्निवर्धक है । (४) कबूतर पक्षी का मांस∶—

> "स्निग्वं कथ्वं गुरु रक्तिपत्तजनकं वातहरं च । सर्वनासं वातविष्वंसि वृध्यं।।

अर्थ — मांस स्निग्व, गरम, भारी तथा रक्तपित्त के विकारों को पैदा करने वाला है, वात को हरने वाला है। सब मांस वातहर और वृष्य है।

यहाँ पर "कवोय" शब्द है चार अर्थों में से तीन अर्थ वनस्पतिपरक हैं तथा एक अर्थ मांसपरक है।

भगवान् महावीर स्वामी को रोग थे:---

(१) रक्तपित, (२) पित्तज्वर, (३) दाह, (४) अतिसार। इन रोग को शान्त करने के लिए इन चारो पदार्थों में से छोटा कुष्माण्ड (पैठा) फल ही औषधरूप लिया जा सकता था; क्योंकि इन मे से यही औषध इन रोगों को शान्त करने में समर्थ थी। परापत तथा पारीस पीपर ये दो वनस्पतिपरक औषधियां इस रोग को शांत नहीं कर सकती थीं। मांस तो इस रोग को पैदा करने वाला, बढ़ाने वाला है। अतः शेठ की भार्या नेवतो श्राविका ने भगवान् महावीर स्वामी के रोग के शमनार्थ "दो छंटे पेठे के फल ही" सस्कार किये थे, इस में सन्देह को अवकाश नहीं।

प्राचीन चूर्णि तथा टीकाकारों ने भी ''दुवे कवीयसरीरा रं'' का अर्थ ''दो छेटे पेठे फल'' ही किया है. यह हम पहले लिख आये हैं।

१. " दुने कवोयसरीरा"—ये तीन शब्द हैं। सरीरा शब्द 'कवोय' से निष्पन्न पुल्लिंग वाले द्रव्य का खोतक है। यदि यह 'सरीराणि' (नपुंसक लिज्ज) शब्द का प्रयोग होता तो इसका अर्थ पक्षीशरीर पर लागू हो सकता था। क्योंकि "नपुंसक शरीर शब्द ही" प्राणी शरीर या मुर्दे के अर्थ में आता है, किन्तु शास्त्रकार को यह भी अभीष्ट नहीं था। अतः उन्होने यहाँ "शरीराणि" का प्रयोग न करके पुल्लिंग में "शरीराण" शब्द

क्यों कि जैन ती वंकर तथा निर्मं थ श्रमण को उसके अपने निमित्त तैयार किये गये आहार आदि लेने की मनाही है। इस बात को मगवान् महावी च ने स्वयं मोमिल बाह्यण के प्रश्न करने पर स्पष्ट कहा है कि निर्मत्य-श्रमण के निमित्त तैयार किया गया आहार अने पणीय है इस लिये अभक्ष्य है, इसका आहार साधृ न ले। अतः यह सदोष आहार होने के कारण भगवान् महावीर ने सिंह मृति को लाने के लिए मना कर दिया। यह औषि रेवती श्राविका ने भगवान् महावीर के लिये बनायी थी, भगवान् ने अपने केवलजान द्वारा इस बात को जाना और कहा कि "अत्य से अन्ने पारियासिए मज्जार-कडए कुक्कड-मंसए तमाहराहि। एएणं अटठो।" अर्थात्-दूमरा जो रेवती ने अपने लिए मज्जार-कडए कुक्कुड-मसए" तैयार करके औषध रख छोड़ी है वह लाना।

११---''मज्जार-कडए कुक्कुड मंसए'' क्या था ?

(क) मज्जार-माजीर

'मज्जार' शब्द का संस्कृत पर्याय 'मार्जार' है। इसका अर्थ आज-कल बिल्ली समझा जाता है।

का प्रयोग किया है और उसका अर्थ फल के साथ ही सम्बन्धित होने का द्योतक है। आगे आने वाला "अन्ने" शब्द भी पुल्लिङ्ग होने से इसी मत की पुष्टि करता है।

दूसरी बात यह है कि मांस के साथ शरीर शब्द का प्रयोग नहीं होता । विपाक सूत्र मे मॉम का वर्णन है, मगर किसी जातिवाचक सज्जा के साथ शरीर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है । किन्तु 'वनस्पित काय' इस प्रकार ''वनस्पित शरीर'' का प्रयोग सर्वत्र जैनागमों में पाया जाता है।

इससे भी यह स्पष्ट है कि यहां पर सरीरा का सम्बन्ध वनस्प ते के साथ ही है। इससे भी कबूतर के मांस का अर्थ सिद्ध नहीं होता। अतः स्पष्ट है कि यहां पर 'दो साबुन छोटे पेठा फलों का मुरब्बा अर्थ ही ठीक है।" क्योंकि मुरब्बा साबुत फलों का अथवा उन के अन्दर के गूदे का डाला जाता है, जैसे साबुत आंबलों का मुरब्बा डाला जाता है।

परन्तु यहाँ पर मार्जार शब्द भी वनस्पति विशेष का नाम है, जिस वनस्पति की बौषिष में शीतलता, वायुशमन आदि गुण लाने के लिये मावना या पुट दी जाती है; जिसका प्रभाव गर्मी (उष्णता-दाह) इत्यादि ो गों को शात करने में उपयोगी है। वैद्यक निघण्टुओं तथा जैनागमों में भी इसका ऐसी बनस्पति अर्थ किया गया है। प्रज्ञापनासूत्र के प्रथम पद में वृक्षों के अधिकार में 'मज्जार' शब्द की व्याख्या इस प्रकार है:—

१---"वत्युल-पोरग-मण्जार-पोइवलिय- पालक्का"। (जैनागम पन्नवणा सुत्तपद १ हरित विभाग)

जैनागम भगवतीसूत्र २१ वे शतक में भी 'मज्जार' शब्द बनस्पति के अर्थ में आया है:---

२---"अव्यसह-बोयान-हरित्ना-तंबुलेज्जण-तण-बत्युल-पोरग-मज्जार-पाई-चिल्लिया।" (भगवतीसूत्र)

३—"मार्जार:—विरालिकाभियानो वनस्पतिविशेषः।" (भगवतीसूत्र शतक १५ टीका)

४ -- क्रुहारे-भीर मार्जार किंशुका इंगुबी न षण्। अगस्त्ये -मुनि मार्जारावगस्तिबंगसेनकाः" ॥१५६॥ (बंजयन्ती भूमिकांड बनाध्याय)

अर्थ-कृशर (हिंगोटी) के भीरू, मार्जार, किंशुक, इंगुदी ये नाम हैं। इंगुदी शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में है। अंगस्त्य के मुनि, मार्जार अंगस्ति बंगसेन ये नाम है।

५--- "अगस्ति की शिम्बा सारक, बुढिदा, भोजन की रुचि उत्पन्न करने वाली, त्रिदोष नाशक इत्यादि अनेक गुणों वाली है"। (शालिग्राम)

६---मार्जार---रक्तचित्रक नामक पौधा (राजनिषण्टु) ।

७--मार्जार--विडाली, भूमि कुषमाण्ड (वैद्यक शब्दसिन्बु पृ० ८८९)।

८--मार्जार--बिल्ली (वनस्पति विशेष), विडालिका, वृक्षपणी ।

९--मार्जार---बटाश (क०स० श्री हेमचन्द्राचार्य)

१०--मार्जार--एक प्रकार की वायु (भगवती टीका)

११---मार्जार^९---बराली, विरालिका, वरालक, वराल, लव**ङ्ग** (वैद्यक शब्दसिन्धु) (अध्टांगसारसंग्रह) (वैद्यक निघण्टु २ भाग) । १२----वराल, वरालक (हिन्दी विश्वकोष)

मार्जार — अर्थात् विरालिका (लवंग) के कैसे अव्भृत गुण हैं वे नीचे के क्लोक में विधे जाते हैं:---

> "लवंगं कटुकं तिक्तं लघु नेत्रहितं हिमं। बीपनं पाचनं रुच्यं कफपित्ताम्लनाशकृत्।। तृष्णा छविस्तथाभ्मानं शूलमाशु विनाशयेत्। कासद्वासद्व हिकाद्व स्तयं क्षपयित ध्युवम्।।१॥ (वैद्यक शब्दसिन्धु पृ० ९०९)

अनेकार्यतिलक महीपकृतः-

१. मार्जार शब्द के और भी अनेक अर्थ (पर्वायवाची शब्द) अनेक कोशों और निघण्दुओं में उपलब्ध हैं, उनमें से यहां कुछ का उल्लेख कर देने से पाठकों की जानकारी में वृद्धि होगी—

२. मार्जार = नक्षत्रे च त्रिश क्क्सुस्तु मार्जारे शलभे नृषे ।
तूलिका लेख्यलेखिन्यां तूलतल्परालाकयोः ॥१३२॥
माकन्दो मन्मथे जूते मुकुन्दः पारदे हरौ ।
विधौ तालेऽथ मेनादौ मार्जारमेषकेकिनोः ॥२०७॥
नेत्रगोलेऽपि मार्जारे विहायः ख-विहङ्गयोः ।
नुक्कसः श्वपचे नीचे विबुधः पण्डिते सुरे ॥२४९॥
(खंड ३)

कृष्णसारः स्नुहीवृक्षे शिशिपामृगभेदयोः। कुष्माण्डकस्तु मार्जारे कृष्माण्डगणभेदयोः॥४८॥ महोदयो नृषे मोक्षे मधुपर्णे पुरे रवौ। मार्जाली यस्तु मार्जारे शूद्रे विग्रहशोधने॥१५४॥ (खंड ४)

मार्जार-बिडाल, बिल्ली (हिन्दी विश्वकोष)

अर्थात् - लवंग कटु, तीक्ष्ण, लघु, चक्षुष्य, ठण्डा, दीपन, पाचक रिक्किर। कफ़, पित्त, मल नाश करने वाला। तृष्णा (प्यास), वमन, आघ्मानवायु, शूल के दर्द को शीघ्र नाश करने वाला। लांसी, श्वास, क्षम् आदि रोगो को शीघ्र दूर करने वाला है।

वैद्यक ग्रंथ आर्यभिषक्-(शंकर दाजी पदे कृत) पृ० ३५९ में लिखा है कि:--

लवंग लघु, कडवा, चक्षुष्य, रुचिकर, तीक्ष्ण, पाककाले मधुर, उष्ण, पाचक, अग्निदीपक, स्निग्ध, हृद्य, वृष्य तथा विश्व है; तथा बायु, पित्त, कफ, आम, क्षय, खासी, गूल, आनाहबायु, श्वास, उचकी, वाँति, विष, क्षतक्षय, क्षय, तृष्णा, पीनस, रक्तदोप, आध्मान वायु को नाश करता है।

आर्यभिषक् फ्ट नोट पृ० ३५९-में लिखा है:-

लवंग पेट की पीड़ा का नाशक, प्यास बन्द करने बाला, उल्टी तथा बागु आदि को दूर करने के लिये औषध रूप में दी जाती है।

इन सब उद्धरणों से तथा टिप्पनी में दिये गये उद्धरणों से स्पष्ट है कि "मार्जार" शब्द के बनस्पतिपरक अनेक अर्थ होते हैं। वायु तथा

मार्जार—रक्तिवित्रक वृक्ष, लालचीता पेड, खटास, (हिन्दी विश्वकोश)

बिडाल – हरिताल, यष्टी गैरिक, सिन्धू तथदार्वीताक्ष्यैः समांशकैः ॥ (वाचस्पति बृहत्सस्क्रताभिधान)

मार्जार—तार्क्ष्य-भूपाल-**मार्जार**-शलभाः स्युस्त्रिशङ्कवः ॥१२०७॥ **मार्जारेऽ**पि पिशाचः स्याद् मारीचो याचकद्विजे ॥१३३९॥ (नानार्यरत्नमालायां त्र्यक्षरकांडः)

बरालक-Varalaka-cloves carissa carissa carandos aromatic Spice-लवंग, सुगन्धित मसाला।

⁽Sanskrit English Dictionary by Sir Monier Monier-Williams).

खटाश अर्थ भी होते हैं। इनके अतिरिक्त बिल्ली सथा अन्य अनेक निर्जीप पदार्थों के लिये भी मार्जीर कब्द आता है।

(स) मज्जारकडए का क्या अर्थ है ?

मज्जारकडए-मार्जारकृत (संस्कृत)। (१) मार्जार नाम की बनस्पित से बनाया हुआ। (२) मार्जार से संस्कारित किया हुआ। (३) मार्जार की भावना दिया हुआ। (४) मार्जार नामक वायु को शमन करने के लिये बनाया हुआ। (५) मार्जार बनस्पित में पकाया गया अथवा बनाया गया होता है।

(ग) कुबकुड-कुबकुट

कुक्कुट भी एक प्रकार की बनस्पति है, जो कि बहुत दिनों तक टिक सकती है। इसके सेवन से गर्मी, रक्तपित्त, पित्तज्वर, अतिसार आदि रोग शांत होते हैं। उदाहरणार्थ कुक्कुट शब्द के कुछ अर्थ नीचे दिये जाते है:—

१---"सुनिषण्णे सूचिपत्रः स्वस्तिकः शिरिवारकः।

श्रीवारकः शितिवरो वितुन्नः कुक्कुटः शिली।। (निघंदुशेष) अर्थः -(१) सूचिपत्र, (२) स्वस्तिक, (३) शिरिवारक, (४) श्री वारक, (५) शितिवर, (६) वितुन्न, (७) कुक्कुट, (८) शिलि ये सुनिषण्ण के नाम हैं।

१— औषिभ-विज्ञान में संस्कारित वस्तुओं के लिये ''दिषकृत", "राजीकृत", "मार्जारकृत" इत्यादि प्रयोग होता है। इसका अर्थ कमशः 'दिही से संस्कारित", "राई से संस्कारित", वरालिका (लवंग) औषि से संस्कारित होता है। तात्पर्य यह है कि यहाँ 'कडए' का अर्थ 'संस्कारित' और 'मण्जारकडए' का अर्थ मार्जार वनस्पति से संस्कार (भावना-पुट) वाला ठीक बैठता है। "कडए" शब्द मारने अववा हनम करने के अर्थ में प्रयोग किया हो, ऐसा सिद्ध नहीं होता।

"सुनिषण्ये हिमो प्राही मोह-बोषत्रयापहः । अविवाही लघु स्वादुः कषायो रूआदीपनः ॥ वृष्यो रुथ्यो ज्वर-इवास-मोह-कुष्ठ-भ्रमप्रणुत् ॥ (भावप्रकाञ्च)

अर्थ — सुनिषण्णक ठण्डा, दस्त रोकने वाला, मोह तथा त्रिदोष का नाशक, दाह को शांन करने वाला, हत्का स्वादिष्ट, कथायरसवाला, रूक्ष, अगिन को बढ़ाने वाला, बलकारक, रुचिकर, और ज्वर, श्वास, कुष्ठ तथा भम का नाशक है।

२ — कौटिलीय अर्थशास्त्र में भी कुक्कुट शब्द का प्रयोग बनस्पति के अर्थ में हुआ है। देखिये —

"कुक्कुट कोझातकी-झतावरीमूलयुक्तमाहारयमाणो मासेन गौरो भवति।" (कौटिलीय अर्थशास्त्र पृ० ४१५)

अर्थ - कृक्कुट (विषण्णक-चौपिनिया भाजी), कोशानकी (तुरई), शतावरी इन के मूलों के साथ महीना भर भोजन करने वाला मनुष्य गौर वर्ण हो जाता है।

३--फुक्तुट:-शाल्मली वृक्षे (सेमल का वृक्ष) (वैद्यक शब्दसियु)।

४--- कुक्कुट.-बीजपूरक: (बिजोरा) (भगवतीसुत्र टीका)।

५—कवकृट – (१) कोषण्डे, (२) कुरंडु, (३) सांवरी (निघण्टु रत्नाकर)।

६--- कृक्कुट --घास का उल्का, आग की चिगारी, शूद्र और निषादन की वर्णसंस्कार प्रजा (जै० स० प्र० क० ४३)

७---कुन कुटी-कुनकुटी, पूरणी, रक्त कुसुमा, घुणवल्लभी । पूरणी बनस्पति (हमा निघण्टुसग्रह)

८—कुक्कुटी-मधुकुक्कुटी = (स्त्री) मातुन्नुंगवृक्षे जम्बोरभेदे बर्थात्-बीजोरे वृक्ष मे से जम्बीर फल (वैद्यक शब्दिसधु टीका) (राज-बल्लभ)

(घ) मंसए-मांसक (मांस से बना हुन्ना)

हम पहले लिख चुके हैं कि "मांस" शब्द के बनस्पति फलवर्ग का गुदा आदि अनेक अर्थ होते हैं। जैसे—

- (१) मांस (नपुंसक लिंग) मांस, गर्भ, फलगर्भ, गूदा, फांक।
- (२) मांसक (पुल्लिंग) पाक, मुरब्बा, फलगर्भ से तैयार किया हुआ।
- (३) मांस-गरिष्ठ पक्वान्न (अनेकार्थसंग्रह)

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि:--

- (१) जो गरिष्ठ पक्वान्न लाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें प्रथम नंबर का खाद्य मांस कहलाता था, जो घी, शक्कर, पिष्ट (पीठी) आदि से बनाया जाता था। उस में केशर तथा लाल चन्दन का रंग दिया जाता था।
- (२) पके मीठे फलों को छीलकर उनके बीज या गुठिलयां निकाल कर तैयार किया हुआ फलों या मेवों का गूदा भी मांस कहन्जता था। "मांस—फलगर्ने" अर्थात् फल का गुदा (वैद्यक शब्दिसिन्यु)।
 - (३) प्राणीअंग के तुतीय धातु को भी मांस कहते थे।
- (४) मांस शब्द (फर्जों, मेबों, फलियों के) गर्भ, गूदे के लिये प्रयुक्त होता है।

(ङ) मार्जार ग्रौर कुक्कुट वनस्पितयां कैसा ग्रद्भुत ग्रौषधीय गुगा रखती हैं यह निम्नलिखित वर्णन से ज्ञात होगा:—

(१) मार्जार अर्थात् अगस्त्य तथा अगस्ति की शिम्बा के कैसे अद्भृत गुण होते हैं वह नीचे के क्लोक से विदित होगा :— "अगस्त्या बंगसेनो, मधुशियुमुं निद्रमः । अगस्त्यः पित्तकपाजिञ्चातुर्थिकहरो हिमः । सत्त्वयः पीनसङ्केष्मपित्तनस्तान्ध्यनाशनम् ॥" (सदनपाल निघण्ड)

अर्थ: - अगस्त्य वंगसेन, मधुशियु, मुनिद्रुम इन नामों से पहचाना जाता है। अगस्त्य पित्त और कफ को जीतने वाला है। चतुर्थिक ज्वर को दूर करता है और शीतवीर्य है। इस का स्वरस प्रतिश्याय क्लेब्स राज्यान्थ्य नाशक है।

"मृनिशिम्बी सरा प्रोक्ता, बृद्धिवा रुचिवा रुचुः । पाककाले तु मधुरा, तिक्ता चैव स्मृतिप्रदा ॥ त्रिदोवशूलकफहृत्, पाण्डुरोगविषापनृत् । इलेक्म-गुल्महरा प्रौक्ता, सा पक्वा रूक्षपित्तला ॥"

(शालिग्राम निघण्टु)

अर्थ-अगस्ति की शिम्बा सारक कही है, बुद्धि देने वाली, भोजन की दिच उत्पन्न करने वाली, हल्की, पाक काल में मधुर, तीखी, स्मरणशक्ति बढ़ाने वाली, त्रिदोष को नाश करने वाली, शूलरोग, कफरोग को हटाने वाली, विष को नष्ट करने वाली और श्लेष्म गुल्म को हटाने वाली होती है, परन्तु पकी हुई शिम्बा रूक्ष और पित्त करने वाली होती है।

(२) कुक्कुट अर्थात् सुनिषण्णक (चौपत्तिया भाजी), मध्कुक्कुटी अर्थात् जम्बीर फल आदि है; इनके गुणदोषों का विवरण इस प्रकार है:—

(कुक्कुट) "सुनिषण्णो हिमो ब्राही मोहदोषत्रयापहः।

अविदाही लघुः स्वादुः कवायो रूक्षदीपनः ॥

बृष्यो इच्यो ज्वर-इवास-मेह-कुष्ठ-भ्रम प्रणुत् (भावप्रकाश)

अर्थ—मुनिषण्णक (चौपत्तिया भाजी) ण्डी, दस्त रोकने वाली, मोह तथा त्रिदोष को नाश करने वाली, दाह को शांत करने वाली, हल्की, स्वादिष्ट, कथाय रस वाली, रूक्ष, अग्नि को बढ़ाने वाली, बल तथा खिं-कारक, ज्वर, श्वास, प्रमेह, कुष्ठ और भ्रम को नाश करने वाली है। इसी प्रकार अन्य निषण्टुकार भी सुनिषण्णक के गुणों का ऐसा ही वर्णन करते हैं।

(३) मध्कुक्कुटी १(मातुलुंग वृज्ञे जम्बीरभेदे) फल के गुणदोष-यहाँ पर मध्कुक्कुटी शब्द का अर्थ जम्बीर फल लिया है। जम्बीर फल बीजोरे का एक भेद है। बीजोरा संगतरे (संत्रे) की जाति के अनेक प्रकार के फल होते हैं। बीजोरे की नामावली अमरकोश में इस प्रकार दी है:—

मातुलो मदनदवास्यफले मातुलपुत्रकः। फलपूरो बोजपूरो दवको मातुलुङ्गके।। समीरणो मदबकः प्रस्थपुष्पः फणिज्यकः। जम्बीरोऽप्यय पर्णासे कठिञ्जरकुठरवौ।। (को २ वनी०)

१. विवादास्पद मूल पाठ में 'कुक्कुट' शब्द आया है। बीजोरे के लिये मधुकुक्कुटी अथवा मधुकुक्कुटिका शब्द का प्रयोग हुआ है। सो यहाँ पर कुक्कुट शब्द से बीजोरा शब्द क्यों स्वीकार किया है, इसे यहाँ पर स्पष्ट करने की आवश्यकता है:—

'कुक्कुट' शब्द का स्त्री लिंग 'क्किकुटी' होता है तथा इस कुक्कुटी' शब्द पर से 'मकुधुक्कुटी' शब्द बनता है। इस 'मधुकुक्कुटी' शब्द में 'मधु' का अर्थ मीठा होने से विशेषण होता है। यह विशेषणवाची शब्द छोड़ कर 'कुक्कुटी' शब्द रह जाता है। कुक्कुट, कुक्कुटी और कुक्कुटिका पर्यायवाची शब्द हैं। ये तीनों पर्यायवाचो शब्द होने से समानार्थक शब्द हैं। (१) हम वैद्यक ग्रंथों में देखते हैं कि विशेषण सहित तथा विशेषण बिना शब्द पर्यायवाची शब्द होने से समानार्थक हैं।

(१—नागकेशर) चाग्पेयः **केशरो नागकेशर**ः कनकाह्न्यः । महौषयं राजपुष्पः फलकः स्वरघातनः ॥ (शालिग्राम निषण्ट् कर्षु रादि वर्ग)

(२-जटामांसी) जटामांसी जटी पेषी लोमशा जटिलामिसि:।
मांसी तपस्विनी हिंसा मिषिका चकर्वातनी।।

(३-पिप्पलीमूल) मूलं तु पिप्पलीमूलं ग्रान्यिकं चटकाशिरः। कणामूल कोलमूलं चटिका सर्वग्रान्यिकम्।। (४-समुद्रफेन) समुद्रफेन: फेनइच डिण्डिरोऽब्घि कफस्तथा। (शालिग्राम निघण्टु हरीतक्यादि वर्ग)

(५-मुल्हठी) सञ्चयिष्टयंष्टिमधुर्यष्ट्याह्वा क्लीतका स्मृता। सञ्चकं यष्टिमचुकं यष्टिका मधुर्यष्टिका।।

(६-काकडाशिंगी) कर्कटशूंगिका शृंगी कुलिङ्गी कासनाशिती। महाघोषा च चकाङ्गी कर्कटी वनमूदंजा।।

ः(৩–भांग) शकाशन तु विजया त्रेलोक्यविजया जया। (शालिग्राम निघण्टु अष्टवर्ग)

(८-अरणी) अग्निमन्थो हिवर्मन्थः काँणका गिरिकाँणका । जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वैजयन्तिका ॥

(९–ज्ञतावरी) शतमूली महाशीता भीरुपत्री **शतावरी।** महाशतावरी त्वन्या शतवीर्य्या महोदरी॥ (शालिग्राम निघण्टु गुडूच्यादि वर्ग)

(१०-द्राक्षा) द्राक्षा मधुरसा स्वादी कृष्णा चारुफला रसा। सुद्रीका गास्तनी चैव यक्ष्मच्नी तापसित्रया॥

(११-पीलु) **पीलु** शीतसहा स्रंसी घानी गुडफलस्तथा । विरेचनफलः शास्त्री श्यामः करभवल्लभः ॥ अन्यश्चैव **बृहत्पीलु-मंहापीलु**र्महाफलः । राजपीलु-मंहावृक्षः मघुपीलुः षडाह्वयः ॥

(१२-ताड़) तालस्तु लेख्यपत्रः स्थात् तृणराजो महोन्नतः । श्रीतालो मथुतालक्ष्य लक्ष्मीतालो मृदुच्छदः ॥ (शालिग्रोम निघण्टु फलवग)

उपर्युवत १२ उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि विशेषण रहित, तथा विशेषण सहित नाम चिकित्साझास्त्र में पर्यायवाची होने से समानार्थक है। अतः मजुकुक्कुटी, मजुकुक्कुटिका तथा कुक्कुटी भी पर्यायवाची शब्द होने से समानार्थक है इसमे मन्देह को किचिन्मात्र भी स्थान नहीं है। यथा श्लोक न० ५ में मुल्हठी के लिये 'मधुयष्टि शब्द आया है बौर यष्टि शब्द भी आया है। यहाँ 'मधु' विशेषण का छोड़ कर अकेले 'यष्टि' शब्द का भी मुल्हठी अर्थ ही लिया है।

(२) तथा प्राणिवाचक पर्यायशब्द जब वनस्पति के लिये प्रयुक्त होते हैं तब प्रत्येक पर्यायवाची शब्द का वनस्पति में समानार्थ ही किया जाता है। जैसे कि (क) 'वानरी' का अर्थ बन्दरी है और 'कपि' का अर्थ बन्दर है। पहला शब्द स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग है। परन्तु दोनों का अर्थ वनस्पतिपरक 'कौंच के बीज' होता है। (ख) 'कोकिलाक्ष' का अर्थ-'कोयल पक्षी की आंख' होता है तथा 'कोकिला' का अर्थ 'कोयल पक्षी' होता है। परन्तु ये दोनों पर्यायवाची शब्द वनस्पतिपरक अर्थ में बनकर एक अर्थ के सूचक हो गये हैं। इनका एक हो अर्थ 'तालमखाने' होता है।

अब हम यहां पर कुछ और भी उद्धरण दे कर स्पष्ट कर देना चाहते हैं:---

(१-कुक्कुट) (पुल्लिंग) -कुक्कुट. शाल्मली वृक्षे (सेमल का वृक्ष) (वैद्यक शब्दसिन्ध्)

(२--कुक्कुटी) स्त्रीलिंग---

शाल्मलौ तूलिनी मोचा पिच्छिला विरजा विता । कुक्कुटी पूरणी रक्तकुसुमा घुणवल्लभा ॥ ६७ ॥ (निघण्टुशेष)

उपर्युक्त उद्धरणों से हम देखते हैं कि कुक्कुट तथा कुक्कुटी दोनों का लिंगभेद होते हुए भी वे बनस्पतिपरक अर्थ मे पर्यायवाची है। दोनों का अर्थ शाल्मली वृक्ष (सेमल का वृक्ष) स्वीकार किया गया है।

(३ — करौंदा) **करमर्दो** वने क्षुद्रा कराम्लः करमर्दकः। तस्माल्लघुफला या तु सा ज्ञया **करमर्दिका**॥ (शालिग्राम निघण्टुफलवर्ग)

(४—झिगी) जिङ्गिनी **मिगिनी मिगी** सुनियासा प्रमोदिनी। (शालिग्राम निचण्ट वटादिवर्ग)

नं० ३-४ उद्धरणों में भी 'करमर्द' पुल्लिङ्ग है तया 'करमर्दिका' स्त्रीलिंग है। एवं "झिंगिनी" स्त्रीलिंग है और 'झिंगी' पुल्लिंग है; दोनों पर्यायवाची बनकर समानार्यक है।

अतः कुक्कुटी, मध्कुक्कुटी, मध्कुक्कुटिका और कुक्कुट ये सब शब्द पर्यायवाची होन से समानार्थक हैं। इस लिये यहाँ पर कुक्कुट शब्द का अर्थ बिजौरा है। यह दलील निःसन्देह युक्तिपूर्ण है।

बीजोर फल की अनेक जातियों मे से कुछ भेदों में से गुण दोषों का वर्णन करते हैं:--

(१) बीजोरा (किंब) फल-

इवासकासाऽरुचिहरं तृब्बाघ्नं कष्ठशोषनम् ॥ १४८ ॥ लव्यस्तं दीवनं हृद्यं मात्लुङ्गम्दाहृतम्। त्वक् तिक्ता दुर्जरा तस्य वातकृमिकफापहा ॥ १४९ ॥ स्वादु शीतं गुरु स्तिग्धं मांसमास्तिवित् ॥१५०॥

(सश्रत संहिता)

अर्थ-- किव जाति का बीजोरा फल-- तृष्णाशामक, कण्ठरोधक श्वास, खाँसी, अरुचि को मिटाने वाला लघु दीपक और पाचक है। त्वक् (छिलका) तिक्त, दुर्जर, वान, कृमि तथा कफ को शमन करने वाली है।

मांस (गुदा) - बात-पित्त की नाक्ष करने वाला है।

(२) बीजोरा--मधुकर्कटो (चिकोतरा) फल--

बीजपूरी मानुलंगी इचक: फलपुरक:। बीजपूरफलं स्वादु, रसेऽम्लं बीपनं लघु ।। १३१ ।। रक्त पित्तहरं कण्ठजिह्नाहृदयशोधनम् । क्वासकासाऽहिचहरं हुद्यं तृष्णाहरं स्मृतम् ॥ १३२ ॥ बीजपूरोऽपरः प्रोक्तो मधुरो मधुकर्कटी ।। मधुकर्कटिका स्वाद्वी रोचनी शीतला गृह: ।। १३३ ।।

(भावप्रकाश)

अर्थ-चिकोतरा जाति का बोजोरा फल-रक्तपित्तनाशक है, कंठ-जिल्ला-हृदय शोधक है. व्वास-काम तथा अरुचि का दमन करता है तथा तृष्णा हर है। इस वीजोरे को दूसरे लोग मत्रुर मयुकर्कटी अथवा मध्-कर्क टिका भी कहते है।

(३) बीजोरा-मधुकुक्कुटी (जम्बीर) फल-

मधुकुक्कुटिका, मधुकुक्कुटी (स्त्रीलिंग) मातुलुङ्ग वृक्षे जम्बीर-भेदे । (वैद्यक शब्दतिन्यु)

> मयुकुक्कुटिका शीता श्लेब्मला अप्रसादिनी । कथा स्वावृर्ग्दः स्मिक्त वात-प्रत्तविनाशिनी ॥

तत् फलं--तश्च फलं बालं बात-पित्त-कक-रक्तकरम् । मध्यं फलं--तावृद्यमेव ।

पक्यं फलं -- वर्णकरं हृद्यं पुष्टिकरं बलकरं शूलहरं ।
अजीर्णनाशनं विवन्धं वातपित्तक्वासाग्निमांबहरं
कासा ऽरोचकशोफानञ्च ।। (वैद्यक शक्ःसिन्धु)
पक्ष्यं तत् सथुरं कफदमनं रक्त-पित्तवीषध्नं वर्ण्यम् ।
वीर्यवर्धनं रुचिकृत् पुष्टिकृत् तर्पणञ्च ।।
(राजनिधण्ट तथा वैद्यक शकःसिन्धु)

अर्थ-मधुकुक्कुटी (जम्बीर) शीतल, क्लेब्म करने वाला, रोचक, स्वादिष्ट, गुरु, स्निग्ध, वात्-पित्त को नाश करने वाला है।

जम्बीर फल-कच्चा फल वात-पित्त-कफ तथा रक्त के दोषों को उत्पन्न करने वाला है। अधपका फल भी कच्चे फल के समान दोषों की करने वाला है।

तथा इसका पका फल सुन्दरता बढ़ाने वाला, पुष्टिकर, बलकर शूल की पीड़ा का भामक, अजीर्णनाशक, दस्तों को रोकने वाला, बात-पित्त, श्वास, अग्निमांद्य को दूर करने वाला, खांसी, अरुचि, सूजन को नाश करने वाला है।

तथा पका हुआ मीठा फल कफ का दमन करने वाला, रक्त-पित्त के दोषों को नाश करने वाला, वर्ण को निखारने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला, इचिकर, पुष्टिकर तर्पण करने वाला है।

तन्मांसं-गभ (गुवा)

आर्यभिषक्—वनीषधि गुणादर्शे (पृ०४१२) गुजराती ग्रंथ में मधु-कुक्कुटी (जम्बीर) फल के गृदे के गुणों का इस प्रकार वर्णन है—

'मपुर, ग्राहक, कड़वा, शीतल, वातकर, तुरा, पुष्टिकारक तथा बल-कारक है। कफ, रक्तपित्त विकार तथा प्रदर की नाश करता है।"

सारांश यह है कि जम्बीर जाति के बोजोरे का कच्चा तथा अध्यक्ता फल रक्तपित्त रोग में अत्यन्त हानिकारक है एवं इस का पका फल रक्तपित्त, दाहज्बर, पित्तज्बर आदि रोगों में लाभदायक है।

पके मीठे फल का गूदा तो इस रोग मे अत्यन्त लाभदायक है।

हमने उपर्युक्त तीन प्रकार के बोजोरा फलों के गुण-दोषों का वर्णन किया है।

(१) किब जाति का बीजोरा वात-पित्तशामक होने से इस रोग में लाभदायक नही है। (२) चिकोतरा जाति का बीजोरा इस रोग में लाभदायक नही है। (२) चिकोतरा जाति का बीजोरा इस रोग में लाभदायक है तो सही परन्तु इसका दूसरा नाम मधुकर्कटी होने से मधुकुक्कु टी का पर्यायवाची नही है, क्योंकि यदि दोनों का मधु विशेषण हटा दिया जावे तो कर्कटी एवं कुक्कुटी शब्द रह जाते हैं। यदि इन दोनों शब्दों का मांसपरक अर्थ किया जावे तो प्रथम का अर्थ केकड़ा, जो कि जल में रहने वाला एक प्राणी है, तथा कुक्कुटी का अर्थ मुर्गी होता है। इसके पुल्लिग 'कुक्कुट' का अर्थ मुर्गा होता है। दोनों का भिन्न अर्थ होने से यही मानना ठीक है कि—''भगवतीसूत्र के विवादास्पद पाठ'' में जो ''कुक्कुड (कुक्कुटो)'' शब्द आया है उससे मधुकुक्कुटी अर्थात् जम्बीर फल अर्थ लेना ही उचित है। (३) मधुकुक्कुटी—जम्बीर जाति बीजोरे का मीठा पका फल तथा इस का गूदा रक्तिपत्त मे सब जाति के बीजोरों से अधिक तथा अत्यन्त लाभदायक है।

इतने विवेचन के बाद "क्क्कुट" शब्द के नीचे लिखे अर्थी वाले पदार्थी पर पुनः विचार करते हैं:--

- (१) कुक्कुट-सुनिषण्णक शाक (भावप्रकाश)
- (२) कुक्कुट—मधुकुक्कुटी—जम्बीर फल (वैद्यक शब्दिसन्धु जैनागम भगवतीसूत्र)
- (३) कुक्कूट—शाल्मली—सेमल वृक्ष (वैद्यक शब्दसिन्धु, भाव-प्रकाश निषण्टु)
- (४) कुक्कूट--मुर्गा, बत्तक मुर्गा
- (५) कुक्कुट मांस--मुर्गे का मांस

यहां पर हमने मार्जार तथा कुक्कुट शब्दों के वनस्पतिपरक तथा मांसपरक पदार्थों के गुण-दोषों का वर्णन कर दिया है। अब हमने यहाँ पर यह निर्णय करना है कि विवादास्पद सूत्रपाठ में वर्णित भगवान् महावीर ने अपने रोग के शमनार्थ इनमें से कौनसी औषघ बहुण की थी। इनमें से प्राणिअंग मांस लाभदायक हो सकता था अथवा वनस्पति अंग मांस (गूदा)। यदि वनस्पतिपरक वस्तु लाभदायक थी तो कौनसी वस्तु औषघ रूप में ग्रहण की गई थी।

कक्कुट ै = १ - सुनिषण्णक नाम चारपत्तियों वाला शाक।

१ - कुक्कुट तथा इसके पर्यायवाची शब्दों के अर्थ -

⁽क) कुक्कुट स्तिषण्णक, विषण्णक, चौपतियाभाजी ।
(निषण्टुशेष, कौटिलीय अर्थशास्त्र) शाल्मली वृक्ष (वैद्यक शब्दसिन्धु) बीजोरा (भगवतीसूत्र टीका) (कोषंड, कुरंड, सांवरी (निषण्टु रत्नाकर) षास का उल्का, आग की चिंगारी, शूद और निषाद की वर्णसंकर प्रजा (वाच०)।

⁽त) कुक्कुटो —कुक्कुटो, पूरणी, रक्तकुसुमा, घणवल्ली (हेम निषण्टुसंग्रह)

⁽ग) मधुकुक्कुटी — मातुलुंगे, जम्बीर (वैद्यक शब्दसिन्धु)

२-- शाल्मली = सेमल वृक्ष ३ - मातुरुंग = बीजोरा (जम्बीर) ४ - मुर्गा

- (१) यहां "कदत्र" का पहला वर्ष-'सुनिषण्णक' नामक शाक भाजी है। यह शाक इस रोग में लाभदायक है अवश्य। यदि यहाँ पर इस शाक की औषधि लेना मान लें तो यहां पर "मज्जार" का अर्थ 'खटाश' लेना चाहिये। क्योंकि 'खटाश' डाल कर भाजी का शाक बनाया जाता है। भाजी का शाक 'दही' डालकर खट्टा करने का रिवाज सब जानते हैं। अर्थात् खटाश की जगह 'दही' लेने से दस्तों की तथा पेचिश की बीमारी में लाभदायक है अवस्य, परन्तु भगवान महावीर के रोग के लिये हानिकारक थी। क्योंकि भगवान् को पेचिस तथा दस्तों के साथ दाह और पित्तज्वर भी था। ज्वर में दही हानिकारक है। तथा दूसरी बात यह है कि भगवतीसूत्र में भगवान् महाबीर ने सिंह मुनि से इस औषिव के लिये कहा था कि ''पहले से तैयार करके जो औषध रखी है उसे लाना"। मो दही की खटाश डाल कर बनाया हुआ शाक अधिक दिनों तक रख देने से बिगड़ जाता है और खाने लायक नहीं रहता। एवं इस कुक्कुट शब्द के साथ 'मसए' शब्द है। मंसए शब्द का अर्थ है गुदा परन्तु शाक का गुदा नहीं होता। इसिलये यह शब्द शाक भाजी के अर्थ में घटित नहीं हो सकता । इससे फलित होता है कि यह औषध भगवान् महाबीर ने नहीं ली।
- (२) दूसरा अर्थ है—'शाल्मली' अर्थात् सेमल का वृक्ष होता है। इस वृक्ष का फल होता है तथा इसमें गूदा भी होता है। परन्तु इसका गूदा गर्म होने से इस रोग में लाभदायक नहीं है। अतः यह अर्थ भी यहां घटित नहीं हो सकता।
- (३) तीसरा अर्थ--- "बीजोरा फल" है। बीजोरा कई प्रकार का होता है। जैसे गलगल, विकोतरा, संगतरा, मीठा, जम्बीर, किब फल इत्यादि। यहाँ पर बीजोरे से "जम्बीर फल" अभीष्ट है, क्योंकि अन्य बीजोरों की अपेक्षा इस रोग के लिये अम्बीर- बीजोरे का पका हुआ

मीडा फल ही करयन्त लाभदायक है। तथा कुक्कुट (मधुकुक्कुटी) सम्ब का अर्थ जम्बीर नामक फल ही होता है। इसके फल में गूदा भी होता है। यह गूदा इन सब रोगों पर अत्यन्त लाभदायक है। अर्थात् "कुक्कुड संस्ए" का अर्थ "बीजोरे (जम्बीर) फल के गूदे से तैयार किया गया पाक-मुरक्बा" होता है। तथा प्राचीन टीकाकारों ने एव चूणिकारों ने और कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य आदि गीतार्थ आचार्यों ने भी इसका यहां अर्थ स्वीकार किया है। यह मुरक्बा कई दिनों तक स्रक्षित रहता है, बिगड़ता नहीं।

(४) चौथा अर्थ यदि मुर्गे का मांस किया जावे तो यह मांस इस रोग में बहुत हानिकारक होने से इस रोग में कदापि लाभकारी नहीं हो सकताथा। देखिये:——

मुर्गे के मांस के गुण-दोष---

(क) मुर्गे का मांस स्निग्ध, गुरु, उरुण, वृष्य, कफक्रुत, शक्तिप्रद, आंखों के लिये लामकारी तथा वायु को नष्ट करता है। (बैद्धक निचण्डु उर्दू; वैद्य कृष्णदयालकृत)

(ख) "स्निग्धं उष्णं गुरु रक्तपित्तजनकं वातहरं च मासं। सर्वमासं वातविध्वंसि वृष्यं॥"

अर्थात् — मुर्गे का मास चिकता, भारी, गरम, कफ को बढ़ाने वाला, ताकत बढ़ाने वाला, रक्तिपत्त को पैदा करने वाला और वायु को दूर करता है। सब मांस भारी और वात को नाश करते है।

मतलब यह है कि गर्म, भारी, चिकने पदार्थ भक्षण करने से रक्तपिल विकार पैदा होता है, इस रोग में वृद्धि होती है और रोगी को बहुत

१—"मांस" शब्द नपुंसक लिंग है। परन्तु 'मांसक' शब्द पुल्लिंग है और 'बीजोरा' शब्द भी पुल्लिंग है। एवं 'मांसक' शब्द का अर्थ फल का गदा अथवा पाक-मुरब्बा ही है। ऐसा हम ऊपर लिख भी आये हैं। इसलिये यहां पर "कुक्कुड मंसए" का अर्थ बीजोरा पाक ही होता है। इसमें सन्देह की कोई गुजाइश नहीं है।

हानिकारक है। फिर वह पदार्थ चाहे वनस्पतिपरक हो चाहे मांसपरक । तुलना कीजिए:—

बादाम बनस्पति है। उसकी मज्जा, (गिरी) के गुण-दोष भी मुर्गे के मांस की तुलना करते हैं इसलिए ऐसे खादा भी इस रोग में हानिकारक हैं। इसलिये लेने वर्ज्य हैं।

(ग) "वातावमञ्जा मधुरा वृष्या तिक्ताऽनिलागहा । स्निग्घोष्मा कफक्तन्त्रेष्टा, रक्तपिस्तविकारिणाम् ॥१२५॥ (भावप्रकाश निघण्टु)

अर्थ —बादाम की मज्जा (गिरी) मीठी, पुष्टिकारक, वात का नाश करने वाली. गुरु अम्ल, शुक्रल, स्निग्ध, उष्णवीर्य और कफ करने वाली होती है । इसका सेवन रक्तपित्त के रोगियों को हानिकारक है।

इस उर्ग्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुर्गेका मांस उष्णादि गुण बाला होने से रक्तपित्त ोग, दाहज्बर, पित्तज्बर, अतिसार तथा पेचिश आदि रोगों की शांति के लिये कदापि उपयुक्त नहीं हो सकता है।

हम लिख आये हैं कि 'मार्जार' के (१) हिंगोट का वृक्ष, (२) अगस्त्य का वृक्ष, (३) अगस्ति की शिम्बा, (४) लवंग आदि अनेक अर्थ होते हैं। इन हिंगोट (इंगुदी), अगस्त्य और अगस्त्य की शिम्बा इस रोग को शमन करने के लिये उपयोगी है, क्योंकि ये त्रिदोष नाशक हैं। वायु को शमन करने का भी इन में गुण हैं। किन्तु 'लवंग' में वायु त्रिदोष नाशक गुण होने के साथ-साथ अनेक ऐसे विशिष्ट गुण भी विद्यमान हैं, जो इस रोग में अत्यन्त उपयोगी हैं तथा विवादास्पद सूत्रपाठ की टोका में श्री अभयदेवसूरि ने लिखा है "मार्जारो विरालिकाभिधानो वनस्पतिविशेष-स्तेन इतं भावितम्॥

वर्षात्—वरालक नाम की औषि विशेष से भावना दी (संस्कारित की) हुई। सो "वरालक" नाम की औषि निषण्ट्कारों ने लवंग को माना है। लवंग के गुणों का वर्णन हम पहले लिख चुके हैं। लवंग का पुट देना तथा संस्कारित करना जम्बीर फल के गूदे के साथ इसलिये आवश्यक है कि अम्बीर फल का गूदा वायु कर्ता है। और वायु इस रोग में हानिकास्क है। लवंग में वायु को शमन करने का गुण विद्यमान है। मात्र इतना ही नहीं किन्तु इस रोग के अनेक लक्षणों का निदान भी है।

अतः "मज्जारकडए" शब्द का अर्थ हुआ कि "विरालिका" नाम कीः वनस्पति से संस्कारित किया हुआ।

अब ''मज्जारकडए, कुक्कुडमंसए'' शब्दों का नीचे लिखा अर्थ स्पष्ट हो जाता है—

"वायु^र, रक्तिपस, पेक्किन, अतिसार, दाह, पित्तज्वर आदि रोगों को शांत करने के लिये, वरालक (लवंग) नामक वनस्पति से संस्कारित बीजोरे (जम्बीर) फल के गूदे का पाक (मुख्बा)।

(१२) भगवतीसूत्र के विवादास्पद सूत्रपाठ का वास्तविक अर्थ :---

भगवतीसूत्र का मूल पाठ :---

तं गच्छह णं तुमं सीहा ! में डियगामं नगरं रेवतीए गाहावितणीए गिहे, तत्य णं रेवतीए गाहावइणीए मम अट्ठाए दुवे कवीयसरीरा उवक्लडिया तेर्हि नो अट्ठो, अस्यि से अन्ने पारियासिए मण्जार-कडए कुक्कुडमंसए तमाहराहि, एएणं अट्ठो ।

इस उपर्युक्त सूत्रपाठ का वास्तविक स्पष्टार्थ यह है:-

"(श्रमण भगवान् महावीर ने अपने शिष्य सिंह मुनि से कहा)

हे सिंह! तुम में ढिक ग्राम नगर में गृहपति की भार्या रेवती (श्राविका) के घर जाओ। उसने मेरे लिये दो छोटे कुष्माण्ड रे(पेठा)

१---भगवान् महावीर को तीन प्रकार के रक्तिपत्त रोगों में से अधी-रक्तिपत्त रोग था। यह रोग वायु प्रकीप से पित्त विकृत होकर होता है। अत: वायु को शमन करने से रक्तिपत्त विकार दूर होता है।

२ - यद्यपि इस वनस्पतिपरक औषध में रोग को शमन करने के गुण मौजूद ये तो भी जैन निर्यन्थ श्रमण के निमित्त तैयार किए हुए होने से निर्यन्थ श्रमण उसे ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि जैन श्रमण के निमित्त

फल पका कर तैयार किये हैं उनकी तो जायम्बकता नहीं है (आधाक में ोच युक्त होने से) । पर उसके वहां कुछ दिन पहले मार्जार (रुवंग) नामक वनस्पति से सस्कारित (भावना दिये हुए) बीजोरे (जम्बीर) फल के गूदे से तैयार किया हुआ औषघीय पाक (मुरब्बा) पड़ा हुआ है (जो कि उसने अपने घर के लिये बना कर तैयार करके रखा है) उस की जावस्यकता है। उसे ले आओ।"

यही अर्थ प्राचीन टीकाकारों तथा चणिकारों ने किया है, जो कि उपर्युक्त विवेचन से मर्वथा ठीक प्रमाणित हो जाता है। अतः—

(१) अध्यापक धर्मानन्द कोसाम्बी इस सूत्रपाठ का अर्थ किया गवा है कि:---

उस समय महावीर स्वामी ने सिंह नामक अपने शिष्य से कहा—
"तुम मेढिंग गांव में रेवती नामक स्त्री के पास जाओ। उस ने मेरे लिए
दो कबूतर पका कर रखे हैं। वे मुझे नहीं चाहिये। तुम उससे कहना—
कल बिल्ली द्वारा मारी गयी मुर्गी का मास तुमने बनाया है,
उसे दे दो।

पाठक समझ गये होंगे कि कोसाम्बी जी द्वारा स सूत्र पाठ का किया गया अर्थ कितना असंगत, अघटित, अनुचित और भ्रान्तिपूर्ण है। बिल्ली द्वारा मारी गयी मुर्गी ऐसी अस्पृश्य तथा घृणित चस्तु को रेवती जैसी बारह वत घारिणी उत्कृष्ट श्राविका अपने घर लाकर और उसे पका करतैयार करे तथा रक्तिपत, दाह रोग की शान्ति के लिये ऐसी बस्तु का प्रयोग उचित मान लिया जावे, ये सब मान्यताएं अप्रासंगिक, वास्तविकता से दूर तथा कपोलकल्पित जचती है।

(२) तथा मंसए और कडए शब्दों का पुल्लिंग प्रयोग भी प्राण्यंग बनाया हुआ निर्म्ने श्रमणों को लेने के लिये भगवान् महाबीर स्वामी ने मना किया है (सोमिल बाह्मण तथा भगवान् महावीर स्वामी के सम्वाद से हमने इस बात को स्पष्ट जात किया है) ऐसी अवस्था में महा श्रमण भगवान् महावीर स्वयं भी इसे ग्रहण नहीं कर सकते थे, क्योंकि कूष्माण्ड पाक उन के लिये बनाया गया था। मास के पक्ष में विरोधी है। इससे यह मान्यता निराधार हो जाती है।

(३) उस समय भगवान महावीर स्वामी की शा रिक अवस्था कितनी गम्भीर थी, यह दिखलाय बिना कोसाम्बी जी की मान्यता को असंगत ठहराना कठिन था, इसलिये हमने इसका विस्तृत वर्णन कर स्पष्ट किया है। अतः जिनका शरीर छः महीनों से दाहज्वर- अस्त हो, बाह्याम्यन्तर तापमान बहुत चढ़ा हुआ हो और खन के दस्त हो रहे हों; ऐसी अवस्था में भगवान महावी र अपने शिष्य निर्धन्य मुनि सिंह के द्वारा मुर्गीका बासी मास मंगा कर खाने की इच्छा करे, यह बात वैद्यों, डाक्टरों के सिद्धान्तों के एक दम विरुद्ध तो है ही, पर सामान्य मनुष्य की दृष्टि से भी भगवान महावीर की यह प्रवृत्ति आत्मघातक ही प्रतीत होगी।

तृतीय खराड उपसंहार

(१) सामान्य रूप से सबसे प्राचीन ऋग्वेद संहिता में आमिष शब्द का प्रयोग ही नहीं मिलता, इतना ही नहीं बल्कि प्राचीन वैदिक निघण्ट में भी मांस अथवा इसके किसी पर्याय का नाम नहीं मिलता। इसका कारण यह तो नहीं हो सकता कि उस समय मांस पदार्थ ही नहीं था। मनुष्य पश्चओं के शरीर में रहने वाली धातुओं में से तृतीय मांस धातु उस समय भी विद्यमान था । प्राचीन वेद तथा उसके प्राचीन वैदिक कोश में उसका उल्लेख न होने का कारण यही है कि तत्कालीन ऋषि लोग प्राण्यंग रूप माम का किसी कार्य में उपयोग नहीं करते थे। अतः उनकी बतायी हुई वैदिक ऋचाओं में मांस शब्द नहीं था और न ही उनके निघण्टओं मे लिखने की आवश्यकता थी। यद्यपि "ऋग्वेद के कुछ सूक्तों में मास शब्द का प्रयोग हुआ है परन्तु वे सूक्त ऋ ग्वेद में पोछे से जोड़ दिये गये हैं. ऐसी अनेक विद्वानों की मान्यता है। ''जुक्ल यजुर्वेद के अश्वमेध प्रकरण में अनेक पशुओं की हिंसा की चर्ची है जो इस संहिता के रचयिता विद्वान याज्ञवल्क्य के वाजसनेयी होने का परिणाम है। इन्हीं की बदौलत यज्ञों में कुछ समय के लिये हिंसा खुब बढ़ चली थो, परन्तु अयर्ववेद के समय यह हिंसा का प्रवाह रुक पड़ा था"। 'अथवंवेद' में बन्ध्या गौ के वश्र का प्रसंग आया अवस्य है, परन्तु इस वेद के अन्य र लों में मांस खाने का निषेव भी किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि भाष्यकार यास्क के समय तक पञ्चयज्ञ और मांसभक्षण मर्यादित हो गया था। इसी कारण से मांस शब्द की जो ब्यूत्पत्ति की है वह प्राण्यंग मांस को नहीं, परन्तु वनस्पत्यंग मांस को ही लागु होती है। यहाँ मांस प्राण्यंग रूप नहीं पर फल मेवों के गर्म अथवा पिष्टान्न आदि से बनाये गये मिष्टान्न भोजन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । मांस शब्द की व्याख्या करते हुए आचार्य यास्क कहते हैं :---

"मांसं माननं वा मानसं वा मनोऽस्मिन् सीवति वा।"

अर्थ — मांस कहो, मानन कहो, मानस कहो ये सब एक ही अर्थ के प्रतिपादक पर्याय हैं और ये उस भोजन के नाम हैं; जो आगन्तुक माननीय महमान के लिये तैयार किया जाता था और वह समझता था कि मेरा बड़ा मान किया गया है।

"मन ज्ञाने" इस घातु से मांस शब्द निष्पन्न हुआ है और इसका अर्थ होता है, बड़े आदमी के सन्मान का साधन ।

पुरातत्त्वज्ञाता विद्वानों ने आचार्य यास्क का समय ईसा पूर्व नवम शताब्दी निश्चित किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि आज से तोन हजार वर्ष पूर्व के वैदिक साहित्य मे मांस शब्द वनस्पतिनिष्पन्न साद्य के अर्थ मे प्रयुक्त होता था।

इस के बाद धीरे-धीरे मधुपर्क और पिष्टकर्म में प्राण्यंग मांस का प्रयोग होने लगा। "बोबायन गृह्यसूत्र" में जो कि ईसा पूर्व छठी शताब्दी की कृति मानी जाती है—यह आग्रह किया गया है कि मधुपर्क में प्राण्यंग मांस अवश्य होना चाहिये यदि पशु मांस न मिले तो पिष्टान्न का मांस तैयार कर काम में लिया जाए।

"आरण्येन वा मांसेन ॥५२॥ न त्वेषामांसोऽध्यंः स्यात् ॥५३॥ अशक्तौ पिष्टान्नं संसिध्येत् ॥५४॥"

अर्थ--(गौ के उत्सर्जन कर देने पर अन्य ग्राम्य पशुओं के अभाव में) आरण्य पशु के मांस से अर्ध्य किया जाय, क्योंकि मांस बिना का अर्ध्य होता ही नहीं। यदि आरण्य मांस की प्राप्ति न कर सके तो पिष्टान्न से उसे (मास को) तैयार करे।

उपनिषदों मे भी मांस तथा आमिष शब्द प्रयुक्त हुए दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु वहाँ सभी जगह में वनस्पित खाद्य पदार्थ का अर्थ प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद् वाक्य कोश में लिखा है—

"मांतमुद्यीय।" "यो मध्यमस्तन्मांतम्।"

अर्थ--मास के गुण गाओ । जो भीतर का सार भाग हैं।

उक्त उद्धरणों से मली-मांति प्रमाणित हो जाता है कि वैदिक प्राचीन साहित्य में अति पूर्व काल में मांस-आमिष आदि शब्द वनस्पति खाद्यों के अर्थ में प्रयुक्त होते थे और भोजन में पश्वक्त की प्रवृत्ति बढ़ने के समय में इन शब्दों का घातु प्रत्यय से व्यक्त होने वाला अर्थ तिरोहित हो गया, और प्राण्यंग मांस ही मांस शब्द का वाच्यार्थ बन गया।

पिछले समय में जब कि मांस तथा आमिष शब्द केवल प्राण्यंग मांस बन चुके थे, उस समय भी 'आमिष' शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होता भा। ऐसा ' में सिन्धु' ग्रंथ में दिये गये निम्नलिखित प्राचीन श्लोकों से बात होता है।

"प्राप्यंगचूणं चर्मस्योदकं जम्बीरं बीजपूरं यज्ञशेषभिन्नं विष्ण्व-निवेदितान्नं दुष्यान्नं मसूरं मांसं चेत्यष्टविषमाभिषं वर्जयेत्।"

अन्यत्र तुं "गोछागीमहिष्यन्यदुग्वं पर्वं वितान्तं द्विजे स्यः कीता रसा त्रूमिलववं तास्त्रपात्रस्य गन्यं पत्वलजलं स्वार्यपद्यमन्तमित्यामिष-नणः उक्तः ॥"

अर्थ — प्राणधारी के किसी भी अंग का चूर्ण, चमड़े में भरा हुआ जानी, जम्बीर फल, बीजोरा, यज्ञशे के अतिरिक्त विष्णु को निवेदित नहीं किया हुआ अन्न, जला हुआ अन्न, मसूर घान्य और मास इन आठ पदार्थों का समुदाय आमिषगण कहलाता है। मतान्तर से आमिष गण — गाय, बकरी, भेंस के दूध को छोड़कर शेष जानवरों का दूब, बासी अन्न, बाह्मण से खरीद की हुई जमीन, जमीन पर के खार से तैयार किया आ नमक, ताम्रपात्र में रखे हुए पांच गव्य, छोटे खड्डे में रहा हुआ जल, आत्मार्थ पकाया हुआ भोजन, यह दूसरे प्रकार का आमिषगण है।

उपर्युक्त दोनों आमिषगणों में आमिष शब्द अभक्ष्य अथवा अपेय पदार्थों में प्रयुक्त हुआ है। इससे ज्ञात होता है कि 'घर्मसिघु' गत उपर्युक्त दो सूत्रों के निर्माण समय से पहले हो वैदिक साहित्य में आमिष

(२) आयुरेंद, जैन तथा बौद्व आदि के प्राचीन ग्रंगें मे आमिष, मास, मास्य, आस्थिक आदि बब्दों का प्रयोग वनस्पत्यमों तथा पक्वान्नो आदि खाद्य पदार्थों के लिये किया गया मिलता है। **इसका** विवेचन हम द्विनीय खण्ड मे विस्नृत करै आये हैं। तत्पक्चात थीने-धीरे इन बर्बों का प्रयोग प्राण्यंगों, का नाम देकर वज्ञित बताया गया है। (मा० भो० मो०, क० वि०)

श. पंचामांग भगवतीसूत्र में इस चर्चास्यद सूत्र पाठ के बनस्पतिपरक अर्थ के समान ही आचाराग, दशवेकास्कि आदि के चर्चास्पर सूत्र पाठों के भी वनस्पतिपरक अर्थ है। जैनायमों में आये हुए चर्चास्पर शब्दों के प्राण्यगों के अतिरिक्त निरामिय अर्थ पाचीन भारतीय साहित्य से सप्रमाण बही दिये जाने हैं: ये शब्द अट्ठि, अट्ठिप, आमिष, कट्य, मच्छ, मंस, मज्ज आदि है। निरामिषार्थ सस्कृत अद्मागनी

कीटिलीय अर्थशास्त्र पृ० ११८, सुभ्रुत मंहिता, बृहदारण्योपनिषद् बीज, गुठली, लकडी अस्थि अदिठ

१. जिसमें बीज न बना हो सा अपरिषम्ब फन्न, गुठली बाले बेर, आम आदि फन २. मोक्ष का कारण १. अस्थिक २. अद्भिष्य

२. आधिक

आमिप

३. आमिम

प्चा॰ ६

१. माहार, फलादि भोज्य बस्तु

प्णावणा सूत्र

কু কুন্ত কুন

उत्तराध्ययम् १

तथा भगवान महाबीर स्वामी ने पशुओं के यजों का घोर विरोघ किया। यह सब कुछ होने पर भी गौतम बुद्ध ने भगवान् महाबीर स्वामी के समान ही हिंसक यज्ञों का विरोघ किया । किन्तु संथागत जेन श्रमण एव जैन श्रमणोपासक गृहर (श्रावक) इसका आहार कदापि न करते थे। किन्तु जैन कारण प्राण्यंग मांस जो यज्ञों में बली से बनता था वह भी घर्मश्रद्धा से खाद्य बनताजा रहाथा। तथापि तीर्यंकर भगवान ने मिनाथ ने राजा उग्रमेन के वहाँ भोजनार्थं बांघे मये पशुओं को अभय दान दिलाया वनस्पत्यंगों तथा पक्वान्नों आदि में समान रूप से होने लगा। उस समय प्राण्यंग भांस हस्के मनुष्यों तथा क्षत्रियों आदि शिकारी आतियों का खाद्य अवश्य बन गया था। वेरविहित यज्ञों में पक्ष-बक्ती की प्रषा के

गौतम बुद्ध एवं उनके मिश्रुओं में प्राण्यंग मत्त्य, मांस आदि का मक्षण होने लग गया था। ईसा की प्रथम (मर्धमान सूरिकृत) वम्रत्ल कर्डक संबोध प्रकरण ३. आमिष पुजा--नेवेद्य पूजा २. नेवेद्य मिट्रान्न, पक्षशान्न

हुआ अन्म, मसुर धान्म, गाय, भेस, बकरी के दूष के सिवाय अन्य दूष। बासी अन्न, नमक, अपने लिये ४. जम्बीर फल, बिजोरा, जला पकाया हुआ भोजन इत्यादि

वमं सिन्ध्

१. काटा

#5#

कंटय कंटग }

शताब्दी के बाद मौस शब्द को पिष्ट से निष्पन्त मिष्टान्त तथा फल गर्भ के अर्थ में प्रयुक्त होता था, बह धीरे-घीरे भूला आने लगा। ईसाकी प्रथम शताब्दी से पूर्व निर्मित जैनागर्मो तथा प्रकीर्णकों में मौस आदि शब्द वनस्पत्यंग तथा पक्वान्नों के अर्थ में ही प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद के जैन ग्रंथों में मौस और पुद्गल शब्दों का प्रयोग प्राण्यंग मांस के रूप में भी प्रयुक्त होने लगा।

मझने के ल्यि यह आवश्यक में सुगमता प्राप्त हो।	उत्तराध्ययन १ आचारांग २, १, ५	क्षेम कुत्रहल	कौटिलीय अर्थशास्त्र अ० २४ पत्त्र ११७			पण्हे , ४, णामा	बृहदारण्योपनिषद् मुश्रुत संहिता,
(३) जनागमों में आये हुए विवादास्पद सूत्र पाठों का वास्तविक अर्थं समझने के ल्यि यह आवश्यक है कि जैनागमों की रचना का इतिहास भी जाना जाय ताकि स्पष्टार्थं समझने में सुगमता प्राप्त हो।	३. दु.खोत्पादक बस्तु १. कॉटो वाली वृक्ष शाखा	 मस्स्याकृति के बनाये हुए उड़द की पीठी के पक्वान्न 	कोद्रव धान्य के तंदुल, ब्रीहिकेतंदुल	निशा करने वाले घान्य		अण्ड शर्कराएक प्रकार की शक्कर	१. फिल्पों का गूदा, फल का गूदा, मेंबों का गूदा
नागमों में आये हुए विव ों की रचना का इतिहास	५. कंटय बोेंदिया—-कंटक शाखा	मत्स्य		मादयति अनेन	इति मत्स्य ।	ग मस्यंडिका	मांस
(३) ज कि जैनागम	५, कंटय ह	म्				मच्छंडिया	 मंस

भगवान् महाबीर स्वामी ने अपनी ४२ वर्ष की आयु में ईसा पूर्व ५५७ वर्ष में कैवल ज्ञान प्राप्त कर में इनका कंस्य पठन-पाठन चाकू रखा। भगवान् महाबीर स्वामी के बाद इस द्वादकांगी के आपार से पूर्वविद् जैनाचार्यों ने समय-समय पर जिन शास्त्रों की रचना की वे आगम तथा प्रकरणों के नाम से प्रसिद्ध हुए । भगवान् महावीर स्वामी द्वारा उपदिष्ट द्वादशांगी अंग प्रविष्ट तथा उसके आवार से रचे गये शास्त्र पाने तक लगातार जो ३० वर्षों तक उपदेश दिया, उस उपदेश को उनके मुख्य शिष्यों—-गणवर्षों ने सूत्र अपने सिद्धान्तों का सार्वत्रिक प्रचार करना प्रारम्भ किया और ईसा पूर्व ५२७ वर्ष में निर्काण (मोसा) रूप में मुंथन किया और उन्हें द्वादशांगों—बारह अंगों (शास्त्रों) में संगृहीत कर अपनी शिष्य परम्परा

अध्यापक कोसाम्बी ने ''भगवान् बुद्ध'' नामक पुस्तक में जैनागमों-दशर्बकाल्कित तथा आचारांग के जिन सूत्र पाठों के उद्धरण देकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि जैन साधु प्राण्यंग मांस भक्षक **षे** वहाँ सब अर्थ वनस्पतिपरक हैं।उन सूत्र पाठों के पूर्वापर सम्बन्ध से यह बात स्पष्ट है। अनेकार्थ संग्रह कोश षड् ० प्राक्तुः हे० ३०३ १०६ शक्कर, पीठी आदि से बनाया जाता है, उसमें कैसर अथवा लाल चन्दन का रंग दिया र. गरिष्ठ खाद्य पदायों में प्रथम नम्बर का खाद्य-पदार्थजो घी साफ़ करना, माजेन करना स्सान करना, बूबना जाता का संधान जल १. महज २. महा भ मुख ७. मध्य

समृह अंगवाह्य के नाम से कहे जाते हैं। भगवान् महाबीर स्वामी के न्यारह गणवर थे, उनमें से नव तो भगवान महाबीर की ौजुदगी में ही निकाण (मोक्ष) को पा गये थे। जिस रात्रि को भगवान महाबीर ने निर्वाण पाया था उसी रात्रि को उनके प्रथम गणधर श्री इन भूति गौतम की केवल-ज्ञान हो जाने से एक मात्र पांचवें गणधर श्री सूधर्मा स्वामी उस समय भगवान महावीर के चत्रविध संघ (साध्-साध्वी, श्रावक-श्राविका) रूप तीर्थ के नेता (संघ नायक आचार्य)संरक्षक बने । जैन श्रमण बाह्याम्यंतर परिग्रह के सर्वथा त्यागी होने से उन्हें निर्म्रन्थ (निग्गठ अथवा निग्गंब) के नाम से संबोधित किया जाता था। वे निर्प्रथचर्या के पासन के लिये अस्यावश्यक कतियय उपकरणों के सिवाय अपने पास अन्य कोई भी पदार्थ नहीं रखते थे तथा उस समय केवली, मणवर एवं द्वादशांगी (स्वारह अंग तथा चौदह पूर्वों) का जाता गीतार्थ जैन श्रमण संघ विद्यमान होने से भगवान महावीर की वाणी को लिखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। भगवान् महावीर के बाद १७० वर्षो तक श्री भद्रबाहु स्वामी तक द्वादशांगी को निर्म्रन्थ श्रमणों ने बराबर कंठस्थ याद रखा, इसलिये उस ज्ञान में कमी नहीं आयो। श्री स्थ्लम जो कि आचार्य भद्रबाहु स्वामी के समकालीन तथा उनके बाद उनके पट्टघर आचार्य नियुक्त हुए वे ग्यारह अंगों तथा दस पूर्वों के अर्थ सहित ज्ञाता एवं चार पूर्वों को मल सुत्र पाठ मे जानते थे। उस समय अनेक अन्य निर्मृत्य भी इतने झान के जाता षे । यह समय ईसा पूर्व चौथी शताब्दी ठहरता है । आर्य सुहस्ती, आर्य महागिरि, महाराजा सम्प्रति के समय हुए (ई०पू० २२०) । फिर **ईसा** पूर्व दूसरी शताब्दी (ई० पू० १७४) में जैन सम्राट कलिंगाविपति खारवेल ने अपनी महा विजय के बाद अपनी राजवानी में एक वर्म सम्मेलन किया। उस समय निर्यन्य श्रमण बहुत संख्या में पन्नारे। "वहाँ उन सब ने जैनागमों की वाचना की और उन्हें व्यवस्थित किया।" ऐसा हायी गुफा के शिलालेख से जात होता है। इसी प्रकार बीच-बीच में एक-दो शताब्दियों के बाद निर्ग्रन्थ श्रमण किसी न किसी स्थान पर एकत्रित

होनार जैनागमों का बरस्पर मिछकर यांचन करके उन को स्रक्षित रखते आये। ईसा की प्रथम शताब्दी में वज्यस्तामी हुए तब तक म्यारह अम तवा पूर्वों का ज्ञान कंठस्य सुरक्षित रहा। इसके बाद काल के स्वसाय से बुद्धि मंद हो जाने के कारण से निर्यन्य श्रमण आगम पाठ भूलने लगे। अनवान महाबोर स्वामी के चौबीसवें पाट पर श्रो सकंदिलाचार्य हुए, उस समय बारह वर्षीय दृष्काल पड़ने के कारण जैन श्रमणों को अंग-उपांग भी पूर्ण रूप से याद नहीं रहे। सुभिक्ष होने पर मधुरा में सकंदिलाचार्य की अध्यक्षता में जैन श्रमणों का फिर एक वृहत्सम्मेलन हुआ। उस समय निर्मन्य श्रमण संघ ने एकतित होकर जिस साधु को जिस शास्त्र का जितना पाठ कंठस्थ याद था वह एकत्र करके जैनागमों को पूनः सकलित किया गया। इसलिये इसे मायरी वाचना कहते हैं। यह समय लगमन ईसा की दूसरी-तीसरी शताब्दी का ठहरता है। इस प्रकार बोच-बीच में एक-दो शताब्दियों के बाद निर्प्रथ श्रमण अपना सम्मेलन करके जैनागमों के अपने कंठस्य ज्ञान का पुनर्वीचन करके उन्हें व्यवस्थित रखते आये। अन्त में काल के स्वभाव से जब स्मरणशक्ति में अधिक कमी आने लगी और सूत्र पाठ विस्मरण होते चले गये। तब ईसा की पांचवां शताब्दी में (भगवान् महावीर स्वामी के निर्वाण के ९८० वर्ष बाद) बलभी नगरी में समस्त निर्धय श्रमणों का एक वृहत्सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्ष जैनाचार्य देवद्विगणि क्षमाश्रमण थे। यह उस समय के यूग-प्रधान और मुख्याचार्य थे। सम्मेलन में जिस-जिस साधु को आगमों के जो-जो पाठ कंठस्य याद थे उनका वाचन हुआ । वाचना के परचात् यह मालूम हुआ कि चौदह पूर्व पूर्ण भूले जा चुके हैं। बाको के ग्यारह अं रें के भी कुछ भाग विस्मरण हो चुके हैं। इस निर्ग्रन्थश्रमणसंघ के सामने विकट समस्या उपस्थित थी। यदि इस समय बचे हुए इस कंठस्य आगम ज्ञान को लिपिबद्ध न किया गया तो कालांतर मे यह भी भूल जाने से भगवान महाबीर की द्वादशांगी बाणी का पूर्ण रूप से विच्छेर हो जायगा और यदि लिखा जाता है तो इस काम को निर्मन्यसम्पसंध

को स्वयं निज्यन्न करना होगा । यदि ऐसा ही आवश्यक है तो बी निर्मन्य-अमणतंत्र को संयम पालन के निमित्त अपने उपकरणों में लेखनी, स्याही, ताइपत्र इत्यादि की वृद्धि करनी पड़ेगी। अन्त में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का विचार करके जिससे बहित का परिहार तथा हित का लाभ हो ऐसे उत्सर्ग-अपवाद रूप स्याद्धाद की दृष्टि को लक्ष्य में रखते हुए उस समय एकत्रित हए निर्यन्यश्रमणसंघ ने सर्वसम्मति से इस कंठस्य ज्ञान की लिपिबद्ध करके पुस्तकारूढ करने का निर्णय किया। इस निर्णय के अनुसार श्री देवद्विगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में जो-जो आगम पाठ जिस-जिस निर्यन्य श्रमण को याद थे उन सब को बिना किसी फेर-फार के ताड़पत्रों पर लिख कर लिपिबद्ध किया। भगवान् महावीर के समय से लेकर इस समय तक जितने आगमों प्रकीर्णकों की रचना हुई थी, फिर वे चाहे अंगप्रविष्ट थे या अंगबाह्य थे उन का जितना-जितना भाग याद था सब संगृहित कर लिया गया । अर्थात् ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर ईसा की पांचवीं शताब्दी तक के जैन साहित्य की लिपिबद्ध करके लिख लिया गया । तत्पश्चात् इस आगम-साहित्य पर निर्युक्ति, चुणि, भाष्य, टीकाएं आदि लिखे गये। तथा अनेकविध नवीन साहित्य की रचना भी होती आ रही है। इससे यह स्पष्ट है कि जैनागमों में जो कि इस समय विद्यमान है उन की मूल भाषा जैसी कि भगवान् महावीर स्वामी ने अपने श्रीमुख से दिव्य ध्वनि द्वारा अपनी देशना (उपदेश) मे कही थी वही भाषा बिना किसी फेर-फार के सूरक्षित है।

(४) इन जैनागमों पर टीकाएं आदि लिखने वाले टीकाकार समयं विद्वान थे, जैन सिद्धान्तों तथा आचारों के जानकार एवं प्रतिपालक थे। उनके रोम-रोम में जैनघर्म का अनुराग भी था। ऐसा होते हुए भी वे छद्मस्थ थे और इन आगमों पर कि। ओं की रचनासमय तक तो इन विवादास्पद शब्दों के प्राचीन अर्थ प्रायः भूले जा चुके थे तथा इनके नवीन अथ प्राण्यंगों के रूप में प्रचार पा चुके थे। इसलिये शब्द कोशकारों ने भी अपने नवीन शब्द कोशों में इन शब्दों के अर्थ को प्राण्यंग रूप में लिखा। यह बात शब्द कोशों में इन शब्दों के अर्थ को प्राण्यंग रूप में लिखा। यह बात

ावाजास्त्रियों से छिपी नहीं है। ऐसी हालत में इन विवादास्पद सूक-पाठों के अर्थ में मत-भेद होना स्वाभाविक था। जिन्हें तो प्राचीन मुख-परम्परा द्वारा किये जाने वाला अर्थ याद था वे तो इन शब्दों का अर्थ वनस्पतिपरक तथा पनवाजादि खाद्य पदार्थ करते थे और जो उन प्राचीन अर्थों को भूल चुके होंगे और उस समय के प्रचलित अर्थ करते होंगे वे इन शब्दों का अर्थ प्राण्यंगों का समझने लगे हों तो इस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यदि कोई-कोई आचार्य अपनी छ्यस्थावस्था के कारण प्राचीन समय से किये जाने वाले अर्थों के बदले मांसपरक अर्थ समझने लगे हों तो भी जब वे जैन आचार विचारों के साथ तुलना करने तो उन्हें इस बात का विस्मय हुए बिना नहीं रहता होगा कि नवकोटिक अहिसा के प्रतिपालक तथा उपदेशक निग्गंठ नायपुक्त (श्रमण भगवान् महावीर) तथा निर्मन्य श्रमणों के आचार सम्बन्धी सूत्र-पाठों में ऐसे मासनिष्यन्न पदार्थों के ब्यवहार की आज्ञा क्यों?

जैनाचार्यों ने शब्द से भी अर्थ को अधिक महत्त्व दिया है। इसके मूल की खोज की जाय तो पता लगता है कि जैन मान्यता के अनुसार तीर्थकर तो केवल अर्थ का उपदेश देते हैं। "शब्द गणधर के होते हैं। अर्थान् मूलभूत अर्थ है न कि शब्द। वैदिकों में तो मूलभूत शब्द है उस के बाद उसके अर्थ की मीमांसा होती है। इसलिये जैनधमं के अनुसार मूलभूत अर्थ है, शब्द तो उसके बाद आता है। यही कारण है कि सूत्रों के शब्दों का उतना महत्त्व नहीं, जितना उनके अर्थों का है। इसी लिये जैनाचार्यों ने शब्द को उतना महत्त्व नहीं दिया जितना कि अर्थों को दिया और फलस्वरूप शब्दों को छोड़ कर वे तात्पर्यार्थ की जोर आगे बढ़ने में समर्थ हुए। शब्द का केवल क प्रसिद्ध अर्थ करना "भाषा" है, एक से अधिक अर्थ करना "विभाषा" है; तथा यावत् अर्थ कर देना "वार्तिक" है।

आचार्य अपनी और से सूत्रों की व्याख्या करते हैं, किन्तु उस व्याख्या का तीर्थं कर देवों की किसी भी आज्ञा से विरोध नहीं होना चाहिये। ती जिंद देव की आजा के विरोध में अपनी आजा देने का अधिकार बाकार की नहीं है। क्योंकि ती यंकर और आसार्य की आजा में बलावल की दृष्टि हैं तीर्थं कर देव की बाजा ही बलवती मानी जाती है, आसार्य की नहीं। अतप्य तीर्थं कर देव की बाजा की अवहेलना करने वाला व्यक्ति अविनय एवं गर्व के दोष से दूषित माना गया है। जिस प्रकार श्रुति और स्मृति में विरोध होने पर श्रुति ही बलवान मानी जाती है, उसी प्रकार तीर्थं कर की बाजा आसार्य की आजा से बलवती है।

यही कारण है कि प्रथमांग आचारांग के टीकाकार श्री शीर्लकाचार्य तथा दशवैकालिक आगम के टीकाकार श्री हरिमद्रसूरि ने सूत्र पाठों में आने वाले इन विवादास्पद शब्दों के अर्थ जैनधर्म के मल-भूत सिद्धान्तों के अनुकूल करने के लिये अपनी बुद्धि का ठीक-ठीक उपयोग करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। पृथ्वो, पानी आदि छः काय जीवों की दया पालने वाले, कीड़ियों की कर गा के लिये कड़वी तुम्बी का आहार करने वाले तथा अपने मान्य तीर्थकर देवों के सिद्धान्त को पालन करने कि उपलक्ष में पाँच पाँच सी एक हो समय मे घानी में पीले जाने पर भी हंसते-हंसते अपने प्राणों को आहति देने वाले जैन निग्नंथ अनिवार्य संयोगों में भी मांस मछली आदि का भक्षण के ऐसी बात उन के गले भी न उतरी । तथा जिस प्रकार इन मुत्रों के विवादास्पद भागों को आजकल कें कुछ विद्वान क्षेपक अथवा विचारणीय मानते हैं, उन टीकाकारों ने इन आधुनिक विद्वानों के समान धृष्टता भी नहीं की। उन्होंने अपनी षुढि को कसकर मूल सिद्धान्त के हार्द के जितना समीप से समीप जाया जा सका उतना जाने का प्रयत्न किया । किन्तु उन्होंने किसी भी स्थान पर मांस-मछली आदि अभक्ष्य पदार्थों को खाने का अर्य तो किया ही नहीं।

पंचमांग भगवतीसूत्र के टीकाकार श्री अभयदेव सूरिने तो इसमें आये हुए विवादास्पद सूत्र पाठ का स्पष्टार्थ वनस्पति-परक ही स्वीकार किया है। बतः प्राचीन टीकाकारों, चूणिकारों के मतानुसार भी निर्प्रथ श्रमण सांस-भक्षण कथना मांस-भिक्षा करते थे यह कदापि सिद्ध नहीं हो सकता।

अतं: मर्वन्तिसूत्र के बलावा कावराण, दशवंकालिक, एवं सूर्व-प्रशास्ति अदि अन्य जैनागमों में आने वाले ऐसे विवादास्पद शब्दों का वर्षे भी वनस्पतिपरक तथा पर्वनन्त आदि ही निर्मेच आचार-विश्वारों के सांच प्राचीन वेद तथा प्राचीन जैनादि प्रन्थों के अनुसार संगत बैठता है, किन्तु मांसपरक सर्वथा असंगत है। यदि किसी आधुनिक विद्वान की यह धारणा हो कि इन सूत्रों की रचना के समय रचनाकार को वनस्पतिपरक तथा मांसपरक दोनों ही अर्थ अभिप्रेत थे तो उनकी यह घारणा उपर्युक्त उदा-हरणों से सर्वथा असत्य ठहरती है। दूसरी बात यह है कि कभी भी किसी श्रमण निर्मन्य ने मांसाहार ग्रहण किया होता तो उसका वर्णन जैन अथवा जैनतर साहित्य में अवश्य पाया जाता किन्तु हवं का विषय है कि किसी भी जैनतिग्रंन्यश्रमण ने मांसामक्षण किया हो अथवा मांस-भिक्षा ग्रहण की हो उसका नाम तक किसी भी प्राचीन भारतीय साहित्य में नहीं मिलता।

(५) इतने विवेचन से यह बात फलित होती है कि आचारांग, भगवती, सूर्यप्रक्रित, दश्वेकालिक आदि जैन भागमों का रचनाकाल जब इन विवादास्पद शब्दों का प्रयोग वनस्पतिपरक तथा पक्वान्नों आदि के अर्थ में होता था, उतना प्राचीन है। वह समय ठीक भगवान् महावींर स्वामी का ईसा पूर्व छठी शताब्दी का बैठता है इससे यह स्पष्ट है कि बलभी में देविद्वाण क्षमाश्रमण के नेतृत्व में जिन आगमसमूह को सकलित कर लिपिबद्ध किया गया था वह श्रमण भगवान् महावीर स्वामी की वाणी का बिना किसी फेर-फार के संकलन था। जो आज तक स्वेतांबर जैनों के पास सुरक्षित है।

अतः सुज्ञ विद्वानों को चाहिये कि इन सूत्रपाठों का अर्थ करते समय निर्म्गन्य आचार-विचार तथा भगवान् महावीर स्वामी के समय के जो अर्थ प्रचलित थे उन्हीं के अनुकूछ अर्थ करे। विपरीतार्थ कर अपनी अज्ञानता का परिचय न दे।

(६) यदि निर्ग्रन्थपरम्परा में मछली, मांसाहार आदि का प्रचलन होता अथवा जैनागमों में मछली मांसादि के आहार करने का उल्लेख

होता तो अन्य धर्मावलिम्बयों के साहित्य में जैनधर्म के प्रतिस्पर्की रूप में क्रीनों पर मांसाहार करने का आक्षेप अवश्य पाया जाता। परन्तु यह बड़े बीरव का विषय है कि जैनेतर साहित्य मे जैनों पर इस आक्षेप का सर्वेषा अभाव है। मेरे एक मित्र जो एक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान हैं लेखक, वक्ता तथा वर्मोपदेशक हैं उन्होंने इस विषय के लिये यह तर्क किया-"संभव हो सकता है कि जैन साहित्य जैनेतर विद्वानों के हाथ में न जा पाया हो, इसलिए हो सकता है कि वे ऐसा आक्षेप जैतों पर न कर पाये हों" उनकी यह दलील कोई युक्तिमगत प्रतीत नही होती, क्योंकि यह कभी संभव नहीं हो सकता कि जैन साहित्य जैनेतर विद्वानों के हाथ में न गया हो। यदि बोड़ी देर के लिये ऐसा मान भी लिया जाय तो भी वैदिक, पौराणिक, जैन तथा बौद्ध साहित्य का अवलोकन करने से पता चलता है कि अनेक निर्म्न श्रमण जैनधर्म का त्याग कर अन्य धर्म सम्प्रदायों में जा मिले। अनेकों ने निर्यान्य श्रमण की चर्या का त्याग कर अपने नवीन समप्रदायों की स्थापना भी की। जब वे जैन धर्मीपासक थे तब उन्होंने जैनागमों का अभ्यास तो अवश्य ही किया होगा। इसका यह मतलब हुआ कि वे जैनागमों तथा निर्मन्थाचारों विचारों से पूर्णरूपेण परिचित थे. ऐसा स्पष्ट सिद्ध होता है। यदि जैनागमों तथा जैन आचार-विचारों में किचित मात्र भी मास मछली आदि अभक्ष्यभक्षण का वर्णन अथवा प्रचलन होता तो वे जैनधर्म के प्रतिपक्षी रूप में जैनों पर अवश्य आक्षेप करते पाये जाते।

- (७) निग्रंथ (जैन) श्रमणों का आचार जनता के समक्ष था, क्योंकि जैन मुनि आहार आदि सदा गृहस्थों के वहाँ से ही ले लेते थे एवं लेते हैं। यदि वे कदाचित् अनिवार्य अवस्था में भी प्राण्यंग मांस-मत्स्यादि का भक्षण करते तो जैनेतर साहित्य मे जैनों पर मांसाहार करने का आक्षेप अवस्थ पाया जाता। ऐसा न होना ही यह सिद्ध करता है कि निर्ग्य आचार-विचार से प्राण्यंग मासादि भक्षण को किचिन्मात्र भी अवकाश नहीं।
 - (८) गौतम बुद्ध, जमाली, गोशालक ये तीनों भगवान् महावीर स्वामी

के समकालीन ये तथा वे सभी प्रथम निर्यन्यपरम्परा में दीक्षित हुए और वर्षों तक निर्ग्रन्थ आचारों का पालन भी करते रहे। बाद में इस परम्परा का त्याग कर जब उन्होंने अपने-अपन नधीन पंथों की स्थापनाएँ की तब भी उन्होंने जैनधर्म के प्रतिस्पर्धी के रूप में जैन सिद्धान्तों तथा आचारों का घोर विरोध किया। अद्यपि इन तीनों में से बुद्ध वर्म के साहित्य के अतिरिक्त किमी पंथ का साहित्य उपलब्ध नहीं है तथापि बौद्ध साहित्य की देखने में हम स्पष्ट जान सकते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने जब अपने पंथ की स्थापना की उस समय अपने पंथ के प्रचार तथा विस्तार के लिये जैन धर्म के अनेकान्तवाद तपश्चर्या आदि की कड़ी आलोचना की। शाक्य मुनि गौतम बुद्ध तथा उनके भिक्षु प्राण्यंग माँस, मछली आदि मृतमांस का खुल्लम-खुल्ला निःसंकोच भक्षण करते थे और वे लोग मृतमासभक्षण में दोष भी नहीं मानते थे। उनके इन अभक्ष्य पदार्थी के भक्षण करने पर उनके समकालीन निरामिषभोजी मतावलम्बियों ने उन की ऐसी आचार प्रणाली की कड़ी आलोचना की एवं आक्षेप भी किये । उन आलोचकों में जैन भी एक थे। बुद्ध ने अपने इस शिथिलाचार को ढाँकने के लिये तथा अपने धर्मप्रचार के लिये अपने आलोचकों के विरुद्ध अनेक प्रकार से प्रचार किया। इतिहास से यह बात स्पष्ट है कि जैन तथा बौद्ध उस समय परस्पर प्रतिस्पर्दी के रूप में थे। ऐसा होते हुए भी बौद्ध साहित्य में जैनों पर मांसाहार करने का आक्षेप न पाया जाना हमारे इस मत की पुष्टि करता है कि निर्प्रन्थ (जैन) परम्परा में कदापि प्राण्यंग मास मछली आदि अभक्ष्य पदार्थों के खाने का प्रचलन नहीं था।

(९) मात्र इतना ही नहीं परन्तु शाक्यमृनि गौतम बुद्ध ने अपनी निग्रंन्य अवस्था की तपश्चर्या का वर्णन करते हुए मत्स्य, माँस, मदिरा आदि सेवन करने का निषेव किया है। ऐसा होने से निग्रंन्थ श्रमणों का मांसाहार न करने का स्पष्ट निर्देश पाया जाना भी इसी बात की पुष्टि करता है कि निग्रंन्य (जैन) परस्पराओं में ऐसे अभक्ष्य पदार्थों के मक्षण का कदापि प्रचलन नहीं था।

- 🔧 (१०) जैन बबना जैनेतरप्राचीन साहित्य को देखने से वह भी पता समता है कि सदा से जैन सम्बदायों के अनेक समर्थ विद्वानों ने अपने पहले कम्प्रदाय का त्याग कर जैनधर्म को स्वीकार किया। जिनमें निग्मंठ नाम-बुसु (श्रमण भगवान महावीर) के मूल्यकिष्य-गणघर इन्द्रभूति आदि स्थारह बाह्मण पंहितों ने भी जो चौदह विद्याओं के जाता थे अपने हजारों शिष्यों के साथ निर्मन्य श्रमण के पांच महावतों को स्वीकार कर जैन मनि की दीक्षा ग्रहण की । वे सब जैनवर्म स्वोकार करने से पहले वजीं में स्वयं पशुबलि करते थे, दूसरों से करवाते थे, तथा इस प्रथा का सर्वत्र प्रचार भी करते थे, एवं यज्ञों द्वारा तैयार किये हुए प्राण्यंग मांस को साना अपना परमधर्म समझते थे। शब्यभव, हरिभद्र आदि अनेक समर्थ बिद्वानों ने भी ऐसा ही किया। जैनधर्म को स्वीकार करने के बाद ये सब महान तपस्वी परमसयमी तथा नवकोटिक अहिंसा के प्रतिपालक ब और समर्थ गीतार्थ जैनाचार्यों के रूप में प्रख्यात हुए। यदि जैनधर्म के बाचार विचारों में किचिन्मात्र भी सामिषाहार की आजा अथवा प्रचार होता तो वे स्वय परम ऑहंसक कदापि न बन पाते । यात्र इतना ही नहीं परन्त वह जैनों पर यह आक्षेप भी अवश्य करते कि आप जैन लोग स्वयं तो सामिषाहार करते हैं फिर भी अन्य सामिषभोजी सम्प्रदायों की आलोचना क्यों करते है ? किन्तु परम गौरव का विषय है कि जैनों पर ऐसा एक भी आक्षेप जैन अथवा जैनेतर साहित्य में दुष्टिगोचर नहीं होता । इस से यह स्पष्ट होता है कि निर्म्नेच्य (जैन) धर्म मे सामिषाहार को किचिन्मात्र भी अवकाश नही है।
- (११) जहाँ-जहाँ भी जैनधर्म का अधिक प्रभाव रहा, वहाँ के अन्य धर्मावलम्बी भी प्राण्यंग मासादि अभक्ष्य पदार्थों का इस्तेमाल (उपयोग) करने से दूर रहते आ रहे हैं। मान्न इतना ही नहीं परन्तु आज से हजार बारह सो वर्ष पहले जब बौद्ध लोग मुजरात प्रदेश में आबे तब जैनधर्म के आचार तथा विचार के प्रभाव से प्रधावित हो कर उन्हें भी मत्स्य-मांसादि के प्राण्यंग मांसपरक अर्थों को बनस्पविषरक

अर्झ करने के लिए बाव्य होना पड़ा तथा बौद्ध मंत्रों में बौद्ध मिल्युओं को प्राच्धंग मांसादि अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण के लिये निषेष करना पड़ा! इससे यह स्पष्ट है कि भूतकाल से लेकर आज तक जैनों में मांसाहार का कोई प्रचार अथवा प्रभाव को अवकाश नहीं रहा। ये सब बातें भगवान महावीर तथा निग्रंथ श्रमणों के कट्टर निरामिषाहारी होने का स्पष्ट प्रमाण है।

- (१२) यही कारण है कि मांसाहारी प्रदेशों तथा मांसाहारी देशों में रहने वाले जैन धर्मावलम्बी गृहस्थ भी सदा की भांति आब तक कट्टर निरामिषाहारी हैं। मात्र इतना ही नहीं जैन धर्म को लंबे अर्से से भूल चुकने वाली 'सराक' आदि जातियों का आज भी कट्टर निरामिषाहारी होना उन पर जैनधर्म के आबार तथा विचार को गहरी छाप का ज्वलंत उदाहरण है।
- (१३) भारतवर्ष में जैनधर्म की मानने वाली ओसवाल, खंडेलवाल, पोरवाल, श्रीमाल, पल्लोबाल आदि प्रमुख जैन जातियों का निर्धाण राजपूतादि मासाधी जातियों में से हुआ। जब से इन महानुभावों ने जैनधर्म को स्वीकार किया और ये निर्धण (जैन) श्रमणोपासक (श्रावक) बने तब से आज पर्यन्त कट्टर निरामिषाहारी हैं। यदि जैन आचार-विचार में मांसाहार की थोड़ी सी भी छूट होती, फिर वह चाहे उत्सर्ग से होती अथवा अपवाद से, तो ये उपर्युक्त श्रमणोपासक जैन जातिया कदापि आज कट्टर निरामिषभोजी न होतीं। इस के विपरीत बौद्धों के समान ये भी सब सामिषाहारी होते। इम देख चुके हैं कि बुद्धधर्म को स्वीकार करने वाले मांसाहारी लोग भी कट्टर निरामिषभोजी तापस भी मांसाहारी बन गए तथा जैनधर्म को स्वीकार करने वाले मांसाहारी लोग भी कट्टर निरामिष्महारी कन गये। इस से भी स्पष्ट सिद्ध है कि निर्मंध-परम्परा में मांसाहार का कभी भी प्रचलन नहीं था और न है।
- (१४) जैन तीर्घकर भगवान् महाबीर स्वामी तथा साक्य मुखि तकागत गौतम बुद्ध सममालीन थे बीर आत्यसाधन के एक ही निर्मुख

पक्ष के द्वो पिषक थे। महात्मा बुद्ध इस पथ से भटक गए और भगवान् महाबीर स पथ को पार कर सफ छ हुए। भगवान् महाबीर अपनी आत्मा को शुद्ध पित्र करके कर्ममळ से सर्वथा रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर सदा के लिए अमर हो गयं तथा महात्मा बुद्ध अपनी चित्त शक्ति को सर्वथा बुझा कर सदा के लिये विलुप्त हो गयं। इन दोनों के अपने-अपने आचार विचारों के अनुकूल ही निर्मथ (जैन) परम्परा कट्टर निरामिषाहारी है और बौद्ध-परम्परा मास-मछली आदि सर्वभक्षी है।

(१५) निर्प्रथ परम्परा सदा से प्राण्यंग मांस, म ली, अण्डे, मदिरा आदि अभक्ष्यभक्षण का विरोध करती आई है, यही कारण है कि जैन धर्म अन्य मासाहारी परम्पराओं के समान मासाहारी देशों में न फैल सका। भारतवर्ष में ही इसका प्रादुर्भाव हो कर भारत मे सीमित रहा।

(१६) अतः (क) भाषाशास्त्र के इतिहास के अभ्यासी से यह बात कदापि छिपी नहीं रह सकती कि आचाराग आदि प्राचीन जैन आगमों के रचनाकाल के समय मांम-आमिष आदि शब्दों का अर्थ बनस्पतिपरक तथा पक्धान्नों अपदि उत्तम खाद्य पदार्थों का किया जाता था। इसलिये इन आगमों में आये हुए मांसादि शब्दों का अर्थ प्राण्यंग तृतीय घातु मांस का समझना सर्वथा अनुचित है। (ख) जैन आचार-विचारों के अनुसार भी इन शब्दों का प्राण्यंग मांसपरक अर्थ सर्वथा प्रतिकल है। (ग) जैन परम्परा के आचार संबंधी इतिहास से भी यही बात सिद्ध होती है कि भगवान महावीर स्वामी से पहले के जैन श्रावक जो कि इनके पूर्वकालवर्ती भगवान् पादर्वनाथ आदि के अनुयायी थे वे भी मांसाहारी नहीं थे। उन पार्वापत्य श्रावकों का अवशेष रूप "सराक" जाति का आज भी बगाल जैसे मांसाहारी देश में सद्भाव और उन का कट्टर निरामिषाहारी होना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तथा मगवान महाबीर के बाद निर्मित होने वाली ओसवाल, पोरवाल, अग्रवाल. खंडेलवाल श्रीमाल आदि जैन जातियों का कट्टर निरामिषभोजी होना भी हमारी इस धारणा को पुष्ट करता है। जिस प्रकार जैन श्रावक निरा-

मिषाहारी हैं उसी अकार निर्मंग श्रमण (जैनमुनि) भी सर्वया एवं सर्वदा निरामिषभोजी थे और हैं।

'ऐसा होते हुए भी अध्यापक कोसाम्बी का यह लिखना "िक उन्हों ने (जैनों ने) मांसाहार का समर्थन इसी (बौद्धों) के ढंग से किया होगा क्योंकि पूर्वकालीन तपस्वियों के समान अंगल के फूल-फलों पर निर्वाह न करके लोगों की दी हुई भिक्षा पर निर्भर रहते थे और उस समय निर्मास-मत्स्य भिक्षा मिलना असंमय था। ब्राह्मण लोग यज्ञ में हजारों प्राणियों का वय करके उनका मांस आस-पास के लोगों में बांट देते थे। गांव के लोग देवताओं को प्राणियों की बलि चढ़ा कर उनका मांस खाते थे। इस के अतिरिक्त कसाई लोग ठीक चौराहे पर गाय को मार कर उसका मांस बेचते रहते थे। ऐसी स्थिति में पक्वान्न की भिक्षा पर निर्मर रहने वाले श्रमणों को मांस रहित भिक्षा मिलना कैसे संभव हो सकता था।"

उन की यह घारणा सत्यता से कोसों दूर है। क्योंकि श्रमण भगवान् महावीर निर्मंथ परम्परा के चौबीसवें तीर्थंकर थे उन से पहलें तेईसवें तीर्थंकर भगवान् पार्वनाथ तथा बाईसवें तीर्थंकर भगवान् अरिष्ट नेमि (नेमिनाथ) इत्यादि तेईस तीर्थंकर हो चुके थे जिन्होंने सर्वत्र विहिंसा का प्रचार कर जैन आचार-विचारों के पालन करने वाले समाज की स्थापना की थी, जो चतुर्विध संघ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें साधु-साध्वी, श्रावक-श्राविकाओं का समावेश होता है। ये जैन श्रावक-श्राविकायें श्रमण भगवान् महावीर के समय में इनके दीक्षा लेने तथा केवलज्ञान प्राप्त कर धर्म प्रचार प्रारम्भ करने से पहले से विद्यमान थे सराक आदि जातिवत् कट्टर निरामिषभोजी थे। इन के अतिरिक्त अन्य निरामिषभोजी संन्यासी-श्रमणों के उपासक गृहस्य भी निरामिषाहारी अवश्य विद्यमान होंगे। भगवान् महावीर के माता-पिता, तथा मामा महाराजा चेटक का परिवार तथा अन्य संगे सम्बन्धी भी निर्मंध श्रमणों के उपासक थे अर्थात जैन धर्मान्यायी थे।

श्वमण वंगवान् महावीर के धवंप्रचार से भी लाखों की संख्या में गृहस्वीं ने जैन धमं स्वीकार कर लिया था और वे बारह बतवारी श्रमणीपासक बन चुके थे। जिस से उस समय ये निरामिषभोजी भी सर्वत्र विद्यमान थे।

ऐसी अवस्था में भिक्षा पर निर्भर रहने वाले जैन निर्माय श्रमणों को मांस रहित भिक्षा मिलना असंभव मानना कहाँ तक उचित है ? पाठक स्वयं सोच सकते हैं।

व्यक्ति दो कारणों से झूठ बोलता है। अज्ञानवश अथवा राग-द्वेषवश । सो कोसाम्बी जी की उपर्युक्त धारणा सत्य से कोसों दूर होने के कारण इन दो कारणों में से किसी एक कारण का शिकार अवश्य हुई है । अधिक क्या लिखे ।

(१७) मनुष्य का उसके बिचारों के साथ गहरा सम्बन्ध है। विचारों के अनुसार ही आचार होता है। जो यह मानता है कि आत्मा नहीं है, परलोक नही है, परमात्मा नहीं है उसका आचार प्रायः भोग-प्रधान रहता है। जो यह मानता है कि आत्मा है, परलोक है, आत्मा अपने किये हुए शुभाशुभ कर्मी के अनुसार सुख-दु:ख आदि फल को भोगता है, उसका आचार भोगप्रधान न होकर इसके विपरीत त्यागमय होता है। अतः विचारों का मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी के आचार-विचार को जाने बिना उस के विषय में सम्बक् निर्णय नहीं किया जा सकता । महात्मा बुद्ध मृतमाँस में जीव नहीं मानते थे, किन्तु निग्गठ नायपुत्त (अमण भगवान महाबीर) सब प्रकार के प्राप्यंग मांस को वस जीवों का पुंज मानते थे। इसलिने जब हम श्रमण भगवान महाबीर के जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो ज्ञात होता है कि वे दीक्षा लेने से पहले गृहस्थाश्रम में ही सचित्त बाहार के सब प्रकार से त्यागी हो सुके थे और निग्रंथ अमण की दोक्षा लेने के बाद जब वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी हो चके ये तब उन्होंने मोहनीय कर्म को सर्वथा नाश कर लिया था। उस सथय उन्हें अपने शरीर पर किचिन्मात्र भी मोह नहीं

सा । वे अपने के समझान द्वारा यह भी जानते ये कि अभी उनकी आयु सोलह वर्ष और शेष हैं। वे यह भी अवध्य जानते होंगे कि पित्त-ज्वर, रक्तिपत्त आदि रोगों के शमन करने के लिये वनस्पति से निष्पन्न निर्दोष और प्रासुक औष विया भी सुलभ प्राप्य हैं। उनके उस समय लाखों की संख्या में निरामियाहारी गृहस्य श्रावक अनुयायी तथा उपासक विद्यमान थे। जब छद्मस्य निर्वय श्रमण भी मांसाहार का सर्वया त्यागी होता है तब तीर्थंकर भगवान का आचार तो उन निर्यंत्थों से भी बहुत उत्कृष्ट था। ऐसी अवस्था में ऐसा पाप-मूलक मांसाहार वे केसे प्रहण कर सकते थे? कहना होगा कि प्रभु महाबीर पर मांसाहार का दोषारोपण करना चांद पर थूकने के समान है। फिर भी यदि कोई कहे कि रोग के शमन के लिये भगवान ने "मुर्गे का मांस खाया, नयों कि विवादास्पद सूत्र पाठ के अर्थ से भी ऐसा प्रतीत होता है" तो यह दलीछ भी उनकी युनित संगत नहीं है।

किसी भी बात का निर्णय करने से पहले इस बिख्य में लागू पड़ने वाले संयोग तथा आस-पास के संयोगों का विचार करके सत्य निर्णय करना सुज्ञ विद्वानों का साधु कर्तव्य है। हम इस निबन्ध में अनेक स्थलों पर इस बात के अनेक प्रमाण देते आ रहे हैं कि भगवान् महाबीर ने प्राणि हिसा तथा मांसाहार का उग्न बिरोध किया था। ऐसे महान् अहिंसक को अपने सिद्धान्त की कदर न हो यह कैसे माना जा सकता है?

(१८) जैन सिद्धान्त के अनुसार (१) भगवान् महावीर का वज-ऋषभनाराच संहनन था। (२) उन्होंने छन्मस्थावस्था में घोरातिषोर उपस्यं तथा परीषह सह कर भी अपने निर्मय श्रमण के आचारों का दृहता पूर्वक पालन किया था। (३) उन्होंने मांसाहार को नरकमित में छे जाने वाला बतलाया है। (४) मांसाहारी को कसाई (श्रासक-हिसक) कहा है जो कि सर्वथा सार्थक है। कसाई सब्द कवायी का शास्त पर्यायववाजी होता है। इसका आश्य यह हुआ कि अभवान् महावीर के सिद्धान्तानुसार मांसाहार उत्कृष्ट कहायवान् क्यक्ति ही कर सकता है। स्वमण भगवान महावीर स्वामी तो कथाय अज्ञानादि अठारह दोशों रहित सर्वज्ञ सर्वज्ञी थे, इसिलये कदाचित इनके रोग में मांसाहार गुणकारी मी होता तो भी अहिमा के आदर्श उपदेशक तथा करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर कभी भी ऐसे अभक्ष्य पदार्थ को स्वीकार करें यह बुद्धिगम्य तथा श्रद्धागम्य नहीं है। (५) उन्हें तो अपनी देह पर भी ममता नहीं थी। (६) उन्हें यह भी ज्ञान था कि इस रोग मे मुर्गे का मांस वातक है। (७) उन्हें उनके रोग शमन के लिये वनस्पतिनिष्पन्न निर्दोष तथा प्रासुक अनुकूल औपिश्व सुलभ प्राप्य भी थी। ऐसी परिस्थित में श्रमण भगवान महावीर का मांसाहार ग्रहण करना कदापि संभव नहीं है।

निग्गंठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर) अपने सिद्धान्त के विरुद्ध जाने वाली, प्राणों की घातक, रोग की प्रकृति के प्रतिकूल तथा अभक्ष्य, महापापमूलक वस्तु अपने शिष्य सिंह मुनि द्वारा मंगा कर ग्रहण करे, यह बात समझदार व्यक्ति के गले कदापि नहीं उतर सकती।

(१९) रेवती श्राविका जो घनाढ्य गृहस्थ की स्त्री थी, बहुत ही समझदार और बुद्धिमती थी और बारह वृत धारिणी भी थी। ऐसी उत्कृष्ट श्राविका ऐसा उच्छिष्ट मांस कैसे राध सकती थी? रांघ कर बासी क्यों रखे? फिर भगवान् के लिये दे। ये सब बातें कैसे संमव हो सकती हैं?

जो स्वयं राँधे वह खाती भी होगी तब वह व्रतम्रारिणी कैसे हुई? मांस खाने वाली रेवती ऐसे बासी मांस का आहार दान करने से देव-गित प्राप्त करे तथा तीर्थकरनामकमं उपार्जन करे, यह कैसे संभव हो सकता है? शास्त्रकार तो "तृतीयाँग ठाणांग आगम" में कहते है कि इस सुपात्रदान के प्रभाव से रेवती श्राविका देवगित में गयी और आगामी चौवीसी में मनुष्यजन्म पाकर इस को आत्मा तीर्थंकर हो कर निर्वाण (मोक्ष) पद को प्राप्त करेगी। अतः इससे यह स्पष्ट है कि सम्यग्दर्शन पूर्वक बारह वत धारिणी श्राविका न तो कदापि प्राण्यंग मांस पका सकती

थी और न हो वान में दे सकती थी। क्योंकि यह बात उसके मान्य आचार और सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध थी।

- (२०) भगवान् महाबीर के रोग का विचार करते हुए दाथा उनके आचार-विचारों को लक्ष्य में रखते हुए, एवं निग्नंथ श्रमण सिंह मुनि की चर्या का अवलोकन करते हुए श्राविका रेवती के पवित्र आचार को समझते हुए यह बात फलित होती है कि यह औषध प्राण्यंग मांस से निष्यत्र नहीं थी। मुर्गे का मांस रक्त-पित्त जैसे दाहक रोग में हानिकर है ऐसी वैद्यक शास्त्र को मान्यता होने से यह बात सर्वथा सत्य है कि जो औषध श्रमण भगवान् महावीर ने अपने रोग शमनार्थ ग्रहण की थी वह वनस्पतिनिष्यन्त, एषणीय, प्रामुक एवं निग्नंथआचार तथा रोग-शमनार्थ सर्वथा अनुक्ल थी।
- (२१) कोई कोई आजकल यह कहते भी पाये जाते हैं कि वनस्पतियां पक्वान्न तथा खाद्य पदार्थों के लिये मांस-मस्त्यादि जो शब्द वनस्पतियों और प्राण्यंगों दोनों के लिये प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग प्राचीन जैन आगमों में वनस्पति और पक्वान्नों के लिये क्यों किया गया? जब कि शब्दकोश में ऐसे शब्द भी मौजूद हैं जिनका प्रयोग मात्र वनस्पतियों के लिये ही होता है। ऐसा होने से तो मांस मस्त्यादि अभक्ष्य पदार्थों के भक्षण का सन्देह हो जाने के कारण अर्थ का अनर्थ हो रहा है। अतः आगम रचने वालीं को चाहिये था कि वे ऐसे द्वर्यार्थक शब्दों का प्रयोग सूत्रपाठों में न करते, और यदि हो भी गया है तो ऐसे सूत्रपाठों को प्राचीन जैनागमों में से निकाल देना चाहिये।

आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले निग्गंठ नायपुत्त (श्रमण भगवान् महावीर स्वामी) के उपदेशों का संग्रह उनके गणधरों ने किया उस समय इन विवादास्पद शब्दों का अर्थ वनस्पतिपरक तथा पक्वान्न आदि उत्तम खाद्य पदार्थों के लिये प्रयोग किया जाता था, इस बात का उल्लेख हम पहले कर आये है। भाषाशास्त्रियों से यह बात भूली हुई नहीं है कि देश तथा कालादि के भेद से शब्दों के अर्थ भिन्न हो जाते हैं। एकार्थक

सन्य असेकार्थक बन जाते हैं तका अनेकार्यक एकार्यक बंग जातें हैं। अनेक शब्दों तथा लिपियों में एक दम परिवर्तन मी ही आता है। जी शब्द आज किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है वह शब्द कार्जातर में सर्वथा मिन्न अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। सो आज से पण्चीस सी वर्ष पहले मगबदेश में बोली जाने वाली भाषा आज की भाषा से मेल कैसे पा सकती है। अतः मुज एवं निष्पक्ष विद्वानों को चाहिये कि वै किसी भी सूत्र पाठ का अर्थ करते समय देश, काल, परिस्थित, आचार, विचार आदि को लक्ष्य में रखते हुए उन के अनुकूल अर्थ करके अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दें। यही उन के लिये शोभाश्रद है। किन्तु प्राचीन काल के एकार्थक शब्दों को अनेकार्थक बना कर अर्थ का अनर्थ करने की कृपा न करें।

(२२) वर्तमान समय में विवादास्पद सुत्रपाठों को निकालने का विचार मी ठीक प्रतीत नहीं होता । कारण यह है कि उस प्राचीन समय के सुत्रपाठीं को निकाल देने अथवा उन बब्दों को बदल देने से जैनागमी की प्राचीनता एवं प्रामाणिकता ही समाप्त हो जायगी। श्रमण भगवान महाबीर स्वामी की मौजूदगी में गणधरों द्वारा संकलित किये गये ये प्राचीन आगम जब उन के ९८० वर्ष बाद देवद्धिगणि क्षमाश्रमण के नेतृत्व में लिपिबद्ध कर पुस्तका रूढ किये गये थे उस समय इस हजार वर्ष के अन्तर में भाषा, शब्दों अर्थों के अनेकविध परिवर्तन भी अवश्य हो चुके थे, उस समय लोग प्राचीन अर्थों को भूलने भी लगे थे, बाहर से आने वाली अनेक जातियों के भारत में आकर बसने तथा उन के शासनकाल में उनकी भाषा राज्यभाषा के रूप में प्रचार पा जाने से प्रत्येक भाषा में शब्दों का आदान-प्रदान होने से उस समय की भाषाओं में अनेक प्रकार के परिवर्तन भी हो चुके थे। आज की हिन्दी, गुजराती, बंगाली आदि भारतीय भाषाओं का अब हम बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी की भाषाओं से मेलान करते हैं तो इनके अन्तर का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार आज से पच्चीस सौ वर्ष पहले "आम, आमगंध शब्द का अर्थ प्राण्यंग का कच्या- वक्ता बीस किया वाला या वरन्तु बाज की बोल-बाल की मींवाओं वें "आम" एक फर्ड की नाम प्रसिद्ध है। यह तो हुई मूतकाल की वातें। वर्तभान काल में भी हम देखते हैं कि जिस एक शब्द का विशेष अर्थ चंजाब में एक प्रकार का किया जाता है उसी शब्द का अर्थ उत्तर प्रदेश में दूसरी प्रकार का किया जाता है। उदाहरणार्थ "कुक्कुड़ी" शन्द का क्षर्य पंजाब में "मुर्गी" समझा जाता है और उत्तर प्रदेश के मेरठ आदि जिलों में "मकई के मंद्रे" के अर्थ में इसका प्रयोग होता है तथा मारवाड में इसका प्रयोग रूई के काते हुए सूत की गुच्छी के लिये होता है। इन सब बातों का विचार करने से यह स्पष्ट है कि वलभी में प्राचीन जैन आगमों को पुस्तकारूढ़ करते समय भी भाषादि के बदलने की समस्या उन गीतार्थ निर्मं थों के सन्मूख अवस्य थी । यदि वे चाहते तो इन सूत्र-पाठों को निकाल अथवा बदल भी देते, फिर भी उन्होंने ऐसा नयों नहीं किया? इस के पीछे उनकी बड़ी दीर्घ दृष्टि थी। यदि वे इन सुत्रपाठों को निकाल अथना बदल देते तो (१) इन आगमों की प्राचीनता नष्ट हो जाती (२) भगवान महावीर के गणवरों की कुल भाषा का अभाव हो जाता। (३) प्राचीन अर्द्धमागधी माषा का इतिहास लूप्त ही जाता इत्यादि अनेक दोष आजाने पर भी यह समस्या हल न हो पाती. क्योंकि यदि उस समय भगवान् महावीर के एक हजार वर्ष के बाद भाषा तथा शब्दों के अर्थों में कुछ परिवर्तन हो चुका या तो स आगमों के पुस्तकारूढ़ होने के पन्द्रह सौ वर्ष बाद आज तक भाषाओं और उनके शब्दों के अर्थों में कोई कम परिवर्तन नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में फिर भी वैसी ही समस्या खड़ी रहती और अनेक सूत्र पाठों को आज भी बदलने की आवश्यकता पड़ती और भविष्य में फिर अनेक शब्दों के अर्थ बदलते रहने के कारण यह समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती बार-बार सूत्र पाठों के बदलने से प्राचीन जैनागमों का अस्तित्व ही न रह पाता। इसलिये यही उचित है कि वर्तमान में विद्वानों के सामने जो विवादास्पद सुत्रपाठ हैं उनका अर्थ निग्रंथ (जैन) बाचार विचारों तथा प्राचीन भाषा के अर्थों के अनुकूल

अर्थ करके सुत्र विद्वान अपने कर्तव्य का पालन करें। सारांश यह है कि सूत्र-पाठों का विपरीतार्थ करने से बहुन बातें विपरीत हो जाती हैं। किसी बात का समाधान होना तो दूर रह जाता है, परन्तु कई प्रकार की उलझनें उपस्थित हो जाती हैं। सगवतीसूत्र के इस विवादास्पर सूत्रपाठ का विपरीतार्थ करके अध्यापक कोसाम्बी जी, पटेल गोपालदास तथा उन के अनुयायी विद्वानों ने अपनी विद्वत्ता को बट्टा लगाया है। क्योंकि मगवान् महावीर के रोग में ली जाने वाली औषध का मांसपरक अर्थ विकित्सा शास्त्र, निर्मय आचार-विचार, श्रमण भगवान् महावीर की जीवनचर्या, समय, परिस्थित आदि सब के प्रतिकूल है। अधिक क्या लिखे?।

इस विवेचना से विद्वान पाठकगण समझ सकेंगे कि इस सूत्रपाठ का वर्समान कालीन अर्थ करके गोपालदास पटेल तथा अध्यापक धर्मानन्द कासाम्बी ने कैसी अक्षन्तव्य भूल की है ? ।

अतः भारत सरकार की "साहित्य एकादमी" को चाहिये कि वह कीसएम्बीकृत "भगवान् बुद्ध" नामक पुस्तक को सदैव के लिये अज्ञान्ति-जनक घोषित कर जप्त करें । इसी में भारतसरकार की प्रतिष्ठा निहित है। सुजेषु कि बहुना।

वीर सेवा मन्दिर